(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 4) सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 15 वां दिवस (संख्या 12

1] [2

शनिवार

दिनांक 6 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री भैरूंलाल मीणा ।

उदयपुर–रतनपुर सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि

282. **श्री भैरूंलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 में ली जाने वाली जमीन 30 मीटर से 60 मीटर तक की पट्टी ली जाती है।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में 30 मीटर तक ही जमीन ली जाती है? यदि हां, तो उदयपुर–रतनपुर मार्ग के लिये जमीन ज्यादा क्यों ली गई जब कि यह क्षेत्र आदिवासियों का है?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर से रतनपुर तक की सड़कों के लिये आदिवासियों की जमीन ली गई है एव मुआवजा कम दिया गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के लिये आदिवासियों के अलावा अन्य वर्गों की जमीन अभी तक नहीं ली गई है? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : अध्यक्ष महोदय,

(1) यह सही है कि राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 में ली जाने वाली जमीन 30 से 60 मीटर तक की चौड़ाई में ली जाती है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमीन 30 मीटर से 60 मीटर तक चौड़ाई में ली जाती है। उदय र–रतनपुर मार्ग के लिये जमीन ज्यादा नहीं ली गई है।

(3) यह सही नहीं है कि उदयपुर से रतनपुर तक की सड़क के लिये आदिवासियों से ली जाने वाली जमीन का मुआवजा कम दिया गया है।

(4) यह भी सही नहीं है कि उक्त सड़क के लिये आदिवासियों के अलावा अन्य वर्गों की जमीन नहीं ली गई है।

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय जैसा कि मन्त्री महोदय ने फर्माया, उदयपुर-रतनपुर मार्ग के लिये जमीन ज्यादा नहीं ली गई है! मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दूसरी जगह मैंने खुद ने जाकर नापी है 45 मीटर से चौडी नहीं है। दूदू में मैंने देखा, ब्यावर में और कई जगह मैने नापी 45 मीटर है लेकिन उस क्षेत्र में 60 मीटर ली, जब कि पिछड़े को पहले, और आदिवासियों को मदद करने का राज्य सरकार नारा देती है। उस क्षेत्र में आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, मेरा कहना है कि मिनिमम तीस मीटर है इसलिए तीस मीटर ही ली जावे।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, हाई वे के बारे में नियम यह है कि रोड 30 मीटर से 60 मीटर तक होनी चाहिये, लेकिन नार्मली एवरेज 45 मीटर आता है। जैसा कि माननीय सदस्य का कहना है. अगर वह किसी स्पेसिफिक स्थान के बारे में लिख कर देंगे, कहीं पर किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री भैरूंलाल मीणा : आपने बताया कि उनको मुआवजा दिया जा रहा है। क्या यह जो मुआवजा दिया गया है वह उचित है? यह बिलकुल गलत है, जिसको जमीन दी जाती है वह बड़ा खर्च करता है, हजार आठ सौ रुपये उसमें लगाता है, आप उसको क्या मुआवजा देते हैं? वह उसमें खेती करता है। जो आप मुआवजा देते हैं वह बहुत कम है। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, मैंने अधिकारियों से बात की तो यह मालूम हुआ कि जो तेज बोलते हैं उनसे जमीन नहीं ली गई और जो भोले आदिवासी हैं उनसे दस्तखत करवा लिये गये। दूसरी बात, उनको आश्वासन दे दिया गया। वह भोले आदमी हैं, इन लोगों के चक्कर में आ जाते हैं। उनको यह कह दिया कि तुमको नौकरी दे देंगे, जंगलात में पेड़ लगाते हैं। जो बोलने वाले हैं उनका एक एक आदमी ले लिया गया। इस प्रकार भी उनको मुआवजा दिया गया। दूसरे किसी साइड पर गांव में मकान या दुकान आ जाती है। बारापाल कोसी इन जगहों पर लोगों ने दुकानें बना रखी हैं उनको नोटिस दे दिया गया कि 100 फीट दूर चले जाओ। क्या वे दूर चले जायेंगे? जिन्होंने पक्के मकान बना लिये हैं, पट्टे ले लिये हैं, उनको कहते हैं कि यह नाजायज है। इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। सरकार के लोग परेशान करते हैं। उनको नाजायज तौर से परेशान कर रहे हैं। बारापाल में दूसरी तरफ मकान हैं, उनको नोटिस दे दिया इस तरह से अगर रोड ही रोड रहेगी तो फिर आबादी कहां रहेगी? इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार तीस फीट के मामले पर गौर करे।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया, 30 मीटर से 60 मीटर जमीन ली जाती है। जमीन एक्वायर करने से पहले लैण्ड एक्विजीशन एक्ट के तहत पूरी कार्यवाही होती है, उनको नोटिस दिया जाता है। आब्जेक्शन्स लिये जाते हैं। जो इण्डिविजुअल कन्सर्न्ड हैं उनको नोटिस दिया जाता है। जो पेमेन्ट किया जाता है उसके दो तरीके हैं, एक तो नेगोसिएशन से

(श्री चेतराम मीणा)

करते हैं। दूसरे पर्टीकूलर स्थान पर जो जमीन तहसील में रजिस्टर्ड होती है वन विभाग से उसकी दर ली जाती है और उसी आधार पर पेमेन्ट किया जाता है। नेगोसिएशन के आधार पर जो पेमेन्ट किया जाता है उसके लिये गवर्नमेन्ट और सम्बन्धित व्यक्ति के बीच में नेगोसिएशन होता है। रहा सवाल. माननीय सदस्य कहते हैं कि दस्तखत करा लिये तो यह नेगोसिएशन की श्रेणी में आता है। जिन व्यक्तियों ने दस्तखत नहीं किये उनके सम्बन्ध में लैण्ड एक्विजीशन के तहत कार्यवाही की जाती है। रहा सवाल यह कि मकान बना लिये और उनको हटाया जा रहा है, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जो जमीन ली जाती है, उसमें मकान आ जाते हैं तो कम्पनसेशन दिया जाता है। बारापाल के लिये स्पेशली कोई शिकायत हो तो माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें, क्या शिकायत है। निश्चित रूप से उस पर विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने जानकारी की उससे मालूम होता है इनका षड़यन्त्र है इस तरह का, जो अपने लोग हैं, और होशियार हैं वे दस्तखत नहीं करते हैं पास वालों से दस्तखत कराते हैं। आखिर में नेगोसिएशन की बात करके षड़यन्त्र करते हैं। यह लोगों को फंसाकर जमीन लेने की बात है। कोई समझदार आदमी वहां होना चाहिये सरपंच या और कोई, उसको बुलाकर बात करनी चाहिये नेगोसिएशन की। चुपके-चुपके काम कर लेते हैं कुछ लोगों को पटा कर। किसी को आश्वासन दे देते हैं कि नौकरी में रख लेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर फिर से विचार करे। यह सत्य है कि 45 मीटर से 60 मीटर होनी चाहिये लेकिन 30 मीटर वहां पर हो, ..

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, एक बात इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा। क्या आदिवासी इलाके में जिनके पास में एक बीघा जमीन है उस जमीन को ले लिया गया, कुएं के पास की जमीन भी नहीं रही? क्या इस पर विचार करेंगे कि जिस क्षेत्र में लोगों के पास जमीन नहीं है उस क्षेत्र में पेड़ लगाना भी आवश्यक नहीं है क्योंकि पहाड़ है? बहुत सी जमीन ऐसी है जहां से सड़क निकालनी ' वहां गाव आ जाते हैं। क्या उस पर पुनः विचार करेंगे? दूसरी बात यह है कि मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। जमीन पर जबर्दस्ती पेड़ लगा दिये गये जब कि यह बात भी सही है कि जमीन एक्वायर नहीं की गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अनुसूचित जनजाति के लोग अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र में बसते हैं। जहां जमीन बहुत थोड़ी है वहां यथा सम्भव उसको बचाया जाय। अगर आपस में वह समझौता करें तो वह समझौता बैठता नहीं है। उसमें छोटे पक्ष को अधिकार नहीं होता। आप तय शुदा चीज के अनुसार कार्य करें।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आप प्रश्न का अध्ययन करें। यह बात उठी है कि नोटिस दिया जाता है नोटिस के बाद उनको क्लेम पेश करना पड़ता है, लेकिन एक साधारण आदमी के पास अगर एक बीघा जमीन होती है उसमें से पौन बीघे पर सड़क निकली तो उसके पास क्या रह गया? आप उसकी पूर्ति करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। 283।

ग्राम नमाना (नाथद्वारा) में चिकित्सालय

283. **श्री सी. पी जोशी** (नाथद्वारा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नाथद्वारा के गांव नमाना में सन् 1977 में डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार डिस्पेंसरी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती कमला भील): ग्राम नमाना में वर्ष 77-78 में एक एडपोस्ट खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई न कि डिस्पेंसरी की। परन्तु वहां भवन व्यवस्था न होने के कारण यह स्वीकृति निरस्त कर दी गई थी। वर्तमान में समुचित वित्तीय प्रावधान न होने के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया है कि मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था कि 77 में जो घोषणा तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने की थी, उसका पालन निश्चित रूप से किया जाय। नमाना में जो एडपोस्ट की घोषणा की गई थी उसका इम्प्लीमेंटेशन भवन उपलब्धि के कारण ही नहीं हुआ, बल्कि सारे प्रयत्नों के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे, जिस प्रकार शिक्षा मंत्री ने दिया? डिस्पेंसरी के बारे में भी तत्कालीन सरकार ने जो घोषणा की क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या नहीं?

चिकित्सा मंत्री (श्री छोगालाल कंवरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि 77-78 में जो डिस्पेंसरी खोली गई है उनके संबंध में केबिनेट ने यह निर्णय जरूर लिया था कि अगर अन्य शर्तें पूरी हों तो प्राथमिकता के आधार पर खोली जाय। इसी प्रकार चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो डिस्पेंसरी 77-78 में खोलनी थी उनकी संख्या 20 थी उनमें से जो नहीं खोली गई उसके लिये निवेदन किया कि जहां वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति दी गई, वहां खोल दी गई है। एडपोस्ट इसलिये नहीं खोला जा सका। इसलिये इसके कोई वित्तीय प्रावधान अलग से नहीं किये गये। आगे इस संबध में कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि पंचायत समिति क्षेत्र में जो पैटर्न बना हुआ है उसके अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दो डिस्पेंसरी और एक एडपोस्ट दिया है। लेकिन इस क्षेत्र में पहले से ही एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाउन में व दो डिस्पेंसरी एवं दो डिस्पेन्सरी रूरल एरिया में है इसलिये और एडपोस्ट या डिस्पेंसरी अभी खोलने का विचार नहीं है। आगे वित्तीय प्रावधान हुआ तो इस पर विचार किया जायेगा।

श्री सी. पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया कि क्या मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया था या नहीं? यदि हां, तो मंत्री महोदय जवाब दें कि उसको पूरा करेंगे या नहीं?

श्री छोगालाल कंवरिया : मैंने निवेदन किया कि मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया था, 77–78 में दो डिस्पेंसरी और एक एडपोस्ट खोली जाय, उनको प्राथमिकता के आधार पर खोला जाय, लेकिन इस वर्ष वित्तीय प्रावधान बहुत कम होने से डिस्पेंसरी तो खोल दी गई 77–78 में, लेकिन एडपोस्ट जिनकी संख्या 125 थी, वह नहीं खोले गये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मेरा निवेदन है मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि यह निर्णय प्राथमिकता के आधार पर लिया गया। मेरा कहना है कि क्या जो 77–78 में घोषणा की गई थी उसको पूरा किया जायेगा ? मंत्री महोदय कह रहे हैं कि प्लानिंग विभाग ने इसकी स्वीकृति नहीं दी और प्राथमिकता के आधार पर इसका निर्णय करेंगे।

श्री छोगालाल कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। मैंने निवेदन किया कि जो केबिनेट ने निर्णय लिया उसके अनुसार 1977-78 में स्वीकृति दी कि उनको खोला जाय। मैंने कहा कि 20 डिस्पेंसरी खोली गई और 125 एडपोस्ट नहीं खोले गये, क्योंकि वित्तीय प्रावधान की कमी रही इसलिये प्लानिंग डिपार्टमेंट ने उसमें कटौती कर दी इसलिये एडपोस्ट नहीं खोला जा सका।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैंने इजाजत नहीं दी है।

आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, इस पर अधिक चर्चा नहीं होगी। सरकार ने स्थिति बता दी है।

श्री सी. पी. जोशी : How we can get the decision of the Cabinet ? जो घोषणा हुई, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिये।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 284

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। 284

श्री सुरजाराम टांक।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ××× इस प्रकार के असंसदीय शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न। स्थान ग्रहण करें। 285।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

20 संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजन छात्रावासों की व्यवस्था।

285. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने 20 संकल्प कार्यक्रम के तहत कितने हरिजन छात्रावास खोले हैं ? कृपया स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मारवाड़ जंक्शन जिला पाली में छात्रावास खोलने का प्रावधान था किन्तु बाद मे निर्णय बदल दिया गया है ? यदि हां, तो यह निर्णय किस स्तर पर व क्यों बदला गया ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री चेतराम मीणा) : (1) राज्य में 20 संकल्प कार्यक्रम के तहत 37 हरिजन छात्रावास खोले गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। छात्रावास खोलने का कोई प्रावधान ही नहीं था अत: निर्णय बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जो सूचना दी है उसमें पाली में होस्टल दर्शाया है और इन्होंने कहा है कि निर्णय नहीं किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि इनके पास पहले दो होस्टल खोलने का प्रावधान था, एक पाली में और दूसरा मारवाड़ में। समाज कल्याण अधिकारी ने वहां एक का निर्माण शुरू करवाया। उसके बाद जिलाधीश द्वारा अपने स्तर पर इसको बदल कर कहीं और ले जाया गया। मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया है। समाज कल्याण विभाग ने इसकी जानकारी की है कि वहां होस्टल खोला जाना चाहिये। इसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। यह 18.11.80 की चिट्ठी है। इसका आप सही उत्तर दें।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में जो छात्रावास खोलने का प्रावधान किया था वह पाली मुख्यालय में था। वहां के जिलाधीश ने समाज कल्याण विभाग को कहा है, दूसरा छात्रावास मारवाड़ में खोलने के लिये। उसके लिये सूचना मांगी गई है कि मारवाड़ जंक्शन पर छात्रावास खोला जाय। इसकी जब सूचना आ जायेगी तो निश्चित रूप से खोला जायेगा।

जिलाधीश के कहने पर सचिव, समाज कल्याण द्वारा जो सूचना मांगी है उसके आधार पर लिखा पढ़ी हो रही है जिसका संदर्भ माननीय सदस्य दे रहे हैं। इस तरह का कोई निर्णय नहीं किया गया है कि मारवाड़ जक्शन पर छात्रावास खोला जायेगा।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : जिला समाज कल्याण अधिकारी मारवाड़ आया था या नहीं ? प्रधानाध्यापक सैकण्डरी स्कूल से मिला या विधायक से मिला था या नहीं ? यह विधायक आपसे मिला था, आपने जवाब दिया कि खोल दिया। आपको धन्यवाद दिया। आपने हां भरी उसके बाद वह निर्णय क्यों बदल गया ?

श्री चेतराम मीणा: जैसा मैंने निवेदन किया जिलाधीश पाली ने समाज कल्याण विभाग को लिखा था। लिखने के पश्चात्

(श्री चेतराम मीणा)

वहां से सूचना मांगी गई है। हो सकता है समाज कल्याण अधिकारी उस तिथि को सूचना एकत्रित करने के लिये वहां गये हों, माननीय सदस्य से मिले हों लेकिन निर्णय नहीं लिया गया कि मारवाड़ जंक्शन पर छात्रावास खोल दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : जो जिले में 20 संकल्प कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु कमेटी बनी हुई है उसने मारवाड़ जंक्शन पर होस्टल खोलना तय किया था और जिलाधीश को ऐसा राइट है कि उसको रिवोक कर दे?

श्री चेतराम मीणा : मैंने निवेदन किया कि छात्रावास सिर्फ इस आधार पर नहीं खोले जाते कि कहां पर कितनी जनसंख्या है। छात्रावास सिर्फ मेहतरों के लिये खोले जाते हैं जो सूखे तहारतों में काम करते हैं। यदि उन छात्रों की संख्या इतनी होती है कि छात्रावास चल सकता है तभी खोला जाना है। यह सूचना एकत्रित की जा रही है। यह सूचना आ जायेगी तो खोल दिया जायेगा।

श्री शिवदान सिंह राठौड (जैतारण) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पाली में जो डाटा है वह मारवाड़ जंक्शन में नहीं है? वहां भी जिला कमेटी ने तय किया कि दोनों जगह बराबर है इसलिये पाली और मारवाड़ में खोला जाय लेकिन कलेक्टर नहीं चाहता है। वह आपका × × × है। पाली में भी वही का वही पैटर्न है, सारा एक रह से है। वहां समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जांच करा रहे हैं, क्या पाली में जांच करवाई थी?

श्री भैरूसिंह गुर्जर : पाली में पहले ही होस्टल है। मारवाड़ जंक्शन और फालना के लिये समाज कल्याण मंत्री ने आदेश दिये। आदेशों को अगर जिलाधीश बदले, कमेटी के निर्णय को बदले तो हम समझेंगे कि जिलाधीश के आगे मंत्री की कुछ नहीं चलती है, इसका जवाब दें।

श्री चेतराम मीणा : जैसा मैंने निवेदन किया इसमें जिलाधीश या सैक्रेटरी का सवाल नहीं है। सिर्फ यह देखना है कि जिन व्यक्तियों के लिये, जिन बच्चों के लिये छात्रावास खोलना है उनकी संख्या यदि उस अनुपात में है...

अनेक माननीय सदस्य : है, है। जिला कमेटी ने तय किया है।

श्री चेतराम मीणा : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां पर है। आप सुनिये मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री शिवदान सिंह राठौड : पाली और मारवाड़ जंक्शन के आंकड़ों में फर्क है क्या? आंकड़े बतायें।

श्री चेतराम मीणा : जब हमने यह संकल्प लिया तो सूचना मगाई। 1971 की जनगणना में शिड्यूल्ड कास्ट्स की जनसंख्या है लेकिन यह कहीं नहीं है कि मेहतरों की सख्या कहां पर कितनी है।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : पाली में कैसे हुआ और मारवाड़ में क्यों नहीं?

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : पाली में जन-संख्या कितनी है?

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : जिलाधीश कोई सर्वोपरि नहीं है, जन प्रतिनिधियों ने वहां पर छात्रावास....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का उत्तर आने दो।

श्री चेतराम मीणा : सूचना प्राप्त होने पर यदि बच्चे उपलब्ध हो जायेंगे तो जैसे ही सूचना प्राप्त होगी तो छात्रावास खोला जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : जिला समाज कल्याण अधिकारी आये थे, बाद में सार्वजनिक घोषणा कर दी....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इस पर मंत्री महोदय क्या निर्णय लेंगे? आपके पास आंकड़े आये थे उसके बाद क्या निर्णय लिया?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।
यह मामला सरकार के विचाराधीन है, जानकारी की जा रही है।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : क्योंकि पाली में कलेक्टर चाहते हैं वह मंत्री महोदय का कोई रिश्तदार है इसलिये उनकी ये मान रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन के लिये कलेक्टर एडमेन्ट है इसलिये नहीं खोला जा रहा है। मारवाड़ जंक्शन में कलेक्टर को चेंज करने का क्या अधिकार है? पाली का डाटा मांगो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, स्थान ग्रहण करें।

आपने जो सूचना दी है वह अलग है इसलिये मैं पूछने की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आपने अपनी बात कह दी, कारण बता दिये, मंत्री महोदय समझ गये।

श्री माधवसिंह दीवान : आप आश्वासन दें कि पाली में .. ...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : जोर जबर्दस्ती से घोषणा करना पड़ेगी कि मारवाड़ में खोल रहे हो।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात सदन के सामने रख दी। अगला प्रश्न,

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : घोषणा नहीं करेंगे तो चांटा पड़ जायेगा।

अजमेर नगर में सफाई व्यवस्था

286. **श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह

(श्री कैलाश मेघवाल)

बताने की कृपा करेंगे: —

(1) नगर परिषद् अजमेर में सफाई व्यवस्था हेतु कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) सफाई व्यवस्था सामान्य मापदण्डों के अनुसार कितनी आबादी पर कितने सफाई कर्मचारी होने चाहिये ?

(3) क्या मापदण्ड के अनुसार अजमेर नगर की वर्तमान आबादी को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं ? यदि हां, तो नगर में सर्वत्र गंदगी फैली रहने के क्या कारण है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरे कर दिये जायेंगे जिससे नगर की पूरी व पुख्ता सफाई होती रहे ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री चेतराम मीणा) : (1) सफाई व्यवस्था हेतु कुल 1330 व्यक्ति कार्यरत हैं।

(2) स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार एक हजार की जनसंख्या पर 4 सफाई कर्मचारी होने चाहिये।

(3) वष 1971 की जनगणना के आधार पर स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार 1192 सफाई कर्मचारियों के स्थान पर 1330 सफाई कर्मचारी हैं। नगर में सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, अजमेर नगर में सफाई की दुर्व्यवस्था है हजारों शिकायतें रोज टेलीफोन से और लिखित में प्रत्येक पार्ट से आती हैं; क्या यह सही है ? यह जो बताया कि कर्मचारी वहां पर हैं, गलत है। व हफ्तों तक नहीं जाते हैं। क्या यह सही है कि अकुशलता, अयोग्यता और भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर चार बार उस अधिकारी का ट्रांसफर किया गया और निरस्त किया गया ? क्या यह सही है कि उनका स्थानान्तरण बार बार कांग्रेसी राजनेताओं के दबाव के कारण निरस्त किया गया ?

श्री चेतराम मीणा : माननीय सदस्य ने कहा कि हजारों शिकायतें हैं किन्तु मेरे पास एक भी शिकायत नहीं है। जहां तक प्रश्न है कि स्थानान्तरण किये हैं और निरस्त किये हैं, यह प्रशासनिक मामला है। प्रशासनिक दृष्टि से स्थानान्तरण करने पड़ते हैं और प्रशासनिक दृष्टि से कैंसिल भी करने पड़ते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : प्रभारी मंत्री तो हैं नहीं। पिछली बार प्रभारी मंत्री से मैंने की अजमेर सफाई व्यवस्था के बारे में सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि अच्छा आदमी भेज रहे हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि चार बार आपने ट्रांसफर किया या नहीं और करने के बाद निरस्त भी किया ? मुझे यह कहा गया कि अयोग्यता....

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक कारणों से वापस कैंसिल किया।

श्री कैलाश मेघवाल : प्रशासनिक कारण क्या हैं ? यह सच है कि मैं विरोधी पक्ष से आता हूं, मैं साधारण कर्मचारियों की बात नहीं करता लेकिन हम यहां मसला उठाते हैं उसके आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, अयोग्यता है और हजारों शिकायतें मेरे

(श्री कैलाश मेघवाल)

पास हैं। स्थिति अजमेर की खराब है। जवाब देते हैं कि 1100 के बजाय 1300 कर्मचारी हैं, उसके बाद भी हालत ठीक नहीं है। 4 बार ट्रांसफर हो गया, चारों बार निरस्त किया गया। सफाई व्यवस्था ठीक करना चाहेंगे वहां की या अफसरों को प्रोत्साहन देना चाहेंगे ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया अजमेर में सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक है। मापदण्ड के अनुसार जितने कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिये उससे अधिक ही वहां पर सफाई कर्मचारी हैं। जहां तक सवाल माननीय सदस्य ने ट्रान्सफर के बारे में किया मैंने उसका उत्तर दे दिया है, ट्रान्सफर्स तो प्रशासनिक कारणों से किये भी जाते हैं और निरस्त भी किये जाते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, हमें तो सफाई व्यवस्था के बारे में कहना है वह होनी चाहिये। माननीय मन्त्री जी को स्थिति का पता नहीं है, गोटेवाला साहब को पता है इसके बारे में मैंने पहले भी प्रश्न किया है। मैं इसमें इन्ट्रेस्टेड नहीं हूं कि किसी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रान्सफर ही हो। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो भी जवाब दिया है वह असत्य है, सत्यता से परे है। यह बिलकुल गलत है कि वहां पर सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक है। वहां तो, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल नरक जैसी स्थिति है। आप चाहे अजमेर के किसी भी मोहल्ले में चले जावें, चाहे जिस गली में चले जावें आपको सड़कों पर मैला पड़ा हुआ दिखायी देगा। साक्षात नरक अगर आपको देखना हो तो आप अजमेर में जाकर देख लें। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मन्त्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि अगर उनको विश्वास नहीं हो तो वह मेरे साथ अजमेर चलें और चलकर जो गन्दगी और नरक जैसी स्थिति है उसको देख लें। यहां पर और भी दूसरे माननीय सदस्य बैठे हैं जो कि अजमेर आते जाते हैं उनसे आप पूछ लें वहां कि सफाई व्यवस्था ठीक है या नहीं। माननीय सदस्या सूरज देवी बैठी हैं आप उनसे पूछ लें कि अजमेर में सफाई व्यवस्था कितनी खराब है।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सत्य है कि अजमेर में सफाई की व्यवस्था बिलकुल ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वहां की स्थिति ऐसी है कि कोई भी आदमी सड़कों पर और गलियों में से आराम से निकल नहीं सकता है। चारों तरफ जहां देखो वहां पर गन्दगी ही गन्दगी दिखाई देती है। वहां पर सफाई व्यवस्था में सुधार होना बहुत जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री किशन प्रकाश बजाज (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर की सफाई व्यवस्था बिलकुल खराब है। अजमेर की जो नगर परिषद् है उसमें भयंकर रूप से भ्रष्टाचार छाया हुआ है, वहां की नगर परिषद की भ्रष्टाचार की सैंकड़ों शिकायतें हमारे पास आती रहती हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो अधिकारी है उसका

(श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा)

ट्रान्सफर किया जाता है। समझ में नहीं आता बार-बार ट्रान्सफर रोका क्यों जाता है, इसीलिये वहां की हालत बिगड़ी हुई है। चारों तरफ गन्दगी ही गन्दगी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अजमेर नेशनल हाई वे पर आया हुआ है। वहां की स्थिति बहुत खराब है।

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : नेशनल हाई वे और भी देखा है कभी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आपने खुद कभी अजमेर पधार कर वहां की सड़कों की हालत देखी है? वहां की सड़कों पर बुरी तरह से गन्दगी फैली हुई है, बहुत हालत खराब है। शर्म आनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री जी जब दौरे पर जाते हैं तब वहां की सड़कों की हालत ठीक हो ही जाती है।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कैलाश मेघवाल साहब ने बिलकुल ठीक कहा है अजमेर शहर की सड़कों और गलियों की हालत बहुत खराब है। नगर परिषद् में बुरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वह तो भ्रष्टाचार का अड्डा ही है।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि वहां पर जो आवश्यकता है उससे अधिक सफाई कर्मचारी हैं, यह बात बिलकुल ही गलत है। वहां पर सफाई कर्मचारियों की कमी है।

एक माननीय सदस्य : यह XX बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : XX शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही है, तो मेरा निवेदन है कि वह बता दें कि कौन-कौन-सी गली या मोहल्ले में सफाई नहीं है उसके लिये आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे। मैला कहां पड़ा है, बता दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : सफाई नहीं हो रही है। इसमें मोहल्ले या सड़क का सवाल नहीं है।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह क्या कहा कि कोई गली या मोहल्ला बता दें तो वहां सफाई हो जावेगी।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर। श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा कि मैला कहां पड़ा है वह बता दें। आपके तो जबान हिलाने की जरूरत है मैला साफ हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा कि ट्रान्सफर्स प्रशासनिक कारणों से निरस्त होते और किये जाते हैं।

(व्यवधान)

ट्रान्सफर्स तो भज-कलदारम पहुंचते ही निरस्त हो जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यही हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

अगला प्रश्न

श्री देवीसिंह भाटी।

भेड़ों के लिए चरागाह

287. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या भेड़ व ऊन विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में भेड़ों की कुल संख्या कितनी है?

(2) वर्तमान भेड़ों की संख्या के अनुसार क्या वर्तमान चरागाह पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो क्या चरागाह आरक्षित करने के लिये अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर उपनिवेशन व राजस्व क्षेत्र में चरागाह व गोचर भूमि छोड़ने पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या योजना प्रस्तावित है?

(3) भेड़ों के लिये बीकानेर व जैसलमेर जिलों में चरागाह के लिये कितनी भूमि छोड़ी गई है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, भेड व ऊन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) राज्य में भेड़ों की कुल संख्या वर्ष 1977 की पशुगणना के आधार पर 99, 37, 919 है।

(2) जी नहीं। केवल भेड़ों के लिये चरागाह व गोचर भूमि छोड़ने पर राज्य सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

(3) भेड़ों के लिये कोई चरागाह भूमि अलग से नहीं छोड़ी गई है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में भेड़ों के द्वारा ही पशुपालकों का जीवन यापन होता है। अध्यक्ष महोदय, जब कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा में यह व्यवस्था है कि चरागाह के लिये भूमि पशुओं के लिये छोड़ी जायेगी तो फिर मन्त्री महोदय ने यह कैसे फर्माया कि भेड़ों के लिये चरागाह की भूमि अलग से नहीं छोड़ी गयी है?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा, भेड़ों के लिये नहीं है। दूसरे पशुओं के लिये होगी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पशुओं के लिये व्यवस्था अलग होती है तो भेड़ व बकरी भी तो पशुओं में आते हैं। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में विशेषत बीकानेर और जैसलमेर इलाके में भेड़ों पर ही लोगों का जीवन यापन निर्भर होता है।

दूसरे, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान नहर आ जाने से वहां पर जो चरागाह थे वह बन्द हो गये और कोई दूसरी जमीन चरागाह के लिये नहीं दी है, इसलिये भेड़ों के लिये जो राजस्थान नहर क्षेत्र में चरागाह की जमीन थी उसके बदले दूसरी जगह पर चरागाह बनाये जायं। उनके चरने की व्यवस्था करने के लिये- सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा का हवाला दिया है उसमें जिन पशुओं के बारे में जिक्र किया गया है, उसमें जो कैटल्स हैं, उसमें भेड़ व बकरी शामिल नहीं हैं इस कारण से उन के लिये अलग से चरागाह का प्रावधान नहीं किया गया है।

दूसरे, माननीय सदस्य ने राजस्थान नहर के अन्दर जमीन आ जाने की बात कही, एक योजना 125 किलोमीटर लम्बी राजस्थान नहर के किनारे रखने की भेड़ विभाग द्वारा सरकार को भेजी हुई है। उसमे दो किलोमीटर एरिया में चरागाह भेड़ व बकरियों के लिये और बाकी जंगल की योजना सरकार के पास आ गयी है। उस योजना को सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है. लेकिन दुर्भाग्यवश वह केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गयी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा आसन का सम्मान करता हूं, सहयोग देता हूं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे एक दो पूरक प्रश्न पूछने हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल में जो अनकमाण्डेड एरिया था उस भूमि में चरागाह की जमीन के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय और सरकार क्या कर रही है।

(व्यवधान)

अनकमाण्डेड एरिया में भेड़ों के लिये व्यवस्था नहीं की जा रही है। वहां पर चरागाह के लिये जमीन देने के सम्बन्ध में....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया राजस्थान कैनाल नहर के किनारे पर 10 हजार हैक्टेयर भूमि की एक योजना भेड़ विभाग द्वारा सरकार के पास भेजी गयी है वह विचाराधीन है। इसके अलावा डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत 100 हैक्टेयर भूमि में चरागाह बनाने के लिये जो योजना बनायी गई है वह योजना सरकार के पास विचाराधीन है उसमें जैसलमेर और बीकानेर जिले में 5–5 भूखण्ड के 100–100 हैक्टेयर भूमि पर

Page No 14

(14)

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

चरागाह विकसित किये जाने का प्रावधान रखा गया है। जो भूमि ली जा रही है इसमें बीकानेर जिले में सानासर में जो कि कोलायत तहसील में है, जयमलसर जो कि बीकानेर तहसील में है, सूरासर जो कि बीकानेर तहसील में है और बान्दरवाला जो कि बीकानेर तहसील में है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मेरे ख्याल में जानकारी भी नहीं है कि टिनेन्सी एक्ट जो कानून मंत्री ने बनाया है, वह सिर्फ ऑफिसर्स जो शहरों में बैठते हैं, की सलाह से बनाया है। गाय के लिये आधा बीघा जमीन का गोचर का प्रावधान किया गया है। भेड़, बकरी, गधे और ऊंट के लिए प्रावधान नहीं है। कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न महत्वपूर्ण है और नीति संबंधी है जिस पर मंत्री मण्डल में विचार करना होगा। यदि सबके लिये प्रावधान नहीं किया गया तो मात्र गाय की आधा बीघा जमीन पर भेड़ या बकरी की चराई नहीं हो सकती। यह बड़ा अन्याय हो जायेगा और वहां के भेड़ पालक भूख से मर जायेंगे। इसके लिए कानून में परिवर्तन करें। भेड़, बकरी और ऊंट के लिए गोचर का इन्तजाम करें। अभी कोई प्रावधान नहीं है। कानून में सिर्फ गाय के लिए आधा बीघा कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : गाय और भैंस के लिए।

श्री अमीन खां : ज्यादा संख्या तो भेड़ों की है, आपको मालूम है।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे एक प्रश्न पूछना है। राजस्थान में एक करोड़ के करीब भेड़ें हैं जो कि पश्चिमी राजस्थान के किसानों का जीवन यापन का सबसे बड़ा साधन है। हमें पता नहीं है कि कानून किसने बनाया और कब अमल में आया। अब हम माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि भेड़ों के लिए जंगलात की व्यवस्था की जाय।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान कृषि आयोग ने भेड़ों के चरागाह के विकास के लिए मरुस्थल विकास की अग्रिम रिपोर्ट के अन्दर कोई प्रावधान करके सरकार को कोई सुझाव दिया है? और दिया है तो सरकार ने क्या किया है?

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे दीजिए। इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं होंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, भेड़ और बकरी के लिए अलग से चरागाह का प्रावधान टिनेन्सी एक्ट में नहीं है। मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं ....

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके संबंध में मंत्रिमण्डल के समक्ष पहले से मामला रखा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक पूरक प्रश्न और ।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर क्षेत्र में आज के दिन अलाटमेन्ट चालू है कमाण्ड भूमि का, जब सरकार ने अपनी तरफ से प्रस्ताव मंत्री मण्डल के पास भेजा है तो उस दौरान अलाटमेन्ट क्यों चालू है? अलाट हो जायेगी भूमि तो उसके बाद भूमि समाप्त हो जायेगी । जब तक इस प्रस्ताव के ऊपर विचार होगा तब तक सारा अलाटमेन्ट हो जायेगा । इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय स्थगन आदेश देकर या राजस्थान सरकार से विचार विमर्श करके, जो अनकमाण्ड एरिया है उसमें अलाटमेन्ट को रुकवाने की व्यवस्था करें ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैंने पूर्व में ही कहा है कि इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार के पास आया हुआ है । जमीन अलाट होगी, उसका मैं नहीं कह सकता लेकिन इतना कह सकता हूं कि 125 किलोमीटर का राजस्थान नहर का पूरा इलाका है उसके संबंध में 10 हजार हैक्टेयर भूमि के ऊपर केवल भेड़ व बकरी के लिए चरागाह बनाने की योजना है उसके ऊपर मैं जरूर जोर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । आर्डर प्लीज । **श्री दाऊदयाल जोशी**, श्री हीरालाल आर्य,

महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा में एक्स-रे व्यवस्था

288. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) **एवं श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा में कितनी एक्स-रे मशीन्स हैं, उनमें से कुल कितनी चालू हालत में हैं, कितनी बेकार पड़ी हैं एवं कब से ? उक्त अस्पताल के लिए इस वर्ष कितनी एक्स-रे प्लेट्स की मांग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई थी और उनमें से विभाग ने कितनी प्लेट्स भिजवाई ?

(2) क्या यह सही है कि एक्स-रे प्लेट्स के अभाव में मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है व अधिकांश मरीजों को बाहर से ही एक्स-रे करवाने को कहा जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों द्वारा अस्पताल से बाहर एक्स-रे कराने पर उन्हें पुनर्भरण राशि नहीं मिल पाती है ?

(4) क्या बाहर से एक्स-रे कराने की राशि का पुनर्भरण करने हेतु राज्य सरकार आदेश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमंत्री, चिकित्सा (श्रीमती कमला भील) (1) महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा में कुल 6 एक्स-रे मशीन हैं, जिनमें से तीन एक्स-रे मशीन चालू हैं व तीन बन्द हैं, जो क्रमश : 1958, 1976 तथा 1977 से मरम्मत योग्य न होने से बन्द पड़ी हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा ने वित्तीय वर्ष 81-82 में एक्स-रे प्लेट की सप्लाई हेतु अनुबन्धित फर्म से 9250 एक्स-रे प्लेट्स की मांग की तथा संबधित फर्म ने 6400 प्लेट्स सप्लाई की है । एक्स-रे प्लेट विभाग द्वारा सप्लाई नहीं की जाती है ।

(श्रीमती कमला भील)

(2) केवल बाह्य रोगियों को ही एक्स-रे प्लेटों के अभाव होने पर एक्स-रे बाहर से करवाने की सलाह दी जाती है।

(3) जी हां।

(4) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री वाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1958 से मशीनें खराब पड़ी हैं उनके लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? वहां के सी एम.एच.ओ. ने 9250 एक्स-रे प्लेट्स की मांग की थी किन्तु 6400 मिली हैं। वहां पर कुल एक्स-रे हुए हैं 2000, अभी 4000 एक्स-रे प्लेट्स काम में नहीं ली हैं। जान-बूझकर मरीजों को बाहर एक्स-रे के लिए भेजा जाता है, क्योंकि डाक्टरों के कमीशन बंधे हुए हैं। प्राइवेट एक्स-रे मशीनें लगा रखी हैं उन्हीं से एक्स-रे कराते हैं इसका क्या कारण है ? 9 हजार प्लेट्स क्यों नहीं सप्लाई की गई ? 1958 से एक्स-रे मशीन खराब पड़ी हैं, वह ठीक क्यों नहीं हो रही हैं ? इसका मूल कारण क्या है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री सी.एल. कंवरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एक्स-रे मशीन के संबंध में प्रश्न उठाया उसके संबंध में मेरा यह निवेदन है कि तीन एक्सरे मशीनें ऐसी हैं जिनकी मरम्मत हो नहीं सकती। उन तीनों मशीनों के एवज में तीन नयी मशीनें रिप्लेस कर दी गयी हैं। उन तीनों मशीनों से सारा एक्स-रे का ही कार्य होता है। अब आपने एक्स-रे प्लेट्स के संबंध में जो प्रश्न उठाया उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वहां के सी. एम. एच. ओ. ने 9250 एक्स-रे की प्लेट्स का आर्डर दिया था, लेकिन जो फर्म है उसने केवल 6400 प्लेट्स ही सप्लाई की हैं। प्लेट्स क्योंकि कम सप्लाई हुई इसलिए कभी-कभी कमी हो जाती हैं। जो बाह्य रोगी हैं यानी आउटडोर पेशेन्ट्स, उनको जब प्लेट्स की कमी हो जाती है तो सलाह दी जाती है कि बाहर से कराइये वरना जो इण्डोर पेशेन्ट्स हैं उनको एक्स-रे की प्लेट्स वहीं से दी जाती है और वहीं से एक्स-रे कराया जाता है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :अध्यक्ष महोदय, जितनी प्लेट्स कोटा अस्पताल में आई हैं वह कन्जूम होने के पहले ही कह दिया जाता है कि आप बाहर से एक्स-रे कराइये। बाहर की एक्स-रे मशीन वालों से सभी डाक्टर मिले हुए हैं। प्लेट्स होते हुए भी बाहर कराते हैं क्योंकि उनका कमीशन बंधा हुआ है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : स्टाक में होते हुए बाहर कराने को क्यों कहा जाता है ?

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी एक्स-रे की प्लेट्स होती हैं, जब तक एक्सरे की प्लेट्स होती हैं तब तक वह काम में ली जाती हैं लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि इण्डोर पेशेन्ट्स होते हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हर एक को दी जाती है, लेकिन जो आउटडोर पेशेन्ट्स होते हैं, जब एक्स-रे प्लेट्स की कमी होती है तो उनको बाहर से एक्स-रे कराने की सलाह दी जाती है। जहां तक वहां के अस्पताल के डाक्टर्स के बारे में आपने जो आरोप की बात कही तो ऐसी शिकायत अभी

(श्री सी. एल. कंवरिया)

तक तो प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई स्पेसिफिक शिकायत किसी की होगी कि जानबूझकर ऐसा किया जाता है तो उसकी जांच अवश्य कराई जायेगी। इस प्रकार की कार्यवाही होती है तो इसकी जांच अवश्य कराई जायेगी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हम यहां शिकायत कर रहे हैं उसका कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोटा अस्पताल के बारे में है इसलिए ज्यादा माननीय सदस्य नहीं पूछेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। प्रश्नकर्ता श्री हीरालाल आर्य ...

(व्यवधान)

प्रश्नकर्ता को इजाजत दे रहा हूं। श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह प्रश्न है कि जो प्लेट्स काम में आती हैं क्या वह प्रभावशाली लोगों के काम में आती हैं और जो गांव के गरीब आदमी आते हैं उनको बाहर जाना पड़ता है एक्स-रे के लिए? क्या आप इसकी जांच करवायेंगे कि प्रभावशाली व्यक्तियों के काम आती हैं और गांव के गरीब लोगों के काम नहीं आती हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने दीजिए।

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही, ऐसी बात है तो उसकी मैं जांच अवश्य करा सकता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया इण्डोर पेशेन्ट्स, जो अस्पताल के अन्दर भर्ती होते हैं, गरीब भी होते हैं, सब प्रकार के रोगी होते हैं। एक्स-रे प्लेट्स उन्हीं को दी जाती हैं, उन्हीं का एक्स-रे कराया जाता है। प्लेट्स नहीं होने पर ही बाह्य रोगियों को सलाह दी जाती है कि यहां प्लेट्स नहीं है इसलिए बाहर से एक्स-रे करवाया जाय। फिर भी आपकी शिकायत है तो मैं आश्वासन दे रहा हूं कि इसकी जांच अवश्य कराई जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न पुकार रहा हूं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न। श्री भैरूंलाल।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : चार हजार प्लेटें कहां गई, इसकी जांच करवाने का आश्वासन तो मंत्री महोदय दें।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूलाल ।

मनोहरथाना–हरनावदा शाहजी तक पक्की सड़क का निर्माण

289. **श्री भैरूलाल मीणा** (मनोहर थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जिला झालावाड़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मनोहर थाना से हरनावदा शाहजी तक 25 किलोमीटर कच्ची सड़क का निर्माण भूतपूर्व कोटा रियासत ने करवाया था ?

(2) क्या यह भी सच है कि उक्त कच्ची सड़क पर दिसम्बर से जून तक मात्र 6 माह के लिए बस सर्विस चालू रहती है और 6 माह उक्त कच्ची सड़क से जुड़े हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनता को यातायात के अभाव में आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) क्या यह भी सच है कि तहसील पंचायत समिति एवं न्यायालयों पर पहुंचने में 8 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र की जनता को पक्का मार्ग एवं यातायात अभाववश आवागमन की कठिनाइयों के साथ-साथ अपनी कृषि उपज को भी उचित कीमत से नहीं बेचने से आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इतने बड़े क्षेत्र की जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उक्त कच्ची सड़कों को पक्की बनाई जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) जिला झालावाड़ क्षेत्र के अन्तर्गत मनोहरथाना से हरनावदा शाहजी तक एक 25 किलोमीटर कच्ची सड़क भूतपूर्व कोटा रियासत के समय से ही है ।

(2 व 3) उक्त कच्ची सड़क पर बरसात के मौसम में 6 माह तक बस सर्विस बन्द रहती है तथा बरसात के मौसम में आवागमन में कठिनाई होना स्वाभाविक है। राज्य सरकार के घोषित 20 संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़े जाने की संभावना है।

एक माननीय सदस्य : सम्भावना क्या होती है ?

श्री भैरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उस क्षेत्र की जनता की कठिनाइयां स्वीकार की हैं इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा क्या राज्य सरकार जान–बूझकर ही उस क्षेत्र की 50 हजार की आबादी को सड़क की सुविधा से वंचित रखना चाहती है ?

श्री चेतराम मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस 25 किलोमीटर सड़क पर कार्य कराने के लिये साढ़े बासठ लाख रुपयों की आवश्यकता होगी। अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 78–79 में 20 किलोमीटर सड़क पर मिट्टी कार्य कराया जा चुका है। मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह निर्माण कार्य विचाराधीन है। इस समय धनाभाव है। जैसे ही धन उपलब्ध होगा कार्य करा दिया जायेगा।

श्री भैरूलाल मीणा : यह कब तक

(श्री भैरूलाल मीणा)

प्रारम्भ हो जायेगा ? इस सड़क पर कार्य कब किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : कुछ तो आश्वासन दीजिये।

(व्यवधान)

माननीय दुलाराम एक प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद प्रश्न नहीं होंगे।

माननीय दुलाराम।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि आपने पिछले सत्र में यह कहा था कि राजस्थान की हर पंचायत के मुख्यालय को सड़क से जोड़ा जायेगा। तो फिर मनोहर थाना की 8 ग्राम पंचायत को अब तक सड़क से क्यों नहीं जोड़ा गया है ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, 20 संकल्प के अन्तर्गत यह योजना बनाई गई है। अब तक जो सड़कें बन रही थीं वे सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि उपज मण्डी के द्वारा बन रही थीं तथा कुछ में ग्राम पंचायतों ने कार्य किया है। सड़कें योजनाबद्ध तरीके से बने यानी कोई योजना अवश्य होनी चाहिये इसलिये पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। उसके बाद ही कोई कार्य हाथ में लिया जायेगा, इस सरकार ने यह निश्चय किया है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पाइण्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री चेतराम मीणा : सड़कों से जोड़ा जायेगा, यह नहीं कहा। इस साल कार्य हाथ में लेने की योजना है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया समय जा रहा है, ध्यान रखें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : यह ××× करने की आदत छोड़ दीजिये, जो आप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल एवं श्री यदुनाथ सिंह।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26 फरवरी, 1982)

केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, भरतपुर

98. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) :

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल एवं श्री यदुनाथसिंह)

एव श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) . क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर के घना अभयारण्य को केवला देव राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो जाने के बाद भी वन राज्य मंत्री के आदेश से वहां पशुओं की चराई जारी रखी गई, जिससे उद्यान की सुरक्षा व संरक्षण में बाधा उपस्थित हुई ? यदि हां, तो क्यों और किस नियम के अन्तर्गत ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस उद्यान के इर्द–गिर्द बसे 20 गांवों के निवासियों द्वारा उद्यान क्षेत्र में से वृक्षों की जो कटाई की जाती है उसकी रोक का भी पुख्ता व प्रभावी प्रबन्ध नहीं है ?

(4) क्या यह भी सच है कि वहां पर रख-रखाव के अभाव एवं अव्यवस्था तथा पशुओं की चराई से जो स्थिति बनी है, उस कारण पक्षियों का आना जाना भी कम हो गया है ?

(5) पार्क भरतपुर में पक्षियों की कितनी जातियां पाई जाती हैं, उनमें से कितनी स्थानीय हैं तथा कितनी विदेशी तथा कहां कहां की ? क्या घना पक्षी विहार में पक्षियों के अतिरिक्त अन्य वन्य जीव भी पाये जाते हैं ? यदि हां, तो प्रमुख कौन-कौन से एवं कितनी संख्या में हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या साईबेरियन क्रेनों की ब्रीडिंग के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(7) क्या यहां पर जल मानुष भी पाये जाते हैं ? यदि हां, तो कितने हैं ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) जी हां। विज्ञप्ति संख्या एफ 3 (5) (9) राजस्व 8 । 72 दिनांक 26–8–81 द्वारा भरतपुर के घना अभयारण्य को केवला देव राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है।

(2) जी हां। इस क्षेत्र में पुरातन समय से चराई होती आ रही है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने के पश्चात पशु चराई पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रयास किये गये थे, परन्तु शान्ति एवं व्यवस्था की गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने के कारण अस्थाई तौर से यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में गठित समिति की सिफारिशों पर तुरन्त कार्यवाही की जावेगी। आदेशों से उद्यान की सुरक्षा एवं संरक्षण को कोई बाधा नहीं पहुंची है, वरन यह उद्यान के दीर्घकालीन हित के लिये किया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) 353 किस्म के पक्षी अब तक पहचाने जा चुके हैं। इनमें से 120 पक्षी स्थानीय हैं एवं 233 किस्म के पक्षी विदेशों से आने वाले है। विदेशों से आने वाले अधिकांश पक्षी पश्चिमी साईबेरिया तथा पूर्वी यूरोप के देशों से आते हैं। घना पक्षी

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

विहार में पक्षियों के अतिरिक्त साम्भर, चीत्तल, नील गायें, काले हिरण, जंगली सूअर, सियार, जल मानुष आदि अन्य वन्य जीव पाये जाते हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(6) जी नहीं। साईबेरियन क्रेन शीत कटिबद्ध में ही ब्रीड करती है। भारत में इनका प्रजनन नहीं होता है।

(7) जी हां। लगभग 17 जल मानुष हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि एक समिति का गठन किया गया है तो समिति किस किस की बनाई गई है? क्या उसमें किसी एक्सपर्ट को भी रखा गया है अथवा उसकी राय ली गई है? बाम्बे नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रेसीडेन्ट श्री सलीम अली, जो इसकी एक अथारिटी हैं, वर्ल्ड की अथारिटी हैं, की इस मामले में कोई राय ली गई है? क्या कमेटी में कोई एक्सपर्ट रखा गया है? आप भी इनको जानते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं, जो तट पर बसने वाले पक्षी हैं और जो झील पर रहते हैं, उनकी संख्या दिनों दिन घट रही है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा, चराई बहुत लम्बे समय से हो रही है पहले एक हजार, दो हजार की संख्या थी और आज जो चराई की पापुलेशन है वह 8 हजार तक जा पहुंची है। इस बारे में आप कृपया स्पष्ट उत्तर दें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न के उत्तर में निवेदन है जो समिति बनाई गई है उसमें श्री आनन्द मोहनलाल, अध्यक्ष, राजस्व सचिव हैं, एक राजस्व मण्डल के सदस्य हैं, जिलाधीश, भरतपुर, सदस्य हैं एवं मुख्य वन संरक्षक श्री सांखला, सदस्य सचिव हैं। इस समिति को जो कार्य करने के लिये आदेश दिये गये हैं उनमें एक यह भी है कि जो पक्षियों के बारे में विशेषज्ञ हैं उनकी भी राय ली जाय। दूसरा सवाल आपने जानवरों के विषय में किया जो चराई करते हैं, उसमें मैंने निवेदन किया था कि जब से भरतपुर का यह चरागाह है गत चार वर्षों में 77–78 में 2242, 78–79 में 2189, 79–80 में 2807 और 80–81 में 3209 रही है।

एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा प्रश्न है कि आपने ...

श्री अध्यक्ष : चुनाव क्षेत्र किसका है?

श्री यदुनाथ सिंह : इसमें मेरी रुचि है। अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व का उद्यान है, उसकी रक्षा करने का हमारा सभी का कर्त्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, जो पापूलेशन बतायी इसके बारे में मेरा विरोध है। यह जो पापूलेशन बतायी गयी है, यह जो पट्टे चराई के लिए दिये जाते हैं, उसके आधार पर बतायी गयी है लेकिन अवैध चराई के कारण इससे दुगुनी तिगुनी पापूलेशन है। चराई बन्द करने के लिए जो आदेश दिये गये हैं टू मेन्टेन स्टेटस को, वह प्राइवेट सैक्रेटरी ने मन्त्री महोदय के नेम से दिये हैं। क्या प्राइवेट सैक्रेटरी द्वारा आदेश दिये गये? वह चराई बन्द करने के आदेश नहीं दिये

(श्री यदुनाथ सिंह)

गये ? स्टेटस मेन्टेन करने के आदेश देने की क्या आवश्यकता पड़ी ? इन्दिरा गांधी, जो अध्यक्ष हैं वर्ल्ड लाइफ एसोसिएशन वन्य जीवों की, ने क्या मन्त्री महोदय को इस बारे में पत्र लिखा या ज्ञापन के बारे में निर्देश दिये हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या यह सत्य है कि घना पक्षी विहार के अन्दर पशुओं को चराकर सदियों से हजारों परिवार अपना गुजारा करते हैं ? चराई बन्द करने से उनके जीवन यापन का साधन बन्द हो जायेगा ? सरकार से निवेदन है कि उनके पशुधन के लिए क्या आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है ? क्या यह कर सकेंगे कि इसका कुछ हिस्सा पशुधन की चराई के लिए सुरक्षित कर दें और बाकी हिस्सा चिड़ियों के लिए रखें ?

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : मेरा भी सवाल है मन्त्री महोदय साथ ही उत्तर दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि भरतपुर पक्षी विहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, उसमें से कितने क्षेत्र में पानी भरता है, कितना पक्षियों के काम आता है और कितना क्षेत्रफल ऐसा है जो पशुओं की चराई के लिए काम आता है ?

श्री अध्यक्ष : पक्षी बाद में उड़कर तो आकर बैठ सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय यदुनाथ सिंहजी ने जो प्रश्न पूछा है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विधान सभा के गत सत्र के समय जब विभाग द्वारा चराई बन्द करने का प्रयत्न किया गया तो वहां विभाग के कर्मचारियों और पशु पालकों में आपस में मुठभेड़ें हुई, कलेक्टर ने अपने स्तर पर 24 तारीख तक उनको चराई करने की अनुमति दी और बाद में मुझे यह सूचना प्राप्त हुई। विधान सभा में श्री भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस बात को उठाया था कि वहां चराई रोकी जा रही है और उससे वहां के पशु पालकों का भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा और भी बातें मेरे समक्ष कही गयीं। खास तौर से मुद्दे की बात थी वहां एक सहारा घास पैदा होता है जो बाहर से आने वाले पक्षियों का मुख्य आहार है, सहारा घास पशुओं के गोबर से पैदा होता है। अगर पशु वहां नहीं चरेंगे और सहारा घास पैदा नहीं होगी तो जो पक्षी आते हैं, खास तौर से साईबेरियन वगैरह से, उनका आवागमन जब उनके लिये खाद्यान्न नहीं होगा तो बन्द हो जायेगा। इन सब बातों को देखते हुए....

श्री यदुनाथ सिंह : यह किसकी राय है, किसी एन्थ्रोपोलोजिस्ट की राय हे, एक्सपर्ट की राय है, किसकी राय है ?

अनेक माननीय सदस्य : यह सब की आम राय है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय। आर्डर प्लीज। आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)-

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या यह सही है कि राष्ट्रीय उद्यान किसी कानून के अन्तर्गत घोषित किया गया है ? क्या यह सही है कि आपने जो आदेश दिये उस कानून के अन्तर्गत उस प्रकार आदेश नहीं दिये जा सकते ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : कानून के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं की चराई वर्जित है, मैं इसको मानता हूं । जब हमने इस प्रावधान को लागू करने की कोशिश की —

श्री अध्यक्ष : धीरे-धीरे होगा बन्द ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : तो यह समस्या हमारे सामने आयी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्ट लागू है, गवर्नमेन्ट को पावर्स नहीं हैं । सवाल यह नहीं है कि चराई को अनुमति दी या नहीं दी, आवश्यकता है या नहीं है । यह तो बिलकुल डिफरेन्ट मैटर है । क्वेश्चन है कि कानून लागू हो गया और गवर्नमेन्ट को किसी प्रकार कानून की अवहेलना करने का अधिकार नहीं है तो सरकार ने आदेश किस आधार पर दिया ?

श्री रतनाराम चौधरी : यह मानवता का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी । शान्त रहें, माननीय सदस्य ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि सरकार की मन्शा यह पूरी तरह से रही है, अभी भी है, कि हम वहां चराई बन्द करना चाहते हैं लेकिन बंदूक की नोक पर चराई बन्द करना मैंने मुनासिब नहीं समझा इसलिए....

श्री अध्यक्ष : श्री राज बहादुर । अन्तिम पूरक प्रश्न होगा उसके बाद प्रश्नकाल समाप्त होगा । श्री राज बहादुर, अन्तिम पूरक प्रश्न ।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या इस शिकायत को देखते हुए कि एक ओर तो वन्य प्राणी खास तौर से खेतों को और खेत वालों को बर्बाद करते थे दूसरी ओर असाधारण संख्या में मवेशी आकर चरते थे उससे दोनों का नुकसान होता था, सारा घना पक्षी विहार है, उसके चारों ओर पक्की दीवार खिचवायी गयी ? वह पक्की दीवार जगह-जगह से टूट गयी है और उसकी मरम्मत नहीं करवायी गयी ? वृक्ष बिलकुल अंधाधुन्ध तरीके से काट दिये जाते हैं, लकड़ी सूखी होती है फिर बेची जाती है । क्या आप मुझे बताएंगे, आपके वन विभाग में वृक्षों की क्या संख्या थी और अब क्या संख्या शेष रही है ? नये वृक्ष लगाने के लिए क्या किया जा रहा है ?

तीसरी चीज है कि स्थगन प्रस्ताव का आपने हवाला दिया है, स्थगन प्रस्ताव में यह बात है कि चरागाह के लिए आप इस वन में से टुकड़ा काटकर अलग करेंगे । इस पर आपने कुछ काम किया ?

इसके अतिरिक्त 2–3 प्रश्न करने हैं । यह सुझाव देता हूं इस पर आप आधे घण्टे की बहस अलाउ कर दीजिए लेकिन इन प्रश्नों का जवाब आ जाय । आधे घण्टे की बहस बहुत आवश्यक है । इसके लिए मैं प्रस्ताव करता हूं ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा जो मुझे जानकारी दी गयी है दीवार की, चारों तरफ दीवार बनायी जा रही है....

श्री राज बहादुर : बन गयी, टूट गयी या तोड़ दी गयी ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : वही मैं कह रहा हूँ

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये, माननीय सदस्य ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : करीब साढ़े चार किलोमीटर की दीवार बनना अभी बाकी है । उसके लिए पैसा हमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से मिलता है । वह इस साल मिलने पर आशा है बाकी की दीवार बन सकती है, उसको पूरा कर लिया जायेगा । जहां तक और दीवारों का सवाल है वे बन चुकी हैं । उसको तोड़ने का सवाल है, जहां तक हो सकती थी उसकी मरम्मत करा दी गयी । टूटी हुई दीवार नहीं है ।

दूसरा प्रश्न आपने वृक्षों की संख्या के बारे में किया था । उसकी निश्चित संख्या की गणना विभाग के पास मौजूद नहीं है । लेकिन हमारा 30 आदमियों का प्रोटेक्शन स्टाफ है । कोशिश करेंगे कि मुस्तैदी से कार्यवाही की जाय इसके लिए हमने फ्लाइंग स्क्वयड भी मुस्तैद कर रखा है । तीसरी बात आपने पशुओं के लिए कोई अलग से जोन बनाने के लिए कही । इस सम्बन्ध में जो कमेटी बनी है उसकी दो तीन मीटिंग हो चुकी हैं, वह इस पर विचार करके जल्दी ही अपना प्रस्ताव देगी तब मैं इस बात को देखूंगा । प्रावधान कानून में यह है कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्क का हिस्सा अलग से किया जावे, घोषित किया जावे तो उसके लिए सदन की अनुमति ले लूंगा ।

श्री यदुनाथ सिंह : हम जरूर दे देंगे ।

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर : इसमें बहुत से प्रश्न हैं, आधे घण्टे की बहस होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : नियमों में जो प्रावधान है उसके अनुसार कृपया प्रस्ताव देने की कृपा करें ।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें ।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर व भरतपुर नगरों के राजकीय जनरल हॉस्पिटल्स

216. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

वर्ष 1979-80, 1980-81 व 1981-82 में अलवर व भरतपुर नगरों में स्थित राजकीय जनरल हॉस्पिटल्स के भवनों पर कितना व्यय किया गया है ? कृपया दोनों अस्पतालों में हुए व्यय की पृथक पृथक सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

पश्चिमी जिलों के लिए भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई

217. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार पश्चिमी राजस्थान के जिलों के लिए भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई की अलग यूनिट स्थापित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह इकाई कब से प्रारम्भ की जायेगी तथा इस इकाई में कितने मरीजों के इलाज की क्षमता होगी तथा कौन-कौन से जिले इस भ्रमणशील शल्य चिकित्सा के अन्तर्गत आयेंगे ?

उत्तर

वर्ष 1980 में राज्य सरकार के समक्ष भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई की अलग यूनिट की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु वित्तीय अभाव के कारण राज्य सरकार द्वारा इस पर विचार करना सम्भव नहीं हो सका ।

अस्पताल कोष की स्थापना

218. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जयपुर तथा अन्य अस्पतालों की खस्ता हालत को देखते हुए राज्य में अस्पताल कोष कायम करने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कोष कब कायम किया जायेगा तथा इस कोष में किन-किन स्रोतों से धन इकट्ठा किया जायेगा तथा क्या क्या काम किये जायेंगे ?

उत्तर

ग्रामीण डिस्पेन्सरीज एडपोस्ट व स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को छोड़कर अन्य सभी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा सहायता के रूप में इस प्रकार की राशि लिये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

तहसील प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में नवीन औषधालय

219. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1981-82 में तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में कितने नवीन औषधालय कहां-कहां खोले गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रतापगढ़ तहसील की पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद में चल रहे औषधालयों के लिए वर्ष 1979-80, 1980-81 एवं 1981-82 के लिए कितनी राशि दवाइयों के लिये आवंटित की गयी ? आवंटित राशि में से कितनी राशि की दवाइयां क्रय की गयीं ? कृपया प्रत्येक औषधालय के लिए आवंटित राशि एवं व्यय की राशि का ब्यौरा पृथक, पृथक पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि अपनी मांग के अनुसार दवाइयां नहीं दी गयीं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस वर्ष अभी तक कोई नवीन औषधालय नहीं खोला गया है ।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) इन तीन वर्षों में आवंटित औषध बजट एवं वितरित की गई औषधियों का पंचायत समितिवार विवरण संलग्न है। कच्ची औषधियों का क्रय इकजाई रूप में किया जाता है और बनी हुई दवाइयों का वितरण अलग अलग औषधालयों के बजट के अनुसार किया जाता है।

(3) जी नहीं। औषधालयों को औषध उनकी मांग के अनुसार ही बजट के अन्तर्गत दी जाती हैं किन्तु किसी औषध के उपलब्ध नहीं होने पर उसकी वैकल्पिक दवा देने का दृष्टिकोण रखा जाता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

आयुर्वेद विभाग में मशीनरी उपकरणों का क्रय

220. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, आयुर्वेद विभाग द्वारा दिनांक 22-9-1981 को फार्मेस्यूटिकल मशीनरी उपकरण खरीदने हेतु निविदा सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें टेण्डर फार्म सप्लाई करने एवं प्राप्त करने की तिथि दिनांक 16-11-1981 नियत की? इस तिथि को बाद में संशोधन द्वारा दिनांक 28-11-81 तक बढ़ाने का क्या कारण था?

(2) क्या यह सही है कि जिन-जिन माध्यमों से मूल निविदा सूचना प्रकाशित की गई थी उन सभी माध्यमों से संशोधन प्रकाशित नहीं किया गया? यदि नहीं, तो कृपया मूल निविदा सूचना एवं संशोधन के प्रकाशन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस निविदा सूचना के आधार पर किस-किस फर्म ने किन-किस भाव के टेण्डर प्रस्तुत किये और किसका टेण्डर स्वीकृत हुआ एवं कितनी मशीनरी या उपकरण विभाग में किस तारीख को प्राप्त हो चुके हैं? कृपया पूर्ण विवरण सदन को मेज पर रखें।

(4) ये मशीनरी/उपकरण किस प्रयोजन हेतु खरीदे गये हैं और इनसे कहां कहां काम लिया जायेगा? क्या इस हेतु पर्याप्त बजट एवं स्टाफ उपलब्ध है?

उत्तर

(1) जी हां। टेण्डर फार्म सप्लाई करने एवं टेण्डर प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 16-11-81 थी, किन्तु विस्तृत विशिष्टियां (Detailed Specification) तैयार न हो पाने के कारण अन्तिम तिथि बाद में 28-11-81 नियत की गयी। दिनांक 28-11-81 तक केवल दो ही फर्मों के टेण्डर प्राप्त होने के कारण पुनः तिथि बढ़ाकर 21-12-81 की गयी।

(2) टेण्डर फार्म सप्लाई करने एवं टेण्डर प्राप्त करने की अतिम तिथि 28-11-81 नहीं थी जैसा कि प्रश्न में कहा गया है।

(3) इस सम्बन्धी सभी निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर से कराया गया था।

आयुर्वेद निदेशालय द्वारा जारी मूल निविदा एवं संशोधनों के पत्रों की प्रतियां तथा जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा समाचार पत्रों को जारी किये गये पत्रों की प्रतिलिपियाँ संलग्न हैं।

(आयुर्वेद मंत्री)

(4) ये/मशीने उपकरण राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, उदयपुर के विकास हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत क्रय की जानी हैं, जिसका प्रयोजन औषध निर्माण में गति लाना है। इनके क्रय हेतु भारत सरकार से 2.17 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत है। वर्तमान में मशीनमैन व मैकेनिक का एक पद पूर्व से ही है।

(पत्र व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

नवीन आयुर्वेदिक औषधालय

221. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्ष 1980–81 एवं 1981–82 में कहां कहां आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये? कृपया पृथक् पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिये कोई मापदण्ड निर्धारित किये हैं? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) वर्ष 1980–81 में खोले गये आयुर्वेद औषधालयों की सूची संलग्न है। वर्ष 1981–81 में अभी तक कोई नये नवीन औषधालय नहीं खोला गया है।

(2) जी हां।

नवीन औषधालय खोलने हेतु निम्न बिन्दुओं (मापदण्ड) का ध्यान रखा जाता है :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क भवन उपलब्ध हो (केवल नहरी क्षेत्र को छोड़कर)

2. औषधालय से प्रभावित एवं लाभान्वित जनसंख्या कम से कम 2000 हो।

3. आठ किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई राजकीय चिकित्सा सुविधा सामान्यतया उपलब्ध न हो।

जनजाति एवं नहरी क्षेत्र में नवीन औषधालय खोलते समय विभाग इस क्षेत्र के आयुक्त के प्रस्तावों को भी ध्यान में रखता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जैसलमेर जिले में रिक्त पदों का पूर्ति

222. **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर में स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मचारियों के विद्यमान पदों में कौन कौनसी श्रेणी के कुल कितने पद रिक्त हैं तथा कितने समय से?

(2) इन रिक्त स्थानों को कब तक भर दिया जावेगा?

(3) जिला जैसलमेर में कितने मेडिकल सब-सेन्टर्स हैं?

(4) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में सारे मेडिकल सब-सेन्टर्स बन्द पड़े हैं? यदि हां, तो कितनी अवधि से व इन्हें कब तक शुरू कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जैसलमेर में रिक्त पदों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

नाम पद	रिक्त पदों की संख्या	समय
चिकित्सक	8	80–81 से
नर्सिंग स्टाफ	38	74–75 से
	12	76 से
अन्य स्टाफ	11	80–81 से

(2) डाक्टरों की नई नियुक्ति की जा रही है। योग्य प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर नर्सिंग स्टाफ के पद भरे जा सकेंगे। अन्य स्टाफ के पद भी शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) 9 मेडिकल और 12 परिवार कल्याण के सब-सेन्टर हैं।

(4) जी नहीं। 7 सब-सेन्टर मेडिकल के व 10 सब सेन्टर परिवार कल्याण के स्टाफ के अभाव में बन्द हैं। प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर इन्हें चालू कर दिया जावेगा।

नगर परिषद्, उदयपुर द्वारा सड़कों का डामरीकरण

223. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर परिषद्, उदयपुर ने जनवरी, 1980 से दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 तक कितने रुपये का डामर क्रय किया ?

(2) जनवरी, 1980 से दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 तक किन-किन सड़कों पर डामर किया गया ? ऐसी सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या पूरे डामर का उपयोग पूरा एवं सही तौर पर किया गया है ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, उदयपुर ने जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 तक 11, 68, 153.04 रु० का डामर क्रय किया।

(2) जिन सड़कों पर उपरोक्त समय में डामर किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। [परिशिष्ट 'क']।

(3) परिषद् के अनुसार डामर का समुचित उपयोग हुआ है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अजमेर में आवासीय योजनाओं में भू-आवंटन

224. **श्री सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा सन् 1970 के लगभग शास्त्री नगर, वैशाली नगर, आनासागर आदि की आवासीय योजनाओं में भू-खण्डों का आवंटन किया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या यह सही है कि भू-खण्ड प्राप्त करने वालों में ऐसे भी लोग थे, जिन्होंने राजस्थान या अजमेर के निवासी होने के झूठे शपथ-पत्र दिये ? यदि हां, तो

(श्री सी. पी. जोशी)

सरकार की जानकारी के अनुसार ऐसे व्यक्ति कौन-कौन हैं ?

(3) क्या ऐसे नियम विरुद्ध आवंटन की जानकारी होने पर उन्हें निरस्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । सरकार की जानकारी में ऐसी कोई मामला नहीं आया है ।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

पाली जिले के कस्बों को नगर पालिका क्षेत्र घोषित करना

225. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार पाली जिले के कुछ कस्बों को नगर पालिका क्षेत्र घोषित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस-किस कस्बे को तथा इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ?

(2) क्या मारवाड़ जंक्शन में 1977-78 में नगरपालिका थी ? यदि हां, तो वह किन कारणों से भंग करदी गई ?

(3) क्या सरकार पुनः मारवाड़ जंक्शन में नगरपालिका बनाने हेतु विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम पंचायत सोजत रोड व खारची (मारवाड़ जंक्शन) को नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने का मामला विचाराधीन है । इस बारे में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जावेगा ?

(2) जी हां । जन विरोध होने के कारण खारची (मारवाड़ जंक्शन) नगर पालिका समाप्त कर दी गई थी ?

(3) जी हां । विचाराधीन है ।

अजमेर नगर परिषद् क्षेत्र में ग्राम परबतपुरा में नागरिक सुविधायें

226. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अजमेर की सीमा में सम्मिलित ग्राम परबतपुरा में सड़कों व नालियों का निर्माण नहीं कराया गया है व विद्युत का भी पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किया गया है ?

(2) यदि हां, तो ये नागरिक सुविधाएं वहां कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां । सड़कों व नालियों के निर्माण हेतु अनुमान बनाये जा चुके हैं तथा विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

(2) परिषद् की आर्थिक स्थिति के अनुसार नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

अजमेर नगर परिषद् सीमा में भूमि पर अतिक्रमण

227. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर की सीमा में पुलिस लाइन चौराहे पर नगर परिषद् की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण करा दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो कितनी जमीन पर अतिक्रमण होकर कितनी दुकानें बनी हुई हैं, उनके अतिक्रमी कौन हैं और दुकानों पर कौन काबिज हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अतिक्रमियों ने दुकानें बनाकर उन्हें किराये पर उठा दिया है ?

(4) इस अतिक्रमण की सूचना नगर परिषद् को कब हुई तथा इसे हटाने की क्या कार्यवाही कब-कब की गई और अभी तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटवाया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पुलिस लाइन चौराहे पर नगर परिषद् की जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण नहीं किया गया है।

(2,3 एवं 4) : वर्णित स्थान पर कोई अतिक्रमण नहीं होने से प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

अजमेर नगर में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति की स्थापना

228. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर परिषद्, अजमेर द्वारा अजमेर में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया जा चुका है ? यदि हां, तो इसका मॉडल कहां से कब बनवाया गया एवं उसकी कितनी कीमत चुकाई गई ?

(2) मॉडल का अनुमोदन करने हेतु परिषद् के कौन-कौन अधिकारी कब-कब किस-किस माध्यम से किस आदेश से बम्बई गये और उन्हें कितना टी. ए. एवं डी. ए. चुकाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि मूर्ति बनकर आ गई है लेकिन वह सही रूप की नहीं होने से उसे स्थापित नहीं किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो उसे कब तक लगा दिया जायेगा ? यदि हां, तो सही मूर्ति नहीं बन सकने के लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इसका ले मॉडल मूर्ति कलाकार मैसर्स पावलकर आर्ट स्टूडियो, तारदेव बम्बई से दिनांक 26-12-81 को बनवाया गया था। इसकी कीमत के 7500 रुपये चुकाये गये हैं।

(2) परिषद् के प्रशासक एवं आयुक्त दिनांक 10-6-81 को राज्य सरकार की स्वीकृति से वायुयान द्वारा एक बार बम्बई

(स्वायत्त शासन मंत्री)

गये थे। यात्रा भत्ते के रूप में 2,600 रु. की राशि चुकाई गई।

(3) जी नहीं। मूर्ति अभी निर्माणाधीन है और इसमें लगभग दस माह का समय लगने की सम्भावना है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं जनजाति लघु खण्ड विकास कार्यक्रम के सुसंचालन हेतु समिति

229. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं जनजाति लघु खण्ड विकास कार्यक्रम को और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने एवं आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिये सरकार ने 31 सदस्यीय एक स्थायी समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो इस समिति में किनको सदस्य मनोनीत किया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्थायी समिति की बैठक अब तक कितनी-कितनी बार किसकी अध्यक्षता में हो चुकी है ?

(3) समिति का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया है वे कहां तक प्राप्त हो चुके हैं ?

उत्तर

(1) जी। हां सदस्यों की सूची संलग्न है।

(सूची 'क')

(2) समिति के गठन की आज्ञा दिनांक 18–11–81 को प्रसारित हुई है। बैठक बुलाई जा रही है।

(3) समिति का गठन आदिवासी उपयोजना के समन्वय एवं निर्देशन हेतु किया गया है। उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों के विकास कार्यक्रमों को दिशा-निर्देशन, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति एव उनके सामाजिक एवं आर्थिक शोषण से मुक्ति कार्यक्रमों जैसे उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ठ 9 देखें)

चित्तौड़गढ़ जिले के छात्रावास

230. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या समाज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में समाज कल्याण विभाग एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे स्वीकृत छात्रावासों में से किस–किस छात्रावास की स्वीकृत संख्या कितनी है एवं वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में स्वीकृत छात्र संख्या के एवज में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया और प्रवेशार्थियों में से कितने वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुये ?

(2) उक्त दो वर्षों का जिले के प्रत्येक छात्रावास का परीक्षा परिणाम कितना प्रतिशत रहा ?

(3) वर्ष 1981–82 में प्रत्येक छात्रावास के लिये गठित प्रवेश एवं सलाहकार समिति की बैठकें कब-कब हुई ? कृपया छात्रावासवार ब्यौरा समिति द्वारा लिये

(श्री नन्दलाल मीणा)

गये निर्णयों सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 एवं 2) चित्तौड़गढ़जिले में समाजकल्याण विभाग एवं स्वय सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों की स्वीकृत छात्र संख्या एवं वर्ष 80–81 तथा वर्ष 81–82 में स्वीकृत छात्र संख्या के एवज में जितने छात्रों को प्रवेश दिया गया और प्रवेशित छात्रों में से जितने छात्र वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं परीक्षा परिणाम का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। प्रपत्र–क

(3) वर्ष 81-82 की प्रत्येक छात्रावास के लिये गठित प्रवेश एवं सलाहकार समिति की सूचना संलग्न प्रपत्र (ख) में उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सवाई माधोपुर जिले में ग्राम भांडोली से बौंली तक सड़क निर्माण

231. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही ह कि जिला सवाई माधोपुर में ग्राम भांडोली से वाया खिरनी-बौंली सड़क का निर्माण काय चल रहा है ? यदि हां, तो कब से ? सड़क की कुल लम्बाई क्या है ? क्या इसे टुकड़ों में पूरा किया जाना है, अथवा सम्पूर्ण सड़क एक बार में बनेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क को तीन भागों में बनाया जाना है ? यदि हां, तो यह भांडोली से कितनी बन चुकी है और बौंली से कहां तक बन चुकी है ? कितना बजट-आवंटन किया गया ? यदि नहीं किया गया, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में ग्राम भांडोली से बौंली वाया खिरनी सड़क का निर्माण कार्य अक्टूबर, 1978 से चल रहा है। इस सड़क की कुल लम्बाई 18 किलोमीटर है। इस सम्पूर्ण सड़क का कार्य धनाभाव के कारण एक साथ पूरा किया जाना अभी संभव नहीं है।

(2) सड़क को स्वीकृति के अनुसार भिन्न भागों में बनाया जाता है। 1974-75 की योजनान्तर्गत स्वीकृति के तहत 4·4 किलोमीटर लम्बाई में भांडोली छोर से सड़क बनाई जा चुकी है तथा कृषि उपज मण्डी द्वारा 8 लाख रुपये की जो राशि 1978-79 में स्वीकृत हुई थी उसके अन्तर्गत 6 किलोमीटर सड़क बौंली छोर से बन चुकी है। धनाभाव के कारण शेष 7·6 किलोमीटर में सड़क बनाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

सहायक अभियन्ता दौसा द्वारा सीमेन्ट के पुराने पाइपों की बिक्री

232. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय :)

(श्री रामकिशोर मीणा)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11 पर दुब्बी नाले पर कितने सीमेन्ट के पुराने पाइप पुरानी पुलिया में लगे हुए थे ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष के महीनों में उन्हें सहायक अभियन्ता, दौसा द्वारा बेच दिया गया ? यदि हां, तो कितने में तथा किसको ? क्या विभाग ने नीलामी की कार्यवाही की थी ? यदि नहीं, तो उन्हें किस प्रावधान के तहत बेचा गया ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11 पर दुब्बी नाले की पुरानी पुलिया में सीमेन्ट के कुल 27 पाइप लगे थे।

(2) यह सही नहीं है कि गत वर्ष के महीनों में उन्हें सहायक अभियन्ता, दौसा द्वारा बेच दिया गया था।

भीनमाल-डोरडा तथा मालवाडा जसवन्तपुरा सड़कों का निर्माण

233. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीननाल से डोरडा सड़क बहुत पुरानी है और इस सड़क से इस क्षेत्र में बड़े बड़े गांव जुड़े हुए हैं ? क्या सरकार इसको डामर की बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस सड़क पर कब तक डामर करवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मालवाड़ा से जसवन्तपुरा एक महत्वपूर्ण सड़क है जिस पर मैटल बिछाया हुआ है ? यदि हां, तो कब बिछाया गया था ? क्या यह भी सही है कि मैटल बहुत पहले बिछाया गया था परन्तु डामर नहीं करने के कारण मैटल इधर-इधर बिखर गया, जिससे सरकार को काफी क्षति हुई ? अब इस सड़क को डामर द्वारा पक्की कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि भीनमाल से डोरडा एक पुरानी ग्रेवल रोड है तथा इस सड़क से क्षेत्र के बड़े बड़े गांव जुड़े हुये हैं। इस सड़क को डामर द्वारा पक्की बनाने की कोई योजना धनाभाव के कारण अभी विचाराधीन नहीं है।

(2) मालवाड़ा से जसवन्तपुरा सड़क 1970–71 में एक मैटल सड़क बनाई गई थी। बहुत पुरानी मैटल सड़क होने के कारण कुछ मैटल का बिखरना स्वभाविक है। इस सड़क को डामर द्वारा पक्की बनाने की कोई योजना धनाभाव के कारण अभी विचाराधीन नहीं है।

सोजत डाक बंगला

234. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत डाक बंगले में 4 कमरे बने हुए हैं ? क्या यह भी सही है कि डाक बंगले के पीछे बने कमरों के सामने बरामदा न होने के कारण वे ठहरने के लिए बिलकुल अनुपयुक्त हैं ? यदि हां, तो बरामदा कब तक बना दिया जायेगा ?

(श्री माधवसिंह दीवान)

(2) क्या यह भी सही है कि दो कमरों में फर्नीचर भी अच्छे ढंग का नहीं है ? यदि हां, तो इस व्यवस्था में सुधार हेतु क्या किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सोजत डाक बंगले में 4 कमरे बने हुए हैं। यह कथन तो सही है कि पीछे के बने हुए कमरों के सामने बरामदा नहीं है परन्तु यह कहना सही नहीं है कि बरामदा न होने के कारण कमरे ठहरने के लिये अनुपयुक्त हैं। धनाभाव के कारण बरामदा बनाने की योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

(2) दो कमरों में फर्नीचर पुराना अवश्य है परन्तु उपयोग में लाने योग्य है। धनाभाव के कारण नया फर्नीचर खरीदने की कोई योजना अभी नहीं है।

उदयपुर नगर में कोयला व लकड़ी वितरण की व्यवस्था

235. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर नगरवासियों को वन विभाग कोयला व लकड़ी अपने डिपो से वितरण करता है ? यदि हां, तो उदयपुर नगर में ऐसे वितरण केन्द्र कहां कहां हैं ? क्या नगर में फैलाव को देखते हुये ये केन्द्र पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो विभाग ने अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की ?

(2) उक्त डिपो पर बेचने हेतु माह दिसम्बर, 1981 में कितना कोयला एवं कितनी लकड़ी जंगलात से लाई गई ? सूची प्रतिदिन के हिसाब से सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर की जनता कोयले के वितरण से परेशान है एवं सम्बन्धित अधिकारियों से, जिलाधीश से कई बार शिकायत कर चुकी है ?

(4) क्या यह सत्य है कि कोयला व लकड़ी प्राप्त करने हेतु लोगों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि कर्मचारी कम हैं, कोयले गीले करके दिये जाते हैं ?

(6) क्या उक्त डिपो से कोयला बाजार में बेचने वाले व्यापारियों को भी दिया जाता है ? यदि नहीं, तो उन्हें कोयला कहां से प्राप्त होता है ?

त्तर

(1) जी हां। उदयपुर नगर के लिए इस समय गुलाब बाग व गोवर्धन विलास पर विभागीय बिक्री केन्द्र स्थापित हैं एवं वन श्रमिक सहकारी संघ का एक डिपो सूरजपोल पर स्थित है। विभाग के पास उपलब्ध लकड़ी, कोयला को बेचने के लिये ये विक्रय केन्द्र पर्याप्त हैं।

(2) उक्त विभागीय बिक्री केन्द्रों पर बेचान हेतु माह दिसम्बर, 1981 में लाये गये लकड़ी कोयला की दैनिक मात्रा की सूची सदन के पटल पर रखी दी गई है।

(3) ऐसी शिकायत आना नहीं पाया जाता है।

(4) जी नहीं।

(वन मंत्री)

(5) विभागीय विक्रय केन्द्र पर स्टाफ कार्य के अनुरूप पर्याप्त है। कोयले को गीला नहीं किया जाता है। अलबत्ता वर्षा में यदा कदा गोदाम में स्थानाभाव के कारण तथा-जंगल में गीला हो जाता है।

(6) विभागीय डिपो से कोयला बाजार में बेचने हेतु व्यापारियों को नहीं दिया जाता है। कोयला केवल उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत पूरी करने हेतु दिया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) क्षेत्र में भूमिहीन कृषकों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण

236. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में भूमिहीन कृषकों ने वन भूमि पर कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो कितने कृषकों ने ?

(2) राज्य सरकार के आदेशानुसार सन् 1970 तक कितने लोगों की वन भूमि नियमित की जा चुकी है व कितने मामले बाकी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि 1970 के बाद व पहले के भी मामले वन विभाग के पास काफी हैं ? क्या सरकार उक्त भूमिहीनों को भूमि दिलाने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) सन् 1970 से 1981 तक के कितने केस वन विभाग में चल रहे हैं ? इन मामलों को कब तक निपटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में 996 कृषकों ने वन भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है।

(2) राज्य में वन भूमि पर 1-1-1971 से पूर्व के 4428 अतिक्रमण के प्रकरणों का फैसला किया जा चुका है व 884 प्रकरण शेष हैं।

(3) राज्य में वन भूमि पर अतिक्रमण के 1–1–71 से पहले के 884 प्रकरण तथा 1–1–1971 के बाद के 10, 145 प्रकरण विचाराधीन हैं। केन्द्र सरकार के वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानानुसार किसी वन भूमि को बिना केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के वन के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग में नहीं लिया जा सकता है।

(4) 1–1–71 से 31–3–81 तक के राज्य में 10, 145 अतिक्रमण के प्रकरण विचाराधीन हैं। इन्हें यथा शीघ्र निपटाने की कार्यवाही की जा रही है।

उप-तहसील इन्द्रगढ़ में वन भूमि पर काबिज किसानों के प्रकरणों का नियमन

237. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग ने नायब तहसील इन्द्रगढ़ के कई किसानों पर मुकदमे चला रखे हैं ? यदि हां, तो कितने किसानों पर एवं क्यों ? सूची, नाम,

(श्री हीरालाल आर्य)

पता व कारण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार वर्षों से काबिज इन किसानों के नाम उक्त जमीन को नियमन करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। नायब तहसील इन्द्रगढ़ के ऐसे 24 व्यक्तियों, जिन्होंने वन भूमि पर अतिक्रमण कर रखें हैं, के विरूद्ध वन विभाग ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर रखे हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(1) वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के अनुसार किसी वन भूमि को बिना केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के वन के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग में नहीं लिया जा सकता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

सरदार शहर के निकटस्थ क्षेत्रों में फ्लोरोसिस नामक हड्डी के रोग का प्रकोप

238. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले के सरदार शहर के आस पास फ्लोरोसिस नामक घातक हड्डी रोग बढ़ रहा है ?

(2) यदि हां, तो इस रोग के बढ़ने के क्या कारण हैं ?

(3) इस रोग से पीड़ित कितने रोगी इस समय इस जिले में हैं ? सरकार इस रोग की रोकथाम करने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरदार शहर तहसील में 7 गांवों में फ्लोरोसिस नामक हड्डी रोग व्यापक है।

(2) पेयजल में फ्लोरोसिस की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक पाये जाने कारण यह रोग होता है।

(3) जिले के अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना ही रोग की रोकथाम का उपाय है, जिसके लिये 7 में से चार ग्रामों में उचित पेयजल वितरित किया जा रहा है। शेष तीन ग्रामों में से दो में जल योजना प्रगतिशील है व एक ग्राम की जल योजना पर विचार किया जा रहा है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया था।....

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रूल नम्बर 57 के तहत विशेषाधिकार का नोटिस दिया था।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मैंने भी दे रखा है वित्त मंत्री के विरुद्ध।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : वह प्राप्त हुआ है। उसकी जांच कर रहे हैं हम।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) **श्री हीरालाल आर्य**, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के मांगरोल कस्बे के थाने में वहां के ए. एस. आई. द्वारा एक युवती के साथ दुर्व्यवहार तथा बलात्कार की घटना के सम्बन्ध में,

(2) **श्री रामकिशोर मीणा**, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसीलदार सिकराय द्वारा सिंचाई विभाग के अन्तर्गत भण्डारी बांध के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के काश्तकारों की जमीन सरकार के विचाराधीन होने के बावजूद इसके अधिग्रहण करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में,

(3) **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी**, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 4 मार्च की रात्रि को कान्तिचन्द्र रोड, जयपुर पर वीरेन्द्र नामक एक युवक की हत्या कर देने के सम्बन्ध में,

(4) **श्री अनंगकुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर**, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना डग के अन्तर्गत ग्राम रतनपुरा निवासी विक्रमसिंह एवं कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति चन्द्र बागरी की हत्या के सम्बन्ध में,

(5) **सर्वश्री हंसराज शर्मा व चुन्नीलाल शर्मा**, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर में चौथका बरवाडा के अन्तर्गत ग्राम विजयपुरा निवासी श्री देवीशंकर गूजर की हत्या कर देने के सम्बन्ध में,

(6) **श्री देवीसिंह भाटी**, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम कोडमदेसर में पानी की टंकी टेढ़ी होने से जलप्रदाय अवरुद्ध होने के विषय में, इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी आने पर निर्णय लिया जाएगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :—

(7) **श्री कैलाश मेघवाल**–राज्य में पंचायतों के शिक्षकों को बजट के अभाव में फरवरी माह का वेतन न मिलने के सम्बन्ध में,

(8) **श्री हरीश शर्मा**–रामगंज मण्डी जिला कोटा में आवासन मण्डल की योजना क्रियान्वित न होने के सम्बन्ध में।

(9) **श्री गुलाबचन्द कटारिया**–उदयपुर के कमान्डेन्ट, होमगार्ड द्वारा फर्जी बिल बनाने के सम्बन्ध में,

(10) **श्री बंशीलाल पटवा**–भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी कृषि सेवा सहकारी समिति द्वारा किसानों को सीमेंट न देकर सागोल देने से धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में,

(11) **श्री बाऊदयाल जोशी**–इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा के इन्जीनियर श्री सोहन लाल मीणा जो ड्यूटी पर कलकत्ता गये थे, के लौट कर न आने के सम्बन्ध में,

Page No 38

(३८)

(श्री अध्यक्ष)

(12) **श्री गोपाल पचेरवाल** : गंगानगर में मेघवाल जाति के डाक्टर द्वारा अरोड़ा जाति की लड़की के साथ विवाह कर लेने पर उसे परेशान करने के विषय में.

(13) **श्री रतनलाल ताम्बी, श्री मोहन लाल मोदी व डा. उज्जला अरोड़ा** : राजस्थान में उपवैद्य व धात्रियों के चालू आन्दोलन के सिलसिले में दो उप-वैद्यों द्वारा आत्मदाह की घोषणा करने के सम्बन्ध में। इस आन्दोलन के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से सदन में एक वक्तव्य दिया जा चुका है। अत: मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत देने में असमर्थ हूं, किन्तु आवश्यक कार्यवाही हेतु इसे राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

(14) **श्री महाराम चौधरी** : लुहारपुरा नागौर के कारीगरों व मजदूरों के विद्युत संकट से प्रभावित होने के विषय में। माननीय सदस्य इस पर बजट पर आम बहस के समय चर्चा कर सकते हैं।

(15) **श्री मेघराज तावड़ व श्री बहादुर-सिंह** : जंगलात विभाग द्वारा ग्राम गोगुन्दा के ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी ने लाने देने के विषय में। इस विषय पर माननीय सदस्य द्वारा पूर्व में प्रस्तुत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हो गई है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हो गई है :—

(1) **श्री बंशीलाल पटवा व श्री भूपाल सिंह** : भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध के पेटे में आई भूमि पर सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा कब्जा। सरकार ने सूचित किया है कि जिन 190 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, उनमें से 140 मामले न्यायालय द्वारा निर्णीत कर दिये गये हैं और शेष 20 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। जहां तक पानी लगाने का प्रश्न है, किसान अपनी भूमि पर डीजल सेट लगाकर पानी लगाते हैं और मेजा बांध द्वारा कोई पानी नहीं लिया जाता। शहर में 80 हैण्ड पम्प लगाने से अब कोई पेयजल की समस्या भी नहीं है।

(2) **श्री भैरोंसिंह शेखावत व डा. उज्जला अरोड़ा** : कृषि भूमि के स्थानांतरण के विषय में राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति। इस सम्बन्ध में सरकार से प्राप्त सूचना का अध्ययन किया जा रहा है।

(3) **श्री रघुवीर सिंह कौशल** : सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अन्ता सीसवाली सड़क ऊंची बना देने के कारण वर्षा में क्षति। सरकार ने सूचित किया है कि पानी का भराव सड़क के ऊंचा होने से न होकर आस-पास का क्षेत्र नीचा होना है। और पुलों का निर्माण भी जमीन का सर्वेक्षण करने के पश्चात् ही किया गया था।

(4) **श्री मोहनलाल मोदी** : नीम का थाना तहसील में 46 ग्रामदानी ग्रामों में आवश्यक सुविधाएं न होने के विषय में। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना में बताया गया है कि राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार ग्रामदान घोषित हो जाने के बाद ग्रामदानी ग्राम को उस क्षेत्र से निकाला जा सके, फिर भी सरकार इस बारे में कानून संशोधित करने का विचार कर रही है।

(श्री अध्यक्ष)

(5) **श्री कैलाश मेघवाल**: अजमेर नगर में सफाई व रोशनी की समुचित व्यवस्था, न होने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने विस्तृत विवरण देते हुए बताया है कि सफाई व रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है और किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है।

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव आज प्राप्त हुए और जिनके मैंने अस्वीकृत किए हैं, माननीय सदस्य दो-दो मिनट तक अपनी बात कहेंगे। लेकिन इनमें से कुछ स्थगन प्रस्ताव इस तरह के हैं जो कि स्थगन प्रस्ताव की परिभाषा में नहीं आते और उनमें जिन विषयों को बताया है, जिनके बारे में कहा गया है वह इतने जन महत्व के नहीं हैं इसलिए मैं माननीय सदस्यों से सहयोग चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में, इस तरह के प्रस्तावों के सम्बन्ध में वे कृपया समय न लें और यह मेरे विवेक पर छोड़ दें कि किन माननीय सदस्यों को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने की प्रक्रिया

ऑर्डर ऑर्डर। विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में इस सदन में पहले भी कई बार चर्चा हुई है। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है उससे स्थगन प्रस्तावों का पर्पज हल नहीं हो रहा है। कई दिनों से यह भी देखने को मिलता है कि कई ऐसे प्रश्नों, जिन पर स्थगन प्रस्ताव नहीं दिए जाने चाहिए, पर भी स्थगन प्रस्ताव आते हैं। इसका मूल कारण यह है कि माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में किसी दूसरे रूप में बोलने का अधिकार नहीं मिलता। आप निश्चित रूप से यह कहेंगे कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद या बजट की आम चर्चा और उसके बाद रखी गई मांगों पर विचार के समय इन प्रश्नों को उठाया जा सकता है। लेकिन कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका तत्काल उत्तर चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने लोक सभा और राज्य सभा की प्रोसिडिंग्स समाचार पत्रों में पढ़ी होंगी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जब किसी न किसी का काल अटेंशन मोशन हाउस में डिस्कस नहीं होता हो। दुर्भाग्य से हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मन्जूर नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष: एक दो दिन को छोड़ कर। नियमों के अन्दर ऐसा प्रावधान है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब सामान्य वाद-विवाद हो रहा हो, उस वक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लिया जाता है। अन्यथा मेरे ख्याल से आज भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, वक्तव्य भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैम्बर्स को काफी टाइम मिल जाय तो एडजोर्नमेंट मोशन जिस रूप में देते हैं, इससे एडजोर्नमेंट मोशन का महत्व खतम होता है, वह नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मुख्य मन्त्री भी यहां हैं। एक बार एडजोर्नमेंट मोशन की व्यवस्था के बारे में सदन से बाहर चर्चा कर ली जाये। सरकार किन प्रश्नों का तत्काल उत्तर दे सकती है, किन प्रश्नों की जानकारी देनी होगी, किन प्रश्नों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के आधार पर स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट किया जायेगा और कौन से ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर माननीय सदस्यों को बोलना आवश्यक है, यह आपको निर्णय करना है। लेकिन इस पर विचार करके कोई निर्णय कर लिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। वरना एडजोर्नमेंट मोशन जिन विषय पर है, उसमें से एक दो विषय पर चर्चा हो, तो एडजोर्नमेंट मोशन तो अपने आप में इम्पॉर्टेन्ट होते हैं, यदि एक दो विषय पर चर्चा हो तो सरकार को भी उससे लाभ मिलेगा और माननीय सदस्य जो अपनी बात कहना चाहते हैं, उसका भी कोई असर होगा। मैं चाहूँगा इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की जाये। इसके लिये सब आपस में बैठकर विचार कर लें तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैंने आज ही अलग-अलग दलों के नेताओं की एक मीटिंग करना तय किया था, लेकिन आज समयाभाव रहेगा इसलिए 11 या 12 तारीख को इस तरह की बैठक का आयोजन कर लेंगे। इस सम्बन्ध में गहराई से विचार विमर्श करके कोई समुचित हल निकल सकता हो तो निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे आपका सुझाव मैं काफी उपयोगी मानता हूं।

विधायकों को सदन की बैठक में भाग लेने में बाधा

श्री गोपाल पचेरवाल : पॉइन्ट ऑफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, सदन में कई दुर्घटनाएं घटीं, ×××अलग बात है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आज जब हम विधान सभा में पहुंचने के लिए विधायक निवास से बस में रवाना हुए तो लोगों ने रोड पर बस को रोक लिया, बस को घेर लिया। यह कहा तब तक नहीं जाने देंगे, जब तक ......

(व्यवधान)

नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमारी सुरक्षा का इन्तजाम हो। बस को आधा घंटा लेट किया गया। उसमें माननीय कैलाश जी, यदुनाथ सिंह जी थे, सारे लोगों को नीचे उतार दिया। हम लोगों ने लिख कर दिया, हम आपकी बात करेंगे, आपकी बात मनवायेंगे, उसके बाद आने दिया। तो, श्रीमान इस स्थिति में हमारा क्या होगा। सदन में इस तरह की घटनाएं होने लगीं, एम. एल.ए. को सड़कों पर पकड़ने लगे लोग।

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद के समय इस प्रश्न को भी उठा सकते हैं कि जनता....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। हड़ताल, घेराव, प्रदर्शन यह सामान्य प्रक्रिया है जनतंत्रवाद की, माननीय सयस्य।

श्री देवी सिंह भाटी : सामान्य प्रक्रिया है, अध्यक्ष महोयय, जब सत्र चल रहा हो, ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई चर्चा का विषय नहीं है।

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री गोपाल पचेरवाल : जब शहरों की स्थिति है, शहरों में हो रहा है तो गांवों में जायेंगे, कल जब हम अपने क्षेत्र में जायेंगे तो वहां हमारे साथ लोग क्या व्यवहार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । आप अपनी बात कह सकते हैं चर्चा के दौरान, आप कह दीजिये ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लोग होली के अवसर पर किसी भी प्रकार कसर निकाल सकते हैं । जो होली खेलते हैं वह भी कसर निकाल सकते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायकों की सुरक्षा के लिये कोई व्यवस्था की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । जनता के आदमी हैं, जनता के विरुद्ध अपन कोई सुरक्षा चाहेंगे ?

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये । इस चर्चा को यहां नहीं उठायें । माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : विधान सभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिये वहां से रवाना होते हैं । यह आम दिनों की बात नहीं है । अध्यक्ष महोदय, आम दिनों में घेराव हो वह अलग बात है ।

श्री अध्यक्ष : आज भी, माननीय सदस्य, मैंने प्रश्नकाल बराबर 11 बजे प्रारम्भ किया था । एक आध को छोड़कर कोई माननीय सदस्य अनुपस्थित नहीं थे । जनतांत्रिक प्रक्रिया, है हड़ताल है, घेराव है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, यह सब होते रहते हैं । इसके अलावा भी किसी कारण से किसी वर्ग को कोई नाराजगी है, या लोगों में नाराजगी है तो आप सामान्य वाद विवाद के समय उठाइये या कोई प्रश्न सामने लाइये ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । भाषण नहीं होगा । समय ना लें, माननीय सदस्य ।

आर्डर, आर्डर । आर्डर, आर्डर । उचित माध्यम से........

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है । स्थान ग्रहण कीजिये । आर्डर, आर्डर ।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : पॉइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर, आसन पैरों पर है, इसलिये पाइन्ट आफ आर्डर आयेगा नहीं । अब आप फर्माइये, क्या है पाइन्ट आफ आर्डर ?

श्री त्रिलोकसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर ।

मैं आपके माध्यम से प्रभारी मंत्री से पूछना चाहूंगा ....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नहीं पूछेंगे । आप तो पाइन्ट आफ आर्डर प्रस्तुत कीजिये ।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं रात को किशनगढ़ गया था । 9 बजे से सुबह पांच बजे तक दस बसें निकल गई पर वह वहां नहीं रुकीं ।

श्री अध्यक्ष : कौन से नियम का हनन हुआ ? प्रक्रिया के कौनसे नियम का हनन हुआ ?

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : यह हमारे ही लिये नहीं, जनता के लिये बहुत बड़ी दिक्कत है । मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि जवाब दें प्रभारी मंत्री ।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य ।

यह पाइन्ट आफ आर्डर का विषय नहीं है । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल, राज्य में पंचायत शिक्षकों को बजट के अभाव में फरवरी माह का वेतन न मिलने के संबंध में ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर यह व्यवस्था दी थी, मुख्य मंत्री जी से बात करके व्यवस्था दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं आज बात कर लूंगा । अभी यहां से उठने के पश्चात् बात कर लूंगा ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जल्दी व्यवस्था दें ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के बारे में जिस तरह की चर्चाएं बार बार होने के बाद, सत्ता पक्ष की ओर से जो दुहाई दी गई है पंचायती राज की, बीकानेर के पंचायती राज सम्मेलन.......

श्री अध्यक्ष : समय का अभाव है, संक्षेप में कहें ।

श्री कैलाश मेघवाल : बिलकुल संक्षेप में मैं यह निवेदन कर रहा हूं ।

उस पचायती राज की कार्य प्रणाली कैसे चल रही है, पंचायती राज में चलने वाला जो प्रशासन है, वह प्रशासन कैसे चल रहा है यह मैं आपसे निवेदन करूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तारीख को राजस्थान के शिक्षक संघ की ओर से एक तार दिया गया, बजट के आवंटन के अभाव में पंचायती राज के जो शिक्षक कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह नहीं दी । साधारणतः, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है प्रत्येक राज्य कर्मचारी चाहे शासन का हो, चाहे दूसरे उपक्रम का हो, चाहे ऑटोनोमस बॉडी का हो, पहली तारीख को तनख्वाह प्राप्त करने का अधिकारी है । साधारणतः पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है। लेकिन पंचायती राज प्रशासन एक तरह से उनके प्रति उदासीन है, एक तरह से उनकी उपेक्षा कर रहा है । कल मुझे फिर सूचना मिली, माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ के महामंत्री ने मुझे टेलीफोन पर सूचना दी, आपको तार दिया था, आपने इस विषय पर चर्चा की या नहीं ? आठ बजे उसका पत्र और आ गया । मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री यहां विराज रहे हैं, आखिर सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, क्या उसको

(श्री कैलाश मेघवाल)

ठीक नहीं किया जायेगा ? क्या उसके लिये शिक्षक आंदोलन करें ? आंदोलन के आधार पर वेतन दिया जायेगा ? इसके साथ शिक्षकों के जो पुराने एरियर्स हैं, मेडिकल भी बाकी है, दूसरे तरह की बकायात हैं, उनका भी चुकारा किया जाय। होली का त्योहार है. मैं निवेदन करना चाहूंगा, होली के त्योहार के पहले फरवरी का वेतन पंचायत राज के शिक्षकों को मिल जाय, क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे ? आपने अभी व्यवस्था दी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, मेरे स्थगन प्रस्ताव को इस रिमार्क्स के साथ सरकार के पास भिजवा दें कि होली के पहले पहले फरवरी की तनख्वाह मिल जाये। मेरा यही उद्देश्य था, मैं चाहूंगा तत्परता से कार्य करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा, रामगंज मण्डी जिला कोटा में आवासन मण्डल की योजना क्रियान्वित न होने के संबंध में।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुखद और शर्मनाक मामला है। एक तरफ तो सरकार चिल्ला रही है फर्जी संकल्पों के द्वारा, हर घर को छप्पर देंगे दूसरी तरफ छप्पर देने की योजना को पूंजीपतियों के रास्ते तहस नहस कर रखा है। इनके एक मित्र हैं इनका बास गिरधर भाई। समय निर्धारित था चार महीने, खाली जमीन जो बिल्कुल बेकार पड़ी थी, माननीय अध्यक्ष, इस योजना के अन्तर्गत जिसको एक्वायर किया था उसने आकर चैलेन्ज दिया इसलिये उसको छोड़ दिया। इन्होंने किसानों से जमीन ली, पचास किसानों को उजाड़ दिया फिर उस जमीन को छोड़ दिया इन्होंने। अब उस योजना को क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं जब कि वहां लोगों के पास रहने को मकान नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज रामगंज मण्डी कोटा जिले में औद्योगिक क्षेत्र में दूसरे नम्बर पर है। 60 वहां पर इन्डस्ट्रीज हैं। एक बड़ी लगी है मंगलम सीमेन्ट। सबको ज्ञात होगा इस बारे में कि वहां के मजदूरों और वहां के निवासियों के रहने के लिये जगह नहीं मिलती। कोई अधिकारी, कर्मचारी वहां ट्रांसफर होकर आता है उसको रहने को मकान नहीं मिलता है। आवासन मण्डल की योजना चला रहे हैं उसके लिये 450 फार्म भरे जा चुके हैं। योजना क्रियान्वित करने के लिये कम से कम 200 फार्म चाहिये, लेकिन बिलकुल चालू नहीं कर रहे हैं। आज एक नया प्रस्ताव इनको दिया है कि रामगंज मण्डी से चुन्नी रोड पर नगर से लगी हुई जमीन बिल्कुल खाली पड़ी हुई है उसको ले लें लेकिन इनको तो योजना खतम करनी है। कर दो। खतम कर दो। किसी मिनिस्टर में दम हो, उसकी ××× हो तो रामगंज मण्डी में आकर इस योजना को खतम कर दे तो मानूंगा मैं। नहीं तो यह सरकार ××× उस योजना को खतम न करें। मेरे को इस बारे में गुस्सा है। आप गरीबों का नुकसान करना चाहते हो, गरीबों को छप्पर नहीं देना चाहते हो। मुझे इस बात का जवाब तो दें। यह योजना 77 से चल रही है आज तक वहां जमीन नहीं ले पाये, बेकार जमीनों को नहीं ले पाये, खाली जमीनों को नहीं ले पाये। अगर इस पर भी आपको शर्म नहीं आती हो तो आपकी

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरीश शर्मा)

मर्जी । XXX किन्तु इस योजना को चलाना पड़ेगा । अगर आप प्रेम से नहीं चलाओगे तो मैं अपनी ताकत से लेना जानता हूं । यह ठीक है कि मैं ठीक नहीं हो पाया ईश्वर की इच्छा से इसलिये आप मनमानी मौज कर रहे हो । आपके अधिकारी वहां ऐश कर रहे हैं । नेता हरीश शर्मा एम. एल. ए. ठीक होता तो अधिकारियों कीXXXजो रिश्वत खा जाये एक पैसे की । मैं रिश्वतखोर का पक्ष नहीं लेता हूं । मेरा नियम है अगर कोई रिश्वत लेता है तो मैं उसको कानून हाथ में लेकर डांट पिलाता हूं । इससे मुझे कोई मोड़ नहीं सकता । यह मैं निवेदन करता हूं कि आप उस योजना को चालू करें । आपको दो वोट नहीं मिलते हैं वहां पर, चुनाव हारे हैं । वहां पर कांग्रेस (आई) के सारे खिलाफ है । मुझे तो दुःख इस बात का है कि आपकी युवा कांग्रेस के सारे लोग, जो असली लोग हैं जो इन्दिरा गांधी के साथ जेल गये थे, ने आकर प्रार्थना पत्र दिये हैं कि उस योजना को चालू करो फिर भी आप चालू नहीं कर रहे हैं केवल एक व्यक्ति के कहने से ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष, मैं तो समाप्त कर दूंगा लेकिन यह एक पूंजीपति के रास्ते के खातिर सारे गरीबों का गला घोटे इस बात को अगर आप मानने के लिये तैयार हो तो ठीक है मुझे कोई एतराज नहीं है । उस योजना को चालू क्यों नहीं कर रहे हैं । मैं न्याय के लिये स्थगन प्रस्ताव लाया हूं । यह किसी के पक्षपात के लिये नहीं है । मैं तो यह चाहता हूं कि उस गिरधर भाई को यों ही छोड़ना चाहते हों तो यों ही छोड़ दें । जो रोडवेज की जमीन खाली पड़ी है उसको ले लें लेकिन योजना चालू करें । गवर्नमेंट की जमीन पड़ी है, खाली पड़ी है, उस पर चालू करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया को कमाण्डेण्ट होम गार्ड्स के बारे में मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । यह व्यक्तिगत मसला है कतई तौर से ।

श्री बंशीलाल पटवा, को भी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : यह व्यक्तिगत नहीं है, सारे आफिसर का रिकार्ड जब्त किया है ।

श्री अध्यक्ष : इसको किसी और तरीके से उठायें । आप चाहते हैं तो मैं सरकार के पास जानकारी के लिये भेज दूंगा लेकिन किसी एक अधिकारी ने कोई नकली बिल बनाया है । ...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं साहब, सारे आफिस का रिकार्ड जब्त हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : हुआ होगा लेकिन सारे राजस्थान के लिये....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : केवल एक बिल नहीं है हजारों रुपये का गबन हो रहा था । एक बिल का पता लग गया उसके कारण सारी जानकारी हुई । आप सरकार को जानकारी के लिये लिखें ।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, आर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता महोदय भी कह रहे थे कि जैसे विषय आने चाहिये वैसे विषय आते नहीं है यहां पर और छोटे छोटे मामलों पर स्थगन प्रस्ताव रखे जाते हैं इससे स्थगन प्रस्ताव का महत्व ही खतम हो जाता है। हो सकता है उसने गड़बड़ की हो। यदि आप चाहेंगे तो मैं राज्य सरकार को सूचनार्थ भेज दूंगा लेकिन एक व्यक्ति के मामले को जनहित का मामला हम नहीं कह सकते हैं। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का हो यह बात भी हम नहीं कह सकते। इसलिये आप चाहते हैं कि कार्यवाही हो लेकिन मैं इजाजत नहीं दूंगा, आप कहेंगे तो मैं राज्य सरकार को भेज दूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हां, राज्य सरकार को भेजिये। जिन लोगों के खिलाफ सबूत आ गया है उनको सस्पेण्ड करायें।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : मेरा प्रस्ताव किसानों के संबंध में है। उनको सागोल दे दिया गया है जिससे कूएं धंस गये हैं....

श्री अध्यक्ष : एक सहकारी समिति में कोई सीमेंट में गड़बड़ी कर दी है तो उसके बारे में, माननीय सदस्य....

श्री बंशीलाल पटवा : सीमेंट की जगह सागोल दे दिया। इसको जानकारी के लिये भेज दें। उनको सताया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : इसमें सक्षम है स्थानीय अधिकारी। यह लोक महत्व का नहीं कह सकते, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आप जानते हैं, जो जनहित का मसला होता है उस पर मैं स्वयं काफी सतर्क रहता हूं। जवाब नहीं आता है तो मैं सरकार को अपनी तरफ से प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री बंशीलाल पटवा : सीमेंट की जगह सागोल दे दिया।

श्री अध्यक्ष : आपको बहुत नाराजगी हो सकती है, वास्तव में अन्याय हो रहा है लेकिन इसको सार्वजनिक हित का बहुत बड़ा मामला नहीं कह सकते।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कल एक मामला था उसमें आपने बताया कि जिन लोगों के पास भूमि का स्वामित्व था उन्होंने मकान बना लिये उसके बाद गिरा दिये गये। मैंने व्यवस्था यह दे दी थी कि मैं इस पर अनुमति नहीं देता हूं लेकिन जब यह ध्यान में लाये तो मैंने उसी वक्त कहा कि मैं इसको बदलता हूं। इसलिये आप मेरी बात भी मान लिया करें कभी कभी।

श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जिला भीलवाड़ा के ग्राम मुंशीपुरा के इंजीनियर जोधपुर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल में प्रथम श्रेणी में बी. ई. पास करने वाले 27 वर्षीय सोहनलाल मीणा नाम का नौजवान इंस्ट्रूमेंटेशन में कार्यरत था। दिनांक 30-1-82 को उसे इंस्ट्रूमेंटेशन फैक्ट्री के कार्य हेतु श्री डी.के. डे के साथ कलकत्ता भेजा। निवेदन करना यह है कि कलकत्ता से श्री डी. के. डे तो वापस लौट आये दिनांक 8-2-82 को लेकिन यह सोहनलाल मीणा वापिस नहीं लौटे। 8-2-82 को सोहनलाल मीणा ने घर पर अपने पिता के नाम राजी खुशी की चिट्ठी भेजी और साथ ही 50) रु. का मनी आर्डर भी भेजा। तारीख 10 को श्री मीणा के पिता इंस्ट्रूमेंटेशन में अपने पुत्र से इस आधार

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पर मिलने आये कि तारीख 3 से 10 रह कर चला जाऊंगा लेकिन वहां सोहनलाल मीणा नहीं मिला तो उन्होंने डी. के. डे से संपर्क साधा। उन्होंने जो बात बताई वह अपने आप में रहस्यात्मक है। श्री डी. के. डे कहने लगे कि तुमने अपने लड़के को 20 हजार रुपये दिये थे। श्री रामनाथ मीणा जो अत्यंत गरीब है, यहां भी उपस्थित करूंगा तो आपको उन्हें देख कर दया आयेगी, अध्यक्ष महोदय, वह 20 हजार कैसे दे सकता है। 20 हजार रुपये दिये थे वह किन्हीं गुण्डों ने छीन लिये और इसलिये वह कहीं गायब हो गये। मुझे याद नहीं। कभी वह कहते है कि उसका तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। कलकत्ता में वह गायब हो गये। कभी वह कहते है कि तुम्हारे लड़के पर एक टैक्सी वाले का 160 रुपये किराया बाकी था इसलिये उसने पुलिस को दे दिया। कभी कहता है कि श्री सोहन लाल मीणा को टैक्सी वाले ने बेहोश हो जाने के कारण कलकत्ता के अस्पताल में भर्ती कराया। कलकत्ता के अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया था, होश आने के बाद जूते, कोट अस्पताल में छोड़ कर भाग गया है। आखिरकार यह व्यक्ति चारों तरफ चिल्लाता फिर रहा है। उस गरीब को न्याय मिलना चाहिये। उसने कोटा के एस. पी. को चिट्ठी लिखी है 4-3-1982 को, जिसमें उसने लिखा है कि दिनांक 22-2-82 के बाद विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि इन्स्ट्रूमेन्टेशन कम्पनी, कोटा के श्री डी. के. डे. मेरे पुत्र श्री सोहनलाल मीणा परियोजना अधिकारी इन्स्ट्रूमेन्टेशन कम्पनी, कोटा को षडयन्त्र करके कोटा से कलकत्ता ले गया। वहां पर उसको या तो जान से मार दिया है या उसे कलकत्ता में कहीं न कहीं बन्द कर रखा है। कलकत्ता में श्री डे. ने ब्रान्च मैनेजर इन्स्ट्रूमेन्टेशन श्री दत्ता के साथ मिलकर यह षडयन्त्र किया है क्योंकि मेरे लड़के ने मुझे बताया था कि कुछ दिनों में उसका प्रमोशन होने वाला था और वह कंपनी की तरफ से इंग्लैन्ड जाने वाला था। इस षडयन्त्र के पीछे भाव यह है कि कम्पनी उसको इंलैन्ड भेजने वाली थी। उसने अपने पिताजी की इजाजत चाही थी। श्री डी. के. डे और सोहन लाल मीणा की आपस में प्रतिद्वन्द्विता थी। दोनों में कम्पीटिशन था इसलिये संभवतः श्री डी. के. डे ने योजनाबद्ध तरीके से श्री मीणा को मरवा तो नहीं दिया है.......

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : वास्तव में उसका पिता आज मारा-मारा फिर रहा है। श्री सोहनलाल मीणा के पिता श्री रामनाथ ने प्रधान मंत्री भारत सरकार को प्रार्थना पत्र भेजा है ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें....

श्री दाऊदयाल जोशी : जनरल मैनेजर इन्स्ट्रूमेन्टेशन को पत्र लिखा है, गृह मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखा है....

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मै भी इसमें इन्टरवीन करूंगा, यह मेरे जिले का मामला है ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस पर चर्चा नहीं होगी। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री बाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस गरीब को न्याय मिले। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं।....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

अनेक माननीय सदस्य : इसका पता लगाया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा।

अनेक माननीय सदस्य : इस होनहार युवक का पता लगाया जाये।....

श्री रतनलाल ताम्बी : उसका पिता मेरे पास रोता रोता आया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : केवल दो मिनट।

अध्यक्ष महोदय, जगदीशराम मीणा, निवासी मुन्शीपुरा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा का लड़का बड़ा होनहार और प्रतिभाशाली था। उसे श्री डे के साथ कलकत्ता भेजा गया था। वहां भेजने के बाद यह षडयन्त्र रचा गया है। जो फेक्ट्स प्रधान मन्त्री और गृह मंत्री को दिये गये हैं, उनके आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि उसकी हत्या करवा दी गई है। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि श्री डी. के. डे को तत्काल गिरफ्तार किया जाये तो इस सारे मामले का भण्डाफोड़ हो सकेगा। वह होनहार लड़का शीघ्र ही इंग्लैण्ड जाने वाला था। वह अत्यन्त गरीब आदिवासी का लड़का था और बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की थी। राज्य सरकार जितनी जल्दी इसकी जांच करेगी, ठीक होगा वरना इस सारी घटना पर पर्दा पड़ जायेगा। इसलिये राज्य सरकार कलकत्ता में विशेष अधिकारी को भेजकर और डी. के. डे को गिरफ्तार करके इस सारे मामले की जांच करे।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

अनेक माननीय सदस्य : वह गरीब इन्जिनियर था। राज्य सरकार को इस सारे मामले की जांच करानी चाहिये।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई तरीका नहीं है। ....

अनेक माननीय सदस्य : राज्य सरकार इसके बारे में स्टेटमेन्ट दे।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला अभी मेरे समक्ष आया है। मैं इसकी जांच करवा दूंगा।

(व्यवधान)

आप अपने मुंह से कह रहे हैं, तीन तारीख को रजिस्टरी हुई है ....

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : आप इसकी जांच कब तक करवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री गोपाल पचेरवाल ।

श्री रतनलाल ताम्बी : कितने दिनों में करवा देंगे ?....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री गोपाल पचेरवाल ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव तो आपने खारिज कर दिया । मैं तो यह आशा करता था कि नीति संगत मेरा स्थगन प्रस्ताव है । मेरा स्थगन प्रस्ताव यह था कि मेघवाल जाति के डाक्टर ने एक सवर्ण जाति की लड़की से शादी की । हमारी सरकार आये दिन इस तरह के बयान देती रहती है कि अन्तर्जातीय विवाह करने वाले लोगों को पांच हजार रुपया इनाम देगी । हमारे मुख्य मन्त्री जी ने यह घोषणा की है लेकिन जब यह मामला मेरे पास आया तो मालूम हुआ कि मुख्य मंत्री जी की 'भावना के विपरीत यह सारा मामला है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेघवाल जाति के डाक्टर एच० आर० परमार, जो गंगानगर जिले के निवासी हैं, ने गंगानगर की लड़की मधु अरोड़ा एडवोकेट, जो गंगानगर में प्रेक्टिस करती हैं, से शादी की । दोनों ने स्वेच्छा से हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर ली । मैं कहता हूं, मेरी मान्यता है कि अगर सरकार की कथनी और करनी में अन्तर नहीं है तो मधु अरोड़ा और डाक्टर परमार को राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जाना चाहिये, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है । लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के विधायक, यू० आई० टी० के चैयरमेन, हमारे स्वायत्त शासन मंत्री महोदय संयुक्त रूप से इस आदमी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी माता की जमीन थी, काफी पुरानी थी, उस जमीन का फर्जी बेचान दिखा कर, उसको स्थानान्तरित कर दिया । श्रीमान, उस डाक्टर की माता का देहान्त हुआ है 7-10-78 को । उससे पूर्व बेचान दिखा दिया जमीन का यू. आई. टी के चैयरमेन साहब ने, और उस जमीन को सरकार की नीति के विपरीत रामप्यारी अरोड़ा के नाम स्थानांतरित कर दिया । माननीय स्वायत शासन मंत्री महोदय श्री राम गोटेवाला गंगानगर पधारे 24.1.1983, को सरकार ने पांच व्यक्तियों के फोटो सहित पट्टा जारी किया । श्रीमती इन्दिरा गांधी, शिवचरण माथुर, श्रीराम गोटेवाला और राधेश्याम, विधायक यू. आई. टी.--इन सबकी फोटो उस पट्टे पर थी जो जारी किया । शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन छीनकर दी गयी । मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से अच्छा होता मुख्य मंत्री जी सदन में होते, आपकी नीति क्या है ? राज्य मंत्री जाकर उनको पट्टा दे रहे हैं । आपकी नीति क्या है ? शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय, शिड्यूल्ड कास्ट के साथ विवाह कर ले, तो क्या उनकी जमीन छीन ली जाय, या उनको जमीन दी जाय, उनकी रक्षा की जाये । श्रीमान, यह सारा क्यों हो रहा है । मैं आपको निवेदन करका चाहता हूं, उस डाक्टर से जमीन को छीन कर दूसरे को दे दी गई । श्री राधेश्याम ने उसके खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई । मेरे पास प्रमाण हैं । 6 मुकदमे दर्ज हुए थे छ : के छ : मुकदमे एस. डी. एम. कोर्ट से

(श्री गोपाल पचेरवाल)

खारिज हो गये। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इसके खिलाफ शिकायत की गई वह सारी शिकायतें असत्य पाई गई। किस कारण यह किया गया? क्योंकि डाक्टर शिड्यूल्ड कास्ट का था उसने उनकी जाति की एक लड़की से शादी कर ली। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से कोई विधायक, कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति पार्टी का कोई व्यक्ति पार्टी के सिद्धान्त के खिलाफ कार्यवाही करता है, तो कांग्रेस पार्टी को उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। उसको अपनी पार्टी से निकालना चाहिये। मैं यह मांग करता हूं कि माननीय विधायक, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री, जिन्होंने इस प्रकार सिद्धन्तों का हनन किया है, के खिलाफ कार्यवाही की जाये। इस डाक्टर को न्याय मिलना चाहिये, सरकार को उसका सम्मान करना चाहिये जिसने अन्तर्जातीय विवाह किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहती है, जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात करती है और दूसरी तरफ जिन्होंने अन्तर्जातीय विवाह किया है, उस डाक्टर परमार को बर्बाद किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।....

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, उसने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं दिया। गृह राज्य मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी उसको कोई जवाब नहीं दिया गया। एस. पी. को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं दिया, कोई कार्यवाही नहीं की गई। सारे मुकदमे खारिज हो गये फिर भी उसको परेशान किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से, मुख्य मंत्री नहीं है, गृह राज्य मंत्री यहां पर मौजूद हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस डॉक्टर की मदद करें, उसको प्रोत्साहित कर उसका उत्साह बढ़ावें। अन्याय कर रहे हैं उसको रोकें और उसकी मदद करें।....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।....

श्री अध्यक्ष : नियमों के माध्यम से उठावें।

श्री बंशीलाल पटवा एवं भोपाल सिंह- भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध के पेटे में आई भूमि के सम्बन्ध में।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह कौशल।

(अनुपस्थित)

अंता शीरी वाली सड़क ऊंची बना देने के सम्बन्ध में ...

श्री बोऊदयाल जोशी : XXX

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेजा डेम का मामला मेरे क्षेत्र का मामला है। मुझे अवसर देने का कष्ट करें।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 50

(50)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

एक माननीय सदस्य : मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष : मेरे क्षेत्र के भी कई मामले आते हैं लेकिन मैं अपने को प्रस्तुत नहीं करता हूं। किस क्षेत्र का है इस आधार पर इजाजत नहीं दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मोहनलाल मोदी। ग्रामदानी गांवों के संबंध में।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है वह ग्रामदानी गांवों के संबंध में है। नीम के थाना क्षेत्र में 46 गांव हैं उनकी आज बड़ी दयनीय स्थिति है, न तो वहां पर कोई यातायात का साधन है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था है....

श्री अध्यक्ष : इनको ग्रामदानी बनाने में आपका काफी योगदान रहा होगा। आपने काफी उत्साह से काम किया होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): ये कभी भी सर्वोदयी नहीं रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरा इसमें कभी सहयोग नहीं रहा है जिस तरह से ग्रामदानी उनको घोषित किया गया है।

स्वर्गीय श्री लालबहादुर जी शास्त्री जब सीकर आये थे उस समय ये 46 गांव ग्रामदानी घोषित किये गये। गांवों की परिभाषा में किस तरह से हैं, अध्यक्ष महोदय, जब कि छोटी-छोटी ढाणी हैं जिनमें कि 160,200 की आबादी है। जो इस तरह की पाकेट्स है उन 46 गांवों को ग्रामदानी घोषित कर दिया। सरकार ने उत्तर दिया हैं कि ग्रामदान एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 100 प्रतिशत लोग चाहें कि ग्रामदान नहीं हो तो ग्रामदान से हट सकें। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रजातंत्र के युग में लोगों को बांधकर रखना बहुत बड़ा अन्याय है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ग्रामदान एक्ट के अन्दर तत्काल राज्य सरकार संशोधन करे कि किसी गांव में रहने वाले अगर 60 प्रतिशत लोग चाहें तो वापस पंचायत में शामिल हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, चारों तरफ पंचायत का एरिया है और एक छोटा सा टुकड़ा, गांव ग्रामदानी घोषित कर रखा है। वहां पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, न तो स्कूल है और न औषधालय है। वे लोग बहुत बड़ा नारकीय जीवन बिता रहे हैं। आप जायं उन लोगों से सम्पर्क करें। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी बहुत दुर्दशा हो रही है। उनके पास अपने गांव तक पहुंचने के लिये कोई यातायात का साधन नहीं है। वह तो एक तरह से ऐसी स्थिति में हैं कि पंचायत में नहीं आते हैं, ग्रामदानी गांवों के आज तक चुनाव नहीं हुए हैं उनका कोई अध्यक्ष नहीं है। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरफ पूरा ध्यान देकर जल्दी से जल्दी ग्रामदान एक्ट में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था करें कि वहां के लोगों को ग्रामदान से छुटकारा दिला सके।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री सी. पी. जोशी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा और शिक्षा मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने धात्री उपवैद्य के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दे दी गयी है। यह प्रस्ताव पहले आ गया था, राज्य सरकार के पास भिजवा दिया है। यह जो आपने जानकारी दी है, आपने जो जानकारी उपलब्ध करायी है वह सब भेज रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम प्रश्न है।....

श्री अध्यक्ष : आपने जो सूचना भेजी है उसको मैंने सरकार को भेज दिया है, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

समय जाता है इससे, माननीय सदस्य

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : एक बार कृपा करें, माननीय अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

श्री तध्यक्ष : बार-बार वही प्रश्न नहीं आयेगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं व्यवस्था के लिये ही कह रही हूं, भाषण नहीं दे रही हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। उस पर सदन में पहले चर्चा हो चुकी है, चार पांच दिन पूर्व सब चर्चा हो चुकी है....

(व्यवधान)

मैं उस पर दुबारा टाइम नहीं दूंगा। आपने जो नयी बात बतायी है उसको अविलम्ब राज्य सरकार के पास भेज दिया है....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर

(व्यवधान)

समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वे आत्मदाह कर रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। जो आपने सूचना दी है वह मैंने मंत्री महोदय को उसी वक्त भेज दी है, उनको सतर्क कर दिया है इसके संबंध में। वर्तमान में मै और कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सतर्क करने से समस्या का हल नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बात सुन लें....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

मैं इस पर दुबारा अवसर नहीं दूंगा। एक बार विस्तृत चर्चा हो चुकी है और सरकार का उत्तर आ गया है। आपने जो कुछ नये तथ्य रखे हैं उनको अविलम्ब उसी वक्त सरकार के सामने भेज दिया है ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं चर्चा नहीं करना चाहती हूं। आप एक आदेश दे दें, 19–3–81 की प्रोसीडिंग्स को आप देख लें....

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें। समय न लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर आप नहीं देखेंगे तो न्याय नहीं होगा। उनसे पहले मुझे आपसे न्याय की आशा है।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री बाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : मैंने राज्य सरकार को भेज दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री बाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं बहस की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : कोई फायदा नहीं होगा। आर्डर प्लीज।

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं अंकित नहीं करने दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : जो सूचना उपलब्ध करायी गयी है वह राज्य सरकार को भेज दी है उसके बारे में मैं सम्बन्धित मन्त्री जी से और बात कर लूंगा लेकिन किसी विषय पर बार बार चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : समय ले रही हैं। माननीय सदस्य, बैठें। मैं इजाजत नहीं दूंगा। अंकित नहीं हो रहा है।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : समय ले रही हैं। अंकित नहीं हो रहा है। सदन का समय कीमती है। माननीय सदस्य, कृपया, शान्त रहें। कार्यवाही को आगे चलने दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया, बैठ जाइये। उनको जाकर आप समझाइये कि वे ऐसा नहीं करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं, सदन का समय बर्बादि कर रहे हैं। कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।....

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्या, यह दुराग्रह है। क्षमा करेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : गरीब के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। कृपया बैठ जाइये, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्या, शान्त रहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं नियमों से बंधा हुआ हूं, माननीय सदस्या। सदन का समय कीमती है। हर विषय पर जिस वक्त चाहें अपनी इच्छानुसार आप नहीं बोल सकती हैं। यह इजाजत मैं नहीं दे सकता हूं। कृपया, बैठ जाइये।

श्री सी. पी. जोशी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को वेतन वृद्धि से वंचित रखना

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को यू. जी. सी. की पे स्केल मिल रही थीं। अब तीन महीने से राज्य सरकार के सर्कूलर द्वारा यह नियम उनको प्रेषित किया गया है कि जो शिक्षक यू. जी. सी. की क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करते हैं उनको इन्क्रीमेंट नहीं मिलेगा। श्रीमन्, मुझे आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से निवेदन करना है कि जब यू. जी. सी. के पे स्केल राजस्थान में लागू हुए थे उस समय यू. जी. सी. के डायरेक्शन जो थे उनमें लिखा हुआ था कि यू. जी. सी. के पे स्केल लागू होने के समय जो टीचर्स थे

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नही किया गया।

(श्री सी. पी. जोशी)

उनको इससे छूट होगी, उन पर यह नयी क्वालिफिकेशन लागू नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जो 15–20 साल पहले से रहते चले आ रहे है उनको पी एच. डी. या एम. फिल नहीं करना पड़ेगा। यह यू. जी. सी. के डायरेक्शंस थे। उसके तहत ही हिन्दुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय के अन्दर इस आधार पर पे स्केल में इन्क्रीमेंट को नहीं रोका गया है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय या उदयपुर विश्वविद्यालय हैं उनमें जो प्राध्यापक कार्यरत हैं उनको इस पे स्केल के तहत इन्क्रीमेंट मिल रहे हैं उनके इन्क्रीमेंट नहीं रोके गये हैं। मुझे आश्चर्य होता है यह जानकर कि शिक्षा डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, दोनों में कोई को-आर्डिनेशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यू. जी. सी. के पे स्केल लागू करते समय यह कमिटमेंट किया गया था कि ऐसा नहीं करेंगे। पर उसको ध्यान में नहीं रखकर बेरोकटोक निर्णय लेकर यह सर्कूलर निकाला है कि जो पी. एच. डी. या एम. फिल. नहीं करेंगे उनको इन्क्रीमेंट नहीं दिया जायेगा।

एक तरफ एक विश्वविद्यालय के अन्दर इस तरह के नियम लागू करते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान और जोधपुर के अन्दर यह नियम लागू नहीं करते हैं। श्रीमन्, एक को-आर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। उदयपुर विश्वविद्यालय के अध्यापक को प्रमोशन नहीं दिया गया है। यह भी समझ में नहीं आता कि शिक्षा मंत्री जी इस को-आर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उस को-आर्डिनेशन कमेटी का निर्णय नहीं होने के बावजूद केवल मात्र फाइनेन्स डिपार्टमेण्ट का डिप्टी सैक्रेटरी लेवल का आदमी एक सर्कूलर भेज दे और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाय। मैं अपने मूल प्रश्न, माननीय शिक्षा मन्त्री जी भाषण देंगे उसके बाद पूछूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा अपने उत्तर में, क्या यह सच है कि यू. जी. सी. ने डायरेक्शंस दिये थे कि जो अध्यापक पेस्केल लागू होने से पूर्व कार्यरत थे उनके ऊपर नयी क्वालिफिकेशन लागू नहीं होंगी? क्या यह शर्त थी या नहीं? क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान के अन्दर केवल मात्र उदयपुर विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके लिए यह सर्कूलर भेजा गया है और यह सर्कूलर राजस्थान विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर लागू नहीं है? इन दो बातों का पहले स्पष्टीकरण दें उसके बाद अपना मुद्दा आगे....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य देंगे।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में शिक्षा की उन्नति के लिये अच्छी योग्यताओं वाले अध्यापक उपलब्ध हो सकें इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने अध्यापकों के लिए नये वेतनमान सुझाये थे। उनमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया तथा नई योग्यतायें इत्यादि भी थीं। भारत सरकार ने 1974 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को स्वीकृत किया। राजस्थान सरकार ने नये वेतनमानों को सन् 1.9.76 से लागू किया इसलिए जो आदेश दिनांक 24.5.77 को निकाले उनमें कुछ शर्तें भी लगायी गयी थीं। शर्त 2 (ए) निम्न प्रकार से है: —

(श्री चन्दनमल वैद)

(2) A Qualification for teachers of Arts, Commerce, Social Science anb Science.

The qualifications for recruitment to post of teachers in Arts, Social Science, Commerce, and Science faculties of the University shall be as under :–

(a) A doctor's degree or published work of an equally high standard; and

(b) Consistently good academic record with Ist or high 2nd class

(c) Master's degree in a relevant subject or and equivalent degree of a foreign University.

Having regard to the need for developing inter-disciplinary programme, the degrees in (a) and (b) above may be in relevant subjects.

Provided that if the Selection Committee is of the view that the research work of a candidate as evident either from his thesis or from his published work is of very high standard; it may relax any of the qualifications prescribed in (b) above.

Provided further that if a candidate possessing Doctor's degree or equivalent published work is not available or is not considered suitable, a person possessing a consistent good academic record (due weightage being given to M. Phil. or equivalent degree or research work of quality) may be appointed on the condition that he will have to obtain a Doctor's degree or give evidence of published work of equivalent high standard within five years of his appointment, failing which he will not be able to earn future increments until he fulfils theses requirements.

2. इन वेतनमानों को लागू करने से और इसके पहले जो वेतमान थे वह निम्न प्रकार थे:—

	पहले के वेतनमान	नये वेतनमान
लेक्चरार रु.	400 से 950	700 से 1600
रीडर रु.	700 से 1600	1200 से 1900
प्रोफेसर रु.	1100 से 1600	1500 से 2500

3. इस प्रकार जो प्राध्यापक कार्यरत थे और जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यतायें नहीं थीं उन्हें पांच वर्ष में यह योग्यतायें प्राप्त करनी थीं और यदि वह ये योग्यतायें प्राप्त नहीं करते तब उन्हें पांच वर्ष बाद वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं होती। यह इसलिए आवश्यक था कि प्राध्यापक उच्च वेतनमानों की अपेक्षा के अनुसार आवश्यक योग्यतायें प्राप्त कर लेवें।

4. उदयपुर विश्वविद्यालय ने सभी अध्यापकों को 1.9.1981 तक वेतन वृद्धि दी थी क्योंकि उच्च वेतनमान का लाभ

Page No 56

(श्री चन्दनमल बैद)

1-9-76 से दिया गया था। आवश्यक योग्यतायें प्राप्त नहीं करने पर उदयपुर विश्वविद्यालय में केवल तीन अध्यापकों को वेतन वृद्धि नहीं दी गयी थी जिनके नाम इस प्रकार हैं :– 1. श्री आर. डी. उपाध्याय, 2. श्रीमती एम. जे. बी. रिजवी, 3. श्री आर. एल. जोधावत।

5. अब उदयपुर विश्वविद्यालय ने 10.2.1982 को निर्णय लिया है कि पांच वर्ष की अवधि इन आदेशों के प्रसारित होने की तारीख से ली जावे यानी 24.5.1977 से गिनी जावें। इसके सन्दर्भ में इन तीनों प्राध्यापकों को फिलहाल वेतन वृद्धि देने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

श्री सी-पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो मोटे मुद्दे हैं। जो शिक्षा मंत्री जी ने क्वालिफिकेशन पढ़ी. उस क्वालिफिकेशन में लिखा है for recruitment इसलिए यह क्वालिफिकेशन, जो एम्प्लायड टीचर हैं, उन पर लागू नहीं होगी। यह आपने क्वलिफिकेशन पढ़ी है उसमें भी यह वर्ड लिखा है इसलिये It is for further recruitment. जो नये टीचर रिक्रूट किये जायेंगे उनके ऊपर जो क्वालिफिकेशन आपने पढ़ी, वह लागू होगी। मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग पहले से कार्यरत थे, हैं, जिनकी 450-950 की ग्रेड थी, उन्होंने जो क्वालिफिकेशन पजेज़ कर रखी थी, उन लोगों पर यह क्वालिफिकेशन लागू नहीं होंगे, यह डायरेक्टिव्स यू. जी. सी. के हैं हिन्दुस्तान की सभी यूनिवर्सिटीज में लागू होंगे। केवल मात्र उदयपुर विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट उसमें इम्प्लीमेण्ट करना चाहते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, यह जो उन्होंने पढ़ा है, क्या यह सच नहीं है कि रिक्रूटमेन्ट के लिए यह क्वालिफिकेशन लागू होगी ? मेरा प्रश्न यह है कि जब आपने 1-9-1976 को यू. जी. सी. ग्रेड दी, उस ग्रेड में पूर्व कार्यरत प्राध्यापकों के लिए क्या यह शर्तें लागू हैं या नहीं ? इसका आपने जवाब नहीं दिया। पहले मुझे यह बतायें कि जब यू. जी. सी. ने यह ग्रेड दी उस समय क्या यह लिखा हुआ था कि जो पहले कार्यरत प्राध्यापक हैं उन पर यह क्वालिफिकेशन लागू होगी या नहीं ? आपने यह जो पढ़ा है, फरदर रिक्रूटमेण्ट का, इसमें मैं एग्री करता हूं। यह वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है। पहले आप स्पष्ट करें कि क्या हिन्दुस्तान के किसी विश्वविद्यालय के अन्दर जो यू. जी. सी. पे स्केल लागू होने से पहले प्राध्यापक कार्य कर रहे थे, उनका इन्क्रीमेण्ट रोका है या नहीं रोका ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, आपने दो प्रश्न उठाये हैं। एक तो यह है कि जो फ्यूचर रिक्रूटमेण्ट होते हैं उन पर यह लागू होना चाहिए। भारत सरकार का पत्र मैंने देखा है उस पत्र के अनुसार जो हमने पत्र तीनों यूनिवर्सिटीज़ को लिखे हैं उसमें भी हमने यह लिखा है कि existing Lecturers in colleges shall not possess the qualification.

यह हमने लिखा है उसमें""

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, मंत्री जी को कहने दीजिए।

श्री सी. पी. जोशी : रेलेवेंट डाकूमेंट पर यूनिवर्सिटी ""

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य । मंत्री जी को कहने दीजिए ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इस वास्ते तीनों यूनिवर्सिटीज को पत्र लिख दिये थे और डायरेक्टर ऑफ कॉलेज एजूकेशन को भी लिख दिया था । उदयपुर विश्वविद्यालय से अभी दो तीन दिन पहले सूचना आयी, उसमें उन्होंने तीन अध्यापकों के नाम बताये जिनकी कि उन्होंने वेतन वृद्धि रोकी । माननीय सदस्य का यह कहना है कि सैंकड़ों अध्यापकों की वेतन वृद्धि रोकी गयी है यूनिवर्सिटी से जो मुझे समाचार मिला है, सूचना उन्होंने दी है, फोन पर भी और लिखित में भी उसके अन्दर केवल तीन अध्यापकों के नाम हैं जिनकी वेतन वृद्धि रोकी गयी है । अध्यक्ष महोदय, अब उसमें उन्होंने एक चीज यह ले ली है कि हमारा आदेश तो सितम्बर, 76 का था लेकिन उन्होंने 77, मई में किया, इस वास्ते टर्म 77 मई से चालू करना चाहते हैं । मैं उनके इस डिस्क्रिशन पर कोई बहुत बड़ा आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आदेश तो हमारा सितम्बर को ही हो गया था लेकिन वे कहते हैं कि हम इसको लागू करना चाहते हैं, जब से हमने इसको दिया, जिस दिन से हमने इसको लागू किया । इस छोटे से मैटर में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा । उन्होंने इसको लागू कर दिया है, लेकिन 5 साल का जो नियम है, मेरा ऐसा मानना है कि वह नियम तीनों यूनिवर्सिटीज में लागू होना चाहिए । दूसरी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, क्या नहीं किया, अगर आप पहले सूचना दे देते तो मैं पत्र लिखकर पूछता । दूसरी यूनिवर्सिटी से पत्र लिखकर अब भी पूछूंगा कि उन्होंने इस मामले में क्या कार्यवाही की है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री सी. पी. जोशी : जो अध्यापक 1.9.76 से विश्वविद्यालय में कार्यरत थे उन अध्यापकों के ग्रेड के लिये राजस्थान सरकार ने किसी भी विश्वविद्यालय को नहीं लिखा है । माननीय शिक्षा मन्त्री को ज्ञात होगा, मैं सोचता हूं कि विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को यू. जी. सी. ग्रेड पहले दी गई और कालेज के प्राध्यापकों को बाद में दी गई । 1.9.76 को तीनों विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक जो कार्यरत थे उनको यू. जी. सी. ग्रेड देने के लिये राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, यह विषय ही नहीं चला ।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : 29-9.77 को राजस्थान सरकार ने वाइस चान्सलर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, वाइस चान्सलर यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर, वाइस चान्सलर, यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर, प्रिंसिपल, मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज चारों को एक पत्र लिखा है....

श्री अध्यक्ष : आप इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं तो फिर 5 साल की अवधि है, यह किसके लिये है ? रिक्रूटमेन्ट होता है तो यह पांच साल की अवधि रिक्रूटमेंट होने के बाद की है ? पांच साल की अवधि किसके लिये है ?

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यह है कि जो अध्यापक पहले से परमानेन्ट थे, उनकी सेवा शर्तों को बाद में कैसे बदलेंगे । जो अध्यापक 400-950 की ग्रेड पा रहे थे उनके सेवा नियमों को बद-

(श्री सी. पी. जोशी)

लना क्या विश्वविद्यालय के अधिकार में है? उनको इस ग्रेड का आप्शन दिया गया था, आप यह ग्रेड लेना चाहते हैं या नहीं, उस समय किसी अध्यापक ने यह नहीं कहा ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर,आर्डर, माननीय सदस्य

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह रेलेवेन्ट है, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से उठावें। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : सैकड़ों अध्यापक इससे अफेक्टेड हैं। यह बाद में जो ग्रेड दी है, 77 की यह आपकी कौन सी ग्रेड है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, फिर तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का कोई मतलब ही नहीं है. मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा यह पांच साल की शर्त जो आप दे रहे हैं, यह क्या परमानेन्ट लोगों के लिए है, या टेम्प्रेरी लोगों के लिए है या एडहाक अपाइन्टीज के लिए है? यह कृपया बताने की कृपा करें।

श्री चन्दनमल बैद : यह सबके लिये है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं. माननीय मन्त्री महोदय, उसको दुबारा देखें। यह सम्भव नहीं है। तीन तीन साल से जो प्रोफेसर हैं उनका इन्क्रीमेन्ट आप नहीं रोक सकते। किसी कीमत पर नहीं रोक सकते। नियमों को ठीक रूप से देखने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री चन्दनमल बैद : जो कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जब आदेश देखा था उसको काफी दिन बीत गये। आपकी याददाश्त कमजोर है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है, आप जानकारी कर लें।

श्री अध्यक्ष : श्री जोशी।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि यू. जी. सी. के डाइरेक्टिव्ज हिन्दुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में लागू होते हैं, जैसे आप इन्टरप्रेट

(श्री सी. पी. जोशी)

कर रहे हैं तब तो इम्प्लीमेन्ट करें अन्यथा इम्प्लीमेन्ट नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा है कि दो-तीन बची हुई है, मैं लागू करवा दूंगा।

श्री सी. पी. जोशी : आपके फाइनेन्शियल डिसिप्लीन से सम्बन्ध नहीं है, रूल्स के इण्टरप्रिटेशन का सवाल है। जो यू. जी. सी. की मन्शा थी वह हिन्दुस्तान के सब विश्वविद्यालय में मन्शा लागू हुई, परमानेन्ट लोगों की सेवा शर्तों को इस तरह इन्टरप्रेट कर नये तरीके से आप नहीं कर सकते कि नई ग्रेड लेने से पहले पी. एच. डी. करना पड़ेगा। इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा शिक्षा मन्त्री महोदय आश्वासन दें यदि हिन्दुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में लागू है तो आप राजस्थान में लागू करिये अन्यथा राजस्थान के शिक्षकों को वेतनमान मिलने वाला है उससे आपके रूल्स रेगूलेशन्स के कारण कोई फायदा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, 30-32 साल से लोग बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है उनकी सेवा शर्तों में आपकी क्वालिफिकेशन लागू करने से....

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य दे रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : पी. एच. डी. करने से उसका कोई एकेडेमिक इम्प्रूवमेन्ट होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री जी, यदि कुछ कहना चाहें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, दूसरे विश्व विद्यालयों में क्या स्थिति है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं जरूर दूसरे विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त करूंगा। इतनी जल्दी यह सवाल आया, मुझे तो आज सुबह ही मालूम पड़ा, इस वास्ते यह भी मालूम नहीं कर सका कि हमारे विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति है। मैं जानकारी प्राप्त करूंगा और जो भारत सरकार ने यू. जी. सी. के पे स्केल लागू करने से पहले जो कण्डीशन्स लगाई हैं उनमें एक कण्डीशन यह भी है। मैं समझता हूं, शर्त भारत सरकार ने लगाई है इसलिये उसका पालन करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : भारत सरकार ने रिलेक्स कर दी है कण्डीशन। यह भी जानकारी कर लीजिये, माननीय मन्त्री महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : इस कण्डीशन को रिलेक्स नहीं किया, आपने भी नहीं किया।

शासकीय वक्तव्य

गेहूं व जौ की फसलों में रोली का प्रकोप

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। कृषि मन्त्री जी वक्तव्य देने वाले थे वह वक्तव्य 11 तारीख को दिलाया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 11 तारीख को ?

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही कर रहे हैं, हमने

(श्री अध्यक्ष)

तो जो तारीख रखी थी, कुछ कारण ऐसे बन गये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो कार्यवाही की चर्चा आप कर रहे हैं। एक मिनट, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि रोली का विषय ऐसा है प्रतिदिन उसका प्रभाव होने से बहुत तकलीफ पैदा हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसके प्रभाव को जानता हूं इसीलिए तुरन्त रखा था, आज ही के दिन कुछ कारण बन गये लेकिन कार्यवाही के अन्दर कोई फर्क नहीं आयेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आपको बताऊं मेरी जानकारी है राज्य सरकार इस क्षेत्र की जानकारी नहीं ले पा रही है। वह ठीक तरह से प्रयत्न करके सल्फर छिड़कने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है शायद इससे इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप राजकीय स्तर पर इनको आगाह करें, मुख्य मन्त्री जी से कहें। केवल इससे काम नहीं चलेगा कि कार्यवाही अपने आप कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह चिन्ता का विषय है, प्रदेश में फसल की इससे काफी हानि हो सकती थी इसलिए मैंने इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देकर रखवाया। 11 को रखवाया जायेगा। इस दरमियान के अन्दर जितने भी सरकार की ओर से कार्य किये जा रहे हैं उन कार्यों में और उपाय करने हैं अन्य कोई, उनमें ढील नहीं होगी। माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, बीस दिन पहले कलेक्टर को डी. ओ. को पत्र लिख दिये गये, कार्यवाही कुछ नहीं हो रही है और सरकार बचना चाह रही है। सरकार ने जो अनुत्तरदायीपूर्ण कार्यवाही की है, उससे बचने के लिए आज ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। आपके दिल में भी काश्तकारों के प्रति दर्द है और....

(व्यवधान)

यह टालने वाली बात है।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार क्या कर रही है? मन्त्री महोदय नहीं हैं तो दूसरे मन्त्री महोदय हैं। किसानों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं?

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर,

सरका[र की का]र्यवाही में कोई ढील नहीं आयेगी, 11 [तार]ीख को वक्तव्य दिलाया जायेगा सम[्पूर्ण] रूप से, कोई पक्ष नहीं छोड़ा जायेगा।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष).

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

श्री बंसीलाल पटवा : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तत्काल जानकारी देने में तो मैं असमर्थ हूं। चेम्बर में....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुझे बड़ा दर्द है। वित्त मन्त्री जी उत्तर नहीं देते। तकलीफ क्या हो रही है? किसानों को बड़ी तकलीफ है, सरकार क्यों नहीं उत्तर देती?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : महत्वपूर्ण प्रश्न है पर मन्त्री महोदय उपस्थित नहीं हैं, आपने महत्वपूर्ण समझा, मन्त्री महोदय ने नहीं समझा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, कार्यवाही करने के कुछ कारण बन जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर : स्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर : स्थापित करता हूं।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी। राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर : स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर : स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर : स्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : मैं राजस्थान

(श्री चन्दनमल बैद)

विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर : स्थापित करता हूं।

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी, राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक. 1982 को पुर : स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : मैं राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर : स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर : स्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : मैं राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर : स्थापित करता हूं।

आय व्ययक पर वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह। केवल सात मिनट बचे हैं आपके लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, जो ××× चन्दनमल बैद जी ने बजट प्रस्तुत किया है . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। माननीय सदस्य, मंत्री जी को कृपया अलंकृत या विभूषित नहीं कर सकते।

श्री परसराम मदेरणा : यह×××सदन के बाहर हैं। इसका अर्थ तो यह निकलता है यह असम्मानजनक नहीं है यह असंसदीय शब्द है।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं वापस लेता हूं। सेठिया बजट तो नहीं, पूंजवादी बजट इसे मैं कह दूं। अध्यक्ष महोदय, एक दृष्टि से अगर आप देखें तो वास्तव में इसको बजट नहीं कहा जा सकता। विभिन्न विभागों के खर्चे की मांग इसको कहा जा सकता है। सरकार आगामी वर्ष में विकास की क्या-क्या योजनायें दृष्टिगत रखती है, किस तरह से विकास करना चाहती है, इसका बजट में वर्णन नहीं है। वित्त मंत्री जी के इस बजट भाषण को शुरू से पढ़ने के बाद आप अन्तिम पृष्ठ पढ़ें तो सरकार की क्या मंशा है, क्या करने जा रही है, यह दृष्टिगत नहीं होता है। कुछ ऐसी योजनाओं, जिनके द्वारा राजस्थान के विकास में गति आयेगी, का उल्लेख इसमें नहीं है। योजना आयोग से परामर्श करने के बाद इसकी मंजूरी के बाद राजस्थान नहर, माही योजना, कोटा थर्मल पावर, स्टेट प्लान पलाना लिग्नाइट पर आधारित विद्युत योजना, पंचायत समिति और नगरपालिका के लिये संसाधन, शिक्षा क्षेत्र में नये विद्यालय, पोलीटेक्निक और ग्रामीण जलप्रदाय योजना, विद्युतीकरण इस

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री यदुनाथ सिंह)

प्रकार की योजनाओं की क्रियान्विति शुरू होगी। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन सी ऐसी योजनायें बची हैं जिनके द्वारा सरकार विकास करना चाहती है। जब इनके बारे में अभी तक प्लानिंग कमीशन से वित्त मंत्री जी ने इजाजत नहीं ली है तो यह विकास की गति अवरुद्ध करने वाला बजट मैं मानता हूं, यह राजस्थान को पीछे की ओर ले जाता है और इससे राजस्थान के हित पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं, योजनाबद्ध तरीके से विकास करने का तरीका होता है ऐसा दुनिया के, हिन्दुस्तान के किसी कोने में, आज के विकासशील समय में, नहीं हुआ कि पिछले वर्ष की योजना में आने वाले समय में कोई कटौती की गई हो।

(1:25 म. प्र.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो जनता पार्टी के समय में 540 करोड़ रुपये की मूल योजना थी उसको अगर ध्यान में रखा जाय तो पिछले वर्ष पहाड़िया सरकार ने योजना बनाई थी उस योजना में भी कटौती कर दी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष पहाड़िया सरकार के समय में जो योजना 17 करोड़ रुपये के प्लान एडवांस को छोड़कर 360·05 करोड़ रुपये की थी उस प्लान एडवांस को आप उसमें से निकालते हैं तो 17 करोड़ की जो 343 करोड़ 5 लाख रुपये की योजना बनी थी वह इस वर्ष 10 करोड़ 22 लाख रुपये के प्लान एडवांस को जोडकर योजना 359 करोड़ 72 लाख रुपये तक होती है, उसको घटाकर 343 करोड़ की योजना बनती है आप देखें कि सीधे तीन करोड़ पांच लाख रुपये की योजना की कटौती की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, शुरू के पृष्ठ से आप शुरू करें और जो पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियां हैं और इस साल की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व एक्सपेंडिचर हैं, उसको ध्यान में रखें तो किसी तरह का विकास हमारे राजस्थान में होने वाला नहीं है। इसका इशारा बजट में मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, 80–81 में रेवेन्यू रिसीट 552 करोड़ 85 लाख रुपये की थी, वह 81–82 में 424 करोड़ 57 लाख रुपये हुई। इसका मतलब प्राप्तियों में दोनों वर्षों के अन्दर 72 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। 72 करोड़ की वृद्धि को देखें तो 9 प्रतिशत के करीब वृद्धि हुई लेकिन 1981–82 में 624 करोड़ 57 लाख और 1982–83 में जो 870 करोड़ का अनुमान है। उससे अगर आप देखें तो 3 करोड़ रुपये की वृद्धि होती है जो साढ़े पाँच प्रतिशत बैठती है। जो राजस्व प्राप्तियों की गति है वह गति पिछले वर्ष के अनुपात में इस वर्ष गिरने वाली है। इससे राजस्व प्राप्तियों में घाटा होने वाला है। इससे जो हमें प्राप्तियां होने वाली थीं उसकी गति हमारी धीरे-धीरे अवरुद्ध हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जो रेवेन्यू रिसीट खर्च करने की बात है वह खर्चा 1981-82 में जहां डवलपमेन्ट का 69 प्रतिशत था और नान डवलपमेंट 31 प्रतिशत था इतना, उपाध्यक्ष महोदय, कभी नहीं हुआ होगा। इस साल वह डवलपमेंट खर्च 57 प्रतिशत कर दिया गया है और नान डवलपमेंट खर्च बढा दिया गया है। आप बात करते हैं कि हम खर्चे में कमी करेंगे लेकिन एक तरफ नान डवलपमेंट खर्च आप बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ डवलपमेंट खर्च में कमी कर रहे हैं। तो आप किस तरह से

(श्री यदुनाथ सिंह)

कहते हैं कि हमारा बजट विकास की ओर अग्रसर होने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, आज तो अतिरिक्त संसाधनों की जो सरकार ने शेखी बघारी है हमारी छठी पंचवर्षीय योजना है वह ...

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया।

श्री यदुनाथ सिंह : दो मिनट भी नहीं हुए। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ।

इस गति से हमारे राज्य का संसाधन जुटाने का ट्रेंड रहा तो जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसमें भी बहुत बड़ी कटौती होने वाली है जिसका माननीय वित्त मंत्री जी ने इशारा अपने बजट भाषण में दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, 570 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाने का छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, लेकिन सरकार मानती है कि हम इसमें सक्षम नहीं हो पायेंगे। हम 473 करोड़ के ही संसाधन जुटाने में सफल होंगे। इस बात को भी सत्य माना जाय, अगर सरकार की नीयत साफ हो। जो ट्रेंड रहा है वह है पिछले वर्ष 17.09 करोड़ और इस वर्ष 55.76 करोड़। 72 करोड़ 85 लाख रुपये के हम पिछले दो वर्ष में अतिरिक्त संसाधन जुटा पाये हैं तो बाकी जो संसाधन हैं उस तक तीन साल में कैसे पहुंचने वाले हैं? इसलिये छठी पंचवर्षीय योजना में सीधे तौर पर कटौती होने वाली है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट किसी भी तरह से राज्य को आगे ले जाने वाला नहीं है। ओवर ड्राफ्ट, उपाध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है और हर साल राजस्थान सरकार को रिजर्व बैंक की डांट का सामना करना पड़ता है। अगर ओवर ड्राफ्ट किसी विकास की वजह से बढ़े तो कोई बात नहीं यह किसी भी विकासशील देश में और औद्योगिक देश में संभव है, लेकिन जो ओवर ड्राफ्ट बढ़ा उसके वित्त मंत्री ने जो कारण बताये हैं उनमें एक सिर्फ 12 करोड़ रुपये योजना व्यय है बाकी सारा कोई विकास पर खर्चा किया हुआ नहीं है। इसलिये जो ओवर ड्राफ्ट बढ़ रहा है, ओवर ड्राफ्ट खाली ऐशो आराम अय्याशी के कारण बढ़ा है। ओवर ड्राफ्ट बढ़ने में पूंजी से अगर विकास कार्य होते तो माना जा सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी 340,01 करोड़ का जो पिछले साल का घाटा इस साल के अंत रहने वाला है उस बात को आसानी से पी गये हैं। न तो केन्द्रीय सरकार ने राइट ऑफ किया है न केन्द्रीय सरकार ने अब तक लांग टर्म लोन या शार्ट टर्म लोन में किसी तरह परिवर्तित किया है। उसको ओपनिंग खाते में अगर दिखाया जाय तो ओपनिंग खाते में दिखाने में जो शेखी बघार रहे हैं कि एक प्रॉफिट के बजट में परिवर्तित करने वाले हैं, वह घाटा 314 करोड़ का सीधा सादा घाटा नजर आता है। जिस प्रकार का घाटा बढ़ने का पिछले दिनों ट्रेंड रहा है उसको अगर देखें तो कोई शक नहीं कि, उपाध्यक्ष महोदय, एक हजार करोड़ रुपये तक घाटा इस वर्ष के अंत तक जाने वाला है। जब एक हजार करोड़ तक घाटा पहुंचेगा, आशा करिये किस तरह से राज्य का विकास कर पायेंगे?

यहां पर कीमतघटाने की और पैदावार बढ़ाने की मंत्री महोदय ने शेखी बघारी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस राज में पैदावार हो रही है जो नेट अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके ट्रेंड से राज्य के विकास का अनुमान लगाया जा सकता हैं राज्य में उत्पादन

(श्री यदुनाथ सिंह)

की गति घट रही है। जो उत्पादन 1977-78 में था 1,85,681 रुपया वह घटकर इस साल 10 करोड़ के करीब है। पिछले साल का उत्पादन है उसमें सीधी घटोतरी हुई है। हमारे देश में या राज्य में जिस वर्ष मानसून अच्छा होता है उस वर्ष राष्ट्रीय उत्पादन या राज्य का उत्पादन बढ़ता है। इसलिये सरकार की ओर से उत्पादन बढ़ाने के संसाधन जुटाये गये, जो पूंजी का विनियोजन किया गया वह खाली ऐशो आराम पर खर्च किया गया, अय्याशी पर किया गया फालतू सरकारी खर्चा किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वजह कि जिस वर्ष मानसून अच्छा होता है उस समय राष्ट्रीय और राज्य का उत्पादन बढ़ता है, जिस समय भगवान रूठ जाता है उस समय हमारा उत्पादन घटता है? भगवान रूठने के साथ साथ सरकार भी आम जनता के साथ रूठी नजर आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट इनकम....

श्री चन्दनमल बैद : स्टेट इनकम तो बढ़ी है।

श्री यदुनाथ सिंह : इस किताब में स्टेट इनकम का पेज खोलकर देखें आप, पिछले साल से इस साल बढ़ी बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो थी उसके हिसाब से नहीं बढ़ी। आप क्षतिपूर्ति नहीं कर पाये। आप शेखी बघारते हैं जब से इन्दिरा गांधी आई है तब से यहां पर उत्पादन घट रहा है, लगातार घटा है और उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हुई है। पिछले साल जब आप सरकार में आये उससे पहले साल जरूर घटोतरी हुई, उसको आप पूरा नहीं कर पाये पिछले साल की तुलना में। जैसे आपने लिखा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है लेकिन उससे पिछले साल आय थी उससे तो इस साल कम रही है। उससे पिछले साल 623 थी, 524 पिछले साल हुई और बढ़ी हुई बताई है। 1978-79 में अकाल नहीं था। अकाल क्यों पड़ रहा है? मैं सिंचाई मंत्री के सामने बोल रहा हूं। राज्य में अकाल ...

श्री परसराम मदेरणा : जी. एन. पी. भी घटेगी और पर कैपिटा इनकम भी घटेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : निश्चित घटेगी। अकाल राज्य की विडम्बना है और देश की विडम्बना है। एक तरफ यहां पर बाढ़ से अनाप ? शनाप करोड़ों रूपये की पूंजी नष्ट होती है, जन धन की हानि होती है, दूसरी तरफ यह अकाल की विभीषिका लगातार बनी हुई है। 400 मिलियन हैक्टेयर पानी हमारे यहां देश की नदियों में मौजूद है और 110 मिलियन हैक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पर सिंचाई हो सकती है। देश में अगर उस पानी को चैनेलाइज किया होता तो अब एक यूनिट बिजली की और एक ट्यूब वैल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहां पर खर्च इस तरह से नहीं किया गया है। यहां पर इरिगेशन पर खर्च नहीं किया गया है, यहां पर खेती को बढ़ाने पर खर्च नहीं किया गया। औद्योगीकरण की पश्चिमी देशों की सभ्यता थी, दूसरे देशों के लिये औद्योगिक नीति अपनाना अच्छा हो सकता था लेकिन जिस देश में 80 पर्सेन्ट आदमी खेती पर निर्भर हों जब तक खेती की आप पूंजी नहीं बढ़ायेंगे, खेती की पैदावार नहीं बढ़ायेंगे खेती में लगे हुए आदमी होते हैं वह तब तक

(श्री यदुनाथ सिंह)

फालतू चले जा रहे हैं आप इस साल के सेन्सनस को देखेंगे तो देखेंगे कि खेती पर जितने कल्टीवेटर्स की संख्या में कमी हो रही है, इसका मतलब लोग जमीन बेचने पर मजबूर हो रहे हैं, अपनी जमीन बेच रहे हैं। दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल लेबर बढ़ती जा रही है ...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : 15 मिनट हो गये ।

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं सुनना चाहते हैं। अभी तो मैंने बात शुरू की है सिचाई की ।

राजस्थान कैनाल । उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब की हमारे सामने नजीर मौजूद है। पंजाब की सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम है । वहां पर सारे बजट का 85 प्रतिशत पैसा इनीशियल स्टेज में वापस सिंचाई पर लगाया गया । उसकी रेट प्रति हैक्टेयर प्रोडक्शन देश में सबसे ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है । वहां पर हर 11वां आदमी उद्योग में लगा हुआ है, कोई कुटीर उद्योग में है । हर बसवां आदमी विदेश में जाता है । इस तरह से राज्य का विकास हो रहा है । वहां पर इण्डस्ट्री का विकास हुआ है । अगर आप खेती का विकास नहीं करेंगे तो इस देश में उद्योगों का विकास नहीं हो सकता । आप औद्योगिक विकास कर सकते हैं, लेकिन खेती का विकास नहीं कर सकते । यहाँ खेती का विकास नहीं हुआ, औद्योगिक विकास हुआ....

श्री परसराम मदेरणा : पंजाब 5 नदियों के निकलने वाला प्रांत है इसलिये इसका नाम पंजाब है । नदियां जहां पर हैं, निश्चित तौर से वहां सिचाई होगी । बड़े बांध बन रहे हैं। आज ही नहीं, ब्रिटिश काल में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा कहीं सिंचित रकबा था तो वह पंजाब में था ।

श्री यदुनाथ सिंह : पता नहीं पंजाब इस देश का भाग भी है या नहीं। मंत्री महोदय के कहने से ऐसा लगता है कि जैसे पंजाब देश का भाग नहीं है। यह एक देश है उसके बाद राज्य है। संघीय ढांचा शासन व्यवस्था का, विकेन्द्रीकरण करके बनाया गया था बाकी राष्ट्र एक है। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा, राष्ट्र एक है, लेकिन ऐसा लगता है मंत्री महोदय जैसे दूसरे राज्य की कल्पना कर रहे हैं। पंजाब से यहां पानी आ सकता है, मध्य प्रदेश से पानी आ सकता है, गुजरात से पानी लाया जा सकता है। राजस्थान में अगर सिंचित भूमि कर दी जाय तो यह राजस्थान देश के समूचे भाग को अन्न खिला सकता है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, खिलायेगें कैसे ? यह देश की विडम्बना है जो जितना उत्पादन करता है उतना ही उसको हीन भावना से देखा जाता है। पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने एक पत्ता नहीं उगाया है वे देश में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, उसके कारण दूसरे हैं। इसका कारण है हम तो आजाद हुये किन्तु वास्तव में आजाद नहीं हुये। आजादी के बाद सिर्फ गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज बैठ गये बाकी वही व्यवस्था मौजूद है। हमारी 1977-78 को छोड़कर 2.5 मिलियन हैक्टेयर जमीन में सिंचाई हुई थी। सिर्फ 1977-78 ऐसा वर्ष था जिसमें सिंचाई के साधन जुटाये गये। उसके अलावा जो अंग्रेजों के जमाने में सिंचाई के साधन थे उन साधनों

(श्री यदुनाथ सिंह)

से 7 पर्सेन्ट सिंचाई हम बढ़ा पाये। इसलिये सिंचाई नहीं बढ़ा पाये। खेती में पैदा करने के लिये सिंचाई सबसे पहला आधार है। सिर्फ पानी खेती को दें और खाद को हटा दें तो भी 36 गुना खेती की पैदावार बढ़ती है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, आप समय नहीं दे रहे हैं।

अभी 4 तारीख को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एलान किया है, जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास का सवाल है। पिछली 4 तारीख को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लोक सभा में एलान किया है कि वह जातिगत आधार पर आरक्षण को खतम करने का विचार रखती हैं।

एक माननीय सदस्य : गलत इण्टर-प्रिटेशन किया है।

श्री यदुनाथ सिंह : श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है कि आरक्षण खतम कर देंगे। यह निश्चित तौर से होने वाला है। इसलिये ही मंडल आयोग की रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही है। आप इन्दिरा गांधी के कहने के अनुसार नहीं करेंगे तो आपको कुर्सी पर नहीं रहने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई अथारिटी हैं क्या?

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : अखबारों की बात भी ठीक से नहीं पढ़ते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य की भौतिक तीन आवश्यकतायें होती हैं। उसके लिये मनुष्य किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता है। सबसे पहली हवा, फिर होता है पानी और फिर होता है भोजन। उपाध्यक्ष महोदय, हवा तो भगवान ने अपनी तरफ से पूरी दे रखी है, बाकी जो दो भौतिक आवश्यकतायें हैं उनके स्रोत तो प्रकृति ने दे रखे हैं पूरी तरह से, लेकिन उन साधनों को जुटाने में भी पिछले तीस सालों, जब से देश आजाद हुआ है, से हमारी सरकार अक्षम रही है। पीने का पानी....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : पीने का पानी राज्य में नहीं है, यहां पर खाने के लिये जनता के वास्ते भोजन नहीं है। आज लोग भूखे मर रहे हैं। आज हमारे देश की 65 प्रतिशत जनता बिलो पावर्टी लाइन है। इससे, उपाध्यक्ष महोदय, यह साफ जाहिर होता है कि हमारी जो नीतियां आज तक रहीं उनमें भयंकर रूप से कमी है? कमी का कारण क्या है? वह है हमारी व्यवस्था। हमारे यहां पर पब्लिक स्कूल कल्चर है जो कि हमारे ऊपर राज कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, वह हमारे और आपके बीच में तो नहीं आते हैं लेकिन वह हमारे यहां की नीतियां बनाते हैं, मन्त्री महोदय तो सिर्फ सिर हिला देते हैं और जो कुछ वह लिख कर देते हैं उसको पढ़ कर सदन में सुना देते हैं। वह नीतियां बना देते हैं। उस प्रकार से जो हमारे यहां व्यवस्था है उसको देखना होगा हमें उसकी जड़ में जाना होगा। हमारे देश के अन्दर जो शिक्षा है,

(श्री यदुनाथ सिंह)

शिक्षा की नीति है उससे हमारे देश में एक वर्ग विशेष पैदा हो रहा है। वह वर्ग अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। उसकी जड़ों की मजबूती की पकड़ हो रही है। वह वर्ग ही अपनी अय्याशी और अपने भोग विलास के साधन जुटाने के लिये हर तरह का काम करने को तैयार है। उपाध्यक्ष महोदय, आज दस करोड़ रुपये की कटौती की बात वित्त मंत्री महोदय ने की है।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। बहुत समय हो गया है।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की यह हालत हमारे यहां हो रही है कि बिजली की दर बढ़ायी गयी है और बिजली में काफी गड़बड़ी हो रही है इससे किसान मर रहा है, मुझे आप किसान का रोना तो रोने दीजिये। आज खेती में किसान को बिजली नहीं मिल पा रही है। शायद मन्त्री महोदय मेरी बात सुनकर बढ़ी हुई दर को समाप्त कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खेती के लिये जो बिजली की मात्रा रखी थी वह मात्रा पूरी नहीं मिल रही है। जो उपलब्धि होनी चाहिये उसकी व्यवस्था तो घटी है लेकिन मन्त्री महोदय उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, वह उसकी कीमत दुगनी करना चाहते हैं। वह यहां पर टेरिफ से घटाने की बात नहीं कहते। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सन् 71 से 78 के अन्दर हमारे यहां जो प्रोडक्शन था वह पांच प्रतिशत बढ़ोतरी पर रहा है। मैं समझता हूं कि इस बढ़ी हुई आय को, मन्त्री महोदय खेती से हुई आय को दूसरी ओर ले जाकर खर्च करना चाहते हैं। वह उसका फायदा किसानों को नहीं देना चाहते। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने कितनी बिजली में राहत दी और कितनी खाद में राहत दी? आप कीमत बढ़ाना चाहते हैं। आप उसके ऊपर सिंचाई और बिजली की दरें बढ़ाना चाहते हैं.......

(व्यवधान)

आप बात को टालना चाहते हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, किसान अपनी मेहनत से अपने पसीने तथा खून को जमीन में मिलाकर पैदावार करता है और उससे अपना पेट भरता है। उपाध्यक्ष महोदय, जो लोगों के पेट भरता है वह इस देश में भूखा है और जो कपड़ा बनाने वाला है वह नंगा है, यह आज हालत है। इस प्रकार की नीतियां एक वर्ग विशेष अपने लिये साधन जुटाने के लिये तैयार कर रहा है। मन्त्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने उस वर्ग पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? आपने लग्जरी आइटम पर टैक्स लगाया पर टेलीविजन और वीडियो पर टैक्स लगाने से आपको राजस्व की प्राप्तियां नहीं होंगी। आपने कारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? आपने सरकारी खर्च में कटौती क्यों नहीं की? आपने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि जो सैक्रेटेरियेट से जब सैक्रेटरी विधान सभा आवें तो बस में आवें। बड़े बड़े अधिकारी अपने घर पर टेलीफोन पर हलो करते हैं इसके लिये हजारों रुपया खर्चा होता है। उनके कुत्ते भी कारों में घूमते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में लोगों के कुत्ते घूमने के लिये कारों में जाते हैं। यह अंग्रेजों की संस्कृति है हमारे यहां की व्यवस्था नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रवृत्ति के लोग विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। एक तरफ कुत्ते के लिये घूमने को कार काम

(श्री यदुनाथ सिंह)

में लेवें, उनकी मेमों के लिये कार हवा खोरी के लिये चाहिये, पार्क में जावें और दूसरी तरफ देश के किसान और गांव के लोग भूखों मर रहे हैं। यहां पर चौराहों को सुन्दर बनाने के लिये करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस चीज को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। आंज हमारा देश करवट ले रहा है। अगर, उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की नीतियां रहीं और इनको नहीं हटाया गया तो . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि उस तरफ के लोगों ने किसानों के लिये इस बजट पर वाद विवाद के समय जो कहा उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। एक वर्ग ऐसा है जिसको यह लग रहा है कि जिस वर्ग का वे प्रतिनिधित्व करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं।

मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो किसान पर टैक्स लगाया है, जो किसान देश का पेट भरता है, देश का लालन पालन करता है और देश की पैदावार बढ़ाता है उसके साथ आप अन्याय कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अगर आप ज्यादा किसान को प्रोत्साहन देते तो आपके यहां पैदावार बढ़ती, उसको एक्सपोर्ट करके विदेशों से पैसा कमा सकते थे। नहीं तो आज जो स्थिति है वह यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमें विदेशों से खाद्यान्न मंगाना पड़ रहा है, यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है। हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए भी हमें दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष : महोदय, मैं एक सैकण्ड में समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां खेती की पैदावार बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य दिलाया जाय और जो ये पब्लिक स्कूल हैं उनको समाप्त किया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह सभी बन्द नहीं हुआ तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो गांवों के नौजवान हैं वह एक जिहाद छेड़ने वाले है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य। आप समाप्त कर रहे हैं कि आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन पब्लिक-स्कूलों को समाप्त किया जावे अगर नहीं हुए तो गांव के नौजवान इनको बेइज्जत करके समाप्त करेंगे। मेरा निवेदन है कि सरकार मौका रहते चेते। जो वर्ग पैदा हुआ है उसके लिये महात्मा गांधी ने कहा है कि यह कैसा समाजवाद है। आपका समाजवाद का मतलब है क्षमता पर आधारित समाज की रचना, लेकिन इस ओर आपने कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिये,

Page No 70

(70)

(श्री यदुनाथ सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि इन हालत में आपको समाजवादी कहलाने का कोई हक नहीं है। आपकी नीतियां पूंजी वादी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप समाप्त कर रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय सदस्य, श्री सी. पी. जोशी।

श्री यदुनाथ सिंह : अच्छा धन्यवाद।

श्री सी.पी.जोशी (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपनी बात कहने से पूर्व कि पिछले तीन दिन से जो बजट पर बहस चल रही है उसमें जो मुद्दे यहां पर चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने या विरोध में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उनमें एक बात कही है कि यह बजट किसान विरोधी बजट है इसमें बिजली की फ्लैट रेट दुगुनी कर दी है और साथ में सिंचाई की दरों में भी वृद्धि की गयी है इसलिये यह बजट किसान विरोधी बजट है। यह बजट विकास को अवरुद्ध करने वाला बजट है। श्रीमान्, अपनी बात प्रारम्भ करने से पूर्व मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान के सर्वे डिपार्टमेन्ट के डाटा के अनुसार हिन्दुस्तान में 185 लोग ऐसे हैं जिनके पास दो हजार हैक्टेयर जमीन हैं। 505 लाख खाते हैं उनमें भी 375 लाख खाते ऐसे हैं जिनके पास केवल एक हैक्टेयर भूमि है। जो लोग किसान विरोध की बात करते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे पास राजस्थान का भी डाटा है। आज राजस्थान में लगभग बीस प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर करते हैं उनके अन्दर वे लोग हैं जो सम्पन्न हैं। ज्यादा ऐसे लोगों की संख्या है। ऐसे लोगों की संख्या कम है जो सम्पन्न नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से जो लोग सन् 77 मे सत्ता में आये जिनमें पॉलिटिकल विल नहीं थी, हिन्दुस्तान का नक्शा या अपने प्रदेश के विकास का नक्शा जिनके पास नहीं था कि किस तरह का विकास का माप दण्ड वह चाहते हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को माना है कि बिजली की रेट बढ़ानी चाहिये। उन्होंने स्वयं इस बात को माना है कि सिंचाई की दरों में बढ़ोतरी होनी चाहिये. लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं होने के कारण सस्ती पापुलेरिटी लेने के लिये तत्कालीन वित्त मंत्रीजी ने बजट भाषण में प्रदर्शित करने के बाद उसको विथड्रा किया। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में यह रखा है कि निश्चित तौर पर यह बढ़ोतरी की है वह सही है। जो लोग आज किसान विरोध की बात करते हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है उसमें यह बताया गया है कि हिन्दुस्तान में 63 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मूल स्रोत कृषि है। उन लोगों में हर एक व्यक्ति के पास 25 लाख रुपये सालाना की आमदनी है। तीस साल में हमने एक वर्ग ऐसा पैदा किया है जिस में 65 लाख लोग ऐसे हैं। यह ऐसे लोग हैं जो कि सत्ता के नजदीक आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह प्रयास करते हैं कि हिन्दुस्तान में या अपने प्रदेशों में जो दूसरा वर्ग है वह आगे नहीं बढ़ सके। आखिर किसान विरोधी बात करते है, मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने प्रतिनिधि हैं, जो

(श्री सी.पी. जोशी)

किसान हैं, जो स्माल फार्मर्स में से आते हैं? ऐसे कितने प्रतिनिधि हैं जो मार्जिनल फार्मर्स में से आते हैं? जो लोग किसानों की बात करते हैं, वह इन स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स को इन्क्लूड करके यह बता रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मानता हूं कि जो विरोधी पक्ष के सदस्य हैं वह इसको अगर किसान विरोधी बजट कहते हैं तो उनको तो कहने का अधिकार है। उनका तो काम ही विरोध करना है, वह तो विरोध करेंगे। पर एक तरफ तो वह राहत की बात करते हैं दूसरी तरफ यह भी मांग करते हैं कि हमारे यहां पर स्कूल खोलिये और हमारे यहां पर डिस्पेन्सरीज खोलिये। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर 530 करोड़ रु. सिंचाई पर खर्च किया जाता है। यह 530 करोड़ रुपया एरिगेशन के विकास के लिये खर्च किया जाता है, लोगों को बिजली की कीमत 30 रुपया देनी पड़ती है लेकिन उस पर इन्वेस्टमेंन्ट वह 30 रुपया से कहीं ज्यादा है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने जो फ्लैट रेट तय की है उसको समाप्त किया जाय। आप मीटर लगाइये जिन आदमियों के पास होल्डिंग चार या पांच बीघा जमीन की है उनके ऊपर भी आपने 30 रुपया बिजली का लगा रखा है। इसमें से किसान भी हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन है, उनके ऊपर भी आपने फ्लैट रेट लगा रखी है। मैं चाहूंगा कि आप उन पर मीटर सिस्टम लगायें और जो गरीब काश्तकार हैं जिनके पास पांच या चार बीघा जमीन है एक तरफ तो वे काश्तकार उतनी बिजली काम में नहीं लेते हैं। जो बड़े काश्तकार हैं खास तौर पर उन पर आप फ्लैट रेट नहीं लगा कर उनसे मीटर के हिसाब से जो खर्च आवे वह वसूल किया जावे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उनके साथ न्याय करेंगे। आप फ्लैट रेट स्माल फार्मर पर और मार्जिनल फार्मर पर लगावे तो उनके साथ न्याय हो। उपाध्यक्ष महोदय, फ्लैट रेट नहीं होने से बिजली के कर्मचारी किसानों को परेशान करेंगे उसको भी दूर करने का एक तरीका है। आप साइन्टिफिक इस बात का बैलेन्स करवा लीजिए कि इतनी लैण्ड इरिगेट करने के लिए इतनी बिजली का कन्जम्प्शन होता है उसके हिसाब से फ्लैट रेट फिक्स कर लीजिए तब बिजली कर्मचारियों को किसानों को परेशान करने का अधिकार नहीं रहेगा।

इसी तरह से मैं चाहता हूं कि सिंचाई की दरें आपने निश्चित की है 25 पर्सेंट। इस सिंचाई की दर को भी रेशनल नहीं करना चाहिए आपको। जिस इलाके से मैं आता हूं आदिवासी इलाके से, उस इलाके के आदिवासी से भी यदि 25 गुणा आप नहरी क्षेत्र से लेना चाहें तो जयसमन्द के हमारे लोग आदिवासी लोग हैं उनकी नहरी क्षेत्र से खेती होती है. हमारे लसाड़ा साइड में डूंगरपुर साइड में जो बांध बने हैं ट्राइवल सब प्लान के अन्तर्गत उन आदिवासी भाइयों से 25 गुणा सिंचाई दर लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्माल फार्मर्स हैं उनके ऊपर तो यह बिलकुल माफ कीजिए और बिग फार्मर्स हैं उन पर 50 पर्सेन्ट कर दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आपको यह डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी, जो इस नहरी क्षेत्र से खेती करता है, छोटा किसान है और जो बड़ा किसान

(श्री सी. पी. जोशी)
हैं, जो बिग होल्डर्स हैं उनके उपर आप सिंचाई की दर बढ़ायें उसमें कोई सामाजिक अन्याय नहीं होगा। यदि हम यह सोचें कि वीकर सेक्शन का आदमी है वह सत्ता के इर्द गिर्द नहीं है इसलिए उसकी बात हम नहीं माने तो निश्चित तौर पर हम इस हिन्दुस्तान में समाजवादी समाज की कल्पना को साकार नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं, वित्त मंत्री जी, आपने साहसिक कदम उठाया है, उस साहसिक कदम को रेस्टोर करने की जरूरत है। बड़े किसान और छोटे किसान को एक साथ लेने की जो टेन्डेन्सी है उसको समाप्त करना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में चलने वाला आन्दोलन है वह भी छोटे किसानों का आन्दोलन नहीं है। इसलिए मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चहाता हूं कोटा सम्भाग से आने वाले विधायक यह बात कहें तो समझ में आती है। राजस्थान का इरिगेशन का बहुत मेजर पैसा कोटा सम्भाग के ऊपर खर्च किया गया है इसके राजनैतिक परिणाम क्या हैं? आज जो साथी मेरे यहां बैठे हुए हैं, बड़े किसानों की बात करते हैं उनका राजनैतिक दृष्टिकोण क्या है? मैं कहना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी में यह साहस है। निश्चित तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में यह साहस है जो पॉलिटिकल विल के साथ फेस कर रही है और पॉलिटिकल विल फेस करने के बाद जो बड़े किसान हैं, जो खेती नहीं करते हैं बल्कि खेती करवाते हैं लोगों से और फ्लैट रेट के नाम से बिजली दर कम करने के नाम से पैसा बचाकर हिन्दुस्तान की राजनीति को और देश की राजनीति को गुमराह करना चाहते हैं उनको रोकना पड़ेगा यह दुख है कि हिन्दुस्तान में 30 सालों में यदि राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द कोई आया है तो वह बड़ा किसान आया है। बड़े किसान, जिसको हिन्दुस्तान में कुलक वर्ग कहते हैं ने हिन्दुस्तान के बजट द्वारा, गरीब को ऊपर उठने नहीं दिया वह नहीं चाहता कि शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी आगे बढ़ें, वह नहीं चहाता कि गरीब किसान आगे बढ़ें। हर बार किसान के नाम के नारों को लेकर कुछ चन्द लोग, जिनको मैंने बताया कि 65 लाख हैं और जिनकी हर आदमी की इनकम 25 लाख है, खेती के नाम से, किसान के नाम से अपनी राजनैतिक धरोहर को बनाये रखना चाहते हैं। इस राजनैतिक धरोहर को फेस करने का किसी में यदि साहस है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में साहस है।

मैं यह भी मानता हूं कि आज स्थिति यह बनी हुई है कि हम बिजली नहीं दे दे पाते हैं इसलिए हो सकता है हमें बहुत बुरा महसूस हो, लेकिन विरोधी दल के नेता ने अपनी सस्ती लोकप्रियता के कारण यह बात मानते हुए भी कहा कि 50 पर्सेन्ट बिजली की रेट बढ़ाई जाय। उनको राज नहीं करना था. राज तो भूलचूक में आ गया था, सब के सब को प्लीज करना था इसलिए बिना सोचे विचारे जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान का बजट बनाया, जिस ढंग से हिन्दुस्तान का बजट बनाया, उस बजट के कारण ही आज हिन्दुस्तान को लोन लेना पड़ा। उस बजट के कारण ही राजस्थान की हालत यह हो गयी है। एक तरफ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर उस तरफ के जो गरीब आदिवासी लोग हैं उनकी माली हालत क्या है और दूसरी तरफ अलवर, जयपुर और झुंझुनु साइड में रहने वाले किसानों की हालत क्या है। उस हालत को बदलने के लिए निश्चित

(श्री सी. पी. जोशी)

तौर पर हमें पॉलिटिकल विल का साथ देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर राजनैतिक दृष्टि से जो यह कदम उठाया गया है उस कदम की मैं सराहना करता हूं। इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं....

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : जो आपने मुकाबला किया है वह ठीक नहीं है। गरीबी वहां भी उतनी ही है।

श्री सी. पी. जोशी : मैं इस बात को निश्चित तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हूं। मैं गैर-रेस्पान्सीबिलिटी से बात नहीं करता हूं।

श्री राजबहादुर : गरीबी वहां भी उतनी ही है किसानों में।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य भरतपुर से आने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज पर केपिटा इनकम जो फार्मर्स की भरतपुर में है पर केपिटा इनकम डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नहीं है। इतने साल तक राजनीति में रहने के बाद यदि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं तो हम सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते हैं। हमने कल्पना की थी हिन्दुस्तान में लोकतंत्र के माध्यम से समाजवादी समाज की रचना करेंगे। समाजवादी समाज में यह नहीं होता कि एक बाप की पूंजी का सारा पैसा बड़ा लड़का ले ले और कह दे कि मेरा बिजनेस जम गया और छोटे लड़के में पैसा डिवाइड नहीं करूंगा, यह नहीं चल सकता। यदि हमने बड़े लड़के की माली हालत सुधारी है तो उसके पैसे से हम छोटे लड़के की माली हालत सुधारने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह बजट इस बात का साक्षी रहेगा कि यदि बड़े किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ाकर, बिजली की दरें बढ़ाकर, छोटे किसान को आगे ले जाने की बात करते हैं तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस फ्लैट रेट को समाप्त करें और मीटर के हिसाब से चार्ज करें जिससे किसानों को मालूम हो कि छोटा किसान कौन है और बड़ा किसान कौन सा है।

मैं यह भी आपसे मांग करना चाहूंगा कि आप 25 पर्सेन्ट सिंचाई की दरें बढ़ा रहे हैं तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स पर निश्चित तौर से उसको माफ कीजिए। एक पर्सेन्ट भी मत रखिये उसके ऊपर और बिग फार्मर्स पर 30 पर्सेन्ट, 40 पर्सेन्ट करिये। इसको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। आज किसानों के नाम पर छोटे किसान और गरीब किसान का नाम लेकर जो राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं उसको वह समाप्त करने का आपको निर्णय लेना पड़ेगा।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मैं यह बात कहता हूं निश्चित तौर से हमारे पर ओवर ड्राफ्ट है, हमारी कमी है लेकिन किसी भी दल के नेता ने यह नहीं बताया कि हम किस तरह से बिना टैक्स लगाये अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। आज 3 करोड़ जनसंख्या में से यदि दो लाख किसानों के ऊपर टैक्स लगा है तो मैं एप्रीशियेट करूंगा। मैं भी कहूंगा कि 3 करोड़ जनसंख्या के ऊपर टैक्स लगे। एक सैक्शन के ऊपर टैक्स लगायें। हम

(श्री सी. पी. जोशी)

राजस्थान की माली हालत सुधारना चाहते हैं, निश्चित तौर से सुधारनी चाहिए। हमारे साथी चाहते हैं कि एक सैक्शन के ऊपर टैक्स नहीं लगायें और 3 करोड़ के ऊपर टैक्स लगायें तो निश्चित तौर पर वह अच्छा नहीं है। जो बजट रखा गया है वह अच्छा बजट है. जिनकी देने की क्षमता है, जो 30 साल में पूंजी किसान सत्ता के इर्द गिर्द ले आये हैं उनके ऊपर टैक्स निश्चित तौर पर लगाना चाहिए।

साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी ने यह नहीं कहा कि रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। यह वित्त मन्त्री जी का साहस है कि उन्होंने कहा कि हम 10 करोड़ रुपये जो हमारा एक्सपेण्डीचर है उसमें कमी करके वसूल करेंगे। निश्चित तौर पर करना चाहिए, फाइनेन्शियल डिसिप्लीन लागू करना चाहिए। मैं इस बात को जानता हूं कि जो हमारी कण्डीशन पैदा की गयी है उसके लिए जिम्मेदार हमारे विरोधी पक्ष में बैठे हुए लोग हैं। निश्चित तौर पर किसी न किसी फाइनेन्स मिनिस्टर को अनप्लेजेन्टनैस तो लेनी ही पड़ेगी। आप प्लेजेन्टनैस भी लेना चाहें और विकास भी करना चाहें यह दो चीजें सम्भव नहीं हो सकतीं। मैं चाहूंगा और मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यदि हमारी जो मिनरल रेवेन्यू है उसको हम सही ढंग से ट्रेस करें तो निश्चित तौर पर हम हमारी रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जितनी मिनरल वैल्थ है उस मिनरल वैल्थ के प्रति यदि साइन्टिफिक ढंग से अपना आउटलुक डवलप नहीं करेंगे तो जिस तरीके से तीस वर्षों में किसान वर्ग की लॉबी तैयार हो गयी है उसी तरह से आने वाले दस सालों में राजस्थान में मिनरल बेस वालों की एक लॉबी डवलप हो जायेगी। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मिनरल लॉबी, किसान लॉबी के नाम से डवलप नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि राजस्थान के मिनरल डिपार्टमेन्ट को यह मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में कहां कहां की -2 से मिनरल अवेलेबल हैं। आज हालत यह है कि जो माईनिंग करने वाले सेठ हैं उनको तो मालूम है कि राजस्थान में कौन कौन सा मिनरल मिलता है और डिपार्टमेन्ट को मालूम नहीं है। इसके साथ साथ मिनरल की जो रिकवरी है, रेवेन्यू है, रायल्टी है, डैड रेन्ट है उसकी जितनी बड़ी चोरी आज हो रही है उससे बहुत लोग-बाग पैसे वाले बनने वाले हैं। वह अप्लाई करते हैं कि हम यूज करेंगे माइनर मिनरल के लिए और यूज कर रहे हैं मेजर मिनरल के लिए। आपको बड़ी तैयारी के साथ यदि राजस्थान में बिना टैक्स लगाये रेवेन्यू बढ़ानी है तो बहुत बड़ा सोर्स है मिनरल रेवेन्यू का।

इसी तरह से राजस्थान का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग के पास लाखों करोड़ों की सम्पत्ति है। उस सम्पत्ति से हम रेवेन्यू राजस्थान के लिए वसूल कर सकते हैं। मैं चाहूंगा वित्त मन्त्री जी से कि देवस्थान विभाग से हम राजस्थान की बहुत बड़ी रकम बिना टैक्स लगाये वसूल कर सकते हैं। इस सोर्स को भी निश्चित तौर पर टैप करना चाहिए।

(श्री सी. पी. जोशी)

जैसा मैंने पहले कहा, और इस बात को मैं आज भी मानता हूं कि बिजली की समस्या गम्भीर होगी। सैल्स टैक्स और इनकम टैक्स का रेवेन्यू नहीं रहेगा। मेरे किसान भाई कहते हैं कि जनरेटर पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। जो किसान एफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए, हमें दिक्कत नहीं लेकिन आज इण्डस्ट्रियलिस्ट यदि अपनी बिजली में कटौती से अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहा है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप सैल्स टैक्स से लिंक करके सब्सिडी दीजिए। इससे आपका सैल्स टैक्स बढ़ेगा, इनकम टैक्स बढ़ेगा और ले ऑफ भी नहीं होगा। तीन तरह की समस्या का निदान होगा। इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी से चाहूंगा कि निश्चित तौर पर जिस तरह से हरियाणा में दो दिन तो बिजली मिलती है, फैक्ट्रीज को और 5 दिन नहीं मिलती है, आपको इस तरह का सिस्टम राजस्थान के अन्दर भी लागू करना चाहिए जिससे आपकी फैक्ट्री बन्द नहीं हो, प्रोडक्शन हो और आपको सैल्स टैक्स मिले, इनकम टैक्स मिले और ले ऑफ भी नहीं हो। इस तरह यदि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहें तो निश्चित तौर पर आपको अवश्य तैयारी करनी चाहिए।

दूसरी बात विरोधी दल के एक सदस्य ने कही थी कि रोडवेज में यह हो गया है। हिन्दुस्तान में सबसे प्रोग्रेसिव गवर्नमेन्ट जो केरल गवर्नमेन्ट है, लेफटिस्ट गवर्नमेन्ट आज से 6 महीने पहले उसने अपने यहां निर्णय लिया है कि हम राष्ट्रीयकरण को समाप्त कर रहे हैं। हिन्दुस्तान का सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट केरल है उन्होंने जब यह निर्णय लिया है तो माननीय वित्त मन्त्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप सम्भव हो तो यूनियन बना दीजिए। लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हिन्दुस्तान का प्राइवेट सैक्टर प्रॉफिट में रहता है और पब्लिक सैक्टर लॉस में रहता है। इसका जो मोटा सिद्धान्त है वह यह हो सकता है कि प्राइवेट सैक्टर में इनसिक्योरिटी ज्यादा है, एम्पलाई को। इनसिक्योरिटी का सीधा सम्बन्ध एफीशियेन्सी से है। सार्वजनिक उपक्रम है चाहे वह रोडवेज हो या बिजलीघर हो इसमें जब तक जॉब की सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक एफीशियेन्सी नहीं बढ़ सकती। यह वैल एस्टेब्लिशड फैक्ट है। हिन्दुस्तान का प्राइवेट सैक्टर है उसका रिजल्ट बढ़िया है, क्योंकि टॉप से लेकर बॉटम तक हर आदमी की जॉब की सिक्योरिटी है, निश्चित रूप से इसका सिक्योरिटी से सम्बन्ध है। मैं चाहूंगा कि राजकीय उपक्रम, जिसके ऊपर राजस्थान के टैक्स का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, से हमें निश्चित रूप से अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिये अन्यथा यह हमारा इन्वेस्टमेंट घाटे में चला जायेगा। मैं चाहूंगा यह भी आपका रेवेन्यू बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है कि हमारे जो मेजर इन्वेस्टमेंटस हैं वे कोर सैक्टर में हो रहे हैं। कोर सैक्टर से मेरा मतलब यह है कि आपका बिजली और तेल के अन्दर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यह हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है कि 30 साल तक हमने जो बजट बनाया वह बजट औद्योगिक रिप्रेजेन्टेशन का बनाया है। हम चाहते हैं यदि कृषि के आधार पर उद्योगों को डवलप किया जाय और यदि

(श्री सी. पी. जोशी)

आपके फाइनेन्स, बजट का इसके साथ संबंध कर दिया जाय तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। आज हालत यह है, आपका सारा इन्वेस्टमेंट और पब्लिक धन का बहुत बड़ा उपयोग तेल आयात पर और बिजली पैदा करने में खर्च हो जाता है और उसका रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता है। आज इस विकसित टेक्नोलॉजी पर हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और पब्लिक वेलफेयर की आपकी जो स्कीम है उनमें जन प्रतिनिधियों की निगाहें नहीं होने से उसका सारा लाभ एक वर्ग को मिल रहा है। अब मैं कहना चाहता हूं इस सदन के सामने कि ग़रीब और पीड़ित के नाम से जो आप करना चाहते हैं उसका फायदा अमीर उठा रहे हैं। आज जो आदिवासियों को सीमेन्ट मिल रहा है, उस सीमेन्ट का दुरुपयोग कहां हो रहा है। निश्चित रूप से हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस सब्सिडी से हम गरीबों को सुविधायें उपलब्ध कराना चाहते हैं, उन सुविधाओं का उपयोग आज गरीबों के लिये नहीं होता है। उसके पीछे एक सुनियोजित षड़यन्त्र है।

अन्त में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने एक ट्राइबल सब प्लान बनाया। मेरा मानना है आदिवासी की लैण्ड और टैक्स के माध्यम से इनकम बढ़ाना चाहते हैं, उस लैण्ड और टैक्स में घोटाला है। आपके 60 पर्सेन्ट जो ट्राइबल कार्पोरेशन में एम्पलाइज हैं वे गवर्नमेंट के डेपूटेशन पर है। वे गवर्नमेंट के डेपूटेशन पर गये एम्पलाइज तनखाह उठा रहे हैं, डेपूटेशन अलाउन्स उठा रहे हैं। लैण्ड और टैक्स के नाम पर मिलने वाला सारा सामान उदयपुर के बाजार की मण्डियों में मिलता है। इतना बड़ा खर्च करने के बाद ट्राइबल कार्पोरेशन पर खर्च करने के बाद भी यदि उनके जीवन यापन के स्तर का सुधार नहीं हो सकता तो फिर एक नया वर्ग पैदा हो जायेगा। आपकी जो ब्रोकर क्लास है, वह यह नहीं चाहती है इसी कारण असमानता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, यदि इसे रोकेंगे नहीं तो निश्चित रूप से आने वाला समय वर्ग संघर्ष का होगा। यह बात जानते हुए कि फाइनेन्शियल डिसिप्लिन आपको लागू करना पड़ेगा, वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सोर्स बढ़ाने की हिम्मत की है लेकिन निश्चित तौर से मैं यह मानता हूं कि किसान वर्ग में भी डिसटिंगुइस करना चाहिये और शिड्यूल्ड कास्ट और स्माल फार्मर को छूट मिलनी चाहिये। अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप राजस्थान में एग्रीकल्चर के तहत कोई इनकम बढ़ाना चाहते हो लेकिन राजस्थान के अन्दर कोई एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है।

माननीय वित्त मन्त्री जी, माननीय शिक्षा मन्त्री जी भी हैं। वे इस बात को जानते हैं कि यू. जी. सी. का पांच करोड़ रुपया आठ दिन तक पड़ा रहा उसका कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि एक कण्डीशन आई थी कि राजस्थान में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हो। मैं चाहूंगा कि जब आप अपनी फाइनेन्स की स्थिति सुधारें, स्टेट की स्थिति सुधारें तो राजस्थान के अन्दर एक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना ह

(श्री सी. पी. जोशी)

चाहिये। इसके साथ साथ ही यदि आपने समय रहते, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट का समाधान नहीं किया तो आने वाला समय बहुत गंभीर होने वाला है। जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उस पैसे का उपयोग गरीब के लिये नहीं हो रहा है और उस पैसे को वहां के बी.डी ओ. और चन्द आदमी मिलकर खा रहे हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं ट्राइबल स्कीम का जो 30 पर्सेंट पैसा मिलता है, उसका सही उपयोग आदिवासियों के लिये नहीं होता है केवल खानापूर्ति की जाती है, इसलिये ट्राइबल स्कीम को इफेक्टिवली लागू करना चाहिये।

इसके साथ साथ अनएम्प्लायमेंट को चैक करने के लिये आपको अप्रेन्टिसेज स्कीम भी लागू करनी चाहिये। यदि आपने बेरोजगारी की समस्या को बढ़ावा दिया तो निश्चित रूप से यह समझना चाहिये कि 30 साल से लगाकर 33 साल के युवकों की संख्या दिनोंदिन बढती जायेगी। इस सारी शक्ति का उपयोग यदि कुछ नहीं कर सके तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करने की क्या उपयोगिता होगी। आपने छोड़ दिया जन प्रतिनिधियों पर लेकिन जन प्रतिनिधियों को कोई नहीं पूछता। आपके ब्यूरोक्रेट और नीचे लेवल के पटवारी लोग हैं वे सारी स्कीम को तोड़ मरोड़ कर उस गरीब आदमी को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। अगर इतना भी आपसे सम्भव नहीं हो सकता है तो कम से कम इस युवा शक्ति को हर जगह निगरानी कमेटी का मैम्बर बना कर योजनाओं को सही रूप से इम्प्लीमेंट कराने के अन्दर काम में लें तो निश्चित रूप से वे राजस्थान को सुधारने का प्रयास करेंगे।

मुझे विश्वास है कि किसी भी कदम को उठाने के लिये निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल विल चाहिये। पॉलिटिकल विल के साथ एक राजनैतिक दृष्टिकोण भी होना चाहिये कि हम राजस्थान को कैसा बनाने चाहते हैं। हम विरोध के नाम पर यह नहीं समझें कि जो पॉलिटिकल इन्टलेक्ट है वह राजनीति में गलती करने वाला नहीं है। इसलिये निश्चित रूप से जो आपने बजट रखा है, उसका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया है। वह किसान जो प्रिविलेज क्लास में है और जो 30 साल से खेती नहीं करता है, केवल खेती के नाम पर नेतागिरी करता है उसके इन्ट्रेस्ट को यह हिट जरूर करता है, लेकिन गरीब किसान को हिट नहीं करेगा। निश्चित रूप से मेरी मान्यता है फ्लैट रेट के नाम पर गरीब किसानों के साथ अन्याय मत कीजिये या तो मीटर लगा दीजिये या फिर विभाग से सर्वे करा कर यह तय कर दें कि इतनी लैण्ड इरिगेट करने के लिये इतनी बिजली खर्च होती है, इसकी इतनी रेट होगी। फ्लैट रेट के नाम को आप खतम कर दें, यह न्याय नहीं है। मैं चाहूंगा, गरीब लोगों से आप यदि कुछ छीनोगे तो उनको बहुत दुख होगा। आप 30) रु. फ्लैट रेट, जो खेती कर रहे हैं, जो स्वयं खेती करते हैं, उन किसानों पर मत लगाइये। अगर आपने फ्लैट रेट कायम रखी तो निश्चित रूप से किसान के साथ न्याय नहीं होगा।

मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूं

Page No 78

(78)

(श्री सी. पी. जोशी)

कि जो वित्तीय स्थिति राजस्थान की है उस स्थिति से उभर कर आप किसानों का कल्याण कीजिये। इसके वगैर कोई भी फाइनेन्स मिनिस्टर, कोई भी सरकार, कोई भी मुख्य मंत्री विकास नहीं कर सकता है। विकास के लिये हमें फाइनेन्शियल डिसिप्लिन लागू करके स्थिति सुधारनी पड़ेगी। जो प्रयास इसके लिये किया गया है वह पॉलिटिकल विल के साथ किया गया है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरूंलाल।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। इसमें अनेकों बातें तो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने प्रयास किया है कि राजस्थान में विकास को तेज गति दी जाय। कुछ बातों का सम्बन्ध किसानों से है या ग्राम मतदाता से है, इसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने थोड़ी टेढ़ी नजर रखी है। मैं समझता हूं कि उसमें वित्त मंत्री जी का दोष नहीं है। हमारी जो समाज व्यवस्था चल रही है वह सफेद कालर सोसाइटी की है। ऐसे लोग राजनीति में आते हैं, ऐसे लोग समाज में प्रमुख हैं, ऐसे लोग अर्थ पर हावी है, जो सफेद कालर सोसाइटी का प्रतिनिधितत्व करते हैं। यह वित्त मंत्री जी की मजबूरी है। अधिकांश में इस सदन में बैठे मित्र चाहे वे किसी के वोट के डर से भले ही किसी गरीब के भले की बात कह देते होंगे परन्तु वस्तुतः ग्राम गरीब का नक्शा उनके दिमाग में नहीं है।

मेरे से पूर्व वक्ता बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, परन्तु क्या वे अन्दाज करते हैं, उनकी लेक्चरार या प्रोफेसर की पोस्ट हैं, वे कितनी मेहनत करके क्या तनख्वाह लेते हैं और एक साधारण किसान को रात और दिन खेत में खड़े रहने के बाद प्रति व्यक्ति के हिसाब से क्या 10) रु० मिल जाता है? क्या उसको न्यूनतम मजदूरी मिल जाती है? जो किसान के खिलाफ बोलते हैं वे पहले अपने गिरहबान में झांक कर देखें, वे पूंजीवादी समाज में समाज से कितनी कम मेहनत में कितना ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि महात्मा गांधी के बताये तरीके से हम उस हरिद्रनारायण को ऊंचा उठाने की कोशिश न करें? क्या उन किसानों को उसी लंगोटी और धोती के अन्दर उसी स्थिति में रखना चाहते हैं, जो आजादी के पहले राजाओं और जागीरदारों के जमाने में थी? क्या आप किसान के लड़के को केवल खेत के अन्दर और भेड़ चराने के लिये भेजना चाहते हैं? क्या आपकी तरह उसे लैक्चरार या प्रोफेसर नहीं बनने देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? किसान का मूल्य, अधिकार आप क्या निर्धारित करना चाहते हैं, यही कि किसान केवल पेट भर कर रह जाय रूखी–सूखी रोटी खाय? किसान जानता है, हिन्दुस्तान में उसका हक है इसलिये कि वह भी एक मतदाता है। हिन्दुस्तान का 70 और 80 प्रतिशत मतदाता खेती के पीछे जी रहा है, और ये 20 प्रतिशत लोग उसको धक्का देकर बाहर रखना चाहते हैं। यह उनके प्रति अन्याय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे जो लोग पूंजीपतियों की तरफदारी करते हैं हमारे प्रजातन्त्र का नुकसान करते हैं।

(श्री भेरूंलाल भारद्वाज)

कांग्रेस केवल कुछ लोगों के लिये नहीं बनायी गयी थी। आजादी से पहले हमने इस बात को घोषित किया था, हमारे नेताओं ने कहा था हमारा राज केवल कुछ लोगों के लिये और कुछ क्लासों के लिये नहीं होगा, कुछ पूंजीपतियों, कुछ बुद्धिजीवियों और कुछ सामन्तों ने मिलकर इस देश के चहुंमुखी विकास के लिये नौकरशाही को बैठा रखा है। इनके हाथ में प्रचार के साधन हैं। जहां कहीं गरीब किसान की बात आती है तो ये कुलक नाम लेकर उसको दबा देना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष जी, जब हमने खेती के नाम पर सीलिंग बता दी है, उस पर सीलिंग लगा दी है तो या तो आप कहिये कि आपके मन में कहीं बेईमानी है, मैं यही कहता हूं कि आप पूंजीपतियों पर सीलिंग लागू नहीं करना चाहते हैं, आप इस नौकरशाही की तनख्वाह तो लगातार बढ़ाते हैं उस पर सीलिंग नहीं लगाना चाहते हैं। आप इन बड़े बड़े धन्ना सेठों, सामन्तों, जो एक एक शादी पर 10–10 लाख रुपये खर्च करते हैं, पर सीलिंग नहीं लगाना चाहते हैं। सारे बैंकों में जो जनता की पूंजी है, इसको अपने तरीके से लेकर बड़े बड़े कारखानों को खड़ा करने वालों पर सीलिंग लागू नहीं करना चाहते है। एक किसान पर आपने नाजायज तौर पर सीलिंग लागू भी कर दी है और उसकी सारी जमीन छीन ली है, उसको कुछ साधन भी नहीं देते हैं—

श्री उपाध्यक्ष : आप भी पूंजीपति हो, उन लोगों के लिये क्या कर रहे हो?

श्री भेरूंलाल भारद्वाज : उनको कुलक किस मुंह से कहते हैं, कहां कुलक बचे हैं सीलिंग लागू होने के बाद। कुछ बड़े किसान हैं। क्या उनको कुलक कहना चाहते हैं आप? इसका मतलब हैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, विरोधी मित्र तो इसलिये कहते हैं क्योंकि उनके पास राज नहीं है पर उनकी मदद कर रहे हैं कुछ कांग्रेसी मित्र ताकि तीन साल बाद वे उधर बैठने की तैयारी करें। मैं कांग्रेस को उधर बैठाने में उन लोगों की साजिश का पर्दाफाश करना चाहता हूं। कांग्रेस ने अभी हमारे प्रान्त का विकास करने के लिए तीन साल की चरमराती राजनीति को दुबारा हाथ में लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को अभी सत्ता में रहना है। किन्तु यह सत्ता में से निकालने के लिये जो साजिशें की जा रही हैं वह अच्छी बात नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आम मतदाता का वोट लेकर आप और मैं यहां आकर बैठते हैं। यदि हमारे मन में चोर है तो उन साहूकारों को मैं कहना चाहता हूं कि अपने इलाके में पब्लिक मीटिंग काल करें। मैं चैलेन्ज करता हूं, उन मित्रों को, वे पर्चे छपवाकर पब्लिक मीटिंग करें अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में और वहां जाकर इस भाषा का उपयोग करें जो यहां पर बोलते हैं तो इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आम लोगों की इच्छा क्या है, उसको आप स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं और बुद्धिजीवियों, कुछ लोगों की पार्टी बाजी, कुछ लोगों के तौर तरीकों से प्रभावित होकर आप कुछ लोगों के एजेण्ट बनकर रह जाना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्रीजी को अधिक ओलामा तो इसलिए नहीं देता कि वे जानते हैं कि यहां इसी तरह के लोग

(श्री भेरूंलाल भारद्वाज)

बसते हैं। वे जानते हैं कि ऐसे लोगों के जेब काट ली जानी चाहिए जो आवाज भी नहीं उठाते हैं। वे जानते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर मैं कुछ शस्त्र भी उठाऊंगा तो वे केवल कुछ बोलकर रह जायेंगे। वे बेचारे निरीह हैं इसलिए कुछ कह नहीं पाते हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी, आपने जो कुछ राहतें दी हैं, वह बड़ी मजेदार राहतें हैं। उसके लिए कुछ लोगों ने तो कुछ मजाक भी की है। मैं आपके जैसे वृद्ध लोगों से मजाक तो नहीं करना चाहता परन्तु आपने मनोरंजन के नाम पर कुछ छूट दी है। बहुत अच्छा आपका मनोरंजन करना है. राजनैतिक मनोरंजन भी उसी क्लास के लिए है। आम लोगों को कहां मनोरंजन की फुरसत है। जो सर्कस लाई जाती हैं, संगीत के बड़े बड़े नाइट शो किये जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर उनको भी आपने छूट दी है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि कहीं गांवों में ऐसा कभी कोई स्वर्णलता नाइट का प्रोग्राम होता है? आपके रवीन्द्र मंच पर किसी जादूगर के खेल का आयोजन होता है जिसको देखने वाले आम गरीब की तो जेब कटती है। उसका सीमित टैक्स आप बचाना चाहते हैं। आपने ऐसे आयोजनों को छूट दी होती जो आयोजन हजारों रुपये खींचने की दृष्टि से नहीं करते हों या सीधे तौर पर लोगों का मनोरंजन करते हों तो समझ में आता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि छोटा आदमी कोई सरकस की पार्टी चला सकता है? आपने सर्कस को भी छूट दी है। कुश्तियों के नाम पर जो टैक्स छोड़ा है, आपने अभी 4 दिन पहले देखा, कुश्तियों में क्या हुआ। ये दो नम्बर के पैसे वाले लोग हैं। आप टैक्स का पैसा मत लीजिए उनसे पर कितना ही महंगा टिकट वे लगायें कुश्तियों को देखने के लिए लोग पहुंचेंगे। कई आदमी मर गये भगदड़ में, आपकी पुलिस इन्तजाम नहीं कर सकी। इसका अर्थ यह है कि उन लोगों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं जिनके आयोजन में जो 4 दिन पहले भगदड़ मची थी। यह मनोरंजन टैक्स पर छूट कुछ लोगों के लिए है। आम लोगों के लिए है। आम लोगों को इस मनोरजन कर से छूट से कोई मुनाफा नहीं है।

जहां तक आपने रेशमी बंधेज को साड़ियों, चुन्नियों और ओढ़नियों पर छूट दी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये रेशमी चुन्नियों, बंधेज की साड़ियों को कौन पहनता है। जैसा मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, उस क्लास के लोग जरूर पहनते हैं, उनको आपने छूट दी है। आम गरीब से क्या मतलब, है रेशम की साड़ियों का? गरीब से क्या मतलब है बंधेज की चुन्नियों का। कहीं मैं आपके सामने अपने आपको प्रस्तुत करता हूं और मैं अपने आपको ही नहीं बहुत से मित्रों को प्रस्तुत करता हूं इनके घर जा करके देखें, इनके यहां कहीं बंधेज की साड़ियां मिल जायें तो आप मुझे कह दीजिए, रेशम की चुन्नियां मिल जायें तो मुझे कह दीजिए। ये केवल कपड़ों को सफेद साबुन लगाकर धोकर और नील लगाकर पहन कर आ जाते हैं। अधिकांश मित्रों के घर जाकर देखिये उनकी हालत क्या है। किसान और मजदूरों की हालत कितनी खराब है. यह जाकर देखिये। आपने जो टैक्स माफ किये हैं, इनसे गरीबों का कोई ताल्लुक नहीं है। आप सस्ती लोकप्रियता को छोड़कर इस छूट को वापस लीजिए, आप इन पर जरूर

(श्री सी. पी. जोशी)

टैक्स लगाइये। इससे गरीबों पर टैक्स नहीं बचा बल्कि मालदारों को प्रोत्साहन मिला है। जहां तक स्टेनलेस स्टील पर आपने मेहरबानी की है....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर टैक्स माफ नहीं है। आपको कुछ ध्यान नहीं है शायद।

श्री भेरूलाल भारद्वाज : कम किया है।

श्री उपाध्यक्ष : कम किया है।

श्री भेरूलाल भारद्वाज : वही बात है चार पर एक कर दिया है तो 3/4 तो माफ ही किया। आपकी जोधपुर के स्टेनलेस स्टील वाली बात भी बड़ी मजेदार है। माननीय वित्त मन्त्री, स्टेनलेस स्टील का कारखाना लगाने वाला कोई गरीब आदमी है? निश्चित ही वह कोई मालदार सेठ है। फिर वह जो बरतन का उत्पादन करेगा, उसको गरीब आदमी खरीदेगा? आपने मजदूर और दस्तकार की यह पोजीशन कर दी है कि वह स्टेनलेस स्टील के बरतन खरीदेगा? स्टेनलेस स्टील के बरतन खरीदने वाले और बनाने वाले दोनों ही सुपीरियर क्लास के लोग हैं। ऐसे लोगों के टैक्स माफ करना सरकार के और जनता के हित में नहीं है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक आपने सिंचाई के अन्दर रेट बढ़ाई है, मैं यह दरख्वास्त कर रहा था, कई बार मैंने पहले भी निवेदन किया है कि जब से खेती चालू हुई है, तब से सिंचाई का काम हमने व्यक्ति पर छोड़ रखा है। उसका नतीजा यह है 5 हजार साल से सिंचाई की व्यवस्था चलते चलते आज भी सारी जमीन में 20 प्रतिशत जमीन पर भी हम सिंचाई नहीं कर पाये हैं। उसका कारण केवल यह है कि हमने सिंचाई का काम केवल व्यक्तियों पर छोड़ रखा है। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को पहल करनी चाहिए इस बात की कि वह यह घोषणा करे कि सिंचाई का काम सरकार का है व्यक्ति का नहीं है। अगर आप सारी जमीन को सिंचित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सिंचाई की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। जब तक सरकार नहीं लेगी, तब तक सारे साधन हमारी योजनाओं की ओर उन्मुख नहीं होंगे, तब तक हमारी योजनाएं उसी प्रकार चलती रहेंगी। हम केवल भाखड़ा नांगल और कुछ प्रोजेक्ट बनाकर किसानों पर बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि किसानों को पूरा पानी देना चाहिए। इजराइल ने तरक्की की है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हर खेत पर पानी सरकार देती है। किसान केवल जमीन जोतता है, बीज बोता है, उसकी रखवाली करता है और फसल निकाल कर खलिहान में पहुंचाता है। अगर आप हिन्दुस्तान में सिंचाई की जिम्मेदारी सरकार पर लें तो मेरा विश्वास है कि हम 15-20 साल में हिन्दुस्तान की जमीन को सरसब्ज बना देंगे। खेती की सिंचाई पर टैक्स नहीं होता है। सिंचाई का सारा जिम्मा अपने ऊपर लेने की कोशिश कीजिए। आपके पास साधन कम हैं तो मैं यह नहीं कहता कि कोई दो साल में योजना बनाइये। आप 10-15-20 साल की योजना बनाइये। आप कहिये तो सही। आप इस बात को स्वीकार तो कीजिए। हिन्दुस्तान की जमीन, जिस पर

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

खेती हो सकती है, पर सरकार पानी पहुंचाये। मैं आपको बिजली के बारे में भी एक निवेदन करना चाहता हूं। बिजली का जो घाटा है, यह बड़ा सोचनीय है। माननीय वित्त मन्त्री जी, जब हमारे पास वित्तीय साधनों की कमी है तो निश्चित रूप से बिजली बोर्ड को देखकर हर आदमी के माथे पर एक सलवट पड़ती है पर क्या कभी आपने यह सोचा है, जिस बिजली बोर्ड का गठन नौकरशाही पर हमने छोड़ रखा है उस बिजली बोर्ड जैसे कीमती बोर्ड को हमने उन लोगों पर छोड़ रखा है जो न केवल करोड़ों रुपये का हर साल घाटा बढ़ा रहे हैं बल्कि उपभोक्ता को भी परेशान कर रहे हैं। मैंने कई बार यह निवेदन किया है, आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि तुरन्त आप बिजली बोर्ड को भंग करिये और इसका पुनर्गठन कीजिए। बिजली बोर्ड जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में दीजिए। जब तक बिजली बोर्ड का पुनर्गठन नहीं करेंगे तब तक न तो आपका घाटा पूरा हो सकेगा, न आपकी बिजली की योजनायें ठीक से चल सकेंगी और सेठों से मिल कर चोर बाजारी हो करके बीस पच्चीस पर्सेंट, 25 लाख यूनिट बिजली की चोरी बताते हैं यह चोरी चलती रहेगी। ये सारे सेठ कारखाने लगातार चला रहे हैं। जाब्ते में आप इनकी बिजली कट कर देते हो, उनके मीटर बन्द रहते हैं फिर भी उनके कारखाने चलते रहते हैं। माननीय वित्त मन्त्रीजी, आपने तो उनको जनरेट क्रय करने के लिये अनुदान दिया है। बहुत अच्छी बात है कि वे बिजली अलग से लगायें, आप उनको पचास प्रतिशत अनुदान दें पर आप इन किसानों को क्यों भूलते हो। यदि कोई किसान अपना जनरेटर अलग से लगाता है तो, माननीय वित्त मन्त्री जी, आपको किसान को भी अनुदान देना चाहिए। आप बिजली की खपत कम कर रहे हैं और वह बिजली बढ़ाने में आपका सहयोग करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बजाय इसके कि आप बिजली बोर्ड में बदइन्तजामी, चोर बाजारी को जारी रखते हुए बिजली बोर्ड की तरफ आंख खोल कर देखें नहीं और लोगों पर टैक्स लादते चले जायें तो बिजली बोर्ड के घाटे को पूरी नहीं कर सकते। मेरा निवेदन है कि पहले बिजली बोर्ड का पुनर्गठन कीजिए और बिजली बोर्ड को जन प्रतिनिधियों के हाथ में दीजिए। मेरा दावा है कि यह बिजली बोर्ड घाटे की स्थिति से निकल कर मुनाफे की स्थिति में आ जाएगा। यदि नहीं आएगा तो प्रतिनिधि सोचेंगे इस बात को कि क्या बिजली पर टैक्स बढ़ाया जावे। यदि टैक्स बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से ऊपर से किया जाय। आप नीचे से टैक्स लगाने की कोशिश मत कीजिए। आपने इस साल बिजली चार घण्टे किसानों को दी है। फ्लेट रेट जब बिजली की कायम की गई थी उस समय बिजली दस बारह घण्टे किसानों को मिलती थी। अब दस बारह की बजाय चार घण्टे बिजली किसानों को मिल रही है तब आप फ्लेट रेट कम करने की बात करते हैं या फ्लेट रेट बढ़ाने की बात करते हो। आप किसानों से भी जो चाहिये सो लीजिए। हम आपको अपना सारा कलेजा निकाल कर देने को तैयार हैं, परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले किसानों को पूरी बिजली तो दीजिए। अगर भगवान ने वर्षा नहीं की होती, भगवान ने बारिश दो तीन चार नहीं की होती तो आज किसानों की

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

क्या हालत होती। इसलिए मेहरबानी कीजिए। आज किसान आपके समर्थक हैं, आपकी पार्टी के समर्थक हैं, और देश के, हिन्दुस्तान के समर्थक हैं और सारे देश को अनाज पैदा करके दे रहे हैं मेहनत करके, इन पर आप कुदृष्टि मत डालिये। मेहरबानी करके बिजली बोर्ड का पुनर्गठन करके उनको पर्याप्त बिजली दीजिये। उसके बाद अगर आप को और घाटा पड़ेगा तो किसान जरूर बिजली का और पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शोभाराम।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : साहब, सब पर कहने दीजिए। एक दो पोइन्ट पर बोलने दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की, गरीबों की बात सुनिये। बड़े-बड़े लोग तो वैसे ही बोलते हैं, हम गरीबों की बात आप थोड़ी बहुत सुनिए। हम तो आपके और आपके वित्त मन्त्री के अत्यन्त समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि वित्त मंत्रीजी की पार्टी कम से कम दस बीस साल तक लगातार राज में जमी रहे। उनके जमने का एक ही तरीका है कि ग्राम मतदाता को लाभ पहुंचाइये। कुछ लोग केवल पैसे के बल पर आपको, हमको, नौकरशाही को इस तरह से रखना चाहते हैं उनके बल पर राज नहीं टिकेगा। हमारा राज तो गरीबों के ऊपर निर्भर है। उन्होंने हमें विश्वास दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि गरीब हमारे साथ रहेंगे बशर्ते कि हम उनके साथ कोई बेजा छेड़ न करें।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह भूमि और भवन कर में जो कमी की है, बहुत अच्छा किया है आपने। एक लाख तक की आबादी के लोगों को आपने भूमि और भवन कर से मुक्ति की बात की है परन्तु क्या आपने गावों में भी ऐसी व्यवस्था की है? आज गांवों के अन्दर कोई आदमी जमीन लेता है क्या? उसको फ्री जमीन मिल जाती है? सच बात तो यह है कि आज गांव में आबादी की जमीनें नहीं रही हैं। गांव में जन संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उसके लिए सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। यद्यपि हमने बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत हजारों पट्टे दिये हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने बजट के अन्दर ऐसी कोई व्यवस्था की है कि हर गांव के अन्दर अगर इतनी जमीन है आबादी के लिए, सार्वजनिक जमीन है इतनी चरागाह की, सिवाय चक की जमीन नहीं है तो चाहे व्यक्तियों की हो, उसको कन्वर्ट कर के आबादी के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी? क्या आपने गांव की आबादी के लिए प्लानिंग की है? आप न तो गांवों की आबादी के लिए जमीनें रखते हैं न गांवों के प्लानिंग की कोई व्यवस्था करते हैं और सारी व्यवस्थायें आप शहरों के अन्दर करते हैं। मेरा निवेदन है कि आप गांवों की तरफ ध्यान देने की कृपा करें।

जहां तक आपने इस बजट में अकाल और बाढ़ की बात कही है, हमारी सरकार ने अकाल और बाढ़ में बहुत पैसा खर्च किया है, आंकड़ों से यह प्रमाणित होता है। पर, माननीय वित्त मंत्रीजी, इसके कार्यक्रमों का एक नतीजा आना बहुत जरूरी है। आपको स्वयं को पता है कि आप जयपुर में

(श्री भैंरूंलाल भारद्वाज)

बैठ करके राजधानी के जिले से राज करते हैं। उसमें करीब दो हजार से अधिक गांव अकाल से पीड़ित हैं। क्या आप यह नहीं चाहते कि वहां पर भी काम चले। एक भी काम अकाल राहत के तहत चालू नहीं किया गया है। क्या आप इसको पसन्द नहीं करेंगे ? शायद आपको पता नहीं था, मैं आपको पता कराना चाहता हूं और इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं अकाल राहत के मामले पर कि जहां पर काम चालू नहीं हुए हैं अविलम्ब काम चालू करावें।

आपने बाढ़ राहत के प्रशसंनीय काम किये हैं, मैं इसके लिए आपको और आपके मंत्रिमण्डल को और खास तौर से माननीय मुख्य मंत्रीजी, जिन्होंने दिलचस्पी लेकर काम किया, को उसके लिए दाद देता हूं परन्तु क्या आपने उस लिस्ट को उठा कर देखा है जो गांवों से आपके पास क्लेक्टर के जरिये आई है, इतने बंधे टूट गये, इतने गंवई तालाब टूट गए हैं। उनमें से एक का भी काम चालू नहीं हुआ है। दूसरी बरसात जब चार महीने बाद आएगी तो फिर वापस वैसी ही स्थिति पैदा करेगी। आप जानते हैं कि ढूंढी नदी के बहाव के कारण न केवल आपका रामनिवासपुरा बह गया बल्कि टोंक जिले का हिंगोनिया ढूंढी की बाढ़ से बह गया। तो यह सारी प्रलयंकारी बाढ़ आई है वह ढूंढी नदी के कारण आई है। इसको रोकने के लिए आपने कोई व्यवस्था की है ? माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि ढूंढी नदी को भानपुरकलां, इन्द्रगढ़ के पास और कानौता के पास तीन जगह बांधा जाएगा। क्या, वित्त मंत्रीजी, आपने इसके लिए बजट में कोई व्यवस्था की है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : दो करोड़ की व्यवस्था है।

श्री भैंरूंलाल भारद्वाज : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस ढूंढी नदी पर तीन जगह एनीकट बनाने की व्यवस्था कीजिए ताकि आसपास के कुओं में पानी बढ़ जाए और इस प्रलयंकारी बाढ़ पर नकेल लग सके। मैं समझता हूं कि आप इस पर जरूर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

जहां तक शिक्षा की बात है, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि जिस आदमी के पास वित्त विभाग हो उसी के पास शिक्षा विभाग हो फिर भी पच्चीस हजार अध्यापकों की जगह प्राइमरी स्कूलों में खाली रहती हो तो यह अत्यन्त दुखद है। माननीय वित्त मंत्रीजी, आज शिक्षा का सारा बंटाधार इसलिए हो रहा है कि हमारे पास अध्यापक नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षा के ऊपर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों पर जो खर्चा कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाइये और उस रुपये से आप मास्टर लगाइये। 25 हजार अध्यापक आप नए लगाइये तभी जाकर आपका प्राइमरी एजूकेशन में सतुंलन लगेगा। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : हमारे दल के लोग भी बोलेंगे, साहब।

(व्यवधान)

श्री भैंरूंलाल भारद्वाज : प्राइमरी एजूकेशन सारी एजूकेशन की जड़ है। आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

मैं आपसे एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपके बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं, मगर मैं यह भी कहता हूं कि आप विरोधी दल के मित्रों के उकसाने से गुस्सा मत होइये। हमारे मित्रों ने कुछ कह दिया हो तो भी आप गुस्सा मत होइये, क्योंकि जो जिम्मेदार आदमी होता है उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये आपको इसलिए उकसाते हैं कि आप यों का यों बजट रखो और लोगों में आप और आपकी पार्टी अलोकप्रिय हो जावे। मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि आप हिम्मत कीजिए। गरीबों के के ऊपर टैक्स लादने का निर्णय अपने मन से नहीं किया होगा; किसी ने आपको समझाया होगा। इस टैक्स को वापस लीजिए। उस लोबी से बाहर निकलिये और आपने जो गरीबों के ऊपर कर लगाये हैं; उन टैक्सों को वापस लीजिए। मालदारों को टैक्स से बचाने की आपने अपने तरीके से कोशिश की है इन टैक्सों को आप दुगुना बढ़ा दीजिए ताकि आपका बजट भी संतुलित हो।

इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके बजट प्रस्तावों के लिए जो मैंने निवेदन किया है, मैं आशा करता हूं कि आप उस पर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शोभाराम।

श्री शोभाराम (थाना गाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं लेकिन एक ही प्रश्न ऐसा है जो मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने 340 करोड़ रुपयों के घाटे का अनुमान लगाया है। या तो आप अपने अनुमानों पर विश्वास नहीं करते या घाटा दिखाने की अगर पक्की राय है तो बजट पेश करते हुए ही आमदनी और खर्चे में उसका एडजस्टमेंट करके 180 करोड़ का जहां घाटा दिखाया गया है वहां सवा पांच सौ करोड़ का घाटा दिखा देते। क्या मतलब है इस तरीके से खेल खेलने से। साफ आनी चाहिए स्थिति लेजिस्लेचर के सामने। कोई गलत बात नहीं कहें। अभी लिखा है गरीबी की रेखा। यह गरीबी की रेखा कैसे तय करेंगे आप? क्या गरीबी की रेखा तय करते वक्त सोचा है कि सभी सामग्री जुटाने की भविष्य में उसको जरूरत पड़ेगी। क्या फार्मूला है गरीबी की रेखा के ऊपर का। गरीबी की रेखा क्या है, इसका कोई फार्मूला आपके पास है? कैसे केलकुलेट करेंगे? मैं तो अभी तक समझ नहीं पाया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बताइये ना गरीबी की रेखा क्या है?

श्री गोपाल पचेरवाल : इनके समझ में नहीं आयी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शोभाराम : इन्होंने कहा 57 लाख का घाटा होगा। इसकी पूर्ति राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि खंडों के विक्रय को अधिक गतिशील बनाकर, शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन करने से होने वाली आय, बकाया राजस्व की वसूली और केन्द्र से कुछ ज्यादा मिलने वाली मदद

(श्री शोभाराम)

से करेंगे । इन तमाम बातों को इन्होंने कहा था । तो, मैं जानना चाहता हूं, आपने इस घाटे को पूरा कर लिया उन बातों से जो बातें आपने कही थीं ?

मैं आपको यह भी बता दूं, राजस्थान कैनाल के अन्दर कितना पानी जा रहा है आज तक और उसकी इरिगेशन रेट क्या है ? वह इरिगेशन रेट कितनी बकाया है ? लिफ्ट इरिगेशन जो लूणकरणसर से होती है, हम गये थे वहां, ढाई करोड़ रुपये बकाया हो गये । किसान ने एक पैसा नहीं दिया, अधिकारी वसूली नहीं करते । तो, यह बता दीजिये, कितना टोटल बकाया इरिगेशन रेट का होती है ? कितनी अदा कर पाये ? कितनी वहां बकाया है ? मैं इसलिये कहना चाहता हूं, आपके एरियर्स कम से कम 500 करोड़ के हैं । मैं साबित करूंगा, उससे बहुत बड़ी आमदनी होती है । जोड़िये, जोड़िये । अगर मौका मिलेगा तो राजस्थान कैनाल का मामला आयेगा, तब मैं डिटेल में बात करूंगा । अब आप कहते हो घाटे की बात ।

मैं आपसे यह पूछता हूं, हमने इनवेस्टमेंट 150 करोड़ रुपये का सहकारिता के क्षेत्र में किया अब तक । लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोगों ने रुपया लिया जिन को-ऑपरेटिव बैंक से, रिपेइंग की कैपेसिटी, यानी ऋण अदायगी की क्षमता वह तय करते थे पहले । अब पांच साल पहले दस साल पहले रुपया लिया, उस वक्त का एक रुपया आज पौने पांच रुपये के बराबर हो गया । एक रुपया आज हो गया, 4.70, चार रुपये सत्तर नये पैसे के बराबर । इसका मतलब उस वक्त का रुपया आज 31 नये पैसे के बराबर है । परचेजिंग पावर को देखें । अगर आप पर्चेजिंग पावर को जानते नहीं हैं तो बजट का कोई नतीजा खास नहीं निकलेगा, घाटे में ही चलते रहिये ।

82–83 का तो बजट पेश किया, लेकिन मैं यह पूछ सकता हूं, 80–81 के साल को कम्पलीट, खतम हुए, समाप्त हुए दो साल हो गये । इसमें यह भी लिखते कि एक्चुअल आय इतनी हुई है । आपने एक साल पहले, डेढ़ साल पहले की दी वह अनुमानित है । उसको भी एक साल गुजर गया, उसके बीच में गैप आ गया तो भी आप बजट की किताब में लिखते हो अनुमानित आय । वह एक्चुअल लिखनी चाहिये । कितनी आय हुई, नहीं लिख सकते हैं । अनुमानित आय का ब्यौरा देने के लिये...

श्री चन्दनमल बैद : 80–81 की एक्चुअल लिखी है । 81–82 चल रहा है ।

श्री शोभाराम : मैं दूसरी बात कह रहा हूं । जो मोटी किताब दी है जिसके पांच खण्ड हैं ...

श्री चन्दनमल बैद : 80–81 की एक्चुअल है । हां, तो वहां होनी चाहिये ।

श्री शोभाराम : मैं वह किताब नहीं लाया, नहीं तो आपको बताता वह मोटी किताब ।

एक माननीय सदस्य : बड़ी किताब में मिस प्रिन्ट है ।

श्री शोभाराम : लेकिन आप लिखते हो, अनुमानित आय । अनुमानित खर्चा । अरे भाई, एक डेढ़ साल पहले पूरा हो गया खर्चा । अगर आप उसको एक्चुअल लिख

(श्री शोभाराम)

देते तो फिर आपके अनुमानित पर कोई भरोसा नहीं करेगा। यह मैं आपको बताऊं, आय लिखी अनुमानित वह आय वास्तव में कम हुई, जो खर्चा लिखा अनुमानित वह खर्चा वास्तव में बढ़ गया। आप फिगर्स देख लीजिये, आप फिगर्स के खिलाफ तो नहीं जा सकते। मैं चाहता हूं आप देखें इसको। मैं इसलिये कहना चाहता हूं, इन बातों को हम एक संदर्भ में देखें। 31 हजार 362 करोड़ रुपये की हिन्दुस्तान, भारत सरकार कर्जदार है। वह कर्जा तो क्या चुकायेंगे अभी उसका व्याज तक नहीं चुका पाये हैं। अब साढ़े पांच हजार करोड़ के कर्ज का जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसीडेन्ट आये थे दिल्ली में, उन्होंने बड़ी मुश्किल से एग्री किया। उन्होंने कहा पहले के कर्ज का तो व्याज नहीं चुकाया अभी तक, अब आपको दुबारा कर्जा कैसे देवें! खैर। उसके राजनैतिक कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं, हमारी इकानामी, अर्थ व्यवस्था धीमे-धीमे एक तरह से टूटती जा रही है। मैं इससे अनुमान लगा लूं, क्या हमारी इकानामिक डिस्पेरिटीज जिसको हम अर्थ की विषमता बोलते हैं, पहले के मुकाबले बढ़ गई?

ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट का रेश्यो जो 1 : 30 था, हमने प्रतिज्ञा की थी उसको 1 : 3 पर लायेंगे लेकिन बजाय 1 : 3 लाने के 1 : 40 हो गया। हम करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, रिजल्ट दूसरा निकलता है।

मैं इसलिये कह रहा हूं, इस संदर्भ में बजट को देखें। मैं कोआॅपरेटिव सैक्टर की बात कह रहा था, मैंने भी इसका अध्ययन किया है, जायजा लिया है, कई जिलों में जाकर के। अभी 79–80 के बजट की बात कर रहा हूं मैं। रिजर्व बैंक का 31 करोड़ 60 लाख का कर्जदार हो गया। दो साल और हो गये अब तो। अब रिजर्व बैंक के हमने 150 करोड़ बता रखे हैं तो यह कर्जा क्यों हो गया? वसूली नहीं हो रही है। अपेक्स बैंक कोई हमको देता नहीं, रिजर्व बैंक को आज तक किसी ने लौटाकर पैसा दिया है? रिजर्व बैंक ने इस शर्त पर दिया था कि हमारी जो बैंक रेट है, उसका हिसाब लगाकर कर्ज वापस कर देना है। डिफरेंस भी उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। आज एक किसान के ऊपर जो नीचे की ग्राम सेवा सहकारी समिति का कर्ज है, उस पर साढ़े तेरह पर्सेन्ट का व्याज लगता है। लेकिन मैं नहीं मानता साढ़े तेरह पर्सेन्ट में साढ़े पन्द्रह पर्सेन्ट मानता हूं। सौ रुपये के शेयर पर आठ सौ रुपये तक व्याज ले सकता है। भाई, 100 रुपये तो हमारे हैं, इस पर साढ़े तेरह पर्सेन्ट मत लगाओ। 700 पर ही लगा लो। इस प्रकार 15.5 पर्सेन्ट आयेगा। यह कहने की बातें हैं, गरीब आदमी का इकानॉमी, गरीब आदमी ही जानता है। सौ करोड़ तो खतम हो गये आपके। आज आप कहेंगे रिजर्व बैंक ने हम को दिया 44.44 करोड़। इसमें से 22.73 करोड़ तो नान-बियरिंग इंट्रेस्ट के हैं और बियरिंग इंट्रेस्ट के 20.70 करोड़। तो 44.44 करोड़ हमें रिजर्व बैंक से मिले। अब बियरिंग इंट्रेस्ट लेते हैं तो उसमें भी 21.77 करोड़ इंट्रेस्ट लगेगा 8 प्रतिशत। तो मैं समझता हूं 5 करोड़ तो व्याज देना पड़ेगा हम को हर साल में। तो जो अकाउन्ट 79–80 का है, आज, मैं समझता हूं, उसको कम से कम दुगुना कर दीजिये तो इतना व्याज देना पड़ रहा है रिजर्व बैंक को और

(श्री शोभाराम)

वह भी नहीं दे पा रहे हैं। यह मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं।

एक सुझाव दिया गया है कि एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज टैक्स, सैल्स टैक्स और गुड्स टैक्स इन सब टैक्सों को मिलाकर जो बकाया 10 साल की 1971 में थी, उसको 1972 में आपने क्यों नहीं वसूल कर लिया? आज कानून बनाइयेगा, एक ऑफिसर नियुक्त कीजियेगा जो एक साल की अवधि पूरी होने के बाद उसके आंकड़े आंकेगा। इस सम्बन्ध में एक्शन लेना चाहिये। आज सैल्स टैक्स एक्ट में हमने देखा उसमें क्रिमनल केस भी चल सकते हैं, सिविल केस भी चल सकते हैं यह सब चीजें हैं, लेकिन आप एक्शन लेते नहीं। एक्शन लें तो जो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है वह तो नहीं बढ़े, कम से कम एक जगह तो खड़े रहें। आगे तो नहीं गिरें, तो वसूली के लिये आप अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से वसूली होगी और उससे हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। आप ताज्जुब करेंगे जो डिपार्टमेंट्स लोन देते हैं उनकी गारण्टी स्टेट गवर्नमेंट देती है, जिनको लोन देते हैं उनको आधा प्रतिशत गवर्नमेंट को देना पड़ता है वह ही 18 लाख हो गया। स्टेट गारण्टी पर जो कर्जा लिया था अब तक नहीं लौटाया। 2.35 करोड़ बकाया है। तो आखिरकार वह गारण्टी का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है।

अब एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपने जो पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी बना रखी है, यहां पर राजस्थान एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन बनाया और राजस्थान लैण्ड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन और बनाया। ये जितने कॉर्पोरेशन हैं, इनके बजट पर हम मत नहीं देते। मत नहीं दे सकते हम कि तुम्हारे बजट को पास करते हैं या नहीं करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सब के सब, एक अण्डर टेकिंग को छोड़ कर, घाटे में जा रहे हैं। पांच साल के आंकड़े उठाकर देख लें, घाटे में जा रहे हैं और जायेंगे। कम से कम हमने उसको पब्लिक डेट्स में दिखा दिया और पब्लिक डेट्स भी खोखला हो गया। तो कुल मिलाकर यह पब्लिक डेट्स खोखला कर रहे हैं जिससे कि बकाया की हमारी पोल न निकल जाय पब्लिक डेट्स की। अरे, डेट्स आने तो चाहिये। आप जानते हैं पिछले 10 साल में एक पैसा भी कमा कर दिया नहीं। हर साल घाटा बढ़ाते जा रहे हैं और उसके घटने की उम्मीद नहीं। कंसोलिडेटेड फण्ड पर इसका असर पड़ा, लेकिन फिगर्स में हमने कंसोलिडेटेड फण्ड को बचा रखा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता था जितने कलेक्टर्स हैं, उनको दस लाख की राशि आवंटित कर सकते हैं, उन क्षेत्रों में चारा उगाने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि चारा उगाने के लिये जरूरत किसान महसूस करता है, उसको कितनी जरूरत है वह जानता है। उसको बैल की जरूरत है, बैल बांधता है, गाय की, बकरी की जरूरत है तो गाय, बकरी बांधता है। उनके लिये उतना ही चारा वह अपने खेत में कर लेता है। कहीं ज्वार, बाजरा, जो कुछ हो गया उसका खूब बन गया उनके लिये चारा तो खूब कर लिया। उनको प्रोत्साहित क्या करेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं हम लोग किसानों को शिक्षा तो देते हैं, लेकिन किसान हम से

(श्री शोभाराम)

ज्यादा तजुर्बेकार हैं हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं पीढ़ियों से वह काश्त करता है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

तीन साल पहले इस स्टेट को अपने रिसोर्सेज 225 करोड़ के करने थे। माफ कीजिये, 95 करोड़ ही दे पाये। आज स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है क्या कि अगले साल स्टेट अपने कितने रिसोर्सेज इकट्ठा करेगा प्रान्त के लिये, रिसोर्सेज को किस तरीके से आगे बढ़ायेंगे।

बहुत सी स्पोन्सर्ड स्कीमें लेकर बैठे हैं कोआपरेटिव में और रुपये खा गये। पेमेन्ट नहीं हो रहा है तो हम रिजर्व बैंक से बात करते हैं। इन्होंने बताया कि ओवर ड्राफ्ट के 350 करोड़ हो गये। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं वित्त मन्त्री से कि छः महीने पहले इन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि 85 करोड का ओवर ड्राफ्ट है और 6 महीने में ही 85 की जगह 345 है तो ढाई सौ या पौने तीन सौ करोड़ 6 महीने में हो गये, इसका हिसाब तो बताओ। आप रिसीट, एक्सपेण्डीचर, रेवेन्यू अकाउन्ट, रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर, इसका हिसाब फला कर बताओ कि आपके अनुमान किस तरीके से बदल गये बढ़ते गये। इसका मतलब 45 करोड़ रुपया एक महीने में ओवर ड्राफ्ट बढ़ गया। इसका हिसाब तो मैं अभी तक नहीं समझ सका। तो आप मुझे बतावें कि कितना रेवेन्यू घाटा हुआ? क्यों घाटा हुआ 45 करोड़ का। अब तो 45 करोड़ होते हैं अगर इसी तरीके से चलते रहे तो यह रकम बढ़ सकती है।

(2·45 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

तो मैं यह पूछना चाह रहा था कि हुआ क्या है इस बारे में हम आश्वस्त तो होवें।

1971 में एक रुपये की पर्चेजिंग पावर थी, आज 1981 में जाकर 4.70 पैसे हो गई यानी पर्चेजिंग पावर कितनी घट गई है। 1971 में हमें सौ रुपये मिलते थे तो आज अगर 470 मिलें तो मान सकते हैं 100 रुपये मिले। तो इस तरीके के साथ मंहगाई बढ़ी।

आपके कर्मचारी आज भी एक तरह से दुखी हैं। कर्मचारियों की आप मदद करेंगे तो वह काम ढंग से करेंगे, सम्पूर्ण करेंगे। उनके सम्बन्ध में एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। एक कमेटी बनी थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स के लिये उसकी रिपोर्ट में था गुप्त प्रतिवेदन किस प्रकार से लिखा जायेगा। एक तो खुशामद करके जूनियर होते हुए भी सीनियर बन जाते हैं। इसीलिये उसके एक्चुअल परफार्मेन्स पर गुप्त प्रतिवेदन लिखेंगे उसके भी नम्बर दिये थे। इतने दिन के अन्दर चालान कर दिया या खारिज कर दिया। तीन तीन साल तक पड़े रहते हैं केस। ऐसा ही अदालतों में कर दिया। ऐसा ही मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के लिये, ऐसा ही सिविल जज के लिये। जहां इस तरह के नार्म्स बन जायें कि काम नहीं करोगे तो तुम्हारे गुप्त प्रतिवेदन में हम लिखेंगे लेक आफ इन्टेग्रिटी, लेक आफ इन्टेलीजेन्सी दोनों लिखेंगे। इसको आपने मन्जूर किया जो कि मन्जूर करने की थी।

एक कोआपरेटिव एक्ट के बारे में शोभाराम कमेटी बनी थी। मैं उसका चेयरमैन था। रजिस्ट्रार के दफ्तर में गया

(श्री शोभाराम)

उन्होंने कहा, हमने सुना ही नहीं इस कमेटी का नाम। सैक्रेटेरियेट में गया, वहां भी कहा गया सुना ही नहीं इस कमेटी का नाम। वह तो मेरे पास उसकी एक कापी थी, वह भिजवाई तब कहा हां, हां यह रिपोर्ट है। लेकिन सैक्रेटेरियेट में रजिस्ट्रार के यहाँ पर, जोइन्ट रजिस्ट्रार के यहां पर, एडीशनल रजिस्ट्रार के यहां पर गया, डिप्टी रजिस्ट्रार के दफ्तर खटखटाये, किसी को पता ही नहीं था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सन 1970 के करीब या 1969 के करीब, ठीक से नहीं कह सकता, एक बहुत बड़ा आन्दोलन राजस्थान कैनाल की जमीन के बारे में हुआ था। एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने सिफारिश की थी जिससे कि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट फायदा नहीं उठा सकें और जो स्वयं खेती करता है उसी को मुआवजा मिले। उस कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई, काफी अर्सा हो गया। पहले भी कई दफा कह चुका हूं। दो–तीन साल से कह रहा हूं। यह तो बतावें की यह रिपोर्ट है या नहीं? खो गई है? यह बात तो नहीं है कि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग चुरा कर ले गये हैं उसको। आपको पता नहीं चला। कम से कम देखना चाहिये।

ज्यादा वक्त न लेकर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी की परेशानी को मैं जानता हूं, वह क्या करें। घोषणा करने वाले घोषणा कर जाते हैं और बेचारे वित्त मन्त्रीजी बीच में रह जाते हैं। मैं ज्यादा घोषणा में यकीन नहीं करता हूं आप अपनी वित्तीय स्थिति को देख कर घोषणाएं किया करें। मै समझता हूं कि कठिनाई के वातावरण में हमारे वित्त मन्त्री जी काम कर रहे हैं। जो मैंने बातें कही हैं उसको ध्यान में रख कर काम करेंगे। बजट तो पेश करना ही था, जो हालात मौजूद थे उनमें बजट पेश कर दिया। हम यह समझते हैं देश बड़ी दुविधा में है, दिक्कत में आ गया है फिर भी ऐसा काम करें जिससे कि हम इन्वेस्टमेन्ट कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री समर्थलाल।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : सभापति महोदया, माननीय वित्त मन्त्री जी ने 1982-83 का जो बजट सदन के सामने रखा है, उस पर वाद विवाद चार तारीख से चल रहा है। इन तीन दिनों के वाद विवाद के अन्तर्गत यहां बैठ करके सदन के माननीय सदस्यों की इस बजट पर राय सुनने का मौका मिला है।

सभापति महोदया, जितने भी माननीय सदस्य इस बजट पर बोले हैं, करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने इस बजट का विरोध किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस सदन के जो माननीय सदस्य हैं, उन सब की भावना का विरोधी यह बजट है। यदि मैं यह कहूं यह बजट सदन विरोधी बजट है तो मैं समझता हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय सभापति महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बजट, ऐसा लगता है, राजस्थान की भूमि में बैठ कर नहीं बनाया है। यह बजट उन्होंने राजस्थान के वाहर जाकर के शायद दिल्ली या उसके आस पास जाकर बनाया है क्योंकि इस बजट को शुरू से आखिर तक पढ़ने से यह नतीजा निकलता है, यह सारांश निक-

(श्री समर्थलाल)

लता है कि जितने भी वर्ग इस राजस्थान के अन्दर रहते हैं, यह बजट किसी भी वर्ग को सन्तुष्ट करने वाला नहीं है। केवल एक वर्ग को जरूर सन्तुष्ट करता है, वह पूंजीपति वर्ग है जिसको यह बजट सन्तुष्ट करता है। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस की यह शुरू से परम्परावादी मान्यता रही है, पूंजीवादी लोगों के सहारे से कांग्रेस को हमेशा चलाया गया है। केवल गरीब का नाम लेकर पूंजीवादी लोगों के साथ रह कर कांग्रेस का शासन कांग्रेस के लोगों ने करने की कोशिश हमेशा से की है। ऐसा लगता है कि यह घाटे का बजट है। 340 करोड़ के घाटे का बजट है। 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट और इसके अलावा 50 करोड़ का शुद्ध घाटा इसमें बताया गया है इसकी किस प्रकार पूर्ति करना चाहते हैं उसकी पूर्ति करने की यह मंशा इसके अन्दर जाहिर होती है कि इन्होंने सबसे पहले घाटे की पूर्ति करने के लिये किसानों के ऊपर आघात करने की कोशिश की है। किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाया है, सभापति महोदया, उसमें सबसे पहले किसानों के हितों पर उन्होंने कुठाराघात करने की कोशिश की है। बिजली की दरों को लेकर इन्होंने करीब 11 करोड़ के टैक्स लगाये हैं। फ्लैट रेट को दुगुने के करीब कर पांच करोड़ के टैक्स लगाये, 16 करोड़ बनता है यह। इसके अलावा 9 करोड़ सिंचाई के नाम पर लगाये, 25 करोड़, और एक करोड़ के और इन्होंने दूसरे टैक्स लगाये, यह सब मिला कर 26 करोड़ होते हैं। 50 करोड़ के घाटे के अन्दर, सिंचाई और बिजली पर टैक्स लगा कर इस सरकार ने यह साबित कर दिया है कि यह कांग्रेस की सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार के रहते हुए जो राजस्थान का गरीब किसान है, वह किस प्रकार राजस्थान के अन्दर किसान की हैसियत से रहेगा ? मैं समझता हूं कि यह बहुत मुश्किल बात है। आपने देखा होगा, इस सदन के माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि जयपुर के अन्दर, इस शहर के अन्दर आकर राजस्थान के गांवों के किसान, रिक्शा चला रहे है, इस जयपुर के अन्दर तांगा चला रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे राजस्थान के जो बड़े-बड़े शहर हैं उन शहरों के अन्दर राजस्थान के गांव के किसान आकर के मजदूरी कर रहे हैं. किसान किसानी का काम छोड़कर मजदूरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान किसानी न करके मजदूरी कर रहा है या फिर दूसरे छोटे मोटे काम करने की तैयारी में लगा हुआ है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार के 30-35 सालों के शासन के अन्दर कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं उन गलत नीतियों के कारण इस प्रकार की स्थिति बनी, बनती रही, इस प्रकार का ओवर ड्राफ्ट बनता रहा। इस प्रकार का घाटा होता रहा और इन घाटों के परिणाम स्वरूप आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति जो है वह हमारे सामने है। राजस्थान के अन्दर जो कुछ भी विकास की बातें पिछले वर्ष में की गयीं वह हम लोगों के सामने हैं। कितने विकास के काम हमारे प्रदेश अन्दर इस सरकार के समय हुए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान के बजट के अन्दर आज जब इतना घाटा है, इस पर इतना ओवर ड्राफ्ट है और सरकार के पास पैसा नहीं है तो

Page No 92

(९२)

(श्री समर्थलाल)

इन सब की पूर्ति होने की कोई सम्भावना नजर नहीं आती। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आखिर राजस्थान का विकास किस प्रकार से करेंगे। मैं यह मानकर चलता हूं कि आगे आने वाले वर्षों में राजस्थान विकास के अन्तर्गत शून्य होगा, विकास के नाम पर माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में पेज 24 पर अन्तिम लाइन में साफ लिखा है जैसे जैसे वित्तीय प्रावधान होगा उसके आधार पर विद्यालय, डिस्पेन्सरी और दूसरे विकास के काम होंगे। इससे हाउस राजस्थान के विकास का अन्दाजा लगा सकता है। यदि कुछ आशा है राजस्थान के विकास होने की तो उस आशा के अनुरूप कुछ विद्यालय खोलने की वे बात करते, कुछ डिस्पेंसरीज खोलने की वे बात करते और सिंचाई की बात करते, लेकिन मैं समझता हूं कि अब हमारी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो चुकी है। इस डांवाडोल की परिस्थिति के अन्दर नहीं है तो राजस्थान विधान सभा में माननीय वित्त मंत्री यह कह दें कि हम इस प्रकार से विकास के काम करेंगे।

श्रीमान् सभापति महोदया, यह जो बजट के अन्दर बातें सामने आयी हैं, मैं समझता हूं कि ये ऐसी बातें हैं जिनको सदन के माननीय सदस्यों ने किसी प्रकार का समर्थन नहीं दिया है इनका किसी प्रकार से भी समर्थन उन्होंने नहीं किया है। हां, वित्त मंत्री जी के कल के और आज के कुछ प्रयास किये हैं, शायद उन्होंने कुछ माननीय सदस्यों से XXX की है, उसके आधार पर उन्होंने इसके पक्ष में कहलवाने की कोशिश की है ताकि ऐसा लगे कि कुछ माननीय सदस्य तो बजट के पक्ष में बोलें। कल एक माननीय बोले थे और आज एक माननीय सदस्य इस बजट के पक्ष में बोले थे। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बजट के पक्ष में इस सदन का कोई भी सदस्य नहीं है। वे चाहते हैं कि ऐसे बजट के बारे में चर्चा नहीं हो। मैं समझता हूं कि यह चर्चा सही नहीं हो रही है। इस बजट के बारे में 12 तारीख को ही हां या ना का सवाल आयेगा। मैं समझता हूं कि अगर आप लोग ने अपनी आत्मा का गला घोट कर इस बजट के पक्ष में हां की तो राजस्थान की जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे और यह बुरी बात होगी। इसलिये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हां और ना सही बातों की, सही कार्यक्रमों की होनी चाहिये। सत्ता पक्ष के लोगों ने हां और ना को नहीं समझा, इसी का प्रतिफल है कि इतना ओवर ड्राफ्ट हुआ, इतना घाटा हुआ। आप लोगों ने सही तरीके से हां नहीं की है और मंत्री लोगों ने जो कुछ सदन में रखा है उसी की हां, हां करते रहे हैं, उसी का यह परिणाम है जो आज हमारे सामने आया है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 12 तारीख को जब हां ना करें उससे पहले वित्त मंत्री जो कर प्रस्ताव लाये हैं उनको इस बजट के अंग के रूप में न मान कर उनको इसमें से वापस हटवाया जाय और वित्त मंत्री जी से निवेदन किया जाय कि राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान के गरीबों के हित के लिए, और ग्रामवर्ग के लोगों के हित के लिये, सब लोगों के हित के लिये दूसरा बजट पेश किया

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री समर्थलाल)

जाय । उस बजट से हो सकता है शायद विपक्षी दल भी सहमत हो और वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करें। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो कुछ बजट वित्त मंत्री जी ने रखा है इसके अन्दर न कोई राजस्थान के विकास की बात कही है, न राजस्थान के गरीब लोगों की बात कही है, न राजस्थान में किस प्रकार से विकास करना चाहते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस प्रकार से गरीबों की मदद करना चाहते हैं, इस प्रकार की कोई बात कही गई है, इन बातों का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री केसरी सिंह चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : आदरणीय सभापति महोदया, हमारी सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछली तीन तारीख को पिछली साल के आय-व्यय की गतिविधियों की रूपरेखा सहित राजस्थान के भविष्य की रूपरेखाओं का एक लेखा-जोखा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से यह सही है कि ओवर ड्राफ्ट की स्थिति बढ़ी। अकाल की स्थिति, सूखे की स्थिति, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, चाहे किसी दल की सरकार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति वित्त मंत्री हो, सरकार को अपने लोक कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये, विकास की गति को बढ़ाने के लिये विशेष रूप से धन के साधन जुटाने अत्यावश्यक होंगे। मैं भी वास्तविक रूप से इस बात को मानता हूं कि निश्चित रूप से यह सही है कि लोक कल्याणकारी सरकार की राज्यों को, लोक हित सोचने वाली सरकारों को लोक कल्याण कार्यों को, विकास कार्यों को हाथ में लेने के लिए इस बारे में तत्परता दिखानी होती है।

माननीय सभापति महोदया, इसके लिये यह आवश्यक है कि दो ही रास्ते इसके हो सकते हैं या तो आज की स्थिति में आय के नये साधन जुटाये जाय या अपने खर्च में कटौती की जाय। इसी संदर्भ में आय के साधन जुटाने के लिये, मेरा विश्वास है, हमारे वित्त मंत्री जी ने करों का प्रावधान किया है बिजली व सिंचाई पर टैक्स बढ़ाये हैं और कुछ सुविधाएं जनता को देने की घोषणा की है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी को याद दिलना चाहता हूं कि सप्तम् वित्त आयोग ने 1979-80 में यह घोषणा की थी कि हमने जितना पैमा दिया है, जो योजनाएं दी हैं, जो नीतियां निर्देशित की हैं, उसके आधार पर 1984-85 तक जाकर राजस्थान की सरकार 220 करोड़ के सरप्लस में हो जायेगी। पता नहीं क्या कारण हैं नीतियों की क्रियान्विति में खामियां रही होंगी या और कोई खामी रही होगी, लेकिन मुझे दुख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि किन्हीं कारणों से आज 1982-83 में जाकर के हमारी स्थिति 680 करोड़ के घाटे की हो चुकी है। जिन कारणों से यह घाटा हुआ, इसके लिये मैं उत्तरदायित्व राजस्थान की सरकार पर डालना चाहता हूं, विद्वान वित्त मंत्री जी पर डालना चाहता हूं।

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

लेकिन इसके साथ साथ साथ मैं राजस्थान सरकार को यह चेतावनी दिये बिना नहीं रह सकता कि वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1984-85 तक पहुंचने वाला 220 करोड़ का सरप्लस पैसा यदि आज की तारीख में 680 करोड़ के घाटे में परिणत हो जाता है तो 84-86 तक सरप्लस रहने वाला पैसा एक हजार करोड़ के घाटे में परिणत होने के खतरे का स्पष्ट संकेत देता देता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय को, ऐसी स्थिति आयेगी 85 तक कि राजस्थान के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास एक पैसा नहीं रहेगा और राजस्थान की सरकार अपने आप में दिवालिया घोषित हो जायेगी। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए आपको साधन जुटाने पड़ेंगे। मैं यह मानकर चलता हूं, मानने को मैं तैयार हूं कि जो साधन आपने जुटाये, उनके अलावा हो सकता है कि राजस्थान की सरकार दूसरे कोई साधनों के बारे में सोच नहीं सकी होगी। लेकिन इसके साथ मैं एक बात आपको कहे बिना नहीं रह सकता कि आपने बिजली और सिंचाई के साधनों पर टैक्स लगाये हैं दूसरी तरफ जिस प्रकार का बजट आपने पेश किया है, मुझे अचम्भा होता है, मैं विरोध करने की दृष्टि से नहीं बोल रहा, लेकिन वास्तविकता को, माननीय वित्त मंत्री महोदय, छुपाया नहीं जा सकता कुछ कीर्तिमान स्थापित किये गये हैं। आपने पेज 23 पर 66 पैरा में 14.49 करोड़ का सरप्लस बजट बताया, ओवर ड्राफ्ट के कीर्तिमान आपके समय में स्थापित किये गये हैं, 340 करोड़ के और 48 करोड़ के टैक्स स्थापित किये गये हैं, यह एक कीर्तिमान है जिसकी तरफ राजस्थान सरकार को चिंतित होकर सोचना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स केन्द्र सरकार ने भी लगाये हैं, आपने भी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया है। राजस्थान सरकार को सोचना चाहिये था टैक्स लगाने से पहले क्यों, कि हम समाजवाद के आधार पर चलना चाहते हैं, गरीब की सहायता के लिये पिछड़े को पहले लाना चाहते हैं। गरीब की मदद करना चाहते तो मैं इस बात का स्वागत यहां खड़ा होकर करता, सदन के सदस्य इस बात का स्वागत करते, मेरा ऐसा मानना है कि समाज में आस्था रखने वाले विरोधी लोग भी आपकी इस बात का स्वागत करते। टैक्स लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखते कि गरीब को सहूलियतें ज्यादा दी जानी हैं, अमीर से ज्यादा टैक्स वसूल किया जाना है तो निश्चित रूप से मानकर चलता हूं सब इसका स्वागत करते। केन्द्र सरकार ने टैक्स लगाये लेकिन इनकम टैक्स के अन्दर 10 हजार से 20 हजार तक की सीमा बढ़ायी। आज मुझे खुशी होती यदि राजस्थान की सरकार टैक्स लगाते वक्त उसका अनुसरण करती। सिंचाई पर टैक्स लगाना आवश्यक था, कोई भी इस बात को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता क्योंकि राजस्थान के अन्दर आज जिस प्रकार की स्थितियां हैं राजस्थान में सिंचाई पर खर्चा होता है। मुझे जानकारी मिली है कि एक एकड़ जमीन को सिंचित करने के लिए सरकार को करीब 6 हजार रुपया खर्च करना पड़ता है, उसमें से केवल मात्र 20 रुपया सालाना इकट्ठा किया जाता है यानि 10 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से यदि वसूल किया जाता तो कम से कम 600 रुपये सालाना वसूल होते। इसके स्थान पर केवल 20 रुपये

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

वास्तव में न्यायोचित नहीं हैं। मेरा सुझाव यह था, कि आप ही इस चीज को महसूस करें, सोचें और विचार करें। निश्चित रूप से समाजवाद को दृष्टिगत रखते हुए आप इसमें सुधार करें। 5 एकड़ तक जिनकी जमीन पर सिंचाई हो रही है वह जमीन साधारण और गरीब किसान की है, उसको आप सिंचाई की दरों से पूर्ण रूप से मुक्त कर दें, यह सदन आपका तालियों की गड़-गड़ाहट के साथ स्वागत करेगा। उससे ज्यादा जमीन वालों के लिए कुछ बढ़ाते और बहुत ज्यादा वालों, 50 एकड़ जमीन वालों के लिए काफी ज्यादा टैक्स कर देते तो साधारण गरीब तबके का किसान, गांव गांव में बैठने वाला किसान आपकी इस घोषणा का स्वागत करता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मंत्री महोदय, आप लोग किसान विरोधी इस बजट को बताते हैं। बजट के अन्दर बिजली दरों की बढ़ोतरी को देखकर सदस्यों के दिलों दिमाग में दर्द है, तड़प, है, उत्पीड़न है। हम, आप सोचते हैं कि जब हम होली की छुट्टियों में अपने विधान सभा क्षेत्रों में जायेंगे तो किसान भूखा, नंगा मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, निश्चित रूप से बिजली की स्थिति आपके सामने है, आपने बिजली पर टैक्स लगाया, मैं नहीं कहता कि मत लगाइये, लेकिन आश्चर्य तब होता है जब राजस्थान की विधान सभा में बिजली पर टैक्स लगाया जाता है उसी समय बिजली गुल हो जाती है। इस प्रकार बिजली की स्थिति है। बिजली आप पूरी दे नहीं पाते, चार घंटे भी नहीं दे पाते और टैक्स पर टैक्स लगाते जा रहे हैं, किसान की कमर टूटती जा रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मूल्यांकन दिमाग में करें, तय करें कि कितना आप उनको दे रहे हैं और उसके अनुपात में कितना ले रहे हैं। आज एक किसान के पास 5 बीघा जमीन है जिसके अन्दर सिंचाई करने के लिए 5 हॉर्स पावर की मोटर लगा रखी है तो उसकी फ्लेट रेट भी वही है जो उसकी है, जिसके पास 5 हॉर्स पावर की मोटर के साथ के साथ 250 बीघा जमीन है। माननीय वित्त मंत्री महोदय, मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूं इस स्थिति को, आप तय करें निश्चित रूप से समाज-वाद के आधार पर चलने वाली सरकार, लोक कल्याणकारी अपने आप को उद्घोषित करने वाली सरकार किस प्रकार गरीबों का भला कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बिजली की गम्भीर परि-स्थिति किसान को देखनी पड़ती है, वह बिजली की कमी के कारण सर्दी के अन्दर ठिठुरता हुआ और गर्मी में दोपहर की गर्मी में तपता हुआ अपने खेतों को सींचता है, जब यहां के सेठ एयर कंडीशंड बंगलों में पड़े रहते हैं। किसान के साथ आप इतना बड़ा अन्याय करेंगे तो वह कहां तक आपके साथ न्याय करेगा, इस बात का फैसला में आप पर छोड़ता हूं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन सारी परिस्थितियों को देखें। दूसरे राज्यों की स्थितियों को भी देखें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा गुजरात गवर्नमेण्ट का उदाहरण लीजिए। गुजरात के अन्दर जो सिंचाई व्यवस्था है जिस प्रकार से दरें निर्धारित की हैं उसी के अनुसार यदि दरों को बढ़ाते तो हम लोगों को इतना दुख नहीं होता, इतनी आपत्ति नहीं होती।

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से, हमारे यहां बहुत सी योजनाओं की क्रियान्विति होने वाली थी किन्तु हमारे किसानों की फ्लेट रेट बढ़ाने के बाद क्या स्थिति होगी ? हमारे किसान जिस प्रकार से दुखी होंगे उसकी आपको कल्पना करनी चाहिए। आपको मैं इस विषय में सुझाव देना चाहता हूं जिस प्रकार कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बिजली का 250 मेगावाट का नया कारखाना लगाने की स्वीकृति प्रदान की है यदि आपमें क्षमता नहीं है, राजस्थान के इन्जीनियरों में क्षमता नहीं है और राजस्थान की सरकार में क्षमता नहीं है बिजली के पूरे स्रोत उपलब्ध करवाने की, तो क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर को इस प्रकार समस्या का समाधान करने की स्वीकृति प्रदान कर देते जिससे हमारे यहां का किसान अपनी समस्याओं से जूझने से दूर रहे।

मैं बजट पर एक नजर डालना चाहता हूं, जिस प्रकार व्यय बढ़े हैं आपके इस बजट में, माननीय वित्त मंत्री महोदय, जिस प्रकार से आप विकास के व्यय में बार बार कटौती करके घटाते जा रहे हैं यह बहुत दुख का विषय है। आज हमारे यहां जिस प्रकार व्यय बढ़ता जा रहा है उसकी चिंता करनी चाहिए, उस तरफ राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए। विकास कार्यों में व्यय कम होता जा रहा है और व्यर्थ के कार्यों पर व्यय बढ़ता जा रहा है जिसको रोक नहीं पा रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपको सोचना चाहिए। प्रशासनिक मद में इतना बड़ा व्यय भार है है जिससे आज सारा सदन चिंतित है। मैं आप से निवेदन करूं कि आज राजस्थान के अन्दर 32 प्रतिशत से ऊपर प्रशासनिक व्यय बढ़ता जा रहा है, जब कि 16 प्रतिशत से ऊपर, अर्थशास्त्रियों की मान्यता यह है, व्यय नहीं बढ़ना चाहिए। प्रशासनिक व्यय केन्द्र सरकार का आज 17-18 प्रतिशत के बीच में है जिसकी वजह से केन्द्र सरकार भी चिन्तित है किन्तु राजस्थान की सरकार 33 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के बावजूद चिंता नहीं करे तो यह बड़े दुख का विषय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार की परिस्थितियों में इस प्रकार के खर्चों को कम करना चाहिए। आज जनरल सर्विसेज के ऊपर व्यय 2 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि सामाजिक सेवाओं पर 3 प्रतिशत घटा है। ऐसी परिस्थितियों में यदि राजस्थान सरकार अपने आपको लोक कल्याणकारी सरकार साबित करना चाहती है तो उसे अपने बजट पर पुनः विचार करना चाहिए और सभी पहलुओं पर सोचना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बहुत प्रसन्नता होती यदि बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी और बेरोजगारी भत्ता देने की बात बजट में सोचते मैं केवल खर्चे की बात नहीं करता, एक रचनात्मक सुझाव आपको देना चाहता हूं। आप प्रौढ़ शिक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं आज राजस्थान में। आप से निवेदन करना चाहता हूं, आप राजस्थान के गरीब युवकों को रोजगार की गारंटी देते, बेरोजगारी भत्ता देते। मैं प्रौढ़ शिक्षा की बात कर रहा हूं, फ्रॉड शिक्षा की नहीं, लोकदल वाली नहीं, कांग्रेस वाली। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि प्रौढ़ शिक्षा के अन्दर युवकों को लगाकर बेरोजगारी भत्ते पर राशि व्यय की जाती, उसका उपयोग किया जाता तो राजस्थान सरकार इस बात को शावाशी लेती। राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या आपने 9.42 लाख अपने बजट भाषण के अन्दर पेज 17 के अन्दर स्वीकार की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार प्रदेश की औद्योगिक स्थिति हो रही है उसके कारण आज औद्योगिक अशांति फैलती जा रही है। आपने इस बात को स्वीकार किया है कि आपके यहां अशांति के फलस्वरूप औद्योगिक श्रमिक दिवसों की संख्या के अन्दर कटौती हुई है। आपको इस बात को चिंता का विषय मानकर स्वीकार करना पड़ेगा, इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि औद्योगीकरण के विकास की ओर जिस तीव्र गति से चलना चाहते हैं उसमें उद्योगों में हड़ताल, श्रमिक दिवसों में कटौतियां एक चिंता का विषय है जिसको आप ज्वलंत समस्या मानकर उसका समाधान करने का प्रयास करें....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)।

सभापति महोदय, मैं आपकी कृपा से दो मिनट और लेना चाहता हूं।

जिस प्रकार साधन आपने बढ़ाये, जिस प्रकार साधनों को बढ़ाकर राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं, मेरा मानना है और मैं आपसे भी स्वीकार कराना चाहता हूं कि उससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली मुझे नहीं लगती। आपको सोचना चाहिए जिस प्रकार का खर्चा राजस्थान की सरकार पर बढ़ता जा रहा है, XXX का पेट भरने कर उन पर खर्चा किया जा रहा है, मेरी स्पष्ट मान्यता है, माननीय वित्त मन्त्री महोदय, एक दिन ऐसा आयेगा जिस दिन आप इन खर्चों को कम नहीं करने के बजाय बढ़ाते चले जायेंगे और सीमा के बाहर यह समस्या बढ़ती हुई चली जायेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं. मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान में वित्त विभाग का पुनर्गठन किया जाय। यह वित्त विभाग का बनाया हुआ आपने बजट पेश किया है। मुझे स्पष्ट लगता है, अलग-अलग डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगाकर उन्हें कागज में फेंक करके हम लोगों को प्रस्तुत कर दिया है। अच्छा होता, बजाय आई.ए.एस और आर.ए.एस. अफसरों के XXX में फंसने के प्रदेश के विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्रियों से इस मामले में सुझाव लेते। मुझे खुशी होगी अगर वित्त विभाग इकानामी कमेटी का गठन करे। पिछली कमेटी के अन्दर मुख्य मन्त्री रहे हों या वित्त मन्त्री रहे हों उसकी रिपोर्ट हैं, उनमें से एक पर अमल नहीं किया गया, क्योंकि आई.ए.एस. की दराजों में वह आज भी बन्द पड़ी हैं। मुझे खुशी होती, यदि राजस्थान की सरकार प्लानिंग कमीशन का गठन करती, इकानामी कमीशन का गठन करती और इस प्रकार से एडवाइजरी ब्यूरोज का गठन करती ताकि ऐसे अर्थशास्त्रियों की राय से राजस्थान के सरकार आगामी बजट बना सके, खर्च को कम कर सके और राजस्थान के विकास की गति को तेज कर सके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, वर्तमान परि-

---

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

स्थितियां जिस प्रकार की हमारे प्रदेश में चल रही हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार बिना टैक्स लगाये, बिना करों को एकत्रित किये बिना धन के साधन जुटाये कोई विकास का कार्य नहीं कर सकती है। लेकिन उस सम्बन्ध में आपको सोचना पड़ेगा, आपको विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज राजस्थान के अन्दर अरबों-खरबों रुपयों की खनिज सम्पदा पड़ी हुई है, जिसके लिये राजस्थान की सरकार, मैं निश्चित रूप से मानता हूं, चिन्तित तो है लेकिन जितनी चिन्ता होनी चाहिये उस स्तर की चिन्ता उसको नहीं है। आज फलौदी से लेकर के माननीय वित्त मन्त्री महोदय के स्वयं के क्षेत्र तक नमक के सैंकड़ों एकड़ के प्लाट खाली पड़े हैं। उनके अलॉटमेंट से आज करोड़ों रुपयों की आय राजस्थान की सरकार को नमक के उत्पादन से हो सकती है लेकिन न जाने किन कानूनी बाधाओं से राजस्थान की सरकार यह करने में अभी तक अक्षम है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि के बेचान की घोषणा बार-बार की गई लेकिन कितना प्रतिशत उन घोषणाओं की क्रियान्विति की गई।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार का खर्च सचिवालय में किया जा जा रहा है, मुझे जानकारी मिली है 40 सचिव आज राजस्थान के सचिवालय में कार्य करते हैं, जबकि मैं यह मानकर चलता हूं और विशेषज्ञों की राय है कि 12 से काम चल सकता है। इस प्रकार जो खर्च है उन में यदि कटौती नहीं की गई, प्रशासनिक खर्च में यदि कटौती नहीं की गई और फिजूल खर्च में यदि कटौती नहीं की गई तो राजस्थान की सरकार इस प्रकार के करों के बावजद राजस्थान की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य नहीं कर पायेगी।

मैं यह निवेदन करता चाहता हूं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से, आज राजस्थान के बहुत से सरकारी दफ्तर किराये के बंगलों में चल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं देवस्थान के पास बहुत से भवन ऐसे हैं जो 1,2,5,10 रुपये किराये में चल रहे हैं, पी. डब्ल्यू. डी. के बहुत से भवन हैं जो बहुत न्यूनतम किराये पर चल रहे हैं। मुझे खुशी होगी, यदि राजस्थान की सरकार यह निर्णय ले कि जितने भी भवनों को किराये पर दे रही है प्राइवेट लोगों को, उनमें सरकारी दफ्तरों को शिफ्ट कर दिया जाये और खर्च में कटौती की जाय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं अकाल के मामले में, अकाल पर बहुत सा पैसा खर्च किया गया। नजदीकी से मैंने इस बात को देखने का प्रयास किया कि अकाल पर जितना पैसा खर्च होता है, उसका सदुपयोग होता है या नहीं। मैं उदाहरण के लिए निवेदन करना चाहता हूं, सड़कों पर मिट्टी डाल दी जाती है वह मिट्टी बरसात के पानी से बह जाती है। मुझे दुःख है, निश्चित रूप से पैसे का कोई सदुपयोग नहीं होता। एक उदाहरण हमारे सीकर जिले का है, जहां भण्डारीजी कलेक्टर थे उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की थी जिससे अकाल की समस्या का हल निकाला जा सकता है। लोगों को, जनता को कुएं बनाने के लिए 50

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

पर्सेन्ट सब्सिडी दी थी, 50 पर्सेन्ट लोन दिया था। सेन्ट पर्सेन्ट खर्चा उनको सरकार की तरफ से दिया गया था। निश्चित रूप से हमारे यहां बहुत से गांवों के अन्दर कुएं खुदे, जिसका लाभ पर्मानेन्ट रूप से जनता को मिल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अकाल राहत के नाम पर जो पैसा मिलता है उसको व्यर्थ में बरबाद न करके इस तरह खर्च किया जाये कुओं की खुदाई के लिए 50 पर्सेन्ट सब्सिडी दी जाय, 50 पर्सेन्ट लोन दिया जाय, जिससे गरीब तबके के किसान भी उसी प्रकार कुएं बनाने की हिम्मत कर सकें और राजस्थान सरकार की तारीफ कर सकें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से कि हमारी योजनायें लम्बी चली जाती हैं। योजनायें बनने के बाद कागज के पुलिन्दों में वह योजना बन्द रहती हैं। राजस्थान कैनाल की योजना को मैं एक उदाहरण के रूप में आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं इसकी योजना बहुत वर्षों से चल रही है पैसा लगता जा रहा है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं और बढ़ते-बढ़ते इस स्थिति में पहुंच गई कि आज तक जितना पैसा खर्च हुआ उस पैसे से वह योजना पूरी हो सकती थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान कैनाल जैसी बड़ी योजनाओं में जो घोटाले हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी आयोग बिठा कर जांच करायी जाय। जांच में यह पाया जाय कि राजस्थान कैनाल में भ्रष्टाचार हुआ है, देरी लगी है, पैसों का दुरुपयोग हुआ है तो उसको रोकने के लिए जिन लोगों को दोषी पाया जाय उसको सजा दी जानी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से आज सहकारी विभाग में करोड़ों की वसूली रुकी हुई है, करों की दूसरे विभागों से वसूली रुकी हुई है, खान के ठेकेदारों के पास अरबों रुपयों की वसूली रुकी हुई है उसको वसूल करने में राजस्थान की सरकार अभी तक पूरी तरह अक्षम है। जैसी स्थिति है, उसमें अगर हमने गलती की है यदि हमारी क्षमता के बाहर कोई चीज रही है तो उसे स्वीकार करने में शर्म नहीं आनी चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको वे योजनायें हाथ में लेना जरूरी है। मुझे खुशी होती, यदि बजट भाषण में इस बात को उल्लेख होता कि राजस्थान में युवक कल्याण बोर्ड का गठन किया जायगा। युवकों के कल्याण की योजनायें बनाई गई होतीं, प्रदेश के कलाकारों और हस्त शिल्पकारों को सुविधायें प्रदान की गई होतीं जिनके माध्यम से लोग रोजगार कर पाते, विदेशों को एक्सपोर्ट करते, उनकी कालोनियां बसाई जातीं उनके लिये डिजाइनिंग सन्टर्स की स्थापना की जाती जिससे कि राजस्थान की सरकार की तरफ जो लोग आंखें बाये देख रहे हैं उन लोगों को राहत मिलती।

मैं निवेदन करना चाहता हूं यह बजट जो राजस्थान की सरकार ने प्रस्तुत किया है इसमें घाटे की परिस्थिति में, ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में, वर्तमान परिस्थितियों में निश्चित रूप से कर लगाने आवश्यकता थी,

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

लेकिन हमारी मांगों को उसके अन्दर छोड़ दिया गया है, एक गौण स्थिति के अन्दर छोड़ दिया गया है, यह कहा गया है कि डिस्पेन्सरियां खोली जायेंगी। क्या उसी प्रकार से डिस्पेन्सरियां खोली जायेंगी जिस प्रकार से डिस्पेन्सरियां इस बार खोली गई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, न डिस्पेन्सरियों की संख्या दर्शाई गई है, न स्कूलों की संख्या दर्शाई गई है, न सड़कों की संख्या आपने दिखाई है, केवल मात्र आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उन आंकड़ों से राज्य की जनता का भला होने वाला नहीं है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि बजट को किसान विरोधी बताया है लेकिन, माननीय वित्त मन्त्री महोदय, यह बजट किसान विरोधी तो नहीं हो सकता लेकिन गरीब किसानों को इस बजट के कारण दुःख हुआ, उनकी आत्मा को ठेस पहुंची इसलिए इस पर पुनर्विचार करें ताकि साधारण तबके, गरीब किसानों को इतना लाभ पहुंचे जिससे गांव गांव तक आपकी वाहवाही पहुंचे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

राजस्थान की सरकार को समाजवाद की आधारशिला मान सकें, लोग यह स्वीकार कर सकें कि गरीबों को राहत पहुंचाने में जिस प्रकार की राजस्थान की सरकार ने सहृदयता दिखाई उसी प्रकार से बड़े बड़े सेठों, धन्ना सेठों, करोड़पतियों से भी कर वसूली करने में पीछे नहीं है। दुर्भाग्य से....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री दीपेन्द्रसिंह : मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री दीपेन्द्रसिंह : एक सैकन्ड में, एक सैकन्ड में।

इसलिये सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस बजट में अच्छी बातें रख कर राजस्थान की सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाया है उसका हमें स्वागत करना चाहिये। जो कमियां हैं, जिन कारणों से राजस्थान सरकार की छवि धूमिल होती है और जिन करों से गरीब तबकों को नुकसान होने वाला है उन पर आपको विचार करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जगनसिंह।

श्री जगनसिंह (बयाना) : सभापति महोदया, 3 मार्च को राजस्थान के वित्त मंत्री जी ने....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 10 मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जगनसिंह : मै पांच मिनट में कर दूंगा।

श्री यदुनाथसिंह : ××× करें तो जल्दी बैठा दें और ढंग से बोले तो बोलने दो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य जल्दी शुरू करें।

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जगनसिंह : 3 मार्च को माननीय वित्त मन्त्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया है। सभापति महोदय, मैं मानता हूं जहां राजस्थान सरकार ओवर ड्राफ्ट की तरफ जा रही है, वहां एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ अकाल की परिस्थिति में प्रदेश में जो बजट माननीय वित्त मन्त्रीजी ने प्रस्तुत किया, वह वास्तव में स्वागत योग्य है. मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं किसान का बेटा हूं इसलिए मुझे कुछ बात कहनी पड़ेगी। किसानों के ऊपर डबल फ्लेट रेट लगाई गई है उसके लिये मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह पुनर्विचार करें। एक माननीय सदस्य ने मुझसे पहले वास्तविक किसानों के लिये जो कहा उसके लिये मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में सीलिंग चल रही है। बड़े किसान राजस्थान में नहीं हैं, सीलिंग में सभी किसान आते हैं। जो कृषि करता है, कृषि के लिये काम करता है वही किसानों में शामिल होता है। माननीय सभापति महोदया, राजस्थान में किसानों के लिये जहां बिजली कम दी जाती है, वहीं डबल फ्लेट रेट लगायी गयी है। एक तरफ रात को किसान सर्दी में ठिठुरता है. ठिठुरते हुए वह खेत में पानी देता है और बिजली न देने के कारण बिजली का इन्तजार करता है। दूसरी तरफ हम और यहां के बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े पूंजीपति महलों में सोते हैं। इसलिये मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां बजट घाटे में चल रहा है वहीं गम्भीरी नदी का पानी बयाना भरतपुर में बेकार जाता है। उससे धन की भी हानि होती है। इस नुकसान को बचाने के लिये, किसानों के द्वारा उस पानी का सदुपयोग करने के लिये, सरकार के खजाने में पैसा लाने के लिये कार्यवाही की जाय। टैक्स लगाये जायें तो उससे रेवेन्यू मिलेगा, जो धन का नुकसान होता है वह बचेगा।

इसके साथ ही जो बजट पेश किया गया है उसका मैं पुनः स्वागत करता हूं और आपसे पुनः निवेदन करूंगा, वित्त मन्त्री, जी फ्लेट रेट का किसानों के ऊपर जो भार थोपा गया है उस पर पुर्नविचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री त्रिलोक सिंह।

अगर माननीय सदस्य तैयार नहीं हैं तो दूसरे सदस्य ...

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : नहीं, मैं तैयार हूं।

माननीय सभापति महोदया, जो बजट सदन में तीन तारीख को रखा गया है यह ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिये आज की सरकार ने कोशिश की है कि राजस्थान के लोगों को गुमराह कर सके। यह किसान विरोधी बजट तो है ही पर यह अवाम विरोधी भी है। इस समय सरकार ने तमाम विकास को रोककर किसानों को बर्बाद करने की कोशिश की है वहां अवाम की खुशहाली को उसने खतम किया है. यह कहने की जरूरत नहीं है। कागजों से खुशहाली होती तो हम दो-तीन साल तक कागज ही लिखते रहे हैं, खूब किताबें लिखी हैं। आज हमारे प्रदेश का क्या है? पाकिस्तान से लेकर लुहारू तक देखें वहां एक-एक चप्पा जमीन बता रही है कि इस देश में क्या विकास हुआ, गरीब के साथ क्या गुजरी। यह ऐसा बजट है जो बिलकुल साफ जाहिर करता है,

(श्री जगनसिंह)

कि यह कैसा बजट है? यह ऐसा बजट है जिसमें विकास की दिशा नहीं है। यह ऐसा बजट है जो जन-साधारण की खुशहाली के लिये कुछ कर नहीं सकता। आज देश का किसान किस हालत में है यह न तो बजट मन्त्री को, वित्त मन्त्री को पता है और न दूसरे लोगों को पता है। ऐसे दोस्त, जो बड़े-बड़े शहरों से आते हैं, किसान की जिन्दगी के बारे में नहीं जानते, मजदूरों की जिन्दगी के बारे में नहीं जानते। जिस तरह की सदन में प्रतिक्रिया हुई, वह यह बताती है कि यह बजट विकास विरोधी है किसान वरोधी है। यह किस की तरफदारी करता है, किस के लिये खुशहाली का पैगाम देता है? चन्द उन लोगों के लिये जो देश का शोषण करते हैं, देश को लूटते हैं। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे किसानों के बारे में, मैं सोचता था वह यहीं होंगे सदन में, वह सुनते कि वह किसान के बारे में क्या जानते हैं। आपको पता नहीं है देश का किसान देश को रोटी देता है. देश की हिफाजत भी करता है। आज जो देश का किसान बैठा है हाजी पीर के पास, कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों पर, नागालैंड में, जो दुश्मनों के जरिये भी खतम हो जाता है आज वह हमारे देश की हिफाजत के लिये, हमारे देश की सीमा की रक्षा के लिये बैठा है तो उसकी औरत खेत में पानी में खड़ी होती है। और वह भी कब, रात को। बिजली यह तमाशा करती है कि जब वह क्यारी में जाती है तो बिजली बन्द हो जाती है। ऐसा बजट ऐसे सदस्य के जरिये रखा गया है जो किसान के बारे में नहीं जानता, बल्कि ××× एक महाशय बोल रहे थे, किसान खुशहाल है, उनको पता नहीं है यह उन किसानों पर सीधा हमला करता है, जो किसान देश की हिफाजत करता है। सीकर, शेखावाटी, चूरू और नागौर में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका बेटा देश के लिये खून न देता हो। क्या हालत है उनकी, उसको वह नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि यह बजट उन पर प्रहार करता है. ××× मैं कहूंगा सदन से कि इस वित्त मन्त्री को बरखास्त किया जाये, जनता के कटघरे में खड़ा किया जाये, जो किसान का गला काटने की कोशिश में है। ××× बरबाद करना चाहता है। यह कैसा सोशलिज्म है, यह कैसा समाजवाद है? ऐसा ही होता है समाजवाद! चुनौती देना चाहता हूं कि समाजवादी मुल्कों को देखें, पिछले साल भी हमारे सदन के अन्दर सदस्य थे, उनसे पूछा कि समाजवादी मुल्कों का क्या नक्शा है? वहां कमाने वालों की क्या हालत है? अफसरों की जमात खतम हो गई, ××× इस मुल्क में भी अगर किसान का राज होता, मजदूर का राज होता तो जो इस तरह की बात कहने वाले हैं, जो किसान को सरे आम गालियां देते हैं उनको खेत में खड़ा कर देते, अकल दुरुस्त हो जाती। ××× उनको पता नहीं है, जब मुल्क की आजादी की लड़ाई चल रही थी, जब अमीर वर्ग किसानों को लूट रहा था और पण्डित जी ताली बजा रहे थे, जागीरदारों की सेवा कर रहे थे, जब हम जेलों में सड़ रहे थे, जब जागीरदार हमारे सिरों पर कीलें ठोक रहे थे, हमारी

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जगनसिंह)

मां-बहनों को कत्ल कर रहे थे, उस समय आजादी के दावेदार कहां थे ? मुझे याद है कि हजारों किसानों को बुरी तरह से मारा जाता था, उनको क्या मिला ? बरबादी मिली उनको, यह बजट मिला। उन्होंने किसानों के साथ वायदा किया था कि 24 घण्टे बिजली दी जायेगी। मुझे याद है पिछली बार बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने मीटिंग बुलाई। उसमें मुझे भी बुलाया और यह कहा गया, कामरेड, हम 15 घण्टे बिजली देंगे, आप ज्यादा फसल बोओ परन्तु 15 घण्टे के बजाय तीन घण्टे भी बिजली नहीं मिली। अरबों रुपयों की फसल राजस्थान की बर्बाद हो गई। इसकी जिम्मेदार कौन है ? ये वित्त मन्त्री। ये वह हैं जिसने किसान को बर्बाद किया। आज भी देश में किसान के साथ क्या होता है ? किसी मिनिस्टर ने सोचा है ? 4 हजार किसान फुलेरा तहसील से आपके यहां आये थे। वह कह रहे थे कि हमारी खेती बर्बाद हो रही है। ये मिनिस्टर लोग दावत उड़ाते हैं, ××× । आज कहते हैं कि कुदरत ने बड़ी मदद कर दी। इनको पता नहीं क्योंकि ये महलों में रहते हैं। ये चमकदार महल जो जयपुर में, बीकानेर में बने हैं वह किसानों के खून से पोते गये हैं।

इनको पता तब चलेगा जब किसान बगावत करेंगे। उन महलों को आग लगा देंगे, उनको भून देंगे तब पता लगेगा। आज कमाने वाले किसान की क्या हालत है ? पैर में जूती नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, सोने के लिये खाट नहीं है। उनके लिए पंडित जी महाराज यह कह रहे थे कि कुलक्स हैं। उनको पता नहीं कुलक शब्द क्या है, किसको कहते हैं। अरे, राजस्थान में कुलक, जयपुर जिले में कुलकों के पास पहनने को जूतियां नहीं हैं। वित्त मन्त्री महोदय ने बताया कि हमने करों में छूट दी है। काहे को ? कुओं पर नहीं, बिजली पर नहीं दी है। अरे, काहे को दी ? रेशम की चुनड़ियों पर दी है। रेशम की चुनड़ियां इनके घरों की औरतें पहनती हैं। आपने किसान को देखा ही नहीं। उनकी मां बहनों को पता नहीं रेशम की चुनड़ियां क्या बला होती है। अरे, ये चुनड़ियां इन सेठों, ××× के घरों में होती हैं। वे तमाशा देखते हैं। कहते हैं, हमने सिनेमा पर छूट कर दी। मैं चैलेंज के साथ कह देना चाहता हूं, चन्दनमल जी, दावे के साथ कहता हूं जयपुर से सरदार शहर चले जायें, वहां गांव में जाकर पूछें कि कितनी बार सिनेमा देखा। उनको पता नहीं, सिनेमा क्या बला होती है। सिनेमा से उनको कोई ताल्लुक नहीं है। सिनेमा वह देखता है, जो फोकट की रोटी खाता है, ×××। मैं कहना चाहता हूं, बजट में किसान के लिये कुछ नहीं है मजदूर के लिये कुछ नहीं है। ये सिपाही चारों तरफ सफेद कपड़ों में खड़े कर रखे हैं, जैसे कोई बगावत होने वाली है। अरे, उसके लिये क्या है बजट में ? सुबह से शाम तक यहां खड़ा रहेगा, खाने को रोटी नहीं, चाय की प्याली नसीब नहीं होती है। उसकी तनख्वाह पर क्या असर होगा ? वह गरीब मजदूर जो रात-दिन खून पसीना एक करता है, उसकी हालत पर क्या फर्क होगा ?

आज राजस्थान में भयंकर अकाल है। एक दिन से नहीं 5 साल से है। उस अकाल

××× शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जगनसिंह)

के बारे में क्या सोचा है ? यहां पर बैठ कर चाहे जो कोई कह जाये, चाहे सेन्टर से 20, 25, 50 करोड़ लेकर हम लोगों से कुछ भी कह दिया जाय लेकिन यह सच है कि गरीब अकाल से पीड़ित है, उसको पैसा नहीं मिला है। लोहारू से लेकर पाकिस्तान तक ऐसा पानी है जो इन्सान नहीं पी सकता, उस पीने के पानी के लिये क्या योजना है ? अभी गवर्नमेंट ने इसी सदन में बताया कि 24 हजार गांवों को पानी मिलेगा। आज चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि 3 हजार गांवों को पानी देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक आदमी को पानी नहीं दिया गया। मेरे इलाके का एक गांव सरदार शहर के करीब है। वहां ऐसा पानी है जो इन्सान के पीते ही वापस बाहर निकल जाता है। उस गांव के टीकूराम चौधरी ने सीकर में 100 दिन भूख हड़ताल की। ××× उस एक छोटी सी ढाणी को पानी नहीं दे सकी। ठीक है, जब तक ××× चले खाते जाओ पर याद रखो वह दिन बहुत नजदीक आने वाला है जब आप लोगों की मौत का पैगाम आयगा और लोग कहेंगे, दुनिया में ऐसे नालायक लोग ××× सरकार थी जो लोगों को धोखा देती थी।

जब हमारे लोग मर रहे थे, जब देश की आजाद हिंद फौज के लोग फांसी चढ़ रहे थे, तब अभी बोलने वाले पंडित जी मस्जिद, मन्दिरों में प्रसाद बांट रहे थे, प्रसाद के रूप में पेड़े खाते रहे थे और हमारे लोग उधर मर रहे थे। मैं सरकार से कह देना चाहता हूं, मैं इल्जाम लगाता हूं, मैं चैलेंज के साथ सरकार को कहना चाहता हूं, एक-एक सदस्य की जांच करा लो, पता लग जायगा क्या हालत है। पहले मेरी जांच करा लो, मेरी जमीन की जांच कराओ, मेरे घर की जांच कराओ, फिर बताओ कि हम कुलक हैं या जमीन खोदकर, जमीन का कलेजा चीरकर, मिट्टी का कलेजा तोड़कर, पत्थर का कलेजा तोड़कर इन ××× लोगों को रोटी देते हैं। हमारे बच्चों को रोटी नसीब नही होती है। वह रोटी ये ही नहीं खाते है, ये कुत्ते भी पालते हैं, मैं गत बार सदन में कुत्तों के बारे में, बोला था, बहुत से बोले भाई. हमारे दो तो कुत्ते हैं। लोगों के बच्चे भूखे हैं इनके कुत्ते हलवा खाते हैं खाकर लाल टमाटर हो रहे हैं। यह खून किसान का है, यह खून मजदूर का है, यह खून सारे भारत का है। एक दिन वह इनसे बदला लेगा, ××× मैं नहीं समझता कि जो सदन के सदस्य हैं, वह जागरूक नहीं हैं. उनमें ताकत नहीं है। उन किसानों से वोट लेकर आये हैं जो देश में 90 पर्सेन्ट हैं, जो भूखे हैं जो प्यासे हैं जिनके खेत भूखे हैं, उनके बेटे भूखे हैं हमारा पशुधन सब बर्बाद हो गया। कागजों में बड़ी स्कीम्स हैं गंगा आयेगी, यमुना आयेगी किसानों ने वोट देकर भेजा है, दोस्तों चाहे जो कर लो। आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि इस बजट के करों को लागू करें, फिर देखना क्या गति होती है। घरों से निकलने नहीं देंगे, वित्त मन्त्री को रोक लेंगे सीकर में चाहे फौज लेकर जायें, मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं। यह हालत है आज देश की, इसलिये मैं चाहता हूं, इस सरकार से मांग करता हूं इस जन विरोधी किसान विरोधी बजट को वापस ले लो। नही लोगे तो फाड़कर फेंक देंगे। यह बजट दर्शाता है कि गवर्नमेंट ने क्या दिया।

××× शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष क आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जगनसिंह)

गांव में स्कूल नहीं हैं। मेरे जिले की बात बताऊं, सीकर जिले में 800-850 गांव हैं। किसान की बेटी स्कूल जाय तो उसके लिए स्कूल नहीं है। जिले में स्कूल नहीं है। वहां पर एक छात्रावास नहीं है जहां किसान अपनी बेटी को घर बैठे स्कूल में भेज सके। मैंने कलेक्टर के सामने सुझाव रखा, वह कहने लगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर यह सरकार दावा क्यों करती है? क्योंकि वे ××× पब्लिक स्कूल्स ××में, अमरीका और बिरतानिया में पढ़ते हैं और ××× पब्लिक स्कूल में पढ़ता है इसका पता नहीं कि देश में किस तरह की हवा बदल रही है। कल जब इन सब को बाड़मेर में खेतों में भेज दिया जायगा तब इनकी अकल दुरुस्त होगी। यह हालत है इस बजट की। यही हालत स्कूल्स के बारे में है। स्कूल नहीं हैं, कहते हैं गांव तक सड़क पहुंचायेंगे। कितना बड़ा बजट है? सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जहां रहते हैं वहां मोटे हैडिंग्स में लिखा है "गांव तक सड़क"। जब मैंने देखा तो कलेक्टर से पूछा, भाई, किस गांव तक सड़क? मेरे गांव तक सड़क नहीं है। मेरे जिले के गांव तक सड़क नहीं है, राजस्थान के किसान के घर तक सड़क नहीं है। मेरे गांव में न सड़क है, न दवाखाना है, न स्कूल है, न गांव में पानी है और न ही गांव में बिजली है। यह हालत है गांवों के किसान की, अब भूखे नंगे किसान को ये सेठ लूटना चाहते हैं, ××× इसलिये मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग किसान के बेटे हो, गांव से आये हो, किसान का खून, किसान का गला घोंटकर बर्बाद नहीं करोगे और इस बजट की होली नहीं होने दोगे, यही उम्मीद करता हूं। राजस्थान का नक्शा किसान के सामने है। आज जो यहां पर आये हुए हैं, जितने भी सदस्य यहां पर आये हैं वह सभी जानते हैं कि आज भी बहुत से गांवों में सब्जी तक नसीब नहीं होती है। मेरी तसल्ली के लिये ऐसे 115 गांव राजस्थान में हैं जहां पर आज भी एक सेर अनाज पैदा नहीं हुआ। न पिछले साल हुआ और न इस साल हुआ। एक भी आदमी को इन्होंने वहां पर काम नहीं दिया। मैं, सभापति महोदय, चैलेन्ज के साथ दावे के साथ कहना चाहता हूं, आज कोई भी मन्त्री महोदय मेरे साथ चलें, मैं उनको उन गांवों में बताऊंगा कि आज वहां पर क्या हालत है। आज हमारे देश में गांवों के विकास की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। आपने कहा कि हम गरीब को छप्पर देंगे; हरिजन और आदिवासी लोगों की तो बात ही छोड़िये गरीब को आज भर पेट भोजन नहीं मिलता। वह गरीब जो राजा के जमाने में भर पेट भोजन करता था, अपना पेट पालता था आज वह लंगोट लगाये हुए, बिना कपड़े के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आप उनकी आज हालत तो देखिये पहले से बदतर है। उनकी हालत बद से बदतर हो गयी है। यह सब क्या है। आज यहां पर आप लोग बैठे हुए हो वह उसके वोट के कारण बैठे हुए हो और उसकी हालत क्या है? आज देश का नक्शा क्या है? किसान और मजदूरों को अब उसकी रेखायें ठीक करनी हैं। इस देश के किसान को उसे ठीक करना है। कहने को तो कह देते हो कि हमने राजाओं

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री त्रिलोकसिंह)

को खतम किया, बड़े बड़े जागीरदारों और जागीरदारी प्रथा को खतम किया लेकिन जहां आपने एक जागीरदार को खतम किया है वहां आपने कई जागीरदार खड़े कर दिये। × × × यह आज भी किसान को हेय दृष्टि से देखते हैं। आज यहां कहा जाता है कि हमने 20 सूत्री संकल्प लागू कर दिया है, 20 सूत्री संकल्प को लागू करके हमने पंचायतों के चुनाव कराये हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इन चुनावों में आपने राजस्थान में कितने आदिवासी और हरिजनों को सरपंच बनाया है? एक को भी नहीं बनाया है। एक भी हरिजन को सरपंच नहीं बनाया, एक भी आदिवासी को सरपंच नहीं बनाया।

एक माननीय सदस्य : बनाया है।

श्री तेजपाल यादव : यह बात सही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : एक भी नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। बीच में व्यवधान नहीं डालें, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह : मैं जानता हूं किसान का बेटा नहीं आया मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में एक हरिजन के बेटे ने और एक चमार के बेटे ने सरपंच के लिये फार्म भर दिया था उसकी उसको क्या सजा मिली, वह मैं आपको उसकी जबानी, बकौल उसके, कहे अनुसार बताता हूं। उसने कहा कि उसका काला मुंह करके सारे गांव में पूजा की गयी। यह नक्शा है इस प्रान्त का। यह नक्शा है इस राज्य का। दोस्तो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह जो वर्ग है यह हरिजनों का वर्ग नहीं है, यह हरिजनों का दुश्मन है। आपका दुश्मन आपके यहां पर राज्य कर रहा है। यह जो वर्ग है यह गरीबों को लूटने वाला है। और कल जब किसान अपनी फसल को लेकर बाजार में आयेगा, जैसे अभी यहां पर किसी माननीय सदस्य ने कहा कि यह आन्दोलन कुलक का है। जिन्होंने चण्डीगढ़ को घेर लिया, जिन्होंने लखनऊ को घेर लिया, जिन्होंने दिल्ली को घेर लिया वह भूखे नंगे नहीं थे। वह दस लाख किसान थे जिन्होंने दिल्ली को घेर लिया और उस वक्त देवीजी घबरा गयीं और देखा क्या हुआ। वे कोई कुलक नहीं थे, वह तो भूखे नंगों ने घेरा था। वह तो वह लोग थे जिनके तन पर कपड़ा नहीं था, लंगोटी लगाये हुए थे। खैर, आप उसको छोड़ दीजिये। कल जब यहां पर काश्तकार अपनी फसल को लेकर बाजार में आवेगा, आपको पता है किसान ने जो यह 700 रुपये क्विण्टल के भाव से मार्केट से लिया था उसका उसको 200 रुपये का भाव मिलेगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : 350 रुपये का है।

श्री त्रिलोकसिंह : यह××× है। 200 रुपया बिक रहा है।

××× शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री त्रिलोकसिंह)

(व्यवधान)

किसान ने सात सौ रुपये क्विण्टल के भाव खरीदा है। उस किसान के खून पसीने की कमाई को कौन लूटेगा? XXX लेकिन हमें किसान को बचाना है, हमें मजदूर को बचाना है, उसे खुशहाल बनाना है। बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाना है। श्रीमान्, एक माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे। उनको पता ही नहीं कि पब्लिक सैक्टर क्या होता है....

(व्यवधान)

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : सभापति महोदय, यह बार बार XXX शब्द बोल रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री त्रिलोकसिंह : XXX शब्द अन पार्लियामेन्ट्री नहीं है। यह XXX।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : सभापति महोदया, यह बार बार XXX कहते जा रहे हैं।

श्री त्रिलोकसिंह : XXX उसको कहते हैं जो दूसरे की कमाई खाते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX नर भक्षी को कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री त्रिलोकसिंह : XXX।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : सभापति महोदया, यह बार बार मंत्री महोदय को इशारा करके XXX कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : यह XXX हमें भी करना आता है, हमें भी गड़बड़ी करना आता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करके बोलें।

श्री त्रिलोकसिंह : मैं कहना चाहता हूं।...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। No disturbance, please माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री त्रिलोकसिंह : आज यह लोग देश के किसान को कुलक कहते हैं। वह गरीब हैं, उनको यह लोग गालियां देते हैं, XXX। यह भाव आज देश में है, आज देश करवट ले रहा है। आज देश का किसान करवट ले रहा है, देश का पूत आज करवट ले रहा है, देश का पूत आज बगावत का रास्ता अख्तियार कर रहा है। पिछले साल जब किसानों का आंदोलन हुआ था तब 135 किसानों ने अपने खून की बलि दी थी।

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(४)

(श्री त्रिलोकसिंह)

इस ××× सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा, ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और झुकना पड़ेगा।

श्री त्रिलोकसिंह : यह सरकार कहती है यह आवाज कहां से आई है, इस आवाज का क्या असर होता है। अरे, पूना को घेर लिया, चण्डीगढ़ को घेर लिया, लखनऊ को घेर लिया, और यही कारण है कि 12 रुपये के भाव गन्ना था। वह 25 रुपये के भाव हो गया। आज क्या हालत है? आज किसान जो है

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कनक्लूड करें। काफी समय ले चुके हैं।

श्री त्रिलोकसिंह : जो चीजें किसान पैदा करता है उसके आंकड़े आप देखें तो पता लगेगा कि यह ××× 26 हजार खा गये। मैं, सभापति महोदय, इनके ऊपर इल्जाम लगाता हूं, यह आवाज है अर्थ शास्त्रियों के आंकड़े हैं अगर इनको कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं।

(व्यवधान)

××× हम रुकने वाले नहीं हैं। यह सदन उनकी×××नहीं है। यह राजस्थान के किसानों का सदन है, राजस्थान के मजदूरों का सदन है। यहां पर ऐसे चन्द लोग बैठे हैं जो कल तक जागीरदारों की सेवा करते थे वे आज आ गये हैं।

आपको किसानों की हालत को सुधारना होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह : यहां हम लोगों को किसान ने भेजा है लेकिन इसलिये नहीं भेजा कि हम यहां पर अपनी टांग हिलायें, इन लोगों को सेल्यूट करने नहीं भेजा है। हमें यहां पर इनकी जी हजूरी करने नहीं भेजा है। हमें किसानों की मुखालफत करने नहीं भेजा है। अरे, इन ××× यह किसान के दुश्मनों का बजट है ××× यह किसानों का बजट नहीं. किसान विरोधी बजट है। इसलिये मेरा कहना यह है कि यहां पर हमें किसानों ने भेजा है, हम यहां पर आप की मेहरबानी से नहीं आये हैं। अरे, हम क्या हैं, हम कहते हैं उनसे कि वह अपना दामन देखें ×××

(व्यवधान)

अरे, यह तो अब आउट आफ डेट हो गये हैं, यह × × ×।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : सभापति महोदया, आप इनको ताड़ना दीजिये।

श्री त्रिलोकसिंह : तो, सभापति महोदया, मेरा कहना है कि जो कर लगाये गये हैं उनको आप हटाइये। यह हम आपको नहीं देंगे। हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के खून की वसूली नहीं करने देंगे। अगर आप यह करेंगे तो किसान आपको कभी माफ नहीं करेगा। किसान इनसे जवाब तलब करेगा और ×××

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट को राजस्थान की जनता का विरोधी, किसान

××× शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री त्रिलोकसिंह)

विरोधी और सदन विरोधी बताता हुआ सख्त मुखालफात करता हूं और इसको फाड़कर बताता हूं।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह (महुआ)

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदया, माननीय वित्त मंत्री ने 3 तारीख को जो अपना बजट अभिभाषण पढ़ा उस पर आज बहस का तीसरा दिन है। राजस्थान पिछले चार साल से अकाल से पीड़ित है और यह वर्ष ऐसा रहा जब राजस्थान के समस्त 28 जिलों में अकाल की घोषणा करनी पड़ी। ऐसे वक्त में जब कि राजस्थान के 5 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह करीब 1411 करोड़ के मुनाफे का बजट पेश किया है। बजट में मुनाफा दिखाने का भी एक लक्ष्य है। केन्द्रीय सरकार से, प्लानिंग कमीशन से अधिकतम सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कि राज्य में घाटे की व्यवस्था प्रदर्शित नहीं की जाय। ऐसे समय में जब कि आक्रोश का ज्यादा सामना माननीय वित्त मंत्री को करना पड़ा है; काफी शोर शराबे के बीच बजट में जो विशेषता थी उसकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ

मैं माननीय वित्त मंत्री को सर्वप्रथम इस बात के लिए बधाई देता हूं कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक लाख परिवारों को लाभान्वित करने का उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है। शायद आपने बजट को पढ़ा नहीं है, वित्त मंत्रीजी ने इसमें कुछ संकल्प भी लिखे हैं। अगर उनकी तरफ आपका ध्यान जाता तो शायद आप इतने कटु आलोचक नहीं होते। माननीय सभापति महोदया, जनजातीय क्षेत्रीय विकास उपयोजना के तहत 50.96 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति संगठक योजना की क्रियान्विति के लिए 42 73 करोड़ रुपये रखे हैं ...

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह : यह निश्चित रूप से इस बात के द्योतक हैं कि कांग्रेस अपने निर्धारित रास्ते पर है। जो समाजवाद का रास्ता उसने अख्तियार कर रखा है उसकी ओर अग्रसर हो रही है। यह इसी बात का प्रतीक है कि समाज के अब तक इस पिछड़े वर्ग को आगे उठाने के लिए उनकी, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इतनी राशि निर्धारित की है। साथ ही, माननीय सभापति महोदया, पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के हित में उनको मिलने वाले वजीफे में ...

श्री यदुनाथ सिंह : पिछड़ी जाति नहीं है उसमें।

श्री हरिसिंह : अनुसूचित जाति और जनजाति ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करके बोलें कृपया।

श्री हरिसिंह : उनके वजीफे में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। 50 से 100 तक जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती थी उसको 60 से 120 रुपये तक किया

(श्री हरिसिंह)

है, 75 से 125 रुपये तक जिनको छात्रवृत्ति मिलती थी उसको बढ़ाकर 100 से 175 रुपये तक किया और 500 विद्यार्थियों के लिए जहां छात्रावासों में आवास की व्यवस्था थी उसको बढ़ाकर 1200 के लिए व्यवस्था की। यह सब कुछ प्रशंसनीय है और माननीय वित्त मन्त्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री हरिसिंह : लेकिन बजट में कुछ ऐसी बातें भी हैं, सदन के समस्त सदस्यों, जिन्होंने अपने भाषण दिये हैं, को अखरने का एक मात्र कारण बिजली की फ्लेट रेट को दुगुना करना है और सिंचाई की दरों को सवाया करना है। इसके साथ ही साथ अगर माननीय वित्त मन्त्री जो, सभापति महोदया, यह गारन्टी लेकर आते कि हम खेती के समय बिजली काश्तकार को देंगे, इसके कन्जूमिंग आवर को भी बढ़ायेंगे तो शायद इसका स्वागत करते। वैसे हमारा आंकड़ा है, 5 हार्सपावर की मोटर लगाने वाले किसान को जहां 4 घंटे बिजली दी जाती है उसको दो रुपया रोज खर्च करना पड़ता है, इसका मतलब है कि 8 आना प्रति घण्टा की दर पर उसको बिजली मिल रही है। और जिस किसान के कुएं पर इंजन लगा हुआ है उसका 5 हार्स पावर का इंजन एक लीटर तेल में एक घंटा चलता है, इसका मतलब उसको 3 रुपया खर्च करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उस किसान को बिजली पहुंचानी है, माननीय सभापति महोदया, जिसके कुएं पर इंजन लगा हुआ है तो निश्चित रूप से....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, माननीय सदस्य श्री माधवसिंह जी दीवान जिस ढंग से लेटे हुए हैं यह तरीका मैं समझती हूं हाउस में बैठने का नहीं है। ताड़ना दीजिए इनको।

श्री माधवसिंह दीवान : मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप मेरा बहुत ध्यान रखती हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप चालू रखें।

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि उस किसान के कुएं पर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य सरकार निर्धारित करती जिस पर इंजन लगा हुआ है, उस कुएं पर बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था उस में अचीवमेन्ट प्राप्त नहीं किया। जहां 25 हजार कुओं पर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य 1981-82 के बजट में निर्धारित किया था वहां करीब पौने बारह हजार कुओं पर सरकार बिजली पहुंचा पाई है। जहां 15 सौ गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था वहां सरकार अब तक मात्र 525 गांवों में बिजली पहुंचा पाई है। ऐसी हालत में, ऐसी परिस्थिति में जब राजस्थान के सवा दो करोड़ किसान और पौने तीन करोड़ मवेशी अकाल की चपेट में आ चुकी है अगर बजट में उनके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स लगाया जाय, सभापति महोदया, तो मैं वित्त मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वही बात होगी जैसी देहात की कहावत है 'छोड़ तेरी

(श्री हरिसिंह)

अंगुली और घर जाने दे नानी'। अगर आप सुविधायें प्रदान नहीं कर सकते तो किसानों की तरफ अंगुली उठाकर मत देखो। अगर आप उसको वस्त्र प्रदान नहीं कर सकते हो तो उसके तन की लंगोटी तो मत खुलवाओ।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूं सिंचाई की रेट्स एकदम से सवायी कर देना उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि सिंचाई के मेन्टीनेन्स पर 16।। करोड़ रुपया राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है। उसके बदले माननीय वित्त मंत्री महोदय सवा ग्यारह करोड़ रुपया प्राप्त करने का प्रावधान कर रहे हैं तो शेष साढ़े तीन करोड़ कहां से लायेंगे? अगर राज्य सरकार साढ़े तीन करोड़ का भार उठा सकती है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को साढ़े सोलह करोड़ का भी भार उठाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदया, आज किसान मात्र जमीन का मालिक नहीं है, वह किरायेदार की हैसियत से खेत जोतता है। एक उसूल की बात है यदि कोई कर्मचारी किराये के मकान में रह रहा है तो मकान मालिक यह नहीं कह सकता है कि मरम्मत तुम्हें करवानी है। जब किसान को किरायेदार की स्थिति में पहुंचा दिया गया है तो उस भूमि, जिसकी सरकार मालिक है, का यदि सरकार कोई विकास करना चाहती है तो उसे स्वयं को ही करना पड़ेगा और विकास के लिये बिजली की उपयोगिता प्रथम पड़ती है तो सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि हमारे किसानों को यह फायदा पहुंचाये।

माननीय सभापति महोदया, मुझे यह बड़ी खुशी हुई यह जानकर कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कटलरी पर चमचों को छोड़कर टैक्स लगा दिया। चमचों ××× को छोड़कर टैक्स लगा दिया। चमचे, सभापति महोदया, दो प्रकार के हैं, एक तो वे हैं जिनसे भोजन किया जाता है, माल पिया जाता है और झूठा करके फेंक दिया जाता है उसका टैक्स भी माफ हो गया और, माननीय सभापति महोदया, उन × × × का भी टैक्स माफ कर दिया जो माल पीते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं उन चमचों का जिक्र कर रहा हूं जिनके जोधपुर में स्टेनलैस स्टील के कारखाने लगे हैं...

(व्यवधान)

सभापति महोदया....

एक माननीय सदस्य: वे कारखाने माननीय वित्त मंत्री के भाई भतीजों के हैं और उन्हीं की वजह से वित्त मंत्री जी ने टैक्स माफ किया है। उसी चक्कर में तो पड़े हैं ये।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय सदस्य कोई बात कहें तो जिम्मेदारी से कहें। मैंने वह टैक्स तो चार से एक पर्सेन्ट किया है और वह इसलिये किया है कि एक पैसे की आमदनी नहीं हो रही थी। एक पर्सेन्ट करने से मुझे 25 लाख की आमदनी हो गई।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था स्टाक व डिपो के माध्यम से जो कच्चा माल यहां से बाहर भेजा जा रहा है उस पर अन्तर्राज्यीय सैल्स टैक्स प्राप्त करने के लिए 3 पर्सेन्ट सैल्स टैक्स कम करने की सिफारिश की है यानि 1 पर्सेन्ट टैक्स रह जाता है। बजट के अगले पेराग्राफ में यह कहा गया है कि यहां पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्तर्राज्यीय सैल्स टैक्स में 2 प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी, यानि बड़ी चालाकी से यह बात कही है। एक तरफ तो अन्तर्राज्यीय सैल्स टैक्स प्राप्त करने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय सैल्स टैक्स में 2 प्रतिशत कमी करने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं समझता, किस प्रकार 25 लाख या 30 लाख रुपयों की आमदनी होगी। लेकिन, सभापति महोदया, मेरा मानना है अगर इस उद्योग पर पूर्ण टैक्स वसूल किया जाता तो करोड़ों रुपयों की आमदनी होती। जिनको गर्ज है वे राजस्थान में उद्योग लगायेंगे निश्चित रूप से लगायेंगे। वे सरकार से बिजली भी चाहते हैं वे सरकार से उद्योग सम्बन्धी दूसरे फायदे भी चाहते हैं, सैल्स टैक्स में माफी भी चाहते हैं तो, माननीय सभापति महोदया, यह काबिले बर्दाश्त नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का उपभोग करने वाला कौनसा वर्ग है। किसान आज भी गांवों में माटी की हाण्डी में राबड़ी पका रहा है, आज भी मिट्टी की ही हाण्डी में सब्जी पका कर खा रहा है। अगर कुछ हालत सुधरी तो जस्ते की भगोनी उसके घर में आ गई। और अच्छी हालत हो गई तो पीतल को बरत लिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान के ढाई करोड़ किसानों और मजदूरों का इस सैल्स टैक्स को माफ करने से कोई फायदा नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, इस बात की भी बहुत चर्चा हो गई, कल यहां रेशम की साड़ी भी माननीय वित्त मंत्री को भेंट हो गई, मैं आपसे निवेदन करूं एक वर्ग विशेष के हितों को ध्यान में रखकर राजस्थान की सरकार को 15 लाख के घाटे में उतार दिया गया है। जहां गांवों में रहने वाले किसान और मजदूर 9) रु. की कन्ट्रोल की धोती के लिए पैसे नहीं जुटा पाते हैं मैं पूछना चाहता हूं किसके लिये यह राहत दी जा रही है? कितने किसानों के घर में, कितने कर्मचारियों के घर में, कितने लिपिकों के घर में, कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के घर में, कितने सिपाहियों के घर में, कितने बी. एस. एफ. और कितने आर्मी वालों के घर में रेशम की साड़ियां है? माननीय सभापति महोदया, समाजवाद के रास्ते से दूर हटकर जिनमें टैक्स देने की क्षमता है, केपेब्लिटी है उनका टैक्स माफ कर दिया महज इस बहाने से कि इससे राजस्थान के लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

माननीय सभापति महोदया, इसी प्रकार की मैं दूसरी बात कर रहा हूं चूड़ियों का भी टैक्स माफ हुआ है। यहां तक तो समझ में आता है, सही है कि उससे प्लास्टिक के लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, जो पाली और जोधपुर में कुछ उद्योग पनप रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन, माननीय सभापति महोदया, यह समझ में नहीं आता है कि कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद

(श्री हरिसिंह)

से आती है उस पर भी टैक्स माफ करने से राजस्थान का कौनसा उद्योग पनप रहा है ? इसके साथ-साथ मैं, माननीय सभापति महोदया, निवेदन करूं, एक लाख से ऊपर आबादी वाले जो कस्बे हैं उन कस्बों में भवन और भूमि कर माफ किया, इससे राज्य सरकार को बड़ा नुकसान होगा। नुकसान इसलिये होगा कि वहां यह टैक्स जिनके पास 50 हजार से अधिक की भूमि और भवन की प्रोपर्टी थी उस पर लगाया जा रहा था। इस आड़ में राजस्थान के सैंकड़ों कस्बों में बसने वाले बड़े-बड़े सेठ, जिसके पास करोडों के भवन और भूमि हैं, पर टैक्स माफ किया गया है और ऐसा करके राजस्थान को घाटे में उतारा गया है।

सभापति महोदया, एक तरफ गांवों के विकास की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ बजट को शहरोन्मुखी बनाया जा रहा है। गांवों के व्यक्ति टैक्स दें और शहर का व्यक्ति उसका फायदा उठायें। माननीय सभापति महोदया, जब गांवों के विकास की बात करते हैं यदि वहां का आदमी कोई स्कूल मांगता है तो उससे कहते हैं भवन बनवा लो, यदि कहीं अस्पताल की मांग करते हैं तो कहा जाता है भवन बनवाओ। दूसरी तरफ शहरों में करोड़ों रुपया यूनिवर्सिटीज पर और कालेजों पर, डिस्पेन्सरियों की फेसिलिटी देने पर खर्च किया जा रहा है।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग में किस तरह को डिस्पैरिटीज गांव और शहर के बीच में आ गई है, यह बात कल माननीय स्वास्थ्य मन्त्री के उत्तर स्पष्ट हो चुकी है। गांव में 9 लाख की आबादी पर एक डिस्पेन्सरी है और शहरों की डिस्पेन्सरियां हजारों की आबादी पर हैं टैक्स कौन दे रहा है ? टैक्स वह दे रहा है जो गांवों में बस रहा हैं। यह सैल्स टैक्स जितना भी व्यापारियों पर लगा हुआ है यह भी अप्रत्यक्ष रूप से कन्जूमर से वसूल किया जा रहा है, क्योंकि अन्तिम उपभोक्ता वही है और उस अन्तिम उपभोक्ता की अधिक संख्या भी गांवों में ही रहती है। माननीय सभापति महोदया, जो जितना टैक्स देता है उसका उतना फायद उसे पहुंचना चाहिए। एक तरफ बात करते हैं किसान की, गरीब की माननीय सभापति महोदया, लेकिन उनके विकास के लिये इसमें कोई राशि नहीं रखी गई है।

मैं पूर्व में ही माननीय वित्त मन्त्री जो को आपके माध्यम से बधाई पेश कर चुका हूं, पेयजल के लिये जो उन्होंने राशि निर्धारित की है उसका मैं स्वागत करता हूं। राजस्थान पेयजल के संकट से गुजर रहा है, पेयजल के लिये उन्होंने जो राशि निर्धारित की है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है लेकिन विद्युत उत्पादन के लिये, मात्र पलाना में नया विद्युत केन्द्र खोलने के लिए 5 करोड़ की राशि निर्धारित करने का मैं कोई औचित्य नहीं समझता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव यह है आज चाहे 1100 गांवों में बिजली लगाने की घोषणा नहीं करें चाहे 25 हजार कुओं में बिजली लगाने की घोषणा नहीं करे, चाहे राजस्थान सरकार बिल्कुल काम रोक दे लेकिन अगर राजस्थान सरकार प्राथमिक स्तर पर जितने उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको एक बार बिजली उत्पादन पर ....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

लगा दे तो मेरा निश्चित मानना है

(श्री हरिसिंह)

इस राजस्थान में कृषि का विकास होगा, उद्योगों का विकास होगा। हमारे विकास की जो गति रुकी हुयी है, माननीय सभापति महोदय वह बिजली के उत्पादन में अवरोध के कारण रुकी हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष बिजली का उत्पादन कम था आपके आंकड़ों के आधार पर, जो आप दिखा रहे हो, कहना चाहता हूं कि इस बार चार सौ मेगावाट ज्यादा उत्पादन किया है। तो गत वर्ष जब किसान को 6 घण्टे बिजली मिल रही थी, माननीय सभापति महोदया, इस वर्ष मात्र 4 घण्टे बिजली देकर उसकी फ्लेट रेट को दुगुना करके उसके साथ अन्याय किया गया है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, निवेदन इसलिए करूंगा, माननीय सभापति महोदय, एक कहावत है कि गरीब को मत बोल नहीं गरीब रो देगा, जो उसके साथी बोल उठे तो जड़ मूल से खो देगा।

(4.21 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि आप गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते हुए नम्रता का व्यवहार करें। कांग्रेस ने समाजवाद का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उससे डेवियट होने की कोशिश नहीं करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति के नाम पर एक बड़ी भारी रकम सरकार बार बार खर्च करती रही है लेकिन उसका नतीजे निल है। निल क्यों है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय समाज कल्याण मन्त्री नहीं हैं वरना मैं आपके माध्यम से सीधे सीधे उनसे पूछता कि भीलों में से, गिरासिओं में से कितने आई. ए. एस. बन गये, कितने आर. ए. एस. बन गये, कितने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बन गये और कितने इंजीनियर बन गये हैं? आखिर उनके नाम से बजट में पैसा स्वीकृत किया जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जाता कहां है? इसके लिए सरकार बिलकुल मूक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री महोदय से बहुत विनम्र शब्दों में यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान बिजली बोर्ड का हर साल घाटा निकालता है, वहां पर घोटाले हो रहे हैं। अगर राजस्थान सरकार उनको रोकने का प्रयास करेगी, सरकार इस यूनिट को प्राफिट में लाने की कोशिश करेगी; और पथ परिवहन निगम में जिस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, जो लॉस निकाल रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास किया जायगा तो राजस्थान में यह दो बड़े निगम हैं यह प्राफिट प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को फाइनेन्स में मदद मिल सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपके पथ परिवहन निगम ने दो सौ बसें प्राइवेट बस आपरेटर्स की ली हैं जो निगम के साथ अनुबन्धित रहेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्राइवेट व्यक्ति ढाई लाख की बस लेता है उसका ब्याज चुकाता है, जबकि टायर घिसाई, डेप्रिसिएशन, ड्राइवर का

(श्री हरिसिंह)

खर्चा, डीजल का खर्चा और उसके बाद क्लीनर का खर्चा वह स्वयं भुगतता है। उसकी 300 किलोमीटर तक अगर बस चलती है तो उसे 1.80 पैसा प्रति किलोमीटर का भुगतान किया जा रहा है, अगर 300 किलोमीटर से ज्यादा बस चल जाती है तो उस को 1·60 पैसे का भुगतान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह फिर भी खुश है और वह कहते हैं कि हम प्राफिट कमाऐगें लेकिन जहां 2·80 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से निगम की आमदनी हो रही है उसके बाद भी निगम का घाटा हर साल, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि जो सौ बसें राजस्थान पथ परिवहन ने अनुबन्धित की हैं, ये बसें इस निगम को सीधे सीधे दो करोड़ रुपये का प्रोफिट देगी। एक वर्ष में सीधे 2 करोड़ रुपये का प्रोफिट है। अगर इस प्रकार की हजार बसें निगम से अनुबन्धित कर दी जाये तो शायद निगम के घाटे की व्यवस्था पर कुछ काबू पाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं। एक बस से 2 करोड़ तो नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक वर्ष में दो करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा देंगी। मेरा मानना है, 200 बसें ...

श्री चन्दनमल बैद : एक बस से एक लाख रुपये कहिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक बस से एक लाख रुपये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि बजट प्रस्तुत करने से पूर्व अगर जाने माने अर्थ शास्त्रियों की राय ली होती तो शायद यह स्थिति आज सदन में पैदा नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि राजस्थान में अगर अकेले सैल्स टैक्स की चोरी रोक दी जाय तो राजस्थान की अर्थ व्यवस्था घाटे में कभी नहीं जा सकती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिचाई विभाग में आज राज्य का एक रुपया, जिसमें सौ पैसे होते हैं, 45 और 50 पैसे में चल रहा है, पी. डब्ल्यू. डी. में 50 पैसे का काम होता है। अगर विकास का रथ आगे बढ़ाना है....

श्री अध्यक्ष : ज्यादा तो नहीं बता रहे हो, आप कहीं माननीय सदस्य ?

एक माननीय सदस्य : हां, ज्यादा ही बता रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है 15 पैसा कमीशन के बतौर अधिकारियों की जेब में चला जाता है, 25 पैसे से कम मुनाफा ठेकेदार नहीं लेता और दूसरे प्रशासनिक खर्च उसके अलग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर 50 पैसे पर भी निगरानी रखी जाय और विकास की गति को आगे बढ़ाया जाय तो बहुत कुछ काम करके दिखा सकते हैं। गावों में काम हो सकता है। यही हालत, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल की हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान कैनाल पर काम करने वाले

(114)

(श्री हरिसिंह)

इंजीनियर, की वहां पर काम करने वाले एक जे. ई. एन. तक के घर की जांच की जाय तो उसके घर में विलासिता का इतना सामान मिल जायेगा जैसे किसी सेठ के यहां होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, टैक्स घटाने की, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है जितने टैक्स हैं उनको सख्ती से वसूल करने की आवश्यकता है। विकास के लिए जो पैसा आपने निर्धारित किया है उसकी निगरानी करने की आवश्यकता है उसकी माहवार मोनिटरिंग करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मुझे चण्डीगढ़ जाने का सुयोग प्राप्त हुआ। चण्डीगढ़ जहां बसा हुआ है, उसके पास होकर एक नदी निकल रही थी, उस समय कैरो पंजाब के मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने उस नदी का बहाव बदल दिया। उसके पास एक गांव में जाने का सुझे सौभाग्य मिला, गांव वालों ने कहा कि पंजाब का मुख्य मन्त्री कैरो यहां पर 3 घण्टे ओवरसियर की तरह पहरेदारी करता था। जब तक इतना आत्मबल, जब तक पालिटिकल विल, काम करने की क्षमता, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पैदा नहीं करेगी चाहे कितने भी कर लगायें, चाहे कितने ही बजट में विकास के ऊंचे ऊंचे मद निर्धारित कर लें, मुझे विकास का पहिया आगे बढ़ता दिखायी नहीं देता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि फ्लेट रेट को दुगना किया गया है, और सिंचाई की दरों में बढ़ोतरी की है. विशेष रूप से सिंचाई की दरों के बारे में मैं नहीं जानता, गंगानगर वाले किसानों, जिनको 3-4 पानी मिल जाते हैं, को कोई एतराज नहीं है परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर, भरतपुर और अलवर जिले में एक भी ऐसा बांध नहीं है जो एक किसान को 2-3 पानी दे रहा हो। अध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे बांध हैं एक बार उनसे पानी मिलता है तो 20 रुपये प्रति बीघा की दर से चने की फसल के लिए वसूल किये जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल के समय में अब तो 3-4 साल से पानी नहीं मिल रहा है। फिर भी किसान के पास जो कुछ कमाण्ड एरिया में जमीन है लगातार उसकी सिंचाई का भुगतान करता चला आ रहा है। उस दर को भी अगर सवाया कर दिया तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे उस गरीब किसान को बहुत भारी नुकसान होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि आप, इस पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके आप इसकी तरफ विनम्रता से देखें। माननीय वित्त मन्त्री महोदय, आप उन किसानों को राहत पहुंचायें। आपने जो बजट प्रोविजन किये हैं, आपने 340 करोड़ रुपयों के घाटे के बावजूद भी बजट में साढ़े चौदह करोड़ का मुनाफा दर्शाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं जन जाति और ग्रामीण विकास के लिए तो मैं पहले ही धन्यवाद पेश कर चुका हूं। इन सब के लिए मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को पुनः धन्यवाद पेश करता हुआ शुभ कामनाओं के साथ निवेदन करता हूं कि इन दो मदों पर पुनर्विचार करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमान, वित्तीय वर्ष 1982-83 के बजट प्रावधानों पर समीक्षा करने जा रहे हैं और समीक्षा के दौरान जो बहस उभर कर आई है, वह यह आई है कि राज्य सरकार ने जो सिंचाई पर दर बढ़ाई है और जो बिजली पर फ्लेट रेट दुगुनी की है, वह कर प्रावधान इतना अधिक है कि राजस्थान का गरीब किसान जो आज तीन चार साल से अकाल की चपेट में पीड़ित है, वह उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं यह जो चिन्ता है उससे बिल्कुल सहमत हूं और हमारे दल के सदस्यों की ओर से चिन्ता व्यक्त की गई है वह निश्चित रूप से समझ में आती है। किन्तु मैं विपक्ष, जिसने किसानों की सिंचाई की दरें बढ़ाने के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की है, का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कथनी और करनी में कितना फर्क हुआ करता है। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वर्ष 79-80 के उन बजट प्रावधानों की ओर और उनके वित्त मंत्री के उस भाषण की ओर। उसके मैं वाक्यांश आपको पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने जो अपना बजट रखा था 79-80 का और उनके वित्त मंत्री का इन सिंचाई की दरों के सम्बन्ध में जो भाषण था वह इस प्रकार से था : सिंचाई के समस्त साधनों से हमारी कुल आय 8.64 करोड़ रुपया है। जब कि इस मद का कुल रख रखाव का खर्चा 11.70 करोड रुपया है इसलिए हम रख रखाव के को भी सिंचाई की दरों द्वारा वसूल नहीं कर पा रहे है, अतः यह आवश्यक है कि सिंचाई की वर्तमान दरों में पचास प्रतिशत की वृद्धि की जावें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान्, उनका उस समय यह कहना, बजट प्रावधानों के समय बजट स्पीच में यह कहना कि सिंचाई की दरों में पचास प्रतिशत वृद्धि की जावे और आज जब यह बजट पेश हुआ, आज 25 प्रतिशत की दर बढ़ाई गई है, यद्यपि इससे मैं सहमत नहीं हूं, मैं पुरजोर इस बात को निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय से कि यह दरें कम की जावें, लेकिन विपक्ष को इस बात के लिए जरूर निवेदन करना चाहता हूं, उनका तर्क, जो आज सरकार को किसान विरोधी बताते हैं, उस समय कहां चला गया था? यही नहीं मैं उनका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट के समय न केवल सिंचाई की दरों में बढ़ोतरी की थी, न केवल उस पानी की कीमत बढ़ाई थी जो किसान के खेत में आता है बल्कि उन्होंने तो उस पानी की कीमत भी बढ़ाई थी जो हर इन्सान पीता है। उन्होंने अपने इस बजट के प्रस्तावों में, श्रीमान्, पेय जल की दरें, जो सभी जगह हैं, में न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण जनता के लिये भी बढ़ोतरी की थी, वह इस प्रकार से की थी 60 से 65 पैसे प्रति हजार लीटर से 1 रुपया प्रति हजार लीटर। फ्लेट रेट 9 रुपया 60 पैसे से 12 रुपया 50 पैसे। एक्स्ट्रा टैक्स 3 रुपये से 50 पैसे और ग्रामीण योजनाओं में 7 रुपया 50 पैसे फ्लेट रेट से 15 रुपया फ्लेट रेट बढ़ाई थी। यही नहीं है, उन्होंने हर किसान पर राजस्व दर भी बढ़ाई थी। 25 प्रतिशत दर हर किसान पर राज के लगान की बढ़ाई गई थी। जो जो भी किसान बेज देता था उस पर बेज की बढ़ोतरी की थी और इसके अलावा उन्होंने....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राजस्व भी माफ किया था।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : राजस्व लगान तो हम पहले ही माफ कर चुके थे। पहले ही सरकार कर गई थी।

(व्यवधान)

हमारी सरकार ने किया था....

श्री अध्यक्ष : 67 में माफ कर चुके थे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 67 में माफ किया था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इलेक्शन के पहले माफ किया था और इलेक्शन के बाद वापस ले लिया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : लेकिन आपने सिंचाई की दरें बढ़ाई हैं, श्रीमान्, आपने पीने के पानी की दरें बढ़ाई हैं, आपने बिजली पर पैसा बढ़ाया, आपने सैल्स टैक्स बढ़ाया। श्रीमन, आपने जो यात्रा कर वाहन पर बढ़ाया, वह सब आपकी दलीलें कहां चली गई ? उस समय तो आप दलीलें देना चाहते थे कि यह आवश्यक है कि किसी भी प्रान्त का बजट संतुलित होना चाहिए। उस प्रान्त के बजट के अन्दर घाटा नहीं रहना चाहिए। जो आपके आंकड़े हैं वह यह बताते हैं कि उस समय आपने सात करोड़ के नए टैक्स लगा करके भी 56·44 करोड़ रुपयों का घाटा दिया था। इस प्रकार से घाटा छोड़ करके गए, घाटे की अर्थ व्यवस्था छोड़ कर गए, आप राजस्थान का जो ढांचा था, आर्थिक ढांचा था उसको बिगाड़ कर गए। आज की जो परिस्थितियां हैं, तीन साल के अकाल के बाद जो परिस्थितियां सामने आई हैं उसमें जो हमारे वित्त मंत्री महोदय की चिन्ता है वह स्वाभाविक है। मैं उनसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि बजट का घाटा पूरा करना आपका कर्त्तव्य है। हम भी उसमें सहयोग देंगे। लेकिन कृपया इस बात को देखें कि किस मद में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रशासनिक सेवाओं में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है वह निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। आज राजस्थान का गरीब किसान, राजस्थान की गरीब जनता यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि प्रशासन पर जो खर्च हो रहा है उसमें इस प्रकार से बढ़ोतरी हो। 1980–81 में, श्रीमन, जो बढ़ोतरी हुई है, 80–81 से 82–83 में प्रशासनिक सेवाओं में 19,28,75,000) की बढ़ोतरी हुई है। मुझे कोई आपत्ति नहीं कि कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग की सिफारिशें मानें, आप उन्हें सहूलियतें दें, आप अधिक से अधिक सहूलियतें देना चाहते हैं आप दें लेकिन, श्रीमन, आज राजस्थान की जनता इस सम्बन्ध में इतना भार बर्दाश्त नहीं कर सकती कि 19 करोड़ रुपया आप हर साल में प्रशासनिक सेवाओं में बढ़ा दें और फिर राजस्थान की जनता से वह 19 करोड़ वसूल करना चाहें। प्रति व्यक्ति छः रुपये हर साल आप टैक्स का, प्रशासनिक सेवाओं का भार बढ़ायेंगे तो जनता उस टैक्स को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आप इस सम्बन्ध में कोई अन्य वित्तीय ससाधन प्राप्त करें। आप इस सम्बन्ध में कोई अन्य साधन जुटायें, वह बात तो समझ में आ सकती है लेकिन डाइरेक्ट टैक्सेशन से, आप इस प्रकार से प्रशा-

(श्री हरिसिंह)

सनिक सेवाओं के व्यय में वृद्धि करते चले जा रहे हैं वह चिंतनीय विषय है। जहां तक आप छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ायें उनको सहूलियतें दें वह तो बात समझ में आती है लेकिन, श्रीमन, आप जो वृद्धि कर रहे हैं बड़े कर्मचारियों के स्थानों में, उनकी तनख्वाहों में, वह निश्चित रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती है। राजस्थान के अन्दर, श्रीमन, 2500 से लेकर 2750 की ग्रेड में कुल 20 अधिकारी थे आज 56 हैं। राजस्थान में, श्रीमन, तीन हजार वाली ग्रेड में कुल 2 कर्मचारी थे आज 12 हैं। राजस्थान में 3500 की ग्रेड में एक अधिकारी था, आज 3 हैं। इस प्रकार से इन बड़े अधिकारियों के जो स्थान दिन-प्रतिदिन बढ़ाये जा रहे हैं उनका खर्चा राजस्थान की जनता दे, उससे उन पर टैक्स का भार हो तो वह तो राजस्थान की जनता, श्रीमान, बर्दाश्त कर नहीं पाएगी।

मैं आपसे एक और निवेदन करने जा रहा हूं कि जहां तक सिंचाई की दरों का सम्बन्ध है, मैं वित्त मन्त्री जी की इस बात से सहमत हूं कि सिंचाई का पानी जिस किसान के खेत में जावे वही उसको दे। कम से कम उस सिंचाई के पानी की कीमत उससे तो नहीं ली जावे, उस किसान से तो नहीं ली जावे जिसके खेत में पानी आया है क्योंकि वह किसान उससे भी ज्यादा गरीब है जिसके खेत में पानी नहीं आता है। वह किसान उस किसान से ज्यादा गरीब है जिसके खेत में पानी आता है। आपने अपने भाषण में सातवें वित्त आयोग की बात रखी है उसमें लिखा है, 530 करोड़ रुपयों का विनियोजन किया जा चुका है। इसका एक प्रतिशत लगभग 5.30 करोड़ होता है और रख रखाव पर 16.96 करोड़ रुपया प्रति वर्ष व्यय होता है। इसलिए आप यह चाहते हैं कि 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जावे ?

श्रीमन, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह है आप एक पर्सेन्ट निश्चित रूप से वसूल करें। लेकिन, श्रीमन, 530 करोड़ के संसाधन वहां मौके पर हैं कि नहीं ? 530 करोड़ के खर्च के आंकड़े तो आपने दिये हैं लेकिन 530 करोड़ का काम हुआ है कि नहीं ? अब आप कहते हो रख रखाव पर 16.96 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च होते हैं। यह तो आपके आंकड़े हैं। लेकिन वास्तव में उनके रख रखाव पर 16.96 करोड़ रुपये खर्च होते हैं कि नहीं यह भी देखना होगा। खर्च होता है बड़े आदमियों की जीपों के पैट्रोल पर, उनकी तफरी के ऊपर उनके आने जाने के अन्दर। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां 25 पर्सेन्ट रेट बढ़ायी है। श्रीमन, हमारे यहां आज से सौ वर्ष पहले वह बांध बने थे उनकी कीमत तो कभी की निकल गई। उनके रख रखाव पर इतना खर्च ही नहीं है श्रीमन, लेकिन उस किसान पर जिसे साल में एक बार पानी मिलता है, 25 पर्सेन्ट की वृद्धि लगेगी। यह कौन सा तर्क है ? श्रीमन, आपका रुपया कहां लगा, रुपये की फिजूलखर्ची वहां पर कर रहे हैं ? उसकी वसूली, उसका हर्जाना देने के लिये किसान पर टैक्स लगाना चाहते हैं जिन्हें उसका लाभ नहीं मिलता है। मैं वित्त मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा आप इस सम्बन्ध में घोषणा करवायें यह भार उन लोगों पर नहीं पड़ना चाहिये जो

(श्री हरिसिंह)

कि इस भार से कोई लाभ नहीं उठाते हैं।

जहां तक बिजली की दरों का सवाल है, श्रीमन्, कोई तर्क नहीं है। एक किसान जिसके पास कुल पांच बीघा जमीन है. उसने पांच हार्स पावर की मोटर लगायी है, वह 750 रुपया एक वर्ष में देता है, उस पर एकदम एक रात में साढ़े सात सौ की जगह 1800 रुपया कर दिया। उसे पांच पर्सेन्ट की वृद्धि से 1600 रुपया देना पड़ेगा, उसने पांच हजार रुपया उस पर व्यय किया है। उसकी औसत आमदनी इतनी नहीं है कि वह सौ रुपये महीने की बढ़ोतरी बर्दाश्त करें। जहां तक इस बात का सवाल है. तर्क यह दिया जाता है, आप फ्लेट रेट से बिजली लेते क्यों हो? आप मत लीजिये। आप मीटर लगवा लीजिये। मीटर के हिसाब से बिजली को जो कंजम्पशन हो वह आप दीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहले पहले यह सिस्टम था। पहले मीटर के हिसाब से बिजली मिलती थी। वह कंजम्पशन के हिसाब से पैसे देते थे। लेकिन यह दिक्कत सामने आयी, जब कर्मचारी आते तो कहते मीटर बन्द है, कभी कहते मीटर की सील टूटी हुई है, कभी कहते आपने वह किया है यह किया है मय जुर्माने के दो हजार रुपया वसूल किया जायेगा। इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिये यह रास्ता निकाला गया कि फ्लेट रेट पर किसानों को बिजली दी जाय जिससे किसान इन झंझटों से मुक्त हो। वह सब तर्क दलील समाप्त हो गई। जो बढ़ोतरी आपने कर दी बिलकुल दुगुनी कर दी, यह भी आप नहीं देख रहे हैं, वह किसान जिस पर कि फ्लेट रेट दुगुनी करने जा रहे हैं, लघु किसान है, सीमान्त किसान है, ऐसा किसान है जिसके पास जमीन बहुत ही कम है। चाहे छोटा किसान है, उसकी रेट दुगुनी हो गई, चाहे ऐसा किसान है जिसके पास 25 बीघा जमीन है, उसकी रेट दुगुनी हो गई। इस सम्बन्ध में कोई न कोई रेशनेलाइजेशन, कोई रेकरिंग के हिसाब से आपको विचार करना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, जहां तक प्रश्न है इस बजट के और प्रावधानों का, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया जो प्रशासनिक खर्च बढ़ रहा है, वह बढ़ी तेजी से बढ़ रहा है। सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में, श्रीमन् 81-82 से 82-83 में 22 करोड़ 2 लाख 37 हजार रुपया कम खर्च हुआ है जो कि बढ़ना चाहिये।

कृषि के ऊपर 81–82 से 82–83 में 7 करोड़, 21 लाख 96 हजार रुपया कम खर्च हुआ है जो कि बढ़ना चाहिये।

विद्युत विकास पर एक करोड़ 49 हजार का खर्च बढ़ा है। परिवहन व संचार पर 6 करोड़ 12 लाख, 35 हजार आपने बढ़ाया है। जहां तक सवाल है, स्थानीय निकाय और पंचायतों राज संस्थाओं को मजबूत करने का, उस सम्बन्ध में आप इस बात के लिये वचनबद्ध हैं, मजबूत करेंगे। लेकिन मजबूत कैसे करेंगे? जिस प्रकार साधनों का बजट में प्रावधान किया है, 81–82 में जो बजट प्रावधान था वह 5 करोड़ 14 लाख 57 हजार रुपये का था, वह 82–83 में आपने 5 करोड़ 14 लाख 54 हजार का कर दिया। तीन हजार रुपया आपने और कम कर दिया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बजट को इस

(श्री हरिसिंह)

प्रकार कृपया संतुलित करें। जब राजस्थान की जनता पर भार बढ़ा रहे हैं तो सामुदायिक सेवाओं पर, कृषि सेवाओं और ऐसी सेवाएं, जिनसे जनता को राहत मिलती हो उनका बजट प्रावधान कम न करके कम से कम उतना कर दें जितना कि गत वर्ष में था।

बिजली के सम्बन्ध में हमारे क्षेत्र की एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, हमारे यहां पर बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी फैल जाता है उससे खरीफ की फसल बर्बाद हो जाती है। फिर उस बाढ़ के पानी का जिसने खरीफ की फसल को बर्बाद किया है को सिंचाई का पानी माना जाता है। सिंचाई का पानी मानकर आबयाना वसूल किया जाता है। यह कोई तर्क है श्रीमन्? अनेक स्थानों से इस बात के लिए रिप्रेन्जेटेशन दिये जा रहे हैं लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। वसूली बदस्तूर उस बाढ़ के पानी की आबयानी के रूप में होती चली जा रही है। श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, सिंचाई मन्त्री जी इस सम्बन्ध में विचार करें और जिस पानी को किसान ने लिया नहीं है, किसान ने मांगा नहीं है, किसान को कोई फायदा नहीं हुआ, उससे किसान बर्बाद हुआ है, उसको कम से कम सिंचाई का पानी न मान कर आबयानी वसूल न करें।

बिजली के सम्बन्ध में, श्रीमन्, चिन्ता यह भी है कि बिजली राजस्थान को कितनी मिलनी चाहिये। 180 लाख यूनिट से ज्यादा की डिमाण्ड हो गई है। आज 200 लाख यूनिट के करीब बिजली चाहिये जबकि पैदा होती है कुल एक करोड़ यूनिट गत। वर्ष में 80–81 में बिजली 4417 मेगावाट उपलब्ध थी, वह बढ़कर 81–82 में 5106 50 मेगावाट हुई लेकिन, श्रीमन्, यह बिजली की बढ़ोतरी हुई वह किसानों को नहीं मिली। आपके आंकड़े इस बात को बतलाते हैं, 80-81 में कृषि व सिंचाई पर बिजली दी गई है वह 34.31 प्रतिशत दी गई है और उद्योग और शक्ति पर 44.20 प्रतिशत दी गई थी। 81–82 में, श्रीमन्, सिंचाई और कृषि के लिये 34 से घटकर वह दर 25.46 प्रतिशत रह गई जबकि उद्योग व शक्ति पर 44 से बढ़कर 53.55 प्रतिशत हो गई।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, अकाल इस वर्ष भी है। किसानों को खेती के लिये बिजली की जरूरत इस वर्ष भी थी, गत वर्ष से ज्यादा जरूरत थी। जब कि बिजली की खपत किसानों के लिये ज्यादा होनी चाहिये थी, वहां पर बिजली का प्रतिशत 34 से घटकर 25 रह गया। कहीं पर ऐसा काम नहीं किया है, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा।

जहां तक सवाल है श्रीमन्, इस बात का कि 81–82 के अन्दर जो आय हुई है उस पर पूरा ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया, उस सम्बन्ध में तो निसंकोच अपने वित्त मन्त्री की सराहना कर सकता हूं। जो आमदनी के आंकड़े हैं वह यह बतलाते हैं कि 80–81 के मुकाबले 81–82 में राजस्व खाते में आय बढ़ी है। स्टेट एक्साइज में 80–81 में 13.45 करोड़ की आंय थी, जो बढ़कर 30 करोड़ हुई।

सेल्स टैक्स में 147.31 करोड़ की जो आय थी 80–81 के अन्दर, वह बढ़कर 81–82 में 196 करोड़ हुई।

(श्री हरिसिंह)

इसी प्रकार कुल मिलाकर, श्रीमन्, 80–81 में राजस्व खाते में आय हुई 405 करोड़ की, वह 492 करोड़ 81–82 में हुई। 87 करोड़ रुपये की आपने आमदनी में बढ़ोतरी की है उसके लिये आप सदन के अन्दर बधाई के पात्र हैं। डाइरेक्ट टैक्स और इनडाइरेक्ट टैक्स का इंडक्स राजस्थान का निरन्तर बढ़ रहा है। डाइरेक्ट टैक्स का इनडेक्स 78–79 में 187 था, 79–80 में 197 और 81–82 में 240 हो गया। इस प्रकार इनडाइरेक्ट टैक्स का जो 79–80 में 479 इण्डेक्स था, 81–82 में वह बढ़कर 639 हो गया।

सदन में इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि 79–80 के अन्दर जो खर्चा हुआ वह 82–83 में वह इतना प्रावधिक नहीं किया गया। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, राजस्व और पूंजीगत सब मिलाकर, लोकस्वास्थ्य, सफाई व जल पूर्ति पर 79–80 में आपने 49 करोड़ खर्च किया था और 82–83 में जो प्रावधान है, वह 83 करोड़ का है। शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आपने 79–80 के अन्दर 129 करोड़ खर्च किया और 82–83 में, श्रीमन्, इस मद में 204 करोड़ का प्रावधान है। चिकित्सा में आपने 79–80 में 41 करोड़ खर्च किया और 82–83 में इस मद में 70 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नान प्लान का नहीं बतायें, प्लान का बतायें।

श्री हरिसिंह : अभी मैं नान प्लान का अर्ज कर दूं प्लान का भी अर्ज कर दूंगा।

श्री चंदनमल बैद : यह तो प्लान, नान प्लान दोनों का है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यही तो गड़बड़ है।

श्री चंदनमल बैद : गड़बड़ क्या है, ठीक बता रहे हैं। पांच वर्ष के बाद जो प्लान है वह नान प्लान हो जायेगा। इतनी तो समझ आपको रखनी चाहिये। मिनिस्टर रहे हैं आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : समझ तो है। बढ़ोतरी बढ़ाकर 25 पर्सेन्ट इन्क्रीज बतायें।

श्री हरिसिंह : सिंचाई व बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना पर 188 करोड़ रुपया आपने खर्च किया था 79–80 में। 82–83 में आपने 204 करोड़ का प्रावधान किया है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, राजस्व, पूंजीगत और सब मिला कर जो प्रावधान किये गये हैं 82-83 में, वे 79-80 के प्रावधानों से काफी अच्छे हैं और इन परिस्थितियों में काफी अच्छे प्रावधान हैं जबकि 340 करोड़ रुपये का घाटा है, ओवर ड्राफ्ट है और देश में अकाल पड़ा हुआ है। टैक्स बढ़ाने पर हर कदम पर विरोध होता है; इन परिस्थितियों में वित्त मन्त्री जी ने सभी बातों को ध्यान में रखकर बजट का संतुलन किया है और जिन्हें हम सोशल सर्विसेज कहते हैं, उन सेवाओं पर इतने पैसों का प्रावधान किया है यह सराहनीय बात है। इस बात का बहुत ही तर्क दिया जाता है अनुसूचित जाति कल्याण के लिये, जनजाति कल्याण के लिये सरकार कुछ नहीं कर रही है। बजट में आंकड़े

(श्री हरिसिंह)

दिये गये हैं उनके हिसाब से आप देखें 79-80 में कुल 318 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति और जन जाति पर खर्च किये थे और 82-83 में 938 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तिगुनी रकम उनके कल्याण के लिये थ्री हण्ड्रेड पर्सेन्ट का प्रावधान किया है। उसके बाद यह कहना कि सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये ध्यान नहीं रख रही है, इसमें सार की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 938 करोड़ या लाख ?

श्री चन्दनमल बैद : तीन गुना तो भी हो गया। आप से तीन गुना हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो पहाड़िया जी से मुकाबला किया है।

श्री चन्दनमल बैद : मुकाबला आपसे हो रहा है।

श्री हरिसिंह : प्लान के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आपका जो प्लान था, जैसा कि आपने बजट में पेश किया था, 79-80 में 275 करोड़ का प्लान आपने प्रस्तुत किया और हमारा पांच साल का 80-85 का 2025 करोड़ का प्लान है। इसको पांच साल में विभक्त भी कर दें तो 405 करोड़ रुपया हर साल का प्लान बनता है। 79-80 के प्लान से कंपेयर कर लीजिये, 79-80 में सिंचाई एवं विद्युत पर 157.40 करोड़ रखे थे और 82-83 में 182.64 हैं। इस प्रकार 53.72 प्रतिशत सिंचाई एवं विद्युत पर रखे गये हैं। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर आपने 79-80 में 41.45 का खर्चा रखा था।

श्री चन्दनमल बैद : यह आपसे मेरा कंपेयर कर रहे हैं जो पहाड़िया जी से नीचे हो सकता है मगर आपसे ऊंचा है।

श्री हरिसिंह : मैं 79-80 और 82-83 के आंकड़े पेश कर रहा हूं। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर 82-83 में 72.12 करोड़ रखा है। कृषि में आपने 32.96 करोड़ रखे थे और 82-83 में 98.67 करोड़ रखे गये हैं। उद्योग में आपने 12.56 करोड़ थे जो 82-83 में 16.10 करोड़ का प्रावधान है। इसी प्रकार से जो मुख्य मुख्य सेवाएं हैं, जिन्हें सोशल सर्विसेज कह सकते हैं उनमें 79-80 के मुकाबले 82-83 के जो आंकड़े हैं वे संतोषप्रद हैं। जहां तक सवाल है, श्रीमन्, संस्थागत वित्त-इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग का उसका भी मुलाहिजा फर्मा लें। 79-80 में इसमें 627.64 करोड़ थे वे 81 में बढ़ कर 837.60 करोड़ हो गये हैं। राज्य की आय भी जो 79-80 में प्रति व्यक्ति 524 रुपये थी वह 70-71 की स्थिर कीमतों पर 80-81 में 553 रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन विषम परिस्थितियों में सिवाय सिंचाई की दर और बिजली की दर के और जो बजट के अन्दर प्रावधान हैं वह निश्चित रूप से सराहनीय हैं। आपने न्यूनतम मजदूरी पर भी ध्यान दिया है, कम से कम मजदूरी भी दो रुपये बढ़ाई है जो 7 से 9 रुपये और 8 से 10 रुपये की गई है। इसी प्रकार से जो दूसरे व्यक्ति हैं उन्हें सवा नौ रुपये से बढ़ाकर सवा ग्यारह मजदूरी देने का प्रावधान किया है। यह सब प्रावधान इस प्रकार के हैं जिन्हें संतोषप्रद कहा जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें अपने घर का क्या जाता है।

श्री चन्दनमल बैद : दोनों में ही कुछ नहीं जाता।

श्री हरिसिंह : तो मैं अन्त में वित्त मंत्री जी से एक ही निवेदन करूंगा कि जहां तक सिंचाई की दरों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में जहां पर पुराने बांध बने हुए हैं जिन पर सरकार का रख रखाव का खर्चा नहीं है वहां की दरों में इस प्रकार की वृद्धि करना कोई ऐसी बात नहीं है जिसको किसान बर्दाश्त कर सकेंगे, निश्चित रूप से उनके दिल में इस बात का दुख होगा। बिजली की दरें दुगुनी की हैं इस पर भी विचार करें कि किसानों को कितना देना है, जो बहुत ही सीमान्त किसान हैं उसे कितना देना पड़ेगा, यह सब देखने के पश्चात् ही आप निर्णय लें। मुझे आशा है, वित्त मन्त्री जी अवश्य इस बात पर ध्यान देंगे।
धन्यवाद

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : श्री चाव खां जी। सदन की अनुमति से बैठक का समय 10 मिनट अथवा चाव खां जी के भाषण की समाप्ति तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री चाव खां : मैं तो सदन के सामने आंखों देखा हाल बताऊंगा, आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : समय बढ़ा दिया है, सुविधा से बोल लीजिये। आप जब समाप्त करेंगे तभी हम उठ कर जायेंगे।

आय व्ययक पर वाद विवाद

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी था। फिर वाद विवाद तो खतम हो जायेगा। हमारा बोलना तो रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछ लूंगा सदन से।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे यहां पर तीन तारीख को बजट पेश किया गया उसके ऊपर चर्चा चल रही है और माननीय सदस्य इस पर काफी रोशनी डाल चुके हैं। मैं चन्द बातें आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो यह है कि सिंचाई का मसला हमारे सामने है। सिंचाई की जो दरें बजट में बढ़ाई गई हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिंचाई क्या है। सिंचाई की जो अभी तक दरें हैं अगर सरकार उन दरों को, जो टैक्स लगे हुए हैं उनको अगर ईमानदारी से वसूल करें तो कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर किसानों पर अब तक लगा हुआ जो भार है वह बहुत अधिक है। आप सिंचाई मन्त्री जी से और उन अधिकारियों से जाकर पूछें कि जो टैक्स लगा हुआ है वह अब तक कितना वसूल हुआ है और कितना बाकी है। मेरी जानकारी है कि जो टैक्स अभी तक लगा हुआ है वह भी 5.6 साल से वसूल नहीं हो पाया है और आज तक बाकी है। जो टैक्स आज तक नहीं दे पाये और बकाया है तो वे अगला कैसे दे पायेंगे? इसलिये इस बारे में टैक्स लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है जो हरिसिंह जी ने बताया कि हमारे जिले के

(श्री चाव खां)

अन्दर, और जिलों की मुझे जानकारी नहीं है टैक्स लगाया जाता है, वहां पर बन्धे हैं। हमारे इलाके में फ्लड हमेशा आता है उस वक्त बन्धे टूट जाते हैं और बन्धे टूटने की वजह से बन्धों की मोरी खुल जाती है उससे सारी बस्ती तबाह हो जाती है। वहां हमारे ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर उस पानी से जो तबाही होती है उसका नुकसान देना तो दर किनार उस पर टैक्स लगाया जाता है उसकी वजह से किसान टैक्स नहीं दे सकता है। इसलिये सिंचाई का टैक्स किससे लिया जाय? सिंचाई का मतलब यह होता है कि जिस वक्त जरूरत पड़े उस वक्त पानी दिया जाय, एक किसान ने रहट लगा रखा है या इंजन लगा रखा है जब उसको जरूरत पढ़ती है वह तभी पानी देता है। उनकी फसल खड़ी हुई है और ऊपर से पानी आया और फसल बर्बाद हो गई उसका मुआवजा देना तो दर किनार ऊपर से टैक्स का बोझ और डाल देते हैं। इसलिए वह दे नहीं पाता है।

जहां तक बिजली की बात है, अध्यक्ष महोदय, अगर किसान को सही ढंग से बिजली दी जाय और उसकी सही दर लगाई जाय तो हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि बिजली के ऊपर कम खर्चा आता है, उसके ऊपर जो इन्जन लगा हुआ है उससे कम खर्च आता है, लेकिन वहां बिजली तो हो। यही तो एक मुसीबत है। रात को तीन, चार घण्टे बिजली दी जाती है। नाम तीन, चार घण्टे का है लेकिन वहां पर दो घण्टा भी बिजली हमको नहीं मिलती है। रात को हमारे बच्चे पानी के आगे खड़े रहते हैं लेकिन जैसे ही पानी वहां पर पहुंचता है वह भागता है उसके मेड़े में, वहां जाकर देखता है, पानी बन्द है। वह कहता है बिजली आनी बन्द हो गई। इस तरह से बिजली जो दी जा रही है वह ना के बराबर है। अगर वह सही ढंग से बिजली दी जाय तो हमको कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इसका खर्चा कम आता है लेकिन यह बिजली, यकीनी तौर पर कहता हूं, नहीं दी जाती है, पहुंचती नहीं है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। बिजली की दर अगर बढ़ाई जाय तो सही ढंग से किसान को बिजली दी जाय। दिन को दी जाय, रात को दी जा रही है यह हमारे साथ अन्याय है।

जो सिंचाई के बारे में मैंने बताया है, आज मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल बताऊंगा। हमारी सरकार का सिंचाई के ऊपर खर्चा हो रहा है। मेरे इलाके के अन्दर गुड़गांव कैनाल है, उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। उसका ठेका सोने की गिट्टी और बजरी का है लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वहां पर जो गिट्टियां हैं जो बजरी है वह आस-पास के पहाड़ों से लाई जाती है और उसमें लगाई जाती है। कहां सोना और कहां इलाके का पहाड़। रुपये में चार आना खर्च किया जाता है। मैं कहता हूं कि सारा पैसा अधिकारियों की जेब में जा रहा है, ठेकेदारों की जेब में जा रहा है और यह किसान दबता हुआ चला जा रहा है। यह हकीकत है। किसानों के साथ, इस देश के रहने वाले लोगों के साथ हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अगर इस पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता तो आज वह नहर तैयार हो जाती और सरकार के ऊपर, हमारे ऊपर बोझ नहीं आता।

दूसरी बात पी. डब्ल्यू. डी. की है। इसके द्वारा जो काम हो रहे हैं जो काम

(श्री चाव खां)

किया है तो उसकी एक मिसाल मेरे पास है। एक सड़क तीन किलोमीटर की मेरे क्षेत्र में बनाई गई है। मैंने इसके बारे में जानकारी की थी। मुझे बताया गया है यह 75 एम. एम. की सड़क है जबकि मौके पर जाते हैं तो दो इंच की बजाय डेढ़ इंच भी नहीं है। उसके ऊपर सिर्फ प्लास्टर कर दिया है। पी. डब्ल्यू. डी. के मन्त्री को मैंने एक दरख्वास्त दी कि इसके बारे में जांच करावें। मेरे सामने जांच हो। आज तक जांच नहीं हुई। मुझे इसके बारे में इत्तला नहीं दी गई। यह भी मैं सदन को बताऊं कि वह ठेकेदार मेरे पास आता है। वह किसी एक आदमी को साथ लाया, मुझे रुपया देने की कोशिश की। उसने कहा, मेरे बच्चे हैं, मैं गरीब हूं मैं मर जाऊंगा, आप यह दरख्वास्त वापस ले लें। मैंने कहा मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। एक-एक अधिकारी को करीब डेढ़ हजार रुपया तनख्वाह मिलती है। आप मौके पर देखिये पांच आदमी भी दो इंच बता दें तो मैं आपको माफ कर सकता हूं वरना यह नहीं हो सकता। अब न मालूम क्या हुआ वह पूरा मामला दब गया। उसको पैसा दे दिया गया, उसके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं की गई, जांच नहीं की गई।

तीसरी बात यह है कि मेरे इलाके के अन्दर एक पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है 12 किलो मीटर लम्बा और एक किलो मीटर चौड़ा है। उस पर आसपास के गांव के रहने वाले लोग, जो गरीब लोग हैं, काम करते हैं। हजारों आदमी इस पहाड़ से अपनी जिन्दगी बसर कर सकते हैं अगर इसका ठेका उनको दे दिया जाय तो वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं लेकिन एक-दो आदमी इस पहाड़ के ठेकेदार बने हुए हैं वहां पर जो बजरी, पहले 25/30 रुपये में दी जाती थी वह अब 100/125 रुपये में दी जा रही है। उसकी रसीदें नहीं दी जाती हैं। मैंने अभी हाल ही में मुख्य मंत्रीजी के सामने, सम्बन्धित मन्त्री महोदय के सामने इसके नमूने दिये। वहां पर एक पत्थर भी निकलता है जो राजस्थान के दूर दराज से आता है। अब वह पत्थर वहां से रात को ले जाया जाता है। उसका अब तक कम से कम सरकार को कई लाख रुपयों का घाटा हुआ है। जबकि बजरी का ठेका है वहां से यह पत्थर निकाल कर यू. पी. और दूसरे शहरों में भेजा जा रहा है। इस प्रकार सरकार इस पर ध्यान दे तो फिर हमें कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम सही हो जाय लेकिन जो टैक्स लगता है, एक नहीं पचास टैक्स लगा लो, लेकिन बरकत जहां है वही रहेगी, आगे बढ़ने वाली नहीं है। हमें दुख है कि किसान इस तरह दबता हुआ चला जा रहा है। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्रीजी मेरे गांव में जाकर बसें। मैं उनको मकान दूंगा 25 बीघा जमीन दूंगा, पांच साल तक रह कर देखें वे कितने मालदार बनते हैं, कितनी कोठियां बनाते हैं। लेकिन आप यह जानते हैं कि गांव के किसान कितने मालदार हो सकते हैं। हम यकीन दिलाते हैं हम किसानों के पास कपड़ा नहीं है, जूतियां नहीं हैं। किसान रात दिन काम करते हैं लेकिन उन पर इस तरह का टैक्स लगाया जाता है तो यह समझते हैं कि आखिरकार यह सरकार नहीं सुनती है तो जैसी कि कहावत है टैक्स भरेगा राम जी और किसान मरेगा। इसलिये सरकार टैक्सों का

(श्री चाव खां)

क्यों बढ़ा रही है। इनको छोड़े ! ईमानदारी की बात यह है कि जो टैक्स लगाये हैं उनको ही पूरा वसूल करें तो आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। किसी भी विभाग में जाकर देख लीजिये, बुरी तरह से देश को लूटा जा रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है

मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

सदन को कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि बैठक का समय और बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

तो केवल एक माननीय सदस्य श्री भोपालसिंह को समय देता हूं। बैठक का समय 5.20 तक के लिये बढ़ाया जाता है। 5.20 पर स्वत : ही आपका भाषण समाप्त हो जायेगा।

आय व्ययक पर वाद-विवाद

अनेक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हम को भी बोलना है, बोलने के लिये समय नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भोपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश हुआ है मैं उसका विरोध करता हूं और वैसे चन्दनमल जी साहब का मैं स्वागत करता हूं क्योंकि इस बजट से जो किसान वर्ग बिखरा हुआ था उसको इकट्ठा होकर अपनी आवाज उठाने का एक अवसर दिया, है इसलिये मैं उनका आभारी हूं। वैसे उन्होंने फ्लेट रेट दुगुनी की है। जहां तक, मैं समझता हूं, जो इन्होंने डबल बताया है उसको विथड्रा कर लेंगे और जो रेट बतायी है उस रेट से दुगुनी बढ़ाकर मीटर पर लगा देंगे जिससे पर्पज हल हो जायेगा। लेकिन किसानों को जो रियायत देनी चाहिए थी वह नहीं दी है। न छोटे उद्योगपतियों को दी है न लघु उद्योगपतियों को दी है और न छोटे किसानों को दी है। जो कुछ टैक्स लगाये हैं वे भी गरीबों के उपर ही लगाये हैं जो बड़े कारखानेदार हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। जो करोड़पति हैं, जो बड़े कारखानेदार हैं वह जो मैटीरियल लाते हैं उस पर राजस्थान की सरकार टैक्स लगा सकती थी क्योंकि रोज का ही लाखों रुपये का बिजनेस होता है। अगर आप एक रुपया क्विंटल भी लगा देते तो आपका काम चल जाता लेकिन उसको छेड़ा नहीं गया है। केवल उन गरीबों को छेड़ा गया है जो अपने श्रम से कमा रहे हैं, छोटे लोगों पर टैक्स लगाया गया है।

आप बड़ी इण्डस्ट्रीज को अनुदान देते हैं और छोटी इण्डस्ट्रीज को अनुदान दिया जाता है। जो 60 करोड़ की इण्डस्ट्री लगाता है उसको आप 90 लाख रुपये का अनुदान सरकार की ओर से देते हैं अगर आप इसी तरह से छोटे उद्योगों को 15 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत की छूट दे दें, मध्यम श्रेणी के उद्योगों को 25 प्रतिशत की छूट दे

Page No 128

(128)

(श्री भोपालसिंह)

दें और बड़े उद्योगों को कुछ नहीं दी जाय तो मेरे खयाल से राजस्थान का कल्याण भी होगा, आपको भी टैक्स में लाखों का फायदा होगा और कारखाने भी लग जायेंगे।

बड़े कारखाने लगते हैं तो वह ज्यादा मजदूर नहीं लगाते हैं। जब आप यह व्यवस्था करेंगे तो आटोमेटिकली छोटे कारखाने लगाये जायेंगे जिससे कि बेकारी में भी कमी होगी लोग धन्धे में लग जायेंगे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बड़े बड़े कारखानेदार नफे के बजाय अगर नुकसान का काम करते हैं तो भी आप उनको कुछ नहीं कहते हैं उनको मना नहीं करते हैं। जैसे कि सीमेंट के कारखानों से जो मिट्टी उड़ती है वह खेतों में जाती है और फसलों मे जाकर जमती है जिससे फसल की पैदावार में कमी होती है, इसका कोई कानून नहीं बनाया हुआ है। उसके द्वारा जितनी भी मिट्टी छोड़ी जाती है उसके लिये यह जरूरी है कि वे उसको जमीन में लाकर छोड़ें लेकिन यह होता नहीं है। उनको नोटिस भी जारी होते हैं लेकिन पता नहीं फिर कैसे वापस हो जाते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, इससे फसल को नुकसान होता है। इसी प्रकार से कारखानों से जो पानी निकलता है वह पानी नहरों में जाता है उससे खेत बर्बाद हो रहे हैं हैं लेकिन उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

सिंचाई पर जितना भी खर्च है उसके लिये कितने भी टैक्स लगा लें किन्तु जब तक आमदनी का सही ढंग से उपयोग नहीं होगा तब तक टैक्स लगाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि सैल्स टैक्स को ही लें, सैल्स टैक्स अधिनियम में यह प्रोविजन था कि कोई सैल्स टैक्स जमा कराने वाला जमा कराने में गलती करता है तो उस पर सरकार कई तरह के मुकदमे चला कर सजा दिला सकती है लेकिन वह प्रोविजन अब हटा लिया गया है। अगर आज वित्त मन्त्री जी वापस उसको लाते तो हम इस बजट का स्वागत करते कि टैक्स चोरों के ऊपर कोई अंकुश लगाया है, उसके बजाय आप व्यापारियों के संगठन में जाते हैं और कहते हैं कि आपको कोई तकलीफ हो तो बताइये, सहूलियत चाहिए तो बतावें। उनको तकलीफ देना तो स्वीकार नहीं है जबकि टैक्स कोई नहीं देना चाहते हैं। मेरा अभिप्राय इससे यह है कि ईमानदारी से जो टैक्स देते हैं उनको प्रोत्साहन दें. उनके लिये इस प्रकार की घोषणा करें कि उनको इतनी छूट दी जायेगी। इसका भी रिकार्ड हो। लेकिन जो टैक्स चोरी करते हैं और पकड़े जाते हैं उनको सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। एक आदमी एक करोड़ के टैक्स की चोरी करके चला जाता है उस टैक्स को वसूल करने का कोई तरीका नहीं है कि किस प्रकार उस पर मुकदमा चला कर उसको जेल में भेजा जाय, केवल वह दिवालिया घोषित हो जायेगा और सरकार चुप हो जायेगी। किसान को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं है। किसान की जमीन रहन रखते हैं और फिर आप कहते हैं कि किसान को सुविधा दे रहे हैं। किसान को उधार दे रहे हैं एक हजार दो हजार और चार हजार का उधार दे रहे हैं। किसान को जमीन गिरवी रखनी पड़ती है उसको वह बेच नहीं सकता

(श्री भोपाल सिंह)

है, हट नहीं सकता है लेकिन कारखाने को रहन नहीं रखते हैं उसके पास तो कारखाना ही है। किसानों को जितनी रियायत दी जाय वह डाइरेक्ट दी जाय। आप किसानों से टैक्स, ऋण वसूल रते हैं। किमान को जो लोन मिलता है उसका पचास प्रतिशत तो रास्ते में ही खतम हो जाता है इसलिये किसानों को डाइरेक्ट लोन मिलना चाहिए किसान बड़ी मेहनत करके अपने पैसों से अपनी जमीन पर दरख्त खड़ा करता है वह उसको काट नहीं सकता है, बेच नहीं सकता है। लेकिन आप हजारों एकड़ जंगल साफ करा रहे हो, उसका कुछ नहीं है, लेकिन किसान अपने खेत पर न एक बम्बूल का पेड़ काट सकता है न बेच सकता है, पर वह बबल आज भी बिक रहा है उसको रोक नहीं रहे हैं। वह अपने काम के लिये काट सकता है बेचने के लिये नहीं काट सकता है। लेकिन लोग बेचने के लिये भी काट रहे हैं, रोजाना हजारों गाड़ियां और ट्रक जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, प्रति ट्रक 100 रुपया और 50 रुपया देकर के यह धन्धा बंधा हुआ चल रहा है। भ्रष्टाचार चालू है, ट्रक निकालने में काफी भ्रष्टाचार है। यह छूट किसानों को दे दी जाय जिससे यह भ्रष्टाचार खतम हो।

रजिस्ट्रेशन कराने के लिये किसान जाता है तो उसके लिये कई बंधन डाल रखे हैं। उन बन्धनों के द्वारा उसको लूटा जा रहा है। फिर आपने स्टाम्प ड्यूटी बाजार भाव पर लगा दी है तो उसको आंकेगा कौन? उसको वही अफसर और बाबू आंकेंगे उन्हीं लोगों के हाथ में यह अधिकार आ जायेगा, वह 10 हजार की कीमत की चीज को पांच हजार कीबता कर भ्रष्टाचार करेंगे और लोग परेशान होंगे, वकीलों की शरण में जायेंगे। इसके बजाय स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दें, दो चार आने प्रति सैंकड़ा बढ़ा दें, आठ आना एक रुपया बढ़ा दें उससे भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। अगर आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो ऐसा कानून बनायें कि डाइरेक्ट टैक्स ले लें लेकिन इस तरह से छूट देना गलत हो जायेगा। इसके अन्दर जो कुछ भी होता है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

अभी 20 तारीख को एक रूल निकला था विदेशी शराब के बारे में कि भारत निर्मित विदेशी शराब के लिये आक्शन किया जायेगा, शराब की दुकानों का आक्शन किया जायगा। उसमें 20 से 26 तारीख के बीच 6 दिन में क्या फर्क पड़ गया है जो स्थिति को बदल दिया है और बजट लाकर सात दिन में आपने इसमें परिवर्तन कर दिया है?

आज जो व्यवस्था है, जहां तक मेरी समझ है, वह यह है कि जैसे जयपुर के अन्दर पचास दुकानें शराब की हैं तो एक आदमी को वे सब की सब दे दी जायेंगी। यानी पचास दुकानों के आदमी बेकार हो जायेंगे और एक आदमी शराब बेचेगा। इसके अन्दर बड़ा भारी घपला हुआ है। शराब ऐसी चीज है जो एक रुपये में एक बोतल गंगानगर से खरीदी जाती है और बेची जाती है 20 रुपये में। वह शराब पीने वालों को 20 रुपये में मिलती है। एक रुपये की शराब पर 12 और 13 रुपये टैक्स के हैं। बिना टैक्स के वह एक रुपये की है और 12 रुपये उस पर टैक्स का होता है। इसी तरह से विदेशी

(श्री भोपालसिंह)

शराब की चार रुपये की बोतल आती है उस पर टैक्स आदि लग कर वह चालीस और पचास रुपये में बिकती है। पांच छ: रुपयों वाली शराब की बोतल 100 रुपये में बिकती है उस पर पचास पर्सेन्ट टैक्स है और टैक्स पर टैक्स और न जाने क्या क्या हैं, 10 तरह के टैक्स हैं। एक टैक्स पर दूसरा टैक्स है, इस प्रकार शराब उपभोक्ता को बड़ी महंगी पड़ती है। एक आदमी के पास यह ठेका आ जायेगा तो वह क्या करेगा कि फर्जी शराब बनायेगा और चार रुपये की शराब को वह चालीस रुपये में बेचेगा, 36 रुपये का उसको मुनाफा मिलेगा। 45 रुपये की शराब 100 रुपये में बेचेगा उसको 55 रुपये का मुनाफा मिलेगा। आज ओपन मार्केट में शराब मिलती है और एक दूकानदार 40 रुपये में बोतल बेचता है और खराब बेचेगा तो पीने वाला दूसरे दूकानदार के यहां पर चला जायेगा जहां उसे अच्छी शराब मिले। यदि आपको अधिक आमदनी करनी है तो आप दो रुपया प्रति बोतल टैक्स बढ़ा दें। चार रुपया लगा दें लेकिन एक आदमी के हाथ में सारा ठेका देने यह प्रव करता है कि इसमें कोई न कोई बड़ा भारी घोटाला है। हरियाणा हमारे पास में पड़ता है, वहां पर शराब सस्ती मिलती है। वहां की शराब हमारे यहां पर आकर बिकती है और सरकार को नुकसान होता है। अगर चालीस दूकानदार होते है तो उनमें कॉम्पीटिशन होता है, वे आठ आना या रुपया का फायदा लेकर के बेचते हैं पर एक आदमी के पास सारा ठेका आ जायेगा तो वह चाहे जितना पैसा लेगा और आदमी शराब पीने के लिये कहीं जा भी नहीं सकता है क्योंकि सब जगह एक ही आदमी बेचेगा इसलिए वह मनमाना मुनाफा लेगा।

शराब को कम करना चाहिए। मैं भी मानता कि इसको कम करना चाहिए हमें बड़ी खुशी होगी। जितने लोग जो पीते हैं उनकी आर्थिक हालत कमजोर हो गई है इसलिए हम तो इसके फेवर में हैं कि इस रेट को ज्यादा किया जाय। हम पनपें हम सीख गये हैं या नहीं लेकिन हमारे छोरे तो न पीयें। लेकिन इस तरह 5 रुपये की चीज को 50-100 में बेचा जाय और एक ही आदमी बेचे उसे कितना....

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक
के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट के लिये समय बढ़ाता हूं।

आय व्ययक पर वाद–विवाद

श्री भोपालसिंह : इस तरह इसका मैं विरोध करता हूं। इस पर सरकार पुन: विचार करे। इतने दिनों कहा जाता था कि बड़ा किसान और छोटा किसान। काश्त वाली जमीन किसानों के पास थी, अच्छी जो जमीन रही वह बड़े किसानों के नाम दर्ज हुई। सरकार ने कानून बनाया, लोगों ने जमीन बेची खरीददारों ने ले ली, सब निपटते गये। पहले सीलिंग में जमीन कम हुई दूसरी सीलिंग थोप दी गयी, रही सही कसर जनता पार्टी के राज में 5-7 हजार फाइलें खोलकर निकाल दी। कहां बड़ा रहा, कहां छोटा रहा? इसमें कोई गलत

(श्री भोपालसिंह)

नहीं किया, आप ही ने फैसला किया आपको ही न्याय करना पड़ेगा। अभी वह पैण्डिंग है। होगा यही पहले भी किसान आश्रित रहते थे, आज भी आश्रित हैं आगे भी रहेंगे, क्या नुकसान है ? सब किसान बराबर हो गये। कोई बड़ा किसान है ही नहीं। सीलिंग के कानून का लम्बा चौड़ा पोथा बना। उस कानून की मूल मंशा यह थी कि 3 हजार रुपये से ज्यादा इनकम वाले जमीन नहीं रख सकते थे। ऐसा कानून बना। उस वक्त संयुक्त परिवार की 7 हजार रुपये तक इनकम टैक्स की सीमा थी और साढ़े तीन हजार की सीमा इण्डिविजुअल की थी। अब वह बढ़ गई है। जमीन की पैदावार भी बढ़ गई है। लेकिन गर्ज यह है कि महज वह कानून इसलिए बना था कि जो इनकम टैक्स पे करने वाले किसान हैं उनसे कम आमदनी वाला किसान भारत में जिंदा रहे। वह कानून प्रचलित हुआ लेकिन ले दे कर सबको सब करना पड़ा और अब तो इस स्टेज पर आ गये हैं कि 60 प्रतिशत ऐसे आदमी हैं, बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनके पास 5–7–10 बीघा जमीन है। अब उनकी आप मदद तो करते नहीं हैं। मेरे खयाल से तो मोटे रूप में फ्रेग्मेण्टेशन कायम किया है। लघु और सीमान्त कृषक हैं, उनको फ्रेग्मेण्टेशन के आधार पर करना चाहिए क्योंकि एक जगह तो पैदावार 5 बीघा पर अधिक आती है और एक जगह 15 बीघा पर अधिक आती है। 8 बीघा वालों को, 15 बीघा वालों को ही सुविधाएं देंगे, यह बात बिलकुल गलत है, गलत तरीका है। फ्रेग्मेण्टेशन रेवेन्यू के आधार पर बनता है, इससे कम जमीन एक आदमी रख नहीं सकता, इधर कहते हो रख नहीं सकता, उधर कहते हो रखो। कुआं खोदो तुमें हम मदद करेंगे। यह बहुत गलत है। जब आपने कानून बनाया कि इससे कम जमीन पर टैक्स माफ नहीं किया जा सकता है, कम से कम 5 बीघा से कम जमीन वालों का टैक्स माफ करें और उनको जो मिलने वाली सहूलियतें हैं वे दें। जहां तक प्रश्न कुएं का है उसके लिये आप हरेक आदमी को अलग अलग लोन देते हैं, मदद करते हैं 33 प्रतिशत, 25 प्रतिशत। अगर इसकी जगह ट्यूब वैल लगाया जाय तो एक ट्यूब वैल 100 बीघा जमीन की सिंचाई कर सकता है। सरकार इसके लिए सक्षम है, किसान सक्षम नहीं है, उसको तो आपने गरीब बना दिया है, इनकम टैक्स के नीचे की श्रेणी में ले आये हैं। हो सकता है कि कोई दूसरा धन्धा करता हो, बाप–दादाओं का धन हो, विशेष इनकम हो, वह भले ही ट्यूब वैल लगा सकता है बाकी साधारण किसान तो नहीं लगा सकता है जो खेती पर निर्भर करता है। सरकार उसके लिए सक्षम है इसलिए ट्यूब वैल लगाना और उससे सिंचाई करना ज्यादा बेहतर और सस्ता होगा। बिजली का जनरेटर एक किसान नहीं लगा सकता है। आप बड़े कारखानों को मजबूर कर सकते हैं कि तुमको बिजली नहीं देंगे तुम जनरेटर लगाओ। जो कुछ भी आप उनको रियायत दे रहे हैं वह किसान को दें। किसान जनरेटर नहीं लगा सकता है प्रेक्टिकल में नहीं ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री भोपालसिंह : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, अगर वित्त मंत्री नहीं मानें तो

Page No 132

(130)

(श्री भोपालसिंह)

आत्मा की आवाज, जैसे इन्दिरा ने भी कहा था आत्मा की पुकार के आधार पर आप भी करें। इसे बदल कर, किसान का फायदा करो।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 11 मार्च, 1982 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.25 बजे गुरुवार, दिनांक 11 मार्च, 1982 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

....

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 285 की सूची

राज्य में 20 संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले गये छात्रावासों की सूची मय स्थान के

क्र. सं०	नाम शहर/कस्बा	खोले गये छात्रावासों की संख्या
(1)	जयपुर	5
(2)	जोधपुर	3
(3)	अजमेर	2
(4)	कोटा	3
(5)	बीकानेर	2
(6)	उदयपुर	2
(7)	अलवर	2
(8)	गंगानगर	2
(9)	भीलवाड़ा	2
(10)	सीकर	1
(11)	भरतपुर	1
(12)	ब्यावर	1
(13)	टोंक	1
(14)	चुरू	1
(15)	पाली	1
(16)	बाड़मेर	1
(17)	सवाईमाधोपुर	1
(18)	जालौर	1
(19)	रतनगढ़	1
(20)	बून्दी	1
(21)	नागौर	1
(22)	झुन्झुनू	1
(23)	चित्तौड़गढ	1
	कुल	37

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 98 की सूची

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में पाये जाने वाले वन्य प्राणियों की गणना दिनांक 19–5–81

नील गाय	सांभर	चीतल	काले हिरण	सूअर	फिसिगकैट	जंगली बिल्ली	सिविलकैट	इन्डियन पाम सिविट	लैपरडकैट	वूच	गीदड़	भेड़िया	जरख	जल-मानुष
357	33	388	69	180	6	16	8	4	3	1	27	1	4	17

जंगली गाय
395

नोट :—अजगर व खरगोश की गणना नहीं की गई है।

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

नगर परिषद् उदयपुर का टाउन हॉल

290. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद्, उदयपुर के टाउन हॉल का निर्माण कार्य किस वर्ष में प्रारम्भ किया गया था ?

(2) क्या टाउन हॉल का तकमीना बनाया गया था ? यदि हां, तो कितना और किस विभाग द्वारा ?

(3) इस भवन के लिये किस किस वर्ष में कितनी कितनी राशि आवंटित की गई ? क्या प्रत्येक वर्ष में आवंटित पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या टाउन हॉल के लिये फर्नीचर एवं बिजली फिटिंग के लिये टेण्डर आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या टेण्डरदाताओं से ही कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो यह कार्य किसके द्वारा किया गया और किन परिस्थितियों में कराया गया था ?

उत्तर

(1) टाउन हॉल का निर्माण वर्ष 1957 से प्रारम्भ किया गया था।

(2) जी हां। सर्व प्रथम तकमीना नगरपरिषद् द्वारा रु. 4,44,548/– का बनाया गया था। परन्तु आवश्यकतानुसार तखमीना में परिवर्तन किये गये हैं।

(3) टाउन हॉल के निर्माण के लिये पृथक से राशि आवंटित न की जाकर व्यय निर्माण एवं विकास मद में इकजाई रूप से स्वीकृत राशि में से व्यय किया गया है। अतः आवंटित पूरी राशि के उपयोग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) जी हां। बिजली का कार्य टेण्डरदाताओं से ही कराया गया है। फर्नीचर के लिये टेण्डरदाता द्वारा कार्य न करने पर उसकी धरोहर राशि जब्त की जा चुकी है एवं पुनः टेण्डर आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

बस्सी व दौसा तहसीलों में हरे पेड़ों की कटाई

291. श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार के ध्यान में है कि आगरा रोड पर बस्सी व दौसा तहसीलों के विभिन्न हरे पेड़ सम्बन्धित वन अधिकारियों की जानकारी से काटे जा रहे हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पेड़ों के काटे जाने सम्बन्धी शिकायत की जांच निदेशक, सतर्कता (वन) विभाग द्वारा करवाई जा रही है।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कुम्हेर में नवीन सड़कों का निर्माण

292. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कुम्हेर में कितनी नवीन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग से दी गई है ?

(2) यदि नहीं दी है, तो क्या आगामी वर्ष 1982-83 में इस पर विचार कर सरकार नवीन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति देगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में इस विभाग द्वारा किसी नवीन सड़क के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(2) वर्ष 1982-83 में धनाभाव के कारण नवीन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति देने की अभी संभावना नहीं है।

प्रशिक्षित धात्री उपवैद्यों का नियोजन

293. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1979-80 में राजकीय धात्री उपवैद्य प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर से कितने प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

(2) इस समय राज्य सरकार के अधीन धात्री उपवैद्यों के कितने पद रिक्त हैं ?

(3) इन रिक्त पदों पर इन प्रशिक्षणार्थियों में से कितने को नियुक्ति दी गई ? यदि नहीं दी गयी, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1979-80 में अजमेर से प्रशिक्षित उपवैद्य इस संबंध में मुख्य मन्त्री एवं चिकित्सा मन्त्री से कई बार मिल कर ज्ञापन दे चुके हैं ? यदि हां, तो उन ज्ञापनों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या इन उपवैद्य (1979-80 में अजमेर में प्रशिक्षित) की नियुक्ति में कोई प्रशासनिक कठिनाई है ? यदि हां, तो क्या और इतने लम्बे समय तक इसका हल किन कारणों से नहीं किया गया ?

(6) क्या सरकार के समक्ष इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार न मिलने तक कोई भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) 145 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनमें 140 उत्तीर्ण घोषित हुए हैं।

(2) धात्री/कल्पद के वर्तमान में 243 पद रिक्त हैं।

(3) अभी तक कोई नियुक्ति नहीं दी गई, क्योंकि वर्तमान में इन पदों पर नियुक्ति हेतु नियमों में जो योग्यता निर्धारित है, उसमें एक वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण आशार्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है। नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) जी हां। नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

(आयुर्वेद मन्त्री)

(5) जी हां। नियमों में संशोधन संबंधी प्रशासनिक कठिनाई है। संशोधन की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(6) जी नहीं।

भीलवाड़ा नगर परिषद् में तामीर सम्बन्धी विचाराधीन आवेदन-पत्र

294. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा नगर परिषद् को वर्ष 1980-81 व 1981-82 में (अब तक) तामीर सम्बन्धी कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने स्वीकार किये गये ?

(2) भीलवाड़ा नगर परिषद् के बरामदों, रोस एवं अहातों की भूमि के लिये उपरोक्त वर्षों में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और कितने स्वीकार किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर परिषद् में उपरोक्त दोनों प्रकार के प्रार्थना-पत्र काफी संख्या में लम्बित पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों और उन पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा नगर परिषद् में वर्ष 1980-81 में 408 व 81-82 में 341 तामीर सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 80-81 में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से 377 व 81-82 में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से 1302 प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये।

(2) बरामदों, रोस व अहातों के लिए इन वर्षों में कुल 94 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा 40 स्वीकृत किये गये।

(3) जी हां। ऐसे प्रार्थना-पत्र तकनीकी जांच, लीज जमा न कराने, भूमि स्वामित्व संबंधी प्रमाण-पत्र आदि प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण बकाया हैं। प्रार्थना-पत्रों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पूर्ण होने पर स्वीकृति दे दी जायेगी।

जयपुर शहर में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास

295. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में समाज कल्याण के कितने छात्रावास हैं तथा कहां कहां ? प्रत्येक में कितने छात्र रहते हैं ?

(2) जयपुर शहर के बापू छात्रावास की मरम्मत, सफेदी आदि के लिये कितनी राशि स्वीकृत है तथा इस छात्रावास पर इस मद में विभाग द्वारा कब कब कितनी राशि व्यय की गई है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में समाज कल्याण के 10 छात्रावास हैं, जिनकी सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बापू आश्रम छात्रावास की मरम्मत, सफेदी आदि के लिये वित्तीय वर्ष 81-82 में 5,000 रु. की राशि आवंटित की गई है। पिछले वर्ष 80-81 में आवश्यक मरम्मत पर 800 रु. व्यय किये गये थे।

(138)

जयपुर शहर में समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	नाम छात्रावास	स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या	वर्तमान छात्र संख्या
1	2	3	4	6
1.	अनुसूचित जनजाति छात्रावास	बजाज नगर, जयपुर	40	34
2.	अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास	गांधी नगर, जयपुर	75	8
3.	अनुसूचित जनजाति छात्रावास	आदर्श नगर, जयपुर	35	31
4.	अनुसूचित जाति छात्रावास	,,	80	40
5.	बापू आश्रम	जालूपुरा, जयपुर	60	58
6.	अनुसूचित जाति छात्रावास	डी-29, अमृतपुरी, जयपुर	25	13
7.	अनुसूचित जाति छात्रावास	हींदा की मोरी, जयपुर	25	22
8.	अनुसूचित जाति छात्रावास	अमृतपुरी, म. नं. डी-66 जयपुर	25	13
9.	अनुसूचित जाति छात्रावास	पुरानी बस्ती, प्लाट न. 62 जयपुर	25	14
10.	अनुसूचित जाति छात्रावास	नाहरी का नाका, प्लाट न. 1000 जयपुर	25	19

शाहपुर अस्पताल में शैयाओं/यंत्रों एवं उपकरणों की समुचित व्यवस्था

296. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में उपखण्ड अधिकारी का केन्द्र एवं पुरानी स्टेट की राजधानी होते हुये भी 100 शैयाओं की सुविधा वाला अस्पताल उपलब्ध नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार शाहपुरा में 100 शैयाओं का अस्पताल हो जाना चाहिये ?

(3) क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में शाहपुरा के अस्पताल में 100 शैयाओं तथा अन्य आवश्यक यंत्रों एवं उपकरणों की व्यवस्था करने का प्रावधान करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

जयपुर में सार्वजनिक भवनों व संस्थानों का नाम परिवर्तन

297. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह अक्टूबर, 1981 में नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा कुछ सार्वजनिक भवनों व संस्थानों के नाम बदले गये हैं ? यदि हां, तो किस-किसके और क्या क्या ?

(2) इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई ?

(3) इसी तरह का कार्य राज्य में अन्यत्र कहां कहां किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा केवल अपने कार्यालय भवन का नाम बदल कर, "राम किशोर व्यास भवन" किया गया है।

(2) स्वर्गीय श्री राम किशोर व्यास की मधुर स्मृति में नाम परिवर्तन नगर विकास न्यास, जयपुर की सौन्दर्यकरण उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार किया गया।

(3) इस विभाग की जानकारी में इस तरह का कार्य राजस्थान में अन्यत्र कहीं नहीं किया गया।

फार्म-फारेस्ट्री के लिये कृषकों को प्रोत्साहन

298. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में इस वर्ष कितने एकड़ में फार्म-फारेस्ट्री का लक्ष्य निर्धारित किया था तथा लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका ?

(2) क्या सरकार ने पंजाब और गुजरात राज्यों की फार्म-फारेस्ट्री के लिये

किसानों को प्रोत्साहित करने वाली योजना का अध्ययन किया है? यदि हां, तो क्या राज्य के किसानों की भी प्रोत्साहित करने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में फार्म फोरेस्ट्री अन्तर्गत 30 लाख पौधे कास्तकारों को वितरित करने के लिये निर्धारित किया गया वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया।

(2) राज्यों के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें फार्म फोरेस्ट्री के अन्तगत निशुल्क पौधे वितरित किये जाते हैं। मरुस्थलीय जिलों में निशुल्क पौधे देने के साथ साथ पौधों को जीवित रखने पर प्रति जीवित पौधा नगद राशि भी दी जाती हैं।

झुन्झुनूं जिले के बड़े गांवों को पक्की सड़कों से जोडना

299. **श्री वीरेन्द्र प्रताह सिंह** (गुढ़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झुन्झुनूं जिले में ऐसे कितने गांव है जिनकी आबादी 1971 की जन संख्या के अनुसार 4000 की है परन्तु उन गांवों को डामर सड़क से अभी तक नहीं जोड़ा गया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त गांवों को डामर सड़क से न जोड़े जाने के क्या-क्या कारण रहे हैं? इन गांवों को डामर सड़क से कब तक जोड़ दिया जावेगा?

उत्तर

(1) झुन्झुनू जिले की 1971 की जनसंख्या के अनुसार केवल एक गांव जसरापुर ही ऐसा है जिसकी आबादी 4000 से अधिक है तथा उसको डामर सड़क से अभी तक नहीं जोड़ा गया है।

(2) धनाभाव के कारण यह गांव पूर्व में डामर सड़क से नहीं जोड़ा जा सका था। इस गांव को जून, 1983 तक डामर सड़क से जोड़े जाने की संभावना है।

कल्पद प्रशिक्षण काल में शिष्य वृत्ति

300. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) एवं **श्री समर्थलाल** (राजगढ़): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कल्पद (उपवैद्य) प्रशिक्षण (लोगिया अजमेर) की अवधि एक वर्ष से अब 2 वर्ष 6 माह करदी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रशिक्षण के लिए पूर्व में स्टाइपेण्ड दिया जाता था जिसको अब बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार अब पुन: उपरोक्त प्रशिक्षणार्थियों को स्टाइपेण्ड देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, धात्री कल्पद प्रशिक्षण केन्द्र का पाठयक्रम वर्ष 1981-82 से 2 वर्ष 6 माह का ही गया है।

(आयुर्वेद मन्त्री)

(2) लोगिया के प्रशिक्षण केन्द्र में कोई स्टाइपेण्ड नहीं दिया जाता किन्तु पूर्व में वर्ष 1969-70 तक राज्य सेवारत व्यक्तियों के अलावा एक वर्षीय प्रशिक्षणार्थियों को स्टाइपैण्ड दिया जाता था। इस प्रशिक्षण को बन्द कर दिया गया था। अतः स्टाइपेन्ड स्वतः ही बन्द हो गया।

(2) जी नहीं। आशार्थियों की अधिक उपलब्धता एवं वित्तीय प्रावधानों के अभाव में प्रशिक्षणार्थियों को स्टाइपेन्ड देना सम्भव नहीं है।

जयपुर में नगर निगम की स्थापना

301. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) व **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार जयपुर नगर परिषद् के स्थान पर जयपुर नगर निगम बनाने का इरादा रखती है?

(2) क्या जयपुर शहर की जनसंख्या नगर निगम बनाये जाने के लिये पर्याप्त है?

(3) उक्त नगर निगम की शक्तियां व अधिकार क्षेत्र क्या होगा?

उत्तर

(1 व 2) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(3) मामला अभी विचाराधीन है। इसलिये निर्णय के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा।

सवाई माधोपुर जिले में वृक्षारोपण

302. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सन् 1981 में जिला सवाई माधोपुर में वृक्ष लगाने का कोई लक्ष्य तय किया गया था? यदि हां, तो सन् 1981 में इस जिले में कुल कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य था?

(2) क्या यह भी सही है कि वृक्ष लगाने का कार्य वन विभाग को सौंपा गया था? यदि हां, तो दिसम्बर, 1981 तक वृक्ष लगाने कितना लक्ष्य पूरा किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। सवाई माधोपुर जिले में पूर्व 1981 में 2·44 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित था।

(2) जी हां। परन्तु वन विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों को वृक्ष उगाने का लक्ष्य सौंपा गया था। जहां तक वन विभाग का प्रश्न है, वन विभाग ने 2 44 लाख पौधों के लक्ष्य के विपरीत दिसम्बर, 1981 तक 2·552 लाख पौधे जिले में रोपित किये हैं।

अलवर जिले में घाटा नीमराना से बीजवाड़ चौहान तक सड़क निर्माण

303. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार घाटा नीमराना (जिला अलवर) राष्ट्रीय उच्चा मार्ग नं०

(श्री समर्थलाल)

8 से काली पहाड़ी, मोलावास, जालावास, मनेठी, भोजपुरी, हुलमाना, खुर्द एवं कलां होते हुए कस्बा बीजवाड़ चौहान तक सड़क निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि विशेष रूप से वर्षा ऋतु में साबी नदी के कारण तहसील मण्डावर जिला अलवर के उपरोक्त उत्तरी पश्चिमी हिस्से का तहसील मुख्यालय तथा जिला मुख्यालय से सम्पर्क टूट जाता है? यदि हां, तो इसके लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 के घाटा नीमराना से काली पहाड़ी मोलावास, जालावास, मनेठी, भोजपुरी, हुलमाना खुर्द एवं कलां होते हुए कस्बा बीजवाड़ चौहान तक सड़क निर्माण करने की धनाभाव के कारण अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्षा ऋतु में साबी नदी के कारण तहसील मण्डावर का उत्तरी पश्चिमी हिस्से का तहसील मुख्यालय व जिला मुख्यालय से सीधा सम्पर्क टूट जाता है। राज्य सरकार द्वारा अलवर बहरोड़ रोड पर साबी नदी पर पुल बनाने के लिये 2 लाख रुपये की सर्वे कार्य हेतु स्वीकृति दी गई। सर्वे का कार्य पूर्ण होने पर पुल निर्माण का धन उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

दन्त चिकित्सा महाविद्यालय

304. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोई दन्त चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की मांग पर कोई विचार अथवा व्यवस्था की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उन विद्यार्थियों के लिये जो डेन्टल साइन्स में विशेष योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं कोई व्यवस्था कर रही है?

उत्तर

(1) डेन्टल कालेज खोले जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के सम्मुख प्रारम्भिक अवस्था में विचाराधीन है।

(2) डेन्टल कालेज खुल जाने के पश्चात् ही विचार किया जा सकेगा।

जयपुर नगर की कच्ची बस्तियां

305. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) व **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर में इस समय कितनी कच्ची बस्तियां हैं? कृपया निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें। इनमें कितने व्यक्ति मकान या झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं?

(2) क्या राज्य सरकार इन सभी व्यक्तियों के अवैध कब्जों को नियमित करने की सोच रही है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी व श्रीमती उजला अरोड़ा)

(3) क्या नगर विकास न्यास, जयपुर व नगर परिषद् ने बस्तियों को बसाने के लिये स्थानीय निवासियों से आवेदन-पत्र लिये हैं ? यदि हां, तो कितनी बार और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या राज्य मंत्री मण्डल ने दिनांक 12 जनवरी, 1982 को कच्ची बस्तियों को बसाने के लिये कोई नीति निश्चित की है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) क्या जयपुर की कच्ची बस्तियों को बसाने के लिये मास्टर प्लान में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक कर दिया जायेगा ?

(6) क्या जयपुर की कच्ची बस्तियों के निवासियों से भूमि की कीमत आय के आधार पर लेने का निर्णय किया गया है ?

उत्तर

(1) जयपुर में इस समय 165 कच्ची बस्तियां है । सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं । इनमें 48854 परिवार मकान या झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं । प्रत्येक परिवारों में औसतन 5 व्यक्तियों के हिसाब से ऐसे व्यक्तियों को संख्या 2 लाख चवालीस हजार दो सौ सत्तर होती है ।

(2) राज्य सरकार ने 1.1.81 तक के कच्ची बस्तियों के निवासियों के अवैध कब्जों को नियमित करने का निर्णय लेकर आदेश जारी कर दिये हैं ।

(3) नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा जुलाई, 81 को अतिवृष्टि के पश्चात् कच्ची बस्तियों के निवासियों को बसाने के सन्दर्भ में निर्धारित प्रपत्र आमंत्रित किये थे परन्तु राज्य सरकार द्वारा जिलाधीश, जयपुर के माध्यम से अक्टूबर, 1981 में कच्ची बस्तियों के निवासियों का सर्वेक्षण कराये जाने के समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये आवेदन पत्र जिलाधीश, जयपुर के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं । कच्ची बस्तियों के निवासियों से प्राप्त आवेदन पत्रों को न्यास द्वारा बस्तीवार छांट लिया गया एवं शीघ्र ही सर्वेक्षण के आधार पर नियमित किये जाने की कार्यवाही जारी है । नगर परिषद, जयपुर द्वारा अधीनस्थ जिन-जिन कच्ची बस्तियों में भूखण्ड आवटन की कार्यवाही की गई है वहां पहले सूचना देकर मौके पर जलसे आम में आवंटन की कार्यवाही की गई है और जलसे आम में ही सही कब्जे धारियों को भूखंड आवंटन किये गये हैं । आवेदन-पत्र नगर परिषद द्वारा नहीं लिये गये हैं ।

(4) जी हां । मंत्रिमण्डल ने कच्ची बस्तियों को बसाने के लिए निर्णय लिया है और इस निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार ने कच्ची बस्तियों के वासियों के दिनांक 1.1.81 तक के कब्जों को नियमित करने आदेश 21.1.82 को जारी कर दिये हैं ।

(5) कच्ची बस्तियों को नियमित करने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो इस हेतु गठित कमेटी की सिफारिश आने पर राज्य सरकार नियोजन की दृष्टि से निर्णय लेगी ।

(6) जी हां ।

(142)

1981 के सर्वेक्षणानुसार नगर विकास न्यास, जयपुर के क्षेत्र में स्थित कच्ची बस्ती की सूची जौहरी बाजार निर्वाचन क्षेत्र

क्र0 सं0	कच्ची बस्ती का नाम
1	आदर्श नगर बगड़िया बस्ती
2	अमृतपुरी कच्ची बस्ती
3	आमागढ़ लकड़ी पत्थर मण्डी
4	आमागढ़ (कली के भट्टे के पास नाग तलाई)
5	बजाज नगर पार्क व केन्द्रीय विद्यालय के पीछे
6	बुद्धसिंह पुरा
7	धन्नादास की बगीची
8	गोटे वालों की बगीची (ट्रक स्टेण्ड के पास)
9	गोवर्धनपुरी गलता घाटी
10	घाट की गूणी कच्ची बस्ती
11	झालाना महल
12	झालाना डूंगरी बाई जी की कोठी
13	जवाहर नगर कच्ची बस्ती
14	खड्डा कच्ची बस्ती
15	खाखावास कच्ची बस्ती
16	कचरा बस्ती
17	मोती डूंगरी कच्ची बस्ती
18	(क) मिनर्वा टाकीज के पीछे
	(ख) कमेले की गली
19	नागतलाई कच्ची बस्ती (सूरजपोल दरवाजे के पास)
20	पुराना घाट कच्ची बस्ती
21	राजा पार्क गली नम्बर 5 कच्ची बस्ती
22	सिपाहियों की बस्ती आगरा रोड
23	शिव नगर घाट दरवाजे बाहर कच्ची बस्ती
24	वेदपुरी कच्ची बस्ती (ग्राम जामडोली आगरा रोड)
25	कामर्स कालेज के सामने (गांधीनगर कच्ची बस्ती)
26	मुस्लिम स्कूल के पीछे कैलाशपुरी
27	टीबानायकान कच्ची बस्ती

नगर विकास न्यास, जयपुर के क्षेत्र में स्थित कच्ची बस्तियों की सूची

बनीपार्क निर्वाचन क्षेत्र

क्र0 सं0	कच्ची बस्ती का नाम
1	ग्रमरनाथ की बगीची
2	ग्रम्बेडकर कालोनी
3	ग्रानन्दपुरी महन्त जी का बास व मोहनदास की बगीची
4	ग्रशोक पुरा जमना डेयरी के सामने
5	बरकत कालोनी झोटवाड़ा
6	वैकण्ठ नगर
7	बाइस गोदाम गीजगढ़ हाउस
8	कलेक्ट्रेट के पीछे
9	बाइस गोदाम पुरोहित जी का बास
10	धानका कच्ची बस्ती झोटवाड़ा
11	दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन
12	इन्दिरा कच्ची बस्ती ग्रजमेर रोड
13	फतेह नगर हटवाड़ा कच्ची बस्ती
14	फतेह टीबा शमशान कच्ची बस्ती
15	गोपालपुरा कच्ची बस्ती
16	हसनपुरा हरिजन बस्ती
17	हसनपुरा ए कच्ची बस्ती
18	हसनपुरा बनजारा कच्ची बस्ती
19	हसनपुरा बी कच्ची बस्ती (खातीपुरा के दक्षिण में)
20	हसनपुरा सी कच्ची बस्ती
21	हटवाडा कच्ची बस्ती
22	जनता कालोनी कच्ची बस्ती
23	जगतपुरा कच्ची बस्ती
24	जमना डेयरी के पास फुटीयों का बास
25	खातीपुरा बीड़ कच्ची बस्ती
26	करतारपुरा कच्ची बस्ती
27	कुमावत कच्ची बस्ती
28	लाखाजी की ढाणी
29	लक्ष्मीनगर ग्राजाद बस्ती

(144)

क्र सं.	कच्ची बस्ती का नाम
30	लाल कोठी कच्ची बस्ती
31	मुख्य सोडाला कच्ची बस्ती
32	मालवीय नगर कच्ची बस्ती (ओ. टी. एस. के सामने)
33	मुख्य नगर मदरामपुरा
34	रामराजपुरा कच्ची बस्ती
35	राय कालोनी कच्ची बस्ती
36	रचारामपुरा (बलाई बस्ती झोटवाड़ा)
37	रूपारामपुरा कच्ची बस्ती
38	स्वामियों की बस्ती (पारीक कालेज के पास)
39	सन्तोष नगर नाटाणियों का बाग
40	सुन्दर बाग कच्ची बस्ती
41	सीमावतों की ढाणी कच्ची बस्ती
42	सचिवालय के पीछे कच्ची बस्ती
43	सुतर खाना जनता कालोनी विस्तार
44	सुशीलपुरा कच्ची बस्ती
45	तिवाड़ी जी का बाग कच्ची बस्ती
46	विनोबा मार्ग सी-स्कीम कच्ची बस्ती
47	विधायकपुरी हथरोई कच्ची बस्ती
48	स्वेज फार्म
49	चकसुन्दर का बास (सिविल लाइन के पीछे)
50	मारवाड़ी बस्ती (हथरोई)
51	दादूद्वारा चक हसनपुरा
52	हथरोई बावड़ी

——

(145)

1981 के सर्वेक्षणानुसार नगर विकास न्यास, जयपुर के क्षेत्र में स्थित कच्ची बस्तियों की सूची, किशनपोल बाजार

क्रम संख्या	कच्ची बस्ती का नाम
1	आजाद बस्ती श्रीराम कालोनी संसार चन्द्र रोड
2	बड़ोदिया कच्ची बस्ती
3	ढेर का बालाजी
4	धर्म नगर कच्ची बस्ती (बस्सी सीतारामपुरा, आदर्श नायक, नयाखेड़ा)
5	कसाबपुरा कच्ची बस्ती
6	आजाद कालोनी
7	संजय बस्ती/भट्टा बस्ती
8	बैरिया बस्ती
9	भोमियों की बस्ती
10	बलाई बस्ती
11	बंधा बस्ती
12	चन्द्रशेखर की बगीची
13	डी0 पी0 कालोनी
14	हरिजन बस्ती
15	इन्दिरा बस्ती
16	जे0 पी0 नगर कच्ची बस्ती
17	कुरेशी कालोनी चान्दपोल बाहर
18	कृष्णा कालोनी कच्ची बस्ती
19	लंकापुरी कच्ची बस्ती
20	लोकनायक व्यास कालोनी कच्ची बस्ती
21	माली कालोनी
22	पटेल नगर कच्ची बस्ती
23	पेस्टर कालोनी
24	पर्वतीय कालोनी

(148)

क्र० सं०	कच्ची बस्ती का नाम
25	पंचमुखी हनुमान कच्ची बस्ती
26	रामा कालोनी
27	राम नगर कच्ची बस्ती
28	शिवाजी नगर कच्ची बस्ती
29	शांती नगर नायक बस्ती
30	सुदामापुरी कच्ची बस्ती
31	शास्त्री नगर शापिंग सेन्टर (धानका बस्ती)
32	स्वामी कच्ची बस्ती
33	सेक्टर नम्बर एक कच्ची बस्ती
34	सेक्टर नम्बर 2 कच्ची बस्ती
35	टैगोर कच्ची बस्ती
36	टाटा नगर कच्ची बस्ती
37	तेली कालोनी कच्ची बस्ती
38	वर्मा कालोनी कच्ची बस्ती
39	क्षीरसागर व बरकत कालोनी व बापू कालोनी

(147)

नगर विकास न्यास, जयपुर के क्षेत्र में स्थित कच्ची बस्तियों की सूची

निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण

क्र0 सं0	कच्ची बस्ती का नाम
1	बास बदनपुरा
2	ईदगाह कच्ची बस्ती लक्ष्मण डूंगरी
3	फकीरों की डूंगरी लाला डूंगरी
4	गंगापोल बाहर कच्ची बस्ती
5	लक्ष्मीनारायणपुरी
6	मण्डी खटीकान कच्ची बस्ती
7	परसराम पुरी (न्यू इन्दिरा कालोनी आमेर रोड गूजर घाटी)
8	सूर्य नगर कच्ची बस्ती
9	सीतारामपुरी बद्रीनारायण की डूंगरी कच्ची बस्ती
10	मोहल्ला डाकोतान

1981 के सर्वेक्षणानुसार नगर विकास न्यास, जयपुर के क्षेत्र में स्थित कच्ची बस्तियों की सूची हवामहल निर्वाचन क्षेत्र

क्र0 सं0	कच्ची बस्ती का नाम
1	कागदीवाड़ा छीपीवाड़ा कच्ची बस्ती

(148)

सूची कच्ची बस्तियान, परकोटे के भीतर, नगर परिषद्, जयपुर

क्र. सं.	नाम कच्ची बस्ती (हवामहल क्षेत्र)	परिवारों की संख्या सन् 1971 के सर्वे के अनुसार
1	2	3
1.	मोहन नगर से बालानंद जी के मन्दिर तक	692
(1)	कारखाने की कोठी के पास मीणा बस्ती	न. 1 का पार्ट
(2)	,, ,, खटीकों की बस्ती	,,
(3)	जेरकोट हरिजन बस्ती (सरस्वती कुण्ड)	,,
(4)	हरिजन बस्ती यज्ञशाला की बावड़ी के पास	,,
(5)	बैरवा बस्ती	,,
(6)	नीलगरों की बस्ती	,,
(7)	नाहरगढ़ हरिजन बस्ती	,,
(8)	जयलाल मुंशी के रास्ते से नवयुग के मन्दिर तक	,,
2.	रास्ता बालानन्द जी हरिजन बस्ती	82
3.	रास्ता बालानन्द जी बलाई बस्ती	
4.	गुलाब बाड़ी	130
5.	कोली बस्ती फकीरों का टीबा	58
6.	लंगर की मोरी गणगौरी बाजार	44
7.	बारामोरी के पास ब्रह्मपुरी	57
8.	नादरों की मस्जिद के पास	86
9.	मोहल्ला बेसान	18
10.	राजामल का तालाब गोविन्ददेव जी का मन्दिर के पास	50
11.	ब्रह्मपुरी हरिजन बस्ती	68
12.	प्रेम प्रकाश टाकीज के पीछे तेलीपाड़ा	65
13.	ठाकुर बोराज की हवेली के पास	47
	(जयपुर ग्रामीण क्षेत्र)	
14.	सड़क घोड़ा निकास चौ. रामचन्द्र जी	93
15.	कच्ची बस्ती नाहरवाड़ा	129
16.	कुण्ड राधा किशन के पास	46
17.	चारदरवाजा गंगापोल गेट तक	57
18.	ठाकुर बांसको की मोरी के पास	117

1	2	3
19.	बस्ती नायकान मोती कटला स्कूल के पीछे	89
20.	कच्चा बन्धा हरिजन बस्ती	
21.	धारियों के बास के पास	14
22.	श्यामपुरी बस्ती	88
	(किशनपोल क्षेत्र)	
23.	(1) गन्दी मोरी हरिजन बस्ती इन्द्रा बाजार	414
	(2) रास्ता तोपखाना	
24.	कायस्थों की बगीची के पास	53
25.	मोहल्ला कामजी नियान	61
26.	मोहल्ला सिरकीगरान	90
	(जौहरी बाजार क्षेत्र)	
27.	कोठी रेगरान चौ. घाट गेट	147
28.	कोली बस्ती मोरी बरदार का बाग के पास	69
29.	कच्ची बस्ती सांगानेरी गेट से घाटगेट तक	534
30.	कोली बस्ती सेरकोट तो. ह.	79
31.	(I) पहाड़गंज एरिया तो. ह.	1710
	(II) मीणा बस्ती पहाड़गंज	
32.	बंजारा बस्ती, तो. ह.	130
33.	हरिजन बस्ती, तो. ह.	86
34.	कोली बस्ती, गुलजार मस्जिद के पास तो. ह.	100
35.	कोली बस्ती गंगा माता के मन्दिर के पास तो. ह..	100
36.	खेरकोट हरिजन बस्ती मीणा बस्ती से घाटगेट तक	128
	योग	5640

सीमावर्ती जिलों में वृक्षारोपण

308. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर की भूमि के गुणों के कारण वहां कैर, खेजड़ी व जाल बहुत मजबूत पेड़ होते है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रेगिस्तानी जिलों में खेजड़ी,-जाल और कैर के पेड़ों को नहीं लगाया गया है ?

(3) क्या यह बात सही है कि मारवाड़ में अकाल के समय में खेजडी-कैर और जालों के पेड़ गरीबों को बचाने में सहायक हैं ? यदि हां, तो वन विभाग द्वारा इन जिलों में ये पेड़ क्यों नहीं लगाये जाते हैं ?

उत्तर

(1) इन पेड़ों में केवल खेजड़ी ही मजबूत पेड़ हैं, जाल व कैर नहीं ।

(2) इन रेगिस्तानी जिलों में जाल व कैर के पेड़ व झाड़ी नहीं लगाई जाती है किन्तु खेजड़ी के पेड़ कुछ मात्रा में लगाये जाते हैं।

(3) मारवाड़ में बार बार पड़ने वाले सूखे की स्थिति से निपटने के लिए इन जिलों में मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस जलवायु के उपयुक्त एवं शीघ्र बढ़ने वाले पेड़ लगाये जाते हैं ।

यह सही नहीं है कि वन विभाग द्वारा इन मजबूत पेड़ों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है । इन जिलों में खेजड़ी के पेड़ विभाग द्वारा लगाये जा रहे हैं । अन्य उपयोगी पेड़ भी लगाये गए हैं।

जयपुर टौंक सड़क पर बम्बाला नदी पर पुल

307. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर-टौंक सड़क पर बम्बाला नदी पर पुल बनाने का ठेका दे दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो पुल निर्माण काय कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 एवं 2) जयपुर-टौंक रोड पर बम्बाला नदी पर पुल बनाने का कोई ठेका अभी नहीं दिया गया है । यह मार्ग राष्ट्रीय उच्च मार्ग की श्रेणी में आता है । अत: भारत सरकार से स्वीकृति आने पर ही पुल बनाने का कार्य हाथ में लिया जायेगा ।

बून्दी में दशहरा मेले के दौरान रामलीला का आयोजन

308. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका बून्दी द्वारा दशहरा मेला, 1981 में रामलीला का आयोजन किया गया था ? यदि

(श्री गोपाल पचेरवाल)

हां, तो किस मण्डली को कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि दशहरा मेले में आयोजित रामलीला करवाने हेतु टेण्डर मांगे गये थे ? यदि हां, तो टेण्डर किस किस मण्डली द्वारा प्रस्तुत किये गये ? नगरपालिका को प्राप्त टेण्डरों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। वीरभद्र रामलीला कीर्तन मण्डल बून्दी द्वारा दशहरा मेला, 1981 में रामलीला का आयोजन किया था। उक्त मण्डली को रु. 6801/-रु. की राशि भुगतान की गई थी।

(2) जी हां। प्राप्त मण्डलियों से टेण्डर की सूची निम्न है :-

1- दुर्गा रामलीला मण्डल, कोटा
2- वीरभद्र रामलीला मण्डल, बून्दी
3- महावीर रामलीला मण्डल, तालेड़ा
4- बजरंग रामलीला मण्डल, मथुरा
5- राघवेन्द्र कला मण्डल, बून्दी
6- सर्वोदय रामलीला मण्डल, बून्दी
7- चारभुजा रामलीला मण्डल, लाखेरी

टेण्डर की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(152)

अध्यक्ष रामलीला कमेटी, बून्दी

विषय : बून्दी सिटी में रामलीला का कार्यक्रम करने हेतु टेण्डर।

मान्यवर,

निवेदन है कि आपके द्वारा दशहरा हेतु रामलीला प्रदर्शन के लिए टेण्डर मांगे गये हैं, जिसके लिए मैं अपनी पार्टी जिसमें कुल कलाकार 18 सदस्य है। जो दिनांक 29-9-81 से 10-10-81 तक का जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं अपनी पार्टी द्वारा देने को तैयार हूं–

(1) पहला आइटम रामलीला प्रदर्शन एवं धार्मिक गायन, भजन एवं रामचरित मानस रामायण के अनुसार कार्यक्रम होगा।

(2) दूसरा आइटम राम लक्ष्मण के स्वरूप युवा होंगे।

(3) तीसरी आइटम नृत्य गायन के दो कलाकार होंगे। व्यास अनुभवी होगा और गायक के साथ होगा।

(4) चौथा आइटम पर्दा वगैरह, सीन एवं शृंगार सुन्दर तरीके से होगा।

(5) पांचवा आइटम साज वाला ढोलक होगा।

(6) छठा आइटम भरत का कार्य करने वाला अच्छा होगा।

(7) अन्य शर्तें आपकी स्वीकार हैं। रामलीला प्रदर्शनी हेतु रुपया सात हजार पांच सौ एक होगा।

तारीख 16-9-81

आपका

ह./–

मूलचन्द गौतम

बजरंग नाटक कला मण्डल

मथुरा।

153

दुर्गा रामलीला मण्डल–कोटा (राज.)
बृजराजपुरा, इन्दिरा मार्केट, कोटा

दिनांक 13-9-81

सेवा में,

श्रीमान् प्रशासक महोदय,
नगर परिषद, बून्दी, जिला बून्दी।

मान्यवर,

विषय : दशहरे के उपलक्ष में श्री दुर्गा रामलीला मण्डल द्वारा आदर्श रामलीला खेलने हेतु।

आपकी सूचना के अनुसार टेण्डर आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है–श्री दुर्गा रामलीला मण्डल की ओर से–

(1) इस मण्डल का कलाकारों की संख्या 22 होगी जो रामायण के विषय में परिपूर्ण होंगे।

(2) इस मण्डल का व्यास श्रेष्ठ होगा, जो नाना प्रकार की धुनों में चौपाई का प्रवचन करेगा।

(3) इस मण्डल के नाना प्रकार के दृश्य होंगे जैसे कि जटायु के प्राण आकाश मार्ग की ओर जाते हुए दिखाई देंगे।

(4) हनुमानजी के उड़ान की झांकी दिखाई जावेगी।

(5) मेघनाथ का मस्तक, भुजा व धड़ अलग अलग दिखाई जावेगी और इसी प्रकार की अन्य झांकियां आपको दिखाई जावेंगी जो दर्शकों को मनमोहित होगी।

(6) इस मण्डल का टेण्डर धनराशि 10101 रु. है। अंकों में दस हजार एक सौ एक रु. होगी। आरती भेंट इनाम वगैरह मण्डल की ही होगी। मंच व्यवस्था कमेटी की होगी। आशा करते हैं कि नगर परिषद् बूंदी द्वारा एक बार इस मण्डल को अवसर प्रदान करेंगे। सामान बहुत है इसको लाने व जाने की व्यवस्था कमेटी को करना होगा।

ह./–
मोतीलाल स्वर्णकार
अध्यक्ष
श्रीदुर्गा रामलीला मंडल, कोटा

(157)

श्री चार भुजा रामलीला मण्डल
स्थापित सन् 2945 ई.
लाखेरी, बून्दी, राज.

पत्र सं. 74 दिनांक 16-9-81 बुधवार

श्रीमान् प्रशासक महोदय,
नगर पालिका बून्दी, राज.

विषय : क्रमांक 1879 दिनांक 5-9-81 रामलीला टेण्डर के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में लेख है कि पालिका द्वारा दशहरा के पावन पर्व पर जो टेण्डर आमन्त्रित किये गये हैं, उसमें श्री चारभुजा रामलीला मण्डल लाखेरी की ओर से निम्न राशि 3001/- रु. अंके तीन हजार एक रुपये का टेण्डर प्रकाशित कर रहे हैं।

हर वर्ष की भांति जो नगरपालिका को सहयोग मण्डल को दिया जाता है निम्न है–

(1) स्टेज निर्माण लाइट प्रबन्ध, माइक व्यवस्था, पूजन के लिए फूल पत्ती (प्रतिदिन) माला 15 प्रतिदिन पंखों, स्टेज की चौकीदारी, सामान रखने की व्यवस्था, दशहरा की सवारी के लिए वाहन, माइक एवं बैंड व्यवस्था का पूर्ण प्रबन्ध तथा व्यवस्था पालिका की होगी।

(2) माला आरती एवं अन्य भेंट की राशि रामलीला मण्डल की होगी।

(3) स्टेज पर बोलने के लिए रामलीला अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक।

(4) प्राकृतिक बाधा से यदि किसी दिन रामलीला बन्द रही तो इसकी जिम्मेदारी मण्डल की नहीं होगी।

(5) स्टेज की व्यवस्था अन्य व्यवस्था हेतु पुलिस की व्यवस्था होना आवश्यक ही नहीं परमावश्यक है।

(6) लाइट चले जाने या अन्य खराबी होने पर चार गैस बोर्ड को देने होंगे।

(7) कलाकारों की संख्या 20 व रामायण हेतु व्यासजी, ढोलकवाला, डांसर इस प्रकार कुल संख्या 25।

ह./–
अध्यक्ष
चारभुजा रामलीला मण्डल,
लाखेरी।

सेवा में,

नगर पालिका अधिकारी जी, बून्दी।

विषय : आपके द्वारा दशहरा में रामलीला प्रदर्शन के लिए टेण्डर मांगे गये हैं उसके लिए मैं अपनी पार्टी जिसमें कुल कलाकार 20 (बीस) हैं। दि. 29-9-81 से 10–10–81 तक का जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं उसे देने को तैयार हूं।

मान्यवर,

(1) रामलीला प्रदर्शन धार्मिक गायन भवन तथा रामचरित मानस रामायण और राधेश्याम रामायण के माध्यम से होता है।

(2) राम लक्ष्मण, सीता आदि के स्वरूप बालक और युवा दोनों प्रकार के सेंट हैं।

(3) नृत्य और गायन के 3 कलाकार हैं, व्यास अनुभवी और गायक होगा।

(4) पर्दे सीन-सिनहरी तथा साज श्रृंगार आदि सुन्दर और नवीन हैं।

(5) बाजा, ढोलक नकारा साज समान में हैं साथ ही हनुमान की विशेष उड़ान करने वाला कलाकार भी है।

(6) रस्से की व्यवस्था आपके द्वारा होने पर ही दिखाई जा सकती है।

(7) अन्य शर्त आपकी हमें सब स्वीकार हैं हमारी पार्टी दो दिन पूर्व आकर मंच आदि तैयार कर लेगी। रामलीला कला प्रदर्शन हेतु रुपया 5501/- अं के पांच हजार पांच सौ एक व भोजन व्यवस्था व किराया आपका होगा।

नोट : कलाकारों का कार्य तथा सामान (रिहर्सल) तालेड़ा दिखाया जा सकता है। राशि का भुगतान रामलीला कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रातः बैंक समय पर करना होगा।

भवदीय

ह./-

मिश्रीलाल मैनेजर

महावीर आदर्श रामलीला मण्डल

मथुरा-हाल, मकान तालेडा बून्दी।

(राज.)

158

श्री वीरभद्र रामलीला कीर्तन मण्डल

श्री चारभुजा का मन्दिर बून्दी (राजस्थान)

दिनांक 16–9–81

श्रीमान्, अधिशाषी अधिकारी सा.
नगरपालिका, बून्दी (राज.)

विषय : रामलीला करने बाबत ।

मान्यवर,

निवेदन है कि आपका पत्र सं. 188 प्राप्त हुआ उसके सन्दर्भ में आपके द्वारा रामलीला प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किये गये हैं–जिसमें दिनांक 29-9–81 से 9-10-81 तक रामलीला का प्रदर्शन करने के तथा 10-10-81 को नाटक प्रदर्शन करना रखा गया है और आपके द्वारा दी गई शर्तों के अनुसार हमारे 20–25 कलाकार काम करते हैं ।

(1) राम, लक्ष्मण सीता आदि के स्वरूप जैसा होना चाहिए वैसे ही होंगे । रामलीला करने वाले अनुभवी हैं तथा पहले भी कई दफा आपके स्टेज पर काम कर चुके हैं ।

(2) मंजूर है । (3) व्यास पूर्व में काम कर चुके हैं । गायन समय अनुसार दिये जावेंगे ।

(4) वाद्य सामग्री हारमोनियम व ढोलक होगा । (5) हमें मंजूर है । (6) हमें मंजूर है ।

(7) हमें मंजूर है । (8) पर्दे पार्टी ही बांधती है, स्टेज पालिका द्वारा 1 दिन पूर्व तैयार करके देना होगा (9) हमें मंजूर है । (10) हमें मंजूर है । (11) हमें मंजूर है ।

(12) एग्रीमेंट लिखा जाता है । (13) हमें मंजूर है ।

नोट : 29-9-81 से 9-10-81 तक रामलीला प्रदर्शन करने की राशि 7501 अंके रुपया सात हजार पांच सौ एक देना होगा जिसमें टेण्डर स्वीकृत होने पर आधी राशि पालिका को पहले देना होगा । बाकी राशि रामलीला पूर्ण होने पर ली जावेगी तथा 10-10-81 को धार्मिक नाटक रखा गया तो उसकी राशि 1001/- अंके रुपया एक हजार एक अलग से देना होगा तथा दैवी प्रकोप व राज्य आदेशानुसार रामलीला बीच में ही बंद की गई तो रामलीला पार्टी को पूरी राशि पालिका को देना होगा । सीता स्वयंवर के दिन धनुष व पहाड़ दीद पालिका को बिना कर देना होगा जैसे कि पूर्व में दिये जाते हैं । स्वयंवर के दिन व राजतिलक के दिन पूजा सामग्री नगर पालिका को देनी होगी ।

अन्य शर्त पालिका व पार्टी के तय हो जावे जो ।

ह./–
नन्दकिशोर सिंह
अध्यक्ष
श्री वीरभद्र रामलीला कीर्तन मण्डल,
बून्दी (राज.)

(157)

श्रीमान अधिशाषी अधिकारी साहब,
नगरपालिका बून्दी (राज.)

विषय : रामलीला का प्रदर्शन करने हेतु।

मान्यवर,

आपकी निकाली हुई सूचना द्वारा दि. 29-9-81 से 9-10-81 तक रामलीला करने की तथा 10-10-81 को धार्मिक नाटक करने की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आपके द्वारा दी गई शर्तें नं. 1 से 13 तक हमें स्वीकार हैं और इसका पारिश्रमिक राशि 12001/–रु. अ के बारह हजार एक रुपये होगा। टेण्डर स्वीकृत होने पर आधी राशि एडवांस में देना होगा बाकी राशि रामलीला पूर्ण होने पर दूसरे दिन ही देनी होगी।

नोट : दैवी प्रकोप व राज्य सरकार के आदेशानुसार रामलीला बीच में ही बन्द करदी गई तो मंजूरशुदा राशि पूरी पूरी नगरपालिका को रामलीला पार्टी को देनी होगी।

अन्य शर्त पार्टी व पालिका के बीच में तय हो जाय जो सही है।

ह0/–
अध्यक्ष
गोपाललाल नामदेव
श्री राघवेन्द्र कला मण्डल, बून्दी।

(158)

श्रीमान् अधिशाषी अधिकारी साहब,
नगर पालिका, बून्दी, राज०

विषय : रामलीला का प्रदर्शन करने हेतु

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है कि आपका पत्र सं. 189 के द्वारा हम अवगत हुए जिसमें आपने दि. 29-9-81 से 9-10-81 तक रामलीला करने की तथा 10-10-81 को धार्मिक नाटक करने की विज्ञाप्ति (सूचना) हमें दी गई है-जिसमें आपके द्वारा दी गई शर्तें क्र. सं. 1 से 12 तक हमें मंजूर है और स्टेज निर्माण लाइट माइक फर्नीचर आदि पालिका को देना होगा। स्टेज तैयार करके पालिका को 2 दिन पहले रामलीला पार्टी को देना होगा दिनांक 29-9-81 से 10-10-81 तक रामलीला प्रदर्शन करने की राशि 10501/– रु0 अंके रुपये दस हजार पांच सौ एक देना होगा। जिसमें आधी राशि अग्रिम देनी होगी बाकी आधी राशि रामलीला पूर्ण होने पर देनी होगी।

ह0/–
जमनालाल धाबाई
15-9-81
सर्वोदय रामलीला मण्डल, बून्दी

—

कामां क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

309. **श्री चाव खां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार अपने वायदे के मुताबिक कामां क्षेत्र के 10 वर्षों से पड़े अधूरे कार्यों को पूरा करवायेगी, यथा गुलवाड़ा से वाया अमरूका, जुरहेरा तथा ग्राम नूनेरा से सोनोकर सड़क आदि ?

(2) क्या सरकार कामां क्षेत्र के कदम सुन्डी व अंजनी और मुख्य-मुख्य तीर्थ स्थानों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) धनाभाव के कारण इन कार्यों को अभी पूरा करवाया जाना संभव नहीं है। सरकार ने कोई आश्वासन भी नहीं दिया था।

(2) धनाभाव के कारण इन सड़कों की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं हैं।

आयुर्वेदिक औषधि निर्माण के प्रयोजनार्थ जिला बाड़मेर में उपलब्ध वृक्षों पौधों पर अनुसंधान

310. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के वृक्ष एवं पौधे, उदाहरणार्थ रोइड़ा, आकड़ा, थूअर, गुगल व धमासा आयुर्वेदिक औषधि निर्माण के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण करवाया है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार क्षेत्र एवं औषधि विज्ञान के विकास हेतु उक्त प्रकार का सर्वेक्षण करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

विभागीय फार्मोकोपिया के अनुसार आकड़ा तथा गुग्गुल अत्यन्त उपयोगी है। है। थूअर के दूध की एक औषधि के निर्माण में आवश्यकता रहती है। रोहिड़ा और धमासा की कोई आवश्यकता नहीं है।

(2) जी हां।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीकर जिले में मन्डा-खूड सड़क का निर्माण

311. **श्री हरिसिंह** (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले में मन्डा-खूड़ सड़क का कार्य कब शुरू किया गया व अब तक कितने किलोमीटर कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों से उपरोक्त सड़क का कार्य बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने के कार्य

(श्री हरिसिंह)

में कोई प्रगति नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में मंन्डा-लूड सड़क का कार्य 1974 में शुरू किया गया था। अब तक इस सड़क पर 7 किलोमीटर डामर का कार्य एवं 1 किलोमीटर ग्रेवल का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(2) पिछले 5 वर्षों से उपरोक्त सड़क का बकाया कार्य धनाभाव के कारण पूरा नहीं करवाया जा सका और न ही निकट भविष्य में कार्य पूरा करवाये जाने की कोई योजना अभी विचाराधीन है।

(2) यह सही नहीं है कि सीकर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में सड़क बनाने के कार्य में प्रगति नहीं की गई है।

....

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 216 की सूची

सूची "अ"

अलवर अस्पताल के भवन पर तीन साल में किये गये व्यय का ब्यौरा

वर्ष	व्यय
1979–80	86,590·00
1980–81	7,92,663.00
1981–82	1,51,849.00
कुल व्यय	10,31,102.00

सूची "ब"

भरतपुर अस्पताल के भवन पर तीन साल में किए गए व्यय का ब्यौरा :–

वर्ष	व्यय
1979–80	1,24,331.56
1980–81	7,40,610.84
1981–82	1,97,910.25
कुल व्यय	10,62,852.65

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 219 का सूची

जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरणोद में आयुर्वेद विभाग के औषधालयों में वर्ष 1979–80, 1980–81 एवं 1981–82 में आवंटित औषध बजट एवं वितरण की सूची

नाम औषधालय		79–80 स्वीकृत बजट	सप्लाई	80–81 स्वीकृत बजट	सप्लाई	81–82 स्वीकृत बजट	सप्लाई
1	2	3	4	5	6	7	8
पं० स० प्रतापगढ़	"अ" श्रेणी प्रतापगढ़	24400–00	9961–70	33000–00	22419–87	29000–00	7108–10
,,	प्रतापगढ़ (यूनानी)	7900–00	5127–50	11000–00	1869–00	900–00	891–00
,,	जांसडी	1470–00	583–15	1700–00	2051–10	2100–00	674–10
,,	खैरोट	7520–00	6004–40	5500–00	5060–83	3600–00	2472–70
,,	सुहागपुरा	2750–50	—	2500–00	938–40	700–00	409–65
,,	ग्यासपुर	2000–00	1996–70	2000–00	1962–90	1200–00	524–00
,,	बसाड	3240–00	1825–70	3000–00	1799–80	3300–00	895–90
,,	बरमण्डल	3140–00	1965–20	3300–00	3098–50	3400–00	767–90

1	2	3	4	5	6	7	8
प्रतापगढ़	अमलावद	2750–00	1980–60	3600–00	3571–60	3300–00	1629–20
,,	गादोला	4690–00	2809–65	3900–00	3374–10	3700–00	856–50
,,	रठांजना	4590–00	3966–80	6000–00	1012–90	6300–00	1525–50
,,	सैलारपुरा	5530–00	1180–20	4900–00	1241–30	4600–00	1212–30
,,	असावता नया	—	—	2000–00	1705–20	2000–00	726–65
,,	बरड़िया	200–00	197–40	3000–00	1899–60	2800–00	1047–40
,,	अरणोद, बोरदिया	300–00	299–00	2300–00	536–45	3900–00	936–10
,,	सालमद	7650–00	4505–90	7800–00	5639–15	8500–00	1643–10
,,	कोटड़ी	3290–00	2165–80	3100–00	1641–60	4200–00	1231–70
,,	चूपना	2000–00	2002–90	4000–00	4466–10	3400–00	992–00
,,	झांसली	1480–00	664–80	4500–00	1238–40	3600–00	950–90

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 220 के पत्र व विवरण

कार्यालय निदेशक- आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर,

क्रमांक: एफ । (3) यो/81–82/ दिनांक :

निविदा विज्ञप्ति

विभाग के राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला उदयपुर में औषधियों निर्माणार्थ वर्ष 1981-82 हेतु लगभग 3.45 लाख रुपये (अक्षरे रुपये तीन लाख एवं पैंतालीस हजार मात्र) के मूल्य की निम्न फार्मस्यूटिकल मशीनरी उपकरण एवं औजार के क्रय करने हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जाती है:—

क्र० सं०	नाम मशीन/उपकरण एवं औजार	अनुमानित तादाद
1.	यूनिमेकरोटरी टेबलेटिंग मशीन (20 स्टेशन)	2
2.	फुल्ली ऑटोमेटिक पिल मेकिंग मशीन	2
3.	माइक्रो पल्वेराइजर	1
4.	एण्ऊरनर मील (एज रनर मील विद कास्ट आयरन)	2
5.	यूनीमेक पाउडर मिक्सचर	1
6.	वुडन ड्रम्स (लकड़ी के ढोल)	2
7.	बोटल फिलिंग मशीन	1

टेण्डर फार्म मय शर्तों के निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से रु. 10/- (दस रुपये) मनी आर्डर अथवा क्रास पोस्टल आर्डर अथवा नकद जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

1. कार्यालय द्वारा टेण्डर फार्म सप्लाई करने की अंतिम तिथि 16.11.81 मध्याह्न 2.00 बजे तक।
2. कार्यालय में टेण्डर प्राप्त करने की अंतिम तिथि 16.11.81 मध्याह्न 3.00 बजे तक।
3. प्राप्त टेण्डर दिनांक 16.11.81 को मध्याह्न 4.00 बजे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय कक्ष में खोले जावेंगे।

ह./–
(गोकुलेन्द्र शर्मा)
निदेशक,
आयुर्वेद विभाग,
अजमेर।

प्रतिलिपि विज्ञापन संख्या 4798/81/43012–17 दिनांक 1–10–81 ओर से निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर वास्ते दै. हिन्दुस्तान टाइम्स दिल्ली। सा. इण्डियन ट्रेड जनरल कलकत्ता। दै. नवज्योति संयुक्त जयपुर अजमेर। दैनिक न्याय अजमेर। दै० हिन्दू अजमेर

विषय:—वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशन हेतु।

आपके दैनिक। साप्ताहिक। पाक्षिक पत्र के ..... संस्करण के अलग अंक में केवल एक बार या न्यूनतम स्थल में जो 16×2 सेन्टीमीटर से कदापि अधिक नहीं होना चाहिये, सिंगल कालम में साधारण रूप से प्रकाशित किये जाने हेतु एक विज्ञापन संलग्न है।

विज्ञापन बिल चार प्रतियों में पूरे पेज की सम्बन्धित कतरनों व दो पूरे अंकों सहित निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के नाम से (बाहर लिफाफे अथवा पैकेट पर मोटे अक्षरों में विज्ञापन शाखा लिखा होना चाहिये) बनाये जाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात् चार दिन के भीतर ही इस कार्यालय को भिजवा दिया जाना चाहिये।

सम्बन्धित अंक की एक प्रति तत्काल सम्बन्धित विभाग को अवलोकनार्थ अवश्य भेज दी जावे।

इसका भुगतान डी. ए. वी. पो. की दर पर किया जायेगा।

संलग्न–विज्ञापन प्रति

ह./–
निदेशक

संख्या विज्ञापन 4798/81/43012–17 दिनांक 1.10.81

प्रतिलिपि श्री निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर को उनके पत्र संख्या 20266 दिनांक 22.9.81 के सन्दर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

भविष्य में विज्ञापन प्रकाशनार्थ वांछित समाचार पत्रों की गणना के दो अधिक विज्ञप्ति प्रतिलिपियां तथा 6 अंग्रेजी व 6 हिन्दी में इस कार्यालय को निश्चित तिथि से 45 दिन पूर्व भिजवाने का अवश्य ध्यान रखें, जिसके अभाव में कोई विज्ञापन प्रकाशन हेतु स्वीकार करने में हम असमर्थ होंगे।

1. भविष्य में हिन्दी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिये विज्ञापन मैटर हिन्दी भाषा में भेजा करें।
2. नाप आदि के विज्ञापन मैट्रिक प्रणाली में बनाकर भेजना आवश्यक है।
3. राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ विज्ञप्तियां, अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को सीधी भेजी जावें।
4. आपका विभाग वाणिज्यिक अथवा अवाणिज्यिक है, के सम्बन्ध में पत्र में उल्लेख करें

ह./–कृते निदेशक

(सही प्रतिलिपि)

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर

क्रमांक : एफ। (26) यो/81–82/ दिनांक :

संशोधन

इस निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ। (13) यो/81–82/20266 दिनांक 22-9-81 द्वारा प्रसारित निविदा सूचना वास्ते फार्मस्यूटीकल मशीनरी/उपकरण क्रय वर्ष 1981–82 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

(1) कार्यालय द्वारा टेण्डर फार्म सप्लाई करने की अन्तिम दिनांक 16-11-81 के स्थान पर दिनांक 28-11-81 बाद दोपहर 2-00 बजे पढ़ी जावे।

(2) कार्यालय में टेण्डर प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक 16-11-81 के बजाय दिनांक 28-11-81 मध्यान्ह 3-00 बजे पढ़ी जावे।

(3) प्राप्त टेन्डर दिनांक 16-11-81 के स्थान पर दिनांक 28-11-81 को मध्यान्ह 4-00 बजे निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता के कार्यालय कक्ष में खोले जावेंगे, पढ़ा जावे।

ह०/–
(गोकुलेन्द्र शर्मा
निदेशक,
आयुर्वेद विभाग,
अजमेर

प्रतिलिपि विज्ञापन, संख्या 4798/81 45573-78 दिनांक 11-1-81 ओर से निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर वास्ते दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली/सा० इण्डियन ट्रेड जनरल, कलकत्ता/दैनिक नवज्योति संयुक्त जयपुर अजमेर/दैनिक न्याय, अजमेर / दैनिक हिन्दू, अजमेर एवं प्रतिलिपि निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर को।

विषय :—वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशन हेतु।

आपके दैनिक साप्ताहिक। पाक्षिक पत्र के ... . संस्करण के अगले अंक में केवल एक बार या न्यूनतमस्थल में जो 18 सी० एम० (सेन्टीमीटर) से कदापि अधिक नहीं होना चाहिये, सिंगल कालम में साधारण रूप से प्रकाशित किये जाने हेतु एक विज्ञापन संलग्न है।

विज्ञापन बिल चार प्रतियों में पूरे पेज की सम्बन्धित कतरनों व दो पूरे अंकों सहित निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के नाम से [बाहर लिफाफे अथवा पैकिट पर मोटे अक्षरों में (विज्ञापन शाखा) लिखा होना चाहिये] बनाये जाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात चार दिन के भीतर ही इस कार्यालय का भिजवा दिया जाना चाहिये।

सम्बन्धित अंक की एक प्रति तत्काल सम्बन्धित विभाग को अवलोकनार्थ अवश्य भेज दी जावे।

इसका भुगतान डी०ए०वी०पी० की दर पर किया जाएगा।

संलग्न—विज्ञापन प्रति

ह०/-
कृते निदेशक
जन सम्पर्क निदेशालय, राज०, जयपुर।

(सही प्रतिलिपि)

(180)

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ, 1 (26) यो/81–82/ दिनांक :

: संशोधन :

इस निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ, 1 (13) यो/81–82/21266 दिनांक 22–9–81 द्वारा प्रसारित वर्ष 81–82 के लिये फार्मेस्युटिकल मशीनरी एवं उपकरण की निविदा सूचना में निम्न संशोधन किया जाता है :

(1) निदेशालय से टेण्डर फार्म प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 21–12–81 समय 2·00 बजे तक।

(2) टेण्डर प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 21–12–81 मध्यान्ह 3·00 बजे तक।

(3) प्राप्त टेण्डर दिनांक 21–12–81 को मध्यान्ह 4·00 बजे निम्न हस्ताक्षर-कर्त्ता के कार्यालय कक्ष में खोले जावेंगे।

ह०/
(गोकुलेन्द्र शर्मा)
निदेशक,
आयुर्वेद विभाग,
अजमेर

प्रतिलिपि विज्ञापन संख्या 4898/81/50384–87 दिनांक 16–12–81
ओर से निदेशक जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर

वास्ते दैनिक नवज्योति संयुक्त जयपुर/अजमेर/दैनिक न्याय, अजमेर / दैनिक हिन्दू, अजमेर एवं प्रतिलिपि निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर को।

विषय :––वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशन हेतु।

आपके दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक पत्र के.......संस्करण के अलग अंक में केवल एक बार या न्यूनतम स्थल में जो 18 सी० एम० से कदापि अधिक नहीं होना चाहिए सिंगल कालम में साधारण रूप से प्रकाशित किये जाने हेतु एक विज्ञापन संलग्न है।

विज्ञापन बिल चार प्रतियों में पूरे पेज की सम्बन्धित कतरनों व दो पूरे अंकों सहित निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के नाम से (बाहर लिफाफे अथवा पैकट पर मोटे अक्षरों में विज्ञापन शाखा लिखा होना चाहिए) बनायी जाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात् चार दिन के भीतर ही इस कार्यालय को भिजवा दिया जाना चाहिए।

सम्बन्धित अंक की एक प्रति तत्काल सम्बन्धित विभाग को अवलोकनार्थ अवश्य भेज दी जावे।

इसका भुगतान डी0 ए0 वी0 पी0 की दर पर किया जायेगा।

संलग्न–विज्ञापन प्रति

दिनांक 21–12–81 से पूर्व प्रकाशित करें।

ह०

कृते निदेशक,

जन सम्पर्क निदेशालय, राज0, जयपुर

(सही प्रतिलिपि)

: प्रश्न के भाग संख्या 3 में उल्लिखित सूचना हेतु विवरण पत्र :

क्र. स.	नाम मशीन/उपकरण एवं औजार	मै० फार्मस्युटीकल्स मेन्युफेक्चरिंग वर्क्स इन्दौर	मै० मर्केन्टाइल इन्जीनियर्स नई दिल्ली	मै० यूनीवर्सल ट्रेडिंग कारपोरेशन नई दिल्ली	मै० तिरुपति ट्रेडिंग क० अजमेर	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	रोटरी टेबलेटिंग मशीन	दर नहीं दी गई	दर नहीं दी गई	दर नहीं दी गई	63345–00 प्रति नग	एक ही टेण्डर प्राप्त होने से किसी का भी टेण्डर अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है।
2.	पिल्स मेकिंग मशीन	44000/– प्रति नग	दर नहीं दी गई	दर नहीं दी गई	61600/– प्रति नग	दो ही टेण्डर प्राप्त होने से किसी का भी टेण्डर अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
3.	माइक्रो पलेवेराईजर	दर नहीं दी गई	34889/– प्रति नग	28400/– प्रति नग	25200/– प्रति नग	किस फर्म की मशीन विभागीय स्पेसीफिकेशन के अनुसार है, इस मामले पर अंतिम निर्णय विभाग के विचाराधीन है।
4.	ऐज रनर मिल	20000/– प्रति नग	28849/– प्रति नग	दर नहीं दी गई	10150/– प्रति नग	मैसर्स विरुपति ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा प्रस्तुत स्पेसीफिकेशन विभाग द्वारा निर्धारित स्पेसीफिकेशन के अनुसार नहीं होने एवं शेष दो ही टेण्डर रह जाने के कारण मामला विभाग के विचाराधीन है।

Page No 174

1	2	3	4	5	6	7
5.	पाउडर मिक्सर	32500/– प्रति नग	21989/– प्रति नग	दर नहीं दी गई	56060/– प्रति नग	मैसर्स मर्केन्टाईल इन्जीनियर्स, द्वारा निविदा राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण यह प्रकरण अभी अनिर्णित है।
6.	बुडन ड्रम्स विथ लिड	दर नहीं दी गई	दर नहीं दी गई	दर नहीं दी गई	11500/– प्रति नग	एक ही टेण्डर प्राप्त होने से किसी का भी टेण्डर अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है।
7.	बोटल फिलिंग मशीन	14500/– प्रति नग	8389/– प्रति नग	7050/– प्रति नग	12000/– प्रति नग	मैसर्स यूनीवर्सल ट्रेडिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली, की न्यूनतम दर होने से उन्हें दिनांक 19–2–82 को आदेश भेजा जा चुका है। फर्म ने अभी मशीन सप्लाई नहीं की है।

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 221 की सूची

सन् 1980–81 में नवीन स्वीकृत आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथिक औषधालयों का जिलेवार विवरण

क्र0 संख्या	नाम स्थान	प0स0/तहसील	जिला	चिकित्सा पद्धति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	मांगलियावास	पीसांगन/अजमेर	अजमेर	आयुर्वेद	
2.	ढाणी पुरोहितान	किशनगढ़/किशनगढ़	अजमेर	,,	एस0सी0पी0
3.	आलोली	केकड़ी/केकड़ी	अजमेर	,,	
4.	नीसल	किशनगढ़	अजमेर	,,	
5.	भंडोडी	अलवर	अलवर	,,	
6.	चीरोटी पहाड़	रामगढ़	अलवर	,,	
7.	कठूमर	कठूमर	अलवर	,,	
8.	होलावास (बानसुर)	अलवर	अलवर	,,	
9.	निम्बाहोड़ी	तिजारा	अलवर	,,	
10.	हरिजन बस्ती, अलवर	नगर परिषद	अलवर	होम्यो0	एस0सी0पी0
11.	भेड़वा	धोरीमन्ना/गुढ़ामालानी	बाड़मेर	आयुर्वेद	
12.	रानीदेशपुरा	सिवाना	बाड़मेर	,,	
13.	दतोगी	शिव	बाड़मेर	यूनानी	
14.	बाड़मेर	बाड़मेर	बाडमेर	होम्यो0	जिला मुख्यालय
15.	लोलेडा व्यासान	तालेड़ा/बूंदी	बूंदी	आयुर्वेद	
16.	सांथेली	तालेड़ा/बूंदी	बूंदी	होम्यो0	
17.	रामपुरा	आसीन्द	भीलवाड़ा	आयुर्वेद	
18.	उललाई	सहाड़ा	भीलवाड़ा	,,	
19.	मुंशी	बनेड़ा	भीलवाड़ा	,,	
20.	सरसिंगा	जहाजपुर	भीलवाड़ा	,,	

(174)

1 2	3	4	5	6
21. डाबला	बनेड़ा	भीलवाड़ा	आयुर्वेद	
22. चीड़खेड़ा	सहाड़ा	भीलवाड़ा	,,	
23. चावण्डिया	मांडल	भीलवाड़ा	,,	
24. पालरा	रायपुर	भीलवाड़ा	,,	
25. बराना	आसिन्द	भीलवाड़ा	,,	
26. मांगटला	मांडलगढ़	भीलवाड़ा	,,	
27. हरिजन बस्ती, बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर	होम्यो0	जिला मुख्यालय एस0सी0पी0
28. मदनपुर	बयाना	भरतपुर	आयुर्वेद	
29. इब्राहीमपुर	रूपवास	भरतपुर	,,	
30. बैर	बैर	भरतपुर	,,	
31. थानाडांग	बयाना	भरतपुर	,,	
32. रवई	बाड़ी	भरतपुर	,,	4 एस0सी0पी0
33. तलछेड़ा	नदबई	भरतपुर	,,	
34. सिरस	बैर	भरतपुर	,,	
34. डहलू	बैर	भरतपुर	,,	
36. मैनापुरा	बैर	भरतपुर	,,	
37. मुखेना	बैर	भरतपुर	,,	
38. धौर	कुम्हैर	भरतपुर	,,	
39. जमजीवनपुरा	बैर	भरतपुर	,,	
40. भूतोली	बैर	भरतपुर	,,	
41. दोबली	बैर	भरतपुर	,,	
42. घाटरी	बैर	,,	,,	
43. जहाज	,,	,,	,,	
44. भैसोना	,,	,,	,,	
45. धानोरी	बाड़ी	,,	,,	
46. डूटखेड़ा	बयाना	,,	,,	
47. डूडेरा	बड़ी सादडी	चित्तोड़गढ़	,,	

Page No 177

(175)

1	2	3	4	5	6
48.	आजालिया का खेड़ा	गंगरार	चित्तोड़गढ़	आयुर्वेद	
49.	रावडरा	बेगू	,,	,,	
50.	गीदोली	निम्बाहेड़ा	,,	,,	
51.	असावता	प्रतापगढ़	,,	,,	जनजाति क्षेत्र राज्यादेश क्रमांक एफ 4 (15) (3) टी.ए,डी./80-81 दिनांक 16-7-81 द्वारा रामगढ़ से असावता में परिवर्तन
52.	बारू	राश्मी	,,	आयुर्वेद	
53.	चित्तोड़गढ़	चित्तोड़गढ़	,,	होम्यो	जिला मुख्यालय
54.	तहडादेसर	राजगढ़	चूरू	आयुर्वेद	
55.	तेनदेसर	सुजानगढ़	,,	,,	
56.	देपालसर	चूरू	,,	,,	
57.	सीतसर	रतनगढ़	,,	,,	
58.	चूरू	चूरू	,,	होम्यो	जिला मुख्यालय
59.	राईयांवाली	पीलीबंगा	श्रीगंगानगर	आयुर्वेद	
60.	संगतपुरा	केशरीसिंहपुर	,,	,,	
61.	इन्दिराकालोनी गंगानगर	श्रीगंगानगर	,,	,,	
62.	भरवाणा	भादरा	,,	,,	
63.	जाटावाली	गोविन्दगढ़	जयपुर (अ)	होम्यो0	
64.	सोडाला	जयपुर	जयपुर (ब)	,,	
65.	सोनड़ा	लालसोट	,, ,,	आयुर्वेद	
66.	रोजवाड़ी	बस्सी	,, ,,	,,	
67.	निहालपुरा	सिकराय	,, ,,	,,	
68.	लांगडियावास	जमवारामगढ़	जयपुर (अ)	,,	
69.	नीमला	,,	,, ,,	,,	
70.	डोला का वास	गोविन्दगढ़ आमेर	,, ,,	,,	

1	2	3	4	5	6
71.	सिणोदिया	फुलेरा	जयपुर (ग्र)	आयुर्वेद	
72.	जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर	होम्यो0	जिला मुख्यालय
73.	जालोर	जालोर	जालोर	,,	
74.	करवाड	रानीवाड़ा	,,	आयुर्वेद	
75.	झालावाड़	झालावाड़	झालावाड़	होम्यो0	
76.	ल्हास	मनोहर थाना	,,	आयुर्वेद	
77.	झुंझुनू	झुंझुनू	झुंझुनू	होम्यो0	
78.	पचलंगी	उदयपुरवाटी	,,	आयुर्वेद	
79.	कोजड़ा	चिड़ावा	,,	,,	
80.	खेलपुरा	झुंझुनू	,,	,,	
81.	गढलाकलां	उदयपुरवाटी	,,	,,	राज्यादेश क्रमांक प0 1(10) आयु. 80/ दिनांक 2-2-81 द्वारा लादसर से गढला-कला में परीवर्तन
82.	लोहारगल	,,	,,	,,	
83.	रोटेदा	लाडपुरा	कोटा	,,	एस0सी0पी0
84.	राजपुर	शाहबाद	,,	,,	
85.	खोमच	रामगंजमण्डी	,,	,,	
86.	राई	छबड़ा	,,	,,	एस0सी0पी0
87.	गुलजारपुरा	जोधपुर	जोधपुर	यूनानी	
88.	जुड़िया	शेरगढ़	,,	आयुर्वेद	
89.	देनोक (इन्दो की ढाणी)	फलोदी	,,	,,	
90.	बोयल	बिलाड़ा	,,	,,	
91.	नागौर	नागौर	नागौर	होम्यो0	जिला मुख्यालय
92.	गोठ मांग्लोद	जायल	,,	आयुर्वेद	राज्याधीन लिया है (दधिमति धर्मार्थ औषधालय)

1	2	3	4	5	6
93.	शिव (सिहूं)	मेड़ता	नागौर	आयुर्वेद	
94.	खिदरपुरा	परवतसर	,,	,,	
95.	देपुर	नांवं	,,	,,	
96.	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	होम्यो.	जिला मुख्यालय
97.	कुरेड़ी	खण्डार	,,	आयुर्वेद	एस0सी0पी0
98.	तिमावा	नांदोती	,,	,,	
99.	रतियांपुर	करौली	,,	,,	
100.	जौर	महुआ	,,	,,	
101.	मीना की नांगल	नीम का थाना	सीकर	आयुर्वेद	
102.	पेवा	सीकर	,,	,,	
103.	श्यामपुरा	दांतारामगढ़	,,	,,	
104.	गोकुल का वास	खण्डेला	,,	,,	
105.	घूपा छोटा	लक्ष्मणगढ़	,,	,,	
106.	सुरायता	सोजत	पाली	,,	
107.	कोठार	बाली	,,	,,	
108.	निम्बेड़ा	जैतारण	,,	,,	
109.	जवाई बांध	बाली	,,	,,	
110.	सिरोही	सिरोही	सिरोही	होम्यो.	जिला मुख्यालय
111.	दोहितरा	आबूरोड़	,,	आयुर्वेद	जनजाति क्षेत्र
112.	टोंक	टोंक	टोंक	होम्यो.	जिला मुख्यालय
113.	मुण्डिया	निवाई	,,	आयुर्वेद	
114.	देवली	टोंक	,,	,,	
115.	बावली	कठमाड़ा	,,	,,	राज्यादेश क्रमांक प0 1(10) आयु0-80/ दिनांक 4-6-81 द्वारा कठमाड़ा से बावड़ी में परिवर्तन
116.	नीमेड़ा	टोडारायसिंह	,,	,,	

(170)

1	2	3	4	5	6
117.	देवसोमनाथ	डूंगरपुर	डूंगरपुर	आयुर्वेद	जनजाति क्षेत्र
118.	आरा	सागवाड़ा	,,	,,	
119.	बासियां	डूंगरपुर	,,	,,	
120.	भेवड़ी	आसपुर	,,	,,	
121.	सुन्दनपुर	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	,,	
122.	भुवासा	घाटोल	,,	,,	
123.	बड़वा	बागीडोरा	,,	,,	
124.	पाटन	कुशलगढ़	,,	,,	राज्यादेश क्रमांक प0 4 (15) (3) (टी.ए.डी.)/80-81 दिनाक 24-12-81 द्वारा मूदडी से पाटन में परिवर्तन
125.	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	होम्यो	जिला मुख्यालय
126.	पीलाघर	सराडा	,,	आयुर्वेद	जनजाति क्षेत्र
127.	पीपली बी	खेरवाड़ा	,,	,,	
128.	टेकण	धरियावाद	,,	,,	
129.	चन्दवास	भाडोल	,,	,,	
130.	महासिंह का खेड़ा	देवगढ़	,,	,,	राज्यादेश क्रमांक प0 1 (5) आयु./79/ दिनांक 31-10-81 द्वारा नराना से ग्राम महासिह का खेड़ा में परिवर्तन

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 223 की सूची

दिनांक 1. 1. 80 से 31. 1. 81 तक डामर की सड़कों की सूची

क्र. सं.	नाम रोड
1–	चांदपोल से ब्रह्म पोल पर डामर कार्य
2–	उत्तरी सुन्दरवास में डामर कार्य
3–	शीतला माता से जगदीश चौक होते हुए गणगोर घाट तक डामर कार्य तथा बापू बाजार में डामर कार्य
4–	भुपालपुरा म. नं. 5 से शास्त्री सर्कल तक डामर कार्य
5–	ठक्कर बापा कोलोनी में पुरोहितों की मादडी, शबरी कोलोनी में डामर कार्य
6–	धोली बावडी पर श्री बालमुकुन्द जी के मकान से सादड़ी वाले मकान तक डामर कार्य
7–	उदयपोल से आईस फैक्ट्री होते हुए हॉजीपीर तक डामर कार्य
8·	उदयपोल से कमलिया बाडी तक डामर कार्य
9–	बिलोचिस्तान कोलोनी में डामर कार्य
10–	आयड रावतो का मोहल्ला जाने वाली सड़क पर डामर कार्य
11–	सर्ववतु विलास सगज जी बावजी की मुख्य फाटक से मन्दिर तक डामर कार्य
12–	अप्सरा होटल से बी. टी. अग्रवाल, अम्बामाता, यादव कोलोनी में डामर कार्य
13–	बेगपुरा व देवाली गांव में डामर कार्य।
14–	अलका होटल के पास रोड पर डामर कार्य।
15–	मोगल चौराहा से कालाजी पुलिस चौकी तक डामर कार्य।
16–	गोवरधन विलास शिक्षा प्रसार केन्द्र से म. नं. 98 तथा 82 से 92 नदी से म. नं. 62 से 97 तक डामर कार्य।
17–	पानेरियों की मादडी में म. नं 244 से 85 तक डामर कार्य।
18–	बेगपुरा चौराहा से यूनियन केन्द्र से रैल्वे लाईन तक डामर कार्य।
19–	मोगरा बाड़ी में डामर कार्य।
20–	अशोक नगर शमशान रोड पर डामर कार्य।

क्र. सं.	नाम रोड
21–	बॉजीपौर उत्तर तरफ म. नं. 244 से पार डामर कार्य ।
22–	पानेरियों की मादडी म. नं. 216 से 211 व 341 से 238 व 182 तक डामर कार्य ।
23–	ब्रम्हपोल से अम्बापोल दरवाजे से अम्बामाता मन्दिर तक डामर कार्य ।
24–	सविनाखेड़ा प्याऊ से खेडा गांव तक व बिजली के नं 8, 9, 10, तक डामर कार्य ।
25–	गोवरधन विलास मेन रोड से बिजली के खम्बे सं. 67 व 9, 40 तक डामर कार्य ।
26–	नेहरू बाजार रोड पर डामर कार्य ।
27–	सविनाखेडा मेन रोड से माताजी के मन्दिर तक डामर कार्य ।
28–	टेकरी चौराहा से आयुर्वेदिक अस्पताल तथा जे. बी. बोस होस्टल तक डामर कार्य ।
29–	पुरोहितों की मादडी म. नं. 198 से 146 तक डामर कार्य ।
30–	दक्षिण आयड से शमसान जाने वाली सड़क गंगू के सामने डामर कार्य ।
31–	आयड पुलिया से उत्तर तरफ कब्रिस्तान तक डामर कार्य ।
32–	पहाड़ी बस स्टेण्ड दुकानों के सामने डामर कार्य ।
33–	भुपालपुरा के रोड पर डामर कार्य ।

(181)

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 229 की सूची

जनजाति उप योजना समन्वय एवं निर्देशन समिति के सदस्यों की सूची

1.	मन्त्री, जनजातति क्षेत्रीय विकास	अध्यक्ष (पदेन)
2.	उप मन्त्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास	उपाध्य (पदेन)
3.	श्री जय नारायण रोत, संसद सदस्य	सदस्य
4.	श्री वृद्धि चन्द जैन, सांसद सदस्य	,,
5.	श्री कमला भाई मीणा, सदस्य विधान सभा	,,
6.	श्री थान सिह मीणा, सदस्य विधान सभा	,,
7.	श्री भैरू लाल मीणा, सदस्य विधान सभा	,,
8.	श्री रूप लाल परमार, सदस्य विधान सभा	,,
9.	श्री नाथू राम अहारी, सदस्य विधान सभा	,,
10.	श्री महेन्द्र कुमार परमार, सदस्य विधान सभा	,,
11.	श्री नाथू राम, सदस्य, विधान सभा	,,
12.	श्री पूंजी लाल, सदस्य, विधान सभा	,,
13.	श्री भूरा राम, सदस्य विधान सभा	,,
14.	श्री समरथ लाल, सदस्य, विधान सभा	,,
15.	श्री अलखा राम, सदस्य, विधान सभा	,,
16.	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा, सदस्य, विधान सभा	,,
17.	श्री दीन बन्धु वर्मा, उदयपुर	,,
18.	श्री राम गोपाल मीना, सदस्य भू0 पू0 विधायक कोटा	,,
19.	सयुक्त सचिव (टीडी] गृह मंत्रालय, भारत सरकार	,,
20.	सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास	,,
21.	वित्त सचिव, अथवा उनका प्रतिनिधि	,,
22.	सचिव, विशिष्ट योजनाएं एवं उन्त्योदय	,,
23.	सचिव, समाज कल्याण विभाग	,,

(182)

24.	विशिष्ट सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
25.	निदेशन, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	,,
26.	पंजीयक सहकारी समितियां राज. जयपुर	,,
27.	निदेशक, खान एवं भूगर्भ विभाग, राज. उदयपुर	,,
28.	अध्यक्ष, राज. खादी बोर्ड	,,
29.	प्राचार्य, माणिक्य लाल वर्मा, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर	,,
30.	उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास	,,
31.	आयुक्त, जन जाति क्षेत्रीय विकास राज उदयपुर	सदस्य सचिव

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 230 की सूची

प्रपत्र (क)

जिला चित्तौड़गढ़ में समाज कल्याण विभाग एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों की स्वीकृत छात्र संख्या, वर्ष 1980–81 व 81–82 की वास्तविक संख्या एवं वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले छात्री की संख्या व परीक्षा परिणाम

क. सं.	नाम छात्रावास व स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या	वर्ष 80–81 में प्रवेश दिये गये छात्रों की संख्या	वर्ष 81–82 में प्रवेशित छात्रों की संख्या	बीच सत्र में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या		वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या		परीक्षा परिणाम वर्ष 80–81
					वर्ष 80-81	वर्ष 81-82	वर्ष 80-81	वर्ष 81-82	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राजकीय आदिवासी छात्रावास बालक (प्रतापगढ़)	95	95	95	2	1	93	परीक्षा अब होगी	68.8 प्रतिशत

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	राजकीय आदिवासी छात्रावास (बालक) बैंगू	60	61	41	30	1	31	परीक्षा अब होगी	62.00 प्रतिशत
3.	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) नीमाहेड़ा	70	42	43	—	—	43	,,	83.00 ,,
4.	राजकीय आदिवासी छात्रावास (कन्या) प्रतापगढ़	50	50	44	—	—	50	,,	86 00 ,,
5.	अनुदानित गाडिया लुहार छात्रावास चित्तौड़गढ़	176	91	64	20	6	71	,,	71.8 ,,
6.	अनुदानित नवजीवन छात्रावास (बालक) कपासन	30	23	30	1	5	22	,,	47.8 ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	अनुदानित आदिवासी छात्रावास (बालक) बड़ी सादड़ी	25	25	25	13	3	12	परीक्षा अब होगी	58.4 प्रतिशत
8.	अनुदानित ठक्कर बापा आदिवासी छात्रावास (बालक) बाहराव	25	20	25	3	5	17	,,	88.8 ,,
9.	अनुदानित आदिवासी छात्रावास (बालक) अरनोद	40	39	40	—	—	39	,,	76.9 ,,

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 235 की सूची

विक्रय केन्द्र गोर्धन विलास उदयपुर, आमद, विकास एवं स्कन्ध जलाऊ लकड़ी
माह दिसम्बर, 1981

क्र. सं.	दिनांक	आमद	निकास	स्कन्ध	वि० विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	30–11–81	1149–05			
2.	1–12–81	163–50	132–60	1179–95	
3.	2–12–81	167–80	150–70	1197–05	
4.	3–12–81	72–10	35–00	1234–15	
5.	4–12–81	80–00	109–40	1204–75	
6.	5–12–81	—	111–00	1093–75	
7.	7–12–81	153–60	70–00	1177–35	
8.	8–12–81	—	101–20	1075–15	
9.	9–12–81	—	32–10	1043–05	
10.	10–12–81	—	33–00	1010–05	
11.	11–12–81	—	37–00	973–05	
12.	12–12–81	138–00	15–00	1111–05	
13.	13–12–91	53–60	—	1164–65	
14.	14–12–81	73–40	78–00	1160–05	
15.	15–12–81	—	65–00	1095–05	
16.	16–12–81	152–40	50–00	1197–45	
17.	17–12–81	—	64–00	1118–45	
18.	18–12–81	—	40–00	1078–45	
19.	19–12–81	69–80	110–70	1037–55	
20.	20–12–81	168–10	—	1205–65	
21.	21–12–81	155–10	91–00	1269–75	

1	2	3	4	5	6
22.	22–12–81	73–10	—	1342–85	
23.	23–12–81	73–10	128–70	1287–25	
24.	24–12–81	—	182–90	1114–35	
25.	25–12–81	235–60	156–30	1193–65	
26.	27–12–81	159–40	—	1353–05	
27.	28–12–81	248–70	229–80	1371–95	
28.	29–12–81	—	84–00	1287–95	
29.	30–12–81	73–60	106–00	1255–55	
30.	31–12–81	79–10	18–00	1316–65	
योग :—		3539–05	2222–10	1316–65	

(188)

: राजकीय विक्रय केन्द्र गोवर्धन निवास उदयपुर :

आमद, निकास एवं स्कन्ध माल कोयला पंचमेल माह दिसम्बर, 1981

क्र0 संख्या	दिनांक	आमद	निकास	स्कन्ध	विवरण
1.	30-11-81	2457—70			
2.	1-12-81	—	21—90	2436—10	
3.	2-12-81	26—50	58—90	2503—70	
4.	3-12-81	—	19—20	2394—50	
5.	4-12-81	—	24—80	2359—79	
6.	5-12-81	—	46—80	2312—90	
7.	6-12-81	—	5—60	2307—30	
8.	7-12-81	—	3?—80	3274—50	
9.	8-12-81	—	38—80	2235—70	
10.	9-12-81	—	71—60	2164—10	
11.	10-12-81	—	689—50	1554—60	
12.	11-12-81	—	36—00	1518—60	
13.	14-12-81	—	110—80	1407—80	
14.	15-12-81	—	48—00	1359—80	
15.	16-12-81	—	28—80	1331—00	
16.	17-12-81	—	95—20	1235—80	
17.	18-12-81	—	33—60	1202—20	
18.	19-12-81	4—50	12—40	1194—30	
19.	21-12-81	25—20	25—20	1194—30	
20.	22-12-81	18—00	510 64	701—70	
21.	23-12-81	73—50	30—80	744—40	
22.	24-12-81	—	34—40	710—00	
23.	26-12-81	—	85—00	625—00	
24.	28-12-81	—	26—00	599—00	
25.	29-12-81	—	68—00	531—00	
26.	30-12-81	—	32—80	498—00	
27.	31-12-81	—	71—60	426—60	
योग		2605—40	2178—80	426—60	

(189)

:: राजकीय विक्रय केन्द्र गुलाब बाग उदयपुर ::

आमद, निकास एवं स्कन्ध की सूची माह दिसम्बर, 1981 जलाऊ लकड़ी

क्र. स.	दिनांक	आमद	निकास	स्कन्ध	वि० विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	30-11-81	4115–30	3796–95	318–35	
2.	1-12-81	72–00	—	390–35	
3.	2-12-81	81–30	91–00	380–35	
4.	2-12-81	—	17–45	363–20	
5.	3-12-81	—	58–50	304–70	
6.	4-12-81	154–40	96–50	362–60	
7.	5-12-81	73–00	70 00	365–60	
8.	5-12-81	—	66–50	299–10	
8.	7-12-81	71–70	5–00	365–80	
9.	9-12-81	—	70–50	295–30	
10.	10-12-81	—	10–00	285–30	
11.	11-12-81	71–80	—	357–10	
12.	12-12-81	230–60	—	587–70	
13.	13-12-81	144–30	135–50	596–50	
14.	14-12-81	—	105–50	493–00	
15.	15-12-81	73–40	—	566–40	
16.	17-12-81	—	127–00	439–40	
17.	17-12-81	85–10	69–50	455–99	
18.	18-12-81	—	40–00	415–00	
19.	19-12-81	73–20	67–00	421–20	
20.	20-12-81	73–10	—	494–30	
21.	21-10-81	71–40	97–00	468–70	
22.	22-12-81	73–25	—	541–95	
23.	23-12-81	85–20	141–00	486–15	

1	2	3	4	5	6
24.	24-12-81	143-75	109–00	520–90	
25.	25-12-81	67–55	—	588–45	
26.	26-12-81	78–40	115–00	548--85	
27.	27-12-81	74--00	89--00	533--85	
28.	28-12-81	73--95	71--50	536--30	
39.	29-12-81	73--00	112--00	503--30	
30.	31-12-81	72--60	110--70	464--70	
	योग :--	6135--30	5670--60	464--70	

राजकीय विक्रय केन्द्र गुलाब बाग, उदयपुर

आमद, निकासी व स्कन्ध माल की सूची माह दिसम्बर, 1981

दिनांक	आमद	निकास	स्कन्ध	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
30.11.81	20732.14	–	–	
2.12.81	88-50	119-15	833-60	
3.12.81	93-35	110.00	816-95	
4.12.81	–	85-60	731-35	
5.12.81	92-80	104-00	720-15	
6-12-81	–	156-40	656-55	
7.12.81	91-60	125-00	623-25	
8.12.81	–	132-00	491-25	
10.12.81	551-10	90-40	951-95	
11.12.81	78-80	103-80	926-95	
12.12.81	79-05	–	1006-00	
13.12.81	–	132-40	873-60	
14.12.81	79-40	152-20	800-80	
15.12.81	73-40	119-60	754-60	
17.12.81	78-30	118-20	714-70	
18.12.81	71-20	85-60	700-30	
19.12.81	78-40	71-60	707-10	
20.12.81	80-40	–	787-50	
21.12.81	475-40	156-40	1106-50	
22.12.81	79-60	–	1186-10	
23.12.81	–	166-00	1020-10	
24.12.81	–	150-00	870-10	
25.12.81	78-30	–	948-40	
26.12.81	138-60	158-00	930-00	
27.12.81	–	94-80	835-20	
28.12.81	79-40	89-20	825-40	
30.12.81	–	123-60	701-80	
31.12.81	325-20	76-00	951-00	
योग :–	23538-84	22587-84	951-00	

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 237 की सूची

आदिवासियों की सूचि नायब तहसील दार इन्द्रगढ रेंज इन्द्र

क्र. सं.	अतिक्रमी का नाम	ग्राम व खसरा नं. जहां अतिक्रमण किया	क्षेत्रफल जिस पर अतिक्रमण किया	नाम वन खण्ड	मुकदमे चलाने का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री लालाराम लालदास बैरागी निवासी लुणावा मठ	ग्राम अणधोरा ख. न. 738	15 बीघा	गढवाला	अतिक्रमण करके नाजायज काश्त करने के कारण
2.	श्री गणेश पुत्र कंवरा कीर निवासी पापडा	ग्राम पापडा ख. न. 59/2	5 बीघा	पापडा	"
3.	श्री प्रभु पुत्र कवंरा और निवासी पापडा	"	5 बीघा	पापडा	"
4.	श्री गोरधन पुत्र गणेश कौर निवासी पापडा	"	5 बीघा	पापडा	"
5.	श्री हीरालाल पुत्र जयनारायण योगी निवासी दरा माताजी	ग्राम डोडा ख. न. 230	40×30	माताजी वाला	अतिक्रमण करके नाजायज मकान बनाने के कारण।
6.	श्री राधेश्याम पुत्र जयनारायण योगी निवासी दरा माताजी	"	80×40	"	"

1	2	3	4	5	6
7.	श्री श्योजी पुत्र छबिनाथ निवासी दरा माताजी	ग्राम डोडा ख. नं. 230	60X70	,,	अतिक्रमण करके नाजायज मकान बनाने के कारण
8.	श्री गोपाल पुत्र कालूराम योगी निवासी दरा माताजी	,,	40×20	,,	,,
9.	श्री रामरतन पुत्र कान्हानाथ नि. दरा माताजी	,,	70×40	,,	,,
10.	श्री रामप्रसाद पुत्र केसरनाथ योगी नि. दरा माताजी	ग्राम डोडा ख. न. 223	30×66	,,	,,
11.	श्री द्वारका पुत्र जयनारायण योगी नि. दरा माताजी	,,	90×66	,,	,,
12.	श्री पृथ्वीराज पुत्र हरजीत नाथ योगी नि. दरा माताजी	,,	33×25	,,	,,
13.	श्री रामेश्वर पुत्र जयनारायण योगी नि. दरा माताजी	,,	66×33	,,	,,

अदालत में बहाल किये गये केसेज की सूची (तालिका अतिक्रमण भूमि) मण्डल कोटा, वर्ष 81-82

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम रेंज	अतिक्रमण कर्ता	खसरा न.	रकबा	वन खण्ड का नाम	एफ. आई. आर. नं.	विशेष विवरण
1.	इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ	श्री भैरू पुत्र पान्नू गूजर कंवरपुरा	406	5 बीघा	पल वल आरक्षित	206/21 21.6.76	तलाशी व महादत की कार्यवाही जारी है
2.	,,	,,	श्री हजारी पुत्र वगैरह आमली खेडा	406	27 बीघा	,,	385/18 8.7.77	,,
3.	,,	,,	श्री गोपालसिंह पुत्र रावतसिंह अचलपुरा	406	10 बीघा	,,	385/18 10.7.77	,,
4.	,,	,,	श्री मोतीलाल पुत्र भंवर लाल अचलपुरा	36	5 बीघा	पापडा	385/18 13.12.76	,,
5.	,,	,,	श्री मोतीलाल पुत्र भंवर लाल अचलपुरा	56	5 बीघा	पापडा	863/10 20.7.77	
6.	,,	,,	श्री प्रभुलाल पुत्र धन्नालाल कवरपुरा	313,315 318	11 बीघा	माताजी वाला	1313/8 3.10.76	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ़	श्री रघुनाथ पुत्र रामचन्द्र माताजी वाला	230	11 बीघा	माताजी वाला क. .सं 3	1313/11 30.11.79	91 में जेरकार है
8.	,,	,,	श्री माघोलाल पुत्र जोधराज दरा माताजी	119	10 बीघा	,,	1313/16 9-1-80	,,
9.	,,	,,	श्री ओंकार पुत्र गंगासिंह पापडा	6	4 बीघा क. सं. 5	पापडा	318/26 15.3.80	,,
10.	,,	,,	श्री गणेश पुत्र प्रभुकौर पापडा	बीघा 59/2	6 बीघा	,,	318/47 8.7.80	,,
11.	,,	,,	श्री मांगीलाल पुत्र रमेश वगैराह सरपंच	,,	5 बीघा	मोहनपुरा क. सं. 6	5/26 19.6.80	,,